विषय सूची

	पैरा संख्या	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		**iv**
विहंगावलोकन		**v**
भाग -क: वर्ष 2011-12 के लिए लेखाओं की लेखापरीक्षा		
अध्याय I : नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के लेखे		
भाग -I		
प्रस्तावना	**1.1**	**1**
परिषद् की वित्तीय स्थिति	**1.2**	**1**
निधि के स्रोत एवं उसका व्यय	**1.3**	**1**
नई दिल्ली नगरपालिका निधि	**1.4**	**1**
राजस्व प्राप्तियाँ	**1.5**	**2**
कर राजस्व	**1.6**	**4**
गैर-कर राजस्व	**1.7**	**5**
सहायता अनुदान	**1.8**	**7**
राजस्व प्राप्तियों के बकाया	**1.9**	**7**
व्यय	**1.10**	**7**
गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता	**1.11**	**8**
आधिक्य एवं आरक्षित निधि	**1.12**	**9**
बजटीय अनुमानों का विश्लेषण	**1.13**	**10**
व्यय की अधिकता	**1.14**	**16**
भाग-II		
वार्षिक लेखाओं पर सामान्य टिप्पणियाँ	**1.15**	**15**
तुलन पत्र		
भाग -III		
आडिट रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्यवाही	**1.16**	**32**
भाग -ख: निष्पादन लेखापरीक्षा		
अध्याय -II वाणिज्यिक विभाग		
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के वाणिज्यिक विभाग की कार्यप्रणाली की लेखापरीक्षा	**2**	**34**
अध्याय -III मानव शक्ति		
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में मानव शक्ति प्रबन्धन पर निष्पादन	**3**	**46**

भाग –ग– अनुपालन लेखापरीक्षा		
अध्याय– IV : लेखा विभाग		
बैंक लेखाओं के अनियमित मिलान के परिणामस्वरूप एनडीएमसी के लेखे में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ₹19.46 लाख क्रेडिट नहीं होना।	**4.1**	**66**
अध्याय– V : सिविल इंजीनियरिंग विभाग		
₹ 6.25 लाख के विविध अग्रिमों का समायोजन न करना	**5.1**	**68**
कम दरों पर भूमि के आवंटन के कारण ₹ 93.61 लाख के राजस्व की हानि	**5.2**	**68**
अविवेकपूर्ण पुन: निविदाकरण के परिणामस्वरूप ₹ 2.35 लाख की हानि	**5.3**	**69**
अध्याय– VI : सम्पदा विभाग		
₹ 721.77 करोड़ के लाइसेंस शुल्क की वसूली न करना	**6.1**	**71**
जनपथ मार्किट के लाइसेंसधारियों से ₹ 12.24 करोड़ के बकाया लाइसेंस शुल्क की वसूलीी के लिए कार्रवाई न करना/अपर्याप्त कार्रवाई करना।	**6.2**	**72**
कनाट प्लेस में स्थित पेट्रोल पम्प से ₹ 2.06 करोड़ के संशोधित लाइसेंस शुल्क/भूमि किराए की उगाही न करना।	**6.3**	**73**
रिक्त वाणिज्यिक परिसर का आवंटन न करने के कारण ₹ 5.74 करोड़ के राजस्व की हानि ।	**6.4**	**75**
एल एण्ड डीओ के दिशानिर्देशों का पालन न करना तथा ₹ 2.55 करोड़ के दुरूपयोग प्रभारों की वसूली न करना ।	**6.5**	**75**
अध्याय– VII : प्रवर्तन विभाग		
करार में विनिर्दिष्ट घंटों से अधिक छापामार वैनों और क्रेनों को किराए पर लेने के लिए ₹ 35.82 लाख का अनियमित भुगतान ।	**7.1**	**77**
चूककर्ता लाइसेंसधारियों से ₹ 3.27 करोड़ के लाइसेंस शुल्क के बकाया की वसूली न करना।	**7.2**	**78**
अध्याय– VIII : गृह कर विभाग		
कर प्राप्य लेखाओं के अनुचित अनुरक्षण के परिणामस्वरूप अप्रभावी वसूली तंत्र ।	**8.1**	**80**
अध्याय– IX : चिकित्सा सेवाएं		
₹ 14.08 लाख मूल्य की ऐसी दवाइयां स्वीकार करना जिनका 1/6 शेल्फ जीवन उनकी सुपुर्दगी के समय ही समाप्त होना ।	**9.1**	**82**
छूट प्राप्त सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान	**9.2**	**83**
अध्याय– X : लेखापरीक्षा के कहने पर वसूलियां		
लेखापरीक्षा के कहने पर वसूलियां	**10**	**84**
अनुबंध		
31 मार्च 2012 को एनडीएमसी की देयता और परिसम्पति की विवरणी	ए	**85**
मार्च 2012 को समाप्त वर्ष पर प्रतिकूल शेष दर्शाने वाले लेखा शीर्ष	बी	**87**
मार्च 2012 को समाप्त वर्ष पर प्रतिकूल शेष दर्शाने वाले लेखा–शीर्ष परिसम्पितियां	सी	**88**
अपेक्षित मूल्यहास के वर्षवार (2004–05 से 2011–12) का विवरण ।	डी	**89**
31.3.2012 को पूरी की गई योजनाएं ।	ई	**90**
वर्ष 2011–12 के लिए आय एवं व्यय की विवरणी	एफ	**91**
वर्ष 2011–12 के लिए मास–वार आय एवं व्यय तथा अधिशेष/घाटे का सार ।	जी	**92**

लेखाओं के कोड का गलत वर्गीकरण	एच	**93**
फंक्शन कोड का गलत वर्गीकरण	आई	**94**
वर्ष 2011-12 के लिए फंक्शन-वार आय एवं व्यय (राजस्व)	जे	**95**
01.04.2011 से 31.03.2012 तक की अवधि के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	के	**101**
31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण	एल	**103**
महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात -2011-12	एम	**105**
2007-08 से 2010-11 की अवधि के दौरान एनडीएमसी को हुई वितीय हानि को दर्शाने वाली विवरणी	एन	**106**
बिजली की चोरी के मामलों में उर्जा उपभोग के कम निर्धारण के मामले	ओ	**107**
निर्धारण फार्मूले लागू न करने के कारण ऊर्जा के अप्राधिकृत प्रयोग के मामलों में कम ऊर्जा उपभोग के मामले ।	पी	**108**
लेखा परीक्षा को उपलब्ध न कराये गये भर्ती नियमों के विवरण ।	क्यू	**110**
रोजगार कार्यालय द्वारा दैनिक-भोगी सफाई कर्मचारी के लिए प्रवर्तित, चुने गये और नियुक्त किए गए आवेदकों की सूची ।	आर	**112**
कार्य प्रतिमानों के अनुसार सफाई कर्मचारियों का निर्धारण।	एस	**113**
अनुमोदन के बिना दैनिक-भोगी माली की नियुक्ति।	टी	**114**
अग्नि विभाग में दैनिक-भोगी मजदूर को अलेखाबद्ध भुगतान के विवरण।	यू	**116**
समीक्षा अवधि (2007-12) के दौरान सुरक्षा एजेंसियाँ।	वी	**117**
मार्च, 2011 के मास में सिक्योरिटी एजेंसी को अधिक भुगतान दर्शाने वाली विवरणी।	डब्ल्यू	**119**
सुरक्षा कर्मियों की विवरणी जिन्होंने दोहरी/तिहरी शिफ्टों में काम किया।	एक्स	**122**
सुरक्षा विभाग द्वारा नवम्बर, 2009 से जुलाई, 2012 की अवधि का ईपीएफ आदि के संबंध में लेखा संख्याओं का विवरण।	वाई	**125**
दिसम्बर, 2012 को असमायोजित विविध अग्रिम।	जैड	**126**
31.3.2012 को जनपथ मार्किट के लाईसेंसधारियों से प्राप्य लाईसेंस शुल्क का विवरण।	एए	**127**
खाली वाणिज्यिक परिसरों का आबंटन न करने के कारण लाईसेंस शुल्क की हानि दर्शाने वाला विवरण।	एबी	**128**
दवाओं की सूची जिनका 1/6 शेल्फ जीवन समाप्त हो चुका था ।	एसी	**131**
सेंट्रल मेडिकल स्टोर पर एक्सपायॅर्ड दवाओं का विवरण।	एडी	**137**

प्राक्कथन

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष की यह वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 59 की उपधारा 17 के अनुसार परिषद् को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि मुख्य लेखापरीक्षक परिषद् के पिछले वर्ष के समस्त लेखाओं पर अपनी रिपोर्ट परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

इस रिपोर्ट में वर्ष 2011-12 के वार्षिक लेखाओं ''नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में वाणिज्यिक विभाग की कार्यप्रणाली और 'मानवशक्ति प्रबंधन' की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेन-देन/मामलों पर टिप्पणियां निहित हैं। इस रिपोर्ट में उल्लिखित लेन-देन/मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2011-12 के दौरान नमूना लेखा परीक्षा के ध्यान में आए तथा जो पिछले वर्षों में ध्यान में आए परन्तु पिछली रिपोर्टों में शामिल नहीं किए जा सके; 2011-12 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी आवश्यकतानुसार शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रत्येक अवस्था पर विभिन्न विभागों से प्राप्त सहयोग के लिए लेखापरीक्षा अपना आभार व्यक्त करता है।

विहंगावलोकन

इस रिपोर्ट में एक अध्याय नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की वर्ष 2011-12 की वित्तीय स्थिति से संबंधित है, दो अध्याय वाणिज्यिक विभाग की कार्यप्रणाली तथा नई नगरपालिका परिषद् में मानवशक्ति प्रबंधन शीर्षकों की समीक्षा से संबंधित है तथा सात अध्याय, जिसमें 15 पैराग्राफ सम्मिलित हैं, परिषद् के विभिन्न विभागों की लेखापरीक्षा के परिणामों तथा लेखापरीक्षा के कहने पर कुल ₹ 6.23 करोड़ की वसूलियों से संबंधित हैं।

वित्त लेखा विभाग

वित्तीय परिणाम

परिषद् की वित्तीय स्थिति मुख्यत: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 44 के अन्तर्गत परिषद् द्वारा पोषित नई दिल्ली नगरपालिका निधि से प्रदर्शित होती है। सभी प्राप्तियां और व्यय इस निधि में लेखांकित किए जाते हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 274.19 करोड़ का अधिशेष था तथा 31 मार्च 2012 को ₹ 77.06 करोड़ का अन्त शेष था।

निम्नलिखित ग्राफ राजस्व प्राप्तियों तथा उसके विभिन्न घटकों की वृद्धि को दर्शाते हैं:

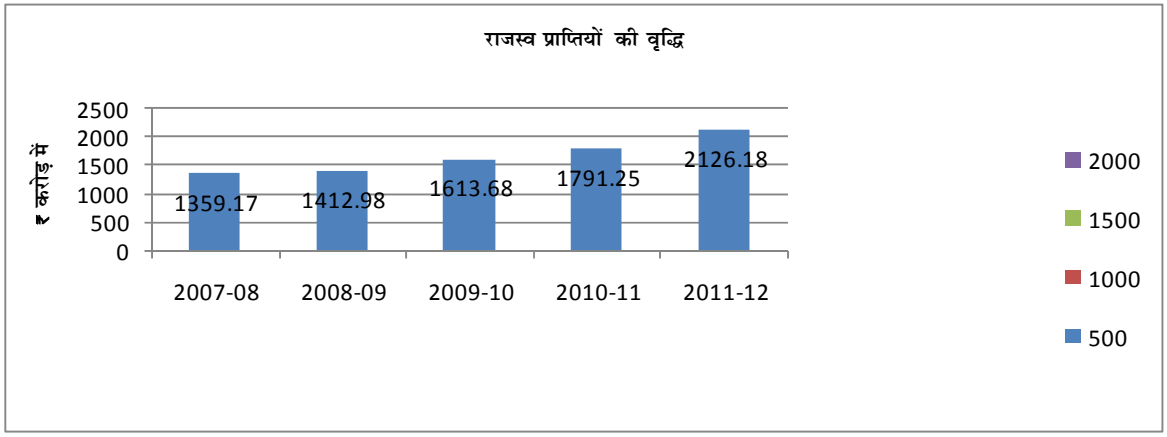

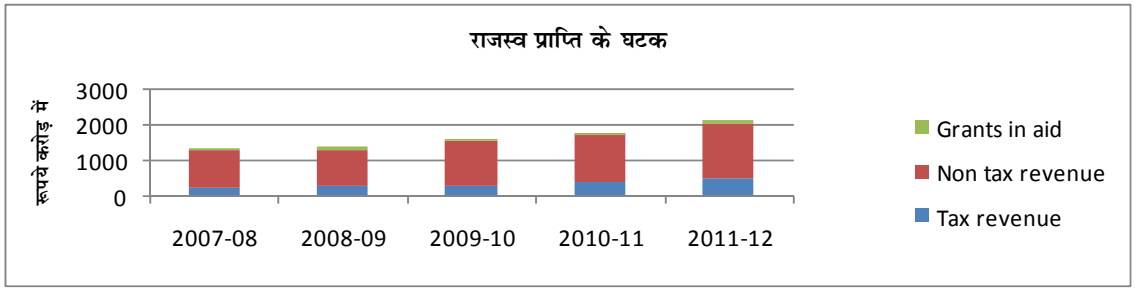

गैर-कर राजस्व के प्रमुख स्रोत्र ऊर्जा की बिक्री (38.65 प्रतिशत), निवेश पर ब्याज (24.20 प्रतिशत) तथा किराया/लाइसेंस शुल्क से प्राप्तियां और अन्य वाणिज्यिक क्रियाकलापों से प्राप्तियां (16.62 प्रतिशत) थी । ऊर्जा की बिक्री से प्राप्तियां पिछले पांच वर्षों से कुल गैर-कर राजस्व के हिस्से के रूप में 35.88 तथा 57.19 प्रतिशत

के बीच घट-बढ़ रही थी। पिछले वर्ष से गैर-कर राजस्व में वृद्धि निवेश पर ब्याज में वृद्धि ऊर्जा की बिक्री तथा जल की बिक्री के कारण थी।

परिषद् का व्यय 2010-11 में ₹ 2123.95 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 2258.16 करोड़ हो गया अर्थात पिछले वर्ष की तुलना मे 6.35 प्रतिशत बढ़ गया जिसे निम्न चार्ट में दर्शाया गया है:

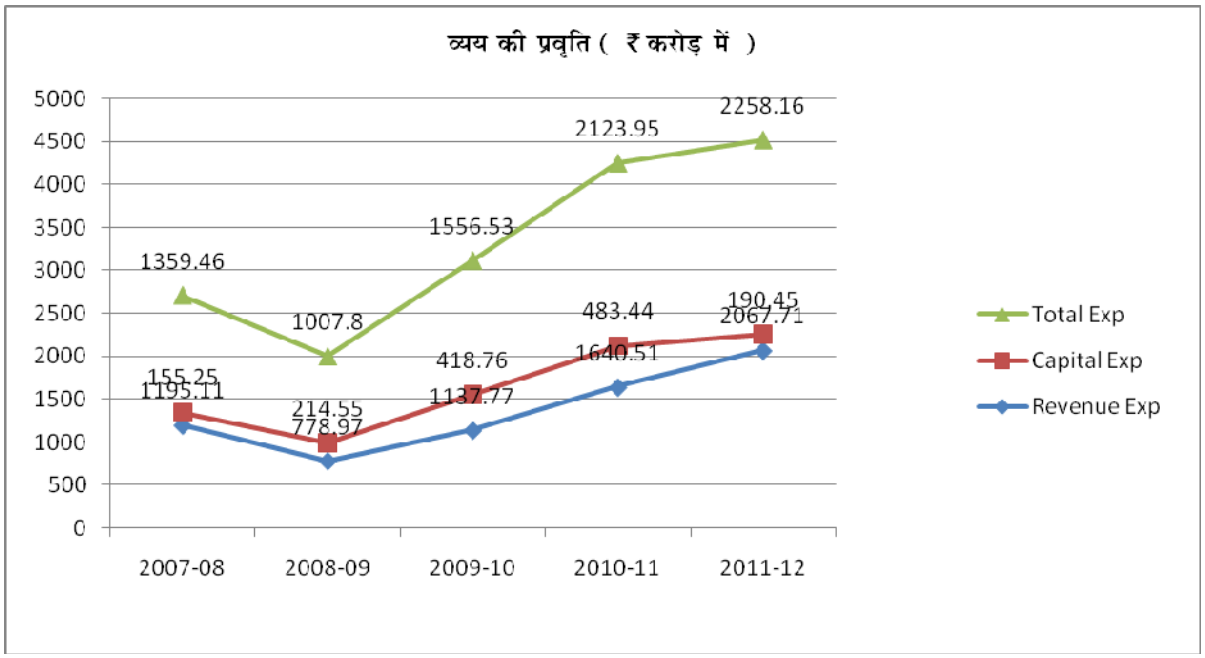

(i) कुल व्यय 2007-08 में ₹ 1359.46 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 2258.16 करोड़ हो गया। 2011-12 के दौरान किया गया व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 6.31 प्रतिशत बढ़ गया।

(ii) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् से संबंधित कार्यों पर पूंजीगत व्यय 2010-11 में ₹ 483.44 करोड़ से घटकर 2011-12 में ₹ 190.45 करोड़ हो गया अर्थात् इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 60.61 प्रतिशत की कमी हुई। इसी प्रकार 2011-12 के दौरान राजस्व व्यय भी पिछले वर्ष की तुलना में 26.04 प्रतिशत बढ़ गया।

परिषद् के लेखाओं पर प्रमुख लेखापरीक्षा आपत्तियां निम्नलिखित हैं:

(क) वर्ष 2011-12 के दौरान वास्तविक व्यय ₹ 1844.96 करोड़ के संशोधित अनुमानों के प्रति ₹ 2067.71 करोड़ था। इस प्रकार 2011-12 का व्यय संशोधित अनुमानों से ₹ 222.75 करोड़ बढ़ गया था। 9 लेखा शीर्षों के अन्तर्गत व्यय संशोधित अनुमान से अधिक किया गया था। अधिक व्यय संशोधित अनुमानों के 0.7 तथा 1484.44 प्रतिशत के बीच था। 3 लेखा शीर्ष में व्यय बिना किसी बजट प्रावधान के किया गया था।

(ख) वित्तीय वर्ष 2011-12 के शुरू में ''कर्जे, पेशागियां तथा जमा'' के अन्तर्गत बकाया शेष ₹ 59.17 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 7.81 करोड़ की वसूली/समायोजन, वर्ष के अन्त के ₹ 66.98 करोड़ के बकाया शेष को छोड़कर किया गया था।

(ग) अनुसूची के अनुसार, स्थायी परिसम्पत्तियों (₹ 1 प्रत्येक मूल्य वाली परिसम्पत्तियों के अलावा) का सकल ब्लॉक ₹ 265.53 करोड़ दर्शाया गया है तथा वर्ष 2004-05 से 2011-12 के लिए वार्षिक लेखाओं में दर्ज ₹ 49.57 करोड़ के कुल मूल्यहास के प्रति 31.03.2012 तक संचित मूल्यहास ₹ 45.25 करोड़

दर्शाया गया है जिसके परिणामस्वरूप आय एवं व्यय लेखा में ₹ 4.32 करोड़ तक मूल्यहास कम प्रभारित किया गया है। स्थायी परिसम्पत्तियों तथा नगर परिषद् (सामान्य) निधि का निवल ब्लॉक भी उसी सीमा तक अधिक बताया गया है।

(घ) लेखाओं के अनुसार नकद शेष में तथा रोकड़ बही के अनुसार नकद शेष में ₹ 65.28 करोड़ का अन्तर था।

ड़) अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों का प्रावधान बिना किसी समर्थित विवरण तथा **बिना समुचित खुलासे के ₹ 1071.41 करोड़ (49.51 प्रतिशत के असाधारण उच्च स्तर** पर किया गया था। लेखा टिप्पणियों में यह स्वीकार किया गया है कि अशोध्य ऋण का परिकलन प्राप्य राशियों के किसी विवरण के बिना तदर्थ आधार पर किया गया है।

(च) संचित मूल्यहास ₹ 4.32 करोड़ कम प्रभारित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप परिसम्पतियां अधिक बनाई गई थी और समान राशि की मूल्यहास आरक्षित निधि कम बताई गई थी।

(छ) एनएमएएम के अनुसार परिसम्पत्तियों और देयताओं की दस विभिन्न अनुसूचियां तैयार नहीं की गई हैं। 14 मामलों में वित्तीय अनुपात भी एनएमएम में निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार शामिल/परिकलित नहीं किए गए थे।

(अध्याय 1)

एनडीएमसी में वाणिज्यिक विभाग की कार्यप्रणाली

- एनडीएमसी वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2010-11 में लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी, डीईआरसी, ने लक्ष्य निर्धारित करते समय केवल उसके द्वारा निर्धारित सीमा तक ही ए टी एवं सी हानियां अनुमत की। परिणामतः परिषद् को ₹ 51.94 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ।
- लेखे खण्ड-वार तैयार न करने के कारण, एनडीएमसी ने वर्ष 2007-08 से 2010-11 तक ₹ 105.72 करोड़ की हानि उठाई जो बिजली का टैरिफ बढ़ाकर वसूल की जा सकती थी।
- डीईआरसी द्वारा जारी कई निर्देशों के बावजूद, एनडीएमसी ने बहु वर्ष टैरिफ (एमवाईटी) अवधि (वि.व. 2008-11) में पूंजीगत व्यय योजनाओं के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं किया था।
- उक्त विवरण उपलब्ध न होने के कारण, आने वाले वर्षों में लेखापरीक्षा द्वारा मूल्यहास की वास्तविक हानि परिकलित नहीं की जा सकी।
- डीईआरसी ने अपने संबंधित आदेशों में कहा है कि एनडीएमसी ने ओ एवं एम पर डीईआरसी द्वारा जारी किसी भी निर्देश का पालन नहीं किया है और इस प्रकार उसने 2008-11 के एमवाईटी आदेशों में पहले से अनुमोदित सीमा तक ही व्यय का अनुमोदन किया।
- डीईआरसी द्वारा ओ एवं एम व्यय के प्रति ₹134.27 करोड़ का व्यय, संबंधित ट्रू-अप में पहले तीन वर्षों (2007-08 से 2009-10) में लक्ष्य प्राप्त न करने के कारण अनुमत नहीं किया गया था। तथापि, वर्ष 2010-11 में, एनडीएमसी, व्यय को डीईआरसी द्वारा नियत सीमा तक नहीं रोक सकी।
- वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 76.83 करोड़ की अधिशेष बिजली अप्रतिस्पर्धी दरों पर बेची गई थी।
- विद्युत जेनरेलाइजिंग कम्पनियों के साथ किए गए करार के अनुसार, बिलों में अन्तर, यदि कोई हो, बिलों की प्राप्ति के 60 दिन के अन्दर बताना होता है। चूंकि बिलों की कोई विस्तृत जांच नहीं की गई थी, अतः कोई भी अन्तर नहीं बताया जा सका।

- ₹ 56.27 करोड़ के कुल बकाया में से, ₹ 42.59 करोड़ की राशि तीन से अधिक वर्षों से बकाया थी। इसके अतिरिक्त विभाग ने इस बात का पता लगाने के लिए कोई सर्वे नहीं किया था कि उपभोक्ताओं ने अप्राधिकृत रूप से फिर से तो कनेक्शन नहीं जोड़ लिए।
- दिल्ली आधारित वितरण कम्पनियों से 31 मार्च 2013 को प्राप्य बकाया राशि ₹ 42.36 करोड़ थी।
- जल प्रभारों के बकाया की अभी वसूली की जानी थी।
- इन 18 में से 13 मामलों में ₹ 4.70 लाख की राशि के ऊर्जा उपभोग का कम निर्धारण हुआ था निर्दिष्ट न्यायालयों में मामले दायर करने की कोई प्रथा नहीं थी।
- 8 मामलों में फार्मूले के अनुसार निर्धारण न करने के कारण, विभाग ₹ 84.36 लाख तक दुरूपयोग प्रभार कम वसूल किए।
- विभाग उपभोक्ताओं के विरूद्ध कनेक्शन काटने के आदेश शीघ्र जारी करने में विफल रहा। 2009-10 से जारी कनेक्शन काटने के 11393 आदेशों में से, 1987 मामलों में भुगतान प्राप्त हुए थे तथा कनेक्शन काटने के आदेश केवल 384 मामलों में लागू किए गए थे जिससे ऐसे 9022 मामले (79प्रतिशत) शेष रह गए थे जिनमें कनेक्शन नहीं काटे गए थे।
    - 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान, कुल मिलाकर 15545 कनेक्शन (10547-बिजली और 4998-पानी) काटे गए थे। 120 मामलों की नमूना-जांच में, विभाग ने केवल पांच मामलों में और वह भी कनेक्शन काटने के 3 से 11 वर्ष की अवधि के पश्चात् अधिशासी अभियंता (वाणिज्यिक) को यह पता लगाने के लिए स्थल का निरीक्षण कराने का अनुरोध किया था कि उपभोक्ता परिसर में बिजली/पानी के कनेक्शन के बिना कैसे रह रहे हैं।

(अध्याय 2)

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में मानव शक्ति प्रबंधन

- विभाग ने रोस्टरों के अनुचित/गैर अनुरक्षण, विभिन्न संवर्गो के भर्ती नियमों (आरआर्ज) को अन्तिम रूप न देने उनका संशोधन न करने के कारण नियमित आधार पर अपनी विद्यमान रिक्तियों की समीक्षा नहीं की और वह एनडीएमसी अधिनियम 1994 की धारा 42 के अन्तर्गत प्राधिकृत एजेंसियों जैसे डीएसएसएसबी/यूपीएससी के माध्यम से सीधी भर्ती के द्वारा रिक्त पद भरने में विफल रहा।
- प्रतिमानिक सीमाओं के अभाव में, विभाग ने 2009-10 और 2010-11 में अनुकम्पा आधार पर हेल्पर के क्रमशः 5 और 21 पद भरे। यह इन दो वर्षों की रिक्तियों का 10 और 46 प्रतिशत था।
- 2010 के राष्ट्र मंडल खेलों के मद्देनजर, किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई अध्ययन कराए बिना अथवा भर्ती की विद्यमान विधि की समीक्षा किए बिना विभिन्न संवर्गों में बड़ी संख्या में पदों का सृजन किया गया था।
- विभिन्न संवर्गों में भर्ती नियम नहीं बनाए गए थे।
- पर्याप्त मात्रा में अभ्यर्थी उपलब्ध होने के बावजूद, संबंधित विभागों ने काफी समय तक रिक्त पद भरने के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की।
- निदेशक (बागवानी) का दूसरा पद परिषद् का अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही संचालित किया जा रहा था।
- यदि सभी लिपिकीय सहायकों को भी पदोन्नति का पात्र मान लिया जाए तो भी स्थापना कनिष्ठ लिपिकों के 167 रिक्त पदों को भरने में सक्षम नहीं थी।
- विभाग चपरासियों के रिक्त पद भी नहीं भर सका क्योंकि फीडर संवर्ग में कार्यरत हेल्परों की संख्या पदोन्नति के संवर्ग की रिक्तियों से काफी कम थी।

- ट्रेड जांच करने में विलम्ब के कारण, विभाग दिसम्बर 2008 से अप्रैल 2011 तक चौधरी (बागवानी) के पद नहीं भर सका हालांकि संभरक संवर्ग में 313 पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध थे।
- विभाग ने सामायिक पदोन्नतियों के माध्यम से रिक्तियां भरने के बजाए अगस्त 2009 में 18 टीजीटी, जुलाई 2010 में 22 टीजीटी और जनवरी 2011 में 22 टीजीटी संविदा के आधार पर नियुक्त किए तथा संविदात्मक टीजीटीज के वेतन पर लगभग ₹ 56.45 लाख का परिहार्य व्यय किया।
- विभाग के पास सफाई कर्मचारियों के 1633 संस्वीकृत पद थे । कूड़ा निपटान के कार्य की आऊटसोर्सिंग के पश्चात् न केवल नियमित सफाई कर्मचारियों की संस्वीकृत पद संख्या अपरिवर्तित रही बल्कि दैनिक भोगी सफाई कर्मचारियों की संख्या भी 2005-06 में 505 से बढ़कर 2011-12 तक के अनुवर्ती वर्षों के दौरान 602 से 1022 हो गई ।
- सुरक्षा विभाग ने उन भवनों में भी दैनिक आधार पर गार्ड नियुक्त और तैनात किए थे जहां सेवाएं आऊटसोर्स कराई गई थी ।
- विभाग ने सक्षम प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त किए बिना 8 अप्रैल 2009 से 2 जून, 2009 तक दैनिक भोगी 302 माली काम पर लगाए थे और उन्हें लगभग ₹ 11.34 लाख का भुगतान किया था।
- 2006 से 2011 के बीच दैनिक भोगी सहायक अग्नि गार्डों (एएफजी) की नई संस्वीकृतियों के प्रस्ताव आगे बढ़ाते समय विद्यमान पद संख्या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नहीं रखी गई थी जिसके परिणामस्वरूप संस्वीकृत पद संख्या की तुलना में अधिक एएफजी नियुक्त कर लिए गए थे।
- विभाग ने शिक्षा विभाग से विद्यमान चौकीदारों/सुरक्षा गार्डों की विद्यालय वार संख्या प्राप्त नहीं की थी ताकि उन्हें अग्नि-शमन का प्रशिक्षण दिया जा सके। हालांकि चौकीदारी का कार्य करने के लिए विद्यालय में तीन चौकीदार पहले से ही उपलब्ध थे, फिर भी विभाग ने चौकीदारों/सुरक्षा गार्डों की समग्र भर्ती की जांच किए बिना नवम्बर, 2007 से फरवरी 2011 तक आकस्मिक आधार पर 7 और एएफजी नियुक्त किए ।
- अग्नि शमन विभाग ने विभिन्न भवनों के लिए प्राप्त संस्वीकृतियों के अनुसार दैनिक भोगी एएफजी नियुक्त किए और उन्हें भुगतान किया। तथापि, विभाग ने इन भवनों में कम संख्या में दैनिक श्रमिक तैनात किए थे तथा ₹ 11.45 लाख के भुगतान के उपस्थिति दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं थे।
- 2009-10 तथा 2010-11 के शिक्षण सत्रों के लिए सहायक अध्यापकों का पश्च नियतन क्रमशः दिसम्बर 2008 और दिसम्बर 2009 तक पूरा किया जाना अपेक्षित था, जो शिक्षा विभाग द्वारा देर से फरवरी, 2010 में किया गया था।
- विभाग ने अनुबंध पर अपात्र सहायक अध्यापक (उर्दू) नियुक्त किए थे जो भर्ती नियमों का अधिकतम आयु सीमा का मापदण्ड पूरा नहीं करते थे। विभाग ने ठेके पर अनुभाग अधिकारी (बागवानी) के रूप में छः अपात्र अभ्यार्थी अनुबंध पर नियुक्त किए थे जिनके पास भर्ती नियमों के अनुसार दो वर्ष का अनुभव नहीं था।
- स्टाफ की संविदागत नियुक्ति के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, शिक्षा विभाग ने उनके द्वारा प्रस्तुत सीधे आवेदनों के आधार पर अनुबंध आधार पर शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति की।
- विभागों ने नए करार किए बिना संविदागत सेवाएं बढ़ा दी।
- एनडीएमसी के पास 2007-11 के दौरान 8 से 26 के बीच फालतू डीईओ (ग्रेड ए) थे, फिर भी उसके द्वारा उसी अवधि के दौरान अनुबंध आधार पर 18 से 52 और डीईओ (ग्रेड ए) नियुक्त किए गए थे। परिणामतः एनडीएमसी ने इन नियुक्तियों पर ₹ 17.69 लाख का परिहार्य व्यय किया।

- विभाग ने सुरक्षा एजेंसियों को क्रमश: ₹ 16.80 लाख और ₹ 12.68 लाख का भुगतान उन अवधियों के लिए किया था जिनकी उपस्थिति के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।
- विभाग ने बिना किसी ब्रेक के डबल और ट्रिपल शिफ्टों में कार्य करने वाले सुरक्षा कार्मिकों की उपस्थिति स्वीकार कर ली थी। यह अनुबंध करार का उल्लघंन था और इससे 16.75 प्रतिशत की दर पर कार्यमुक्ति प्रभारों के भुगतान का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।
- विभाग ने सुरक्षा ठेकेदारों से ईपीएफ, ईएसआई अंशदानों के संबंध में लेखा संख्या के अलग-अलग विवरण प्राप्त किए बिना नवम्बर 2009-जुलाई 2012 की अवधि के लिए लगभग ₹ 4.55 करोड़ के भुगतान किए।
- विभाग के पास ऐसा कोई तन्त्र विद्यमान नहीं था जिससे वह यह दिखा सकता कि सुरक्षा एजेंसियों द्वारा शर्तें पूरी कर ली गई थी।
- विभाग ने सुरक्षा एजेंसियों के मासिक बिलों का भुगतान करने से पूर्व एजेंसियों से कोई वेतन पर्चियां प्राप्त नहीं की थी।

(अध्याय 3)

लेखा विभाग

एसबीआई द्वारा एनडीएमसी लेखा को ₹ 19.46 लाख क्रेडिट न करना

बैंक खातों के अनियमित मिलान के परिणामस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एनडीएमसी को 19.46 लाख का क्रेडिट नहीं हुआ।

(अध्याय 4: पैरा 4.1)

सिविल इंजीनियरिग विभाग

₹ 6.25 लाख के विविध अग्रिमों का समायोजन न करना

विभाग ने काफी समय पूर्व विभिन्न संगठनों को प्रदत्त ₹ 6.25 लाख के विविध अग्रिमों का समायोजन नहीं किया।

(अध्याय 5: पैरा 5.1)

कम दरों पर भूमि के आवंटन के कारण ₹ 93.61 लाख के राजस्व की हानि

एक ठेकेदार को प्रचलित सर्किल दर से कम दर पर भूमि किराए पर देने के परिणामस्वरूप एनडीएमसी को ₹ 93.61 लाख के राजस्व की हानि हुई ।

(अध्याय 5: पैरा 5.2)

अविवेकपूर्ण पुन: निविदाकरण के परिणामस्वरूप ₹ 2.35 लाख की हानि

अविवेकपूर्ण पुन: निविदाकरण के परिणामस्वरूप परिषद् को ₹ 2.35 लाख की हानि हुई।

(अध्याय 5: पैरा 5.3)

सम्पदा विभाग

₹ 721.77 करोड़ के लाइसेंस शुल्क की वसूली न करना

विभाग द्वारा अपर्याप्त कार्रवाई के परिणामस्वरूप ₹ 721.77 करोड़ के लाइसेंस शुल्क के बकाया का संचय हुआ।

(अध्याय 6: पैरा 6.1)

जनपथ मार्किट के लाइसेंसधारियों से ₹ 12.24 करोड़ के बकाया लाइसेंस शुल्क की वसूली के लिए कार्रवाई न करना/अपर्याप्त कार्रवाई करना

जनपथ मार्किट में सभी 29 दुकानों के संबंध में ₹ 12.24 करोड़ के लाइसेंस शुल्क का भारी संचय विभाग के भाग पर कार्रवाई न करने/अपर्याप्त कार्रवाई करने का सूचक है।

(अध्याय 6: पैरा 6.2)

कनॉट प्लेस में स्थित पेट्रोल पम्पों से ₹ 2.06 करोड़ के संशोधित लाइसेंस शुल्क/भूमि किराए की उगाही न करना।

विभाग कनॉट प्लेस स्थित नौ पेट्रोल पम्पों से ₹ 2.06 करोड़ के संशोधित लाइसेंस शुल्क/भूमि किराए की उगाही करने में विफल रहा।

(अध्याय 6: पैरा 6.3)

रिक्त वाणिज्यिक परिसर का आवंटन न करने के कारण ₹ 5.74 करोड़ के राजस्व की हानि

वाणिज्यिक सम्पत्तियों के पुन: आवंटन में विलम्ब के परिणाम स्वरूप एनडीएमसी को ₹ 5.74 करोड़ के लाइसेंस शुल्क की हानि हुई।

(अध्याय 6: पैरा 6.4)

एल एंड डीओ दिशानिर्देशों का पालन न करना तथा ₹ 2.55 करोड़ के दुरूपयोग प्रभारों की वसूली न करना

पट्टाधारी द्वारा अप्राधिकृत निर्माण/ दुरूपयोग पर दुरूपयोग/क्षति प्रभारों की वसूली के लिए एल एंड डीओ के निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप बकाया का संचय हुआ।

(अध्याय 6: पैरा 6.5)

प्रवर्त्तन विभाग

करार में विनिर्दिष्ट घंटों से अधिक छापामार वैनें तथा क्रेनें किराए पर लेने के लिए ₹ 35.82 लाख का अनियमित भुगतान।

एनडीएमसी ने अतिरिक्त घंटों/दिनों के लिए वाहनों के उपयोग हेतु ठेकेदार को ₹ 35.82 लाख का भुगतान किया।

(अध्याय 7: पैरा 7.1)

चूककर्ता लाइसेंसधारियों से ₹ 3.27 करोड़ के बकाया लाइसेंस शुल्क की वसूली न करना।

चूककर्ता लाइसेंसधारियों से ₹ 3.27 करोड़ के लाइसेंस शुल्क के बकाया की वसूली न करने से अशोध्य ऋणों के होने के अवसर बढ़ गए।

(अध्याय 7: पैरा 7.2)

गृहकर विभाग

कर प्राप्य राशियों के अनुचित अनुरक्षण के परिणामस्वरूप वसूली तन्त्र का अप्रभावी होना ।

चूककर्ताओं से कर की वसूली के लिए बड़ी सांविधिक शक्तियों के बावजूद, 31 मार्च 2012 को गृह कर के बकाया के रूप में ₹ 727 करोड़ की बड़ी राशि बकाया थी जोकि विभाग द्वारा अपर्याप्त वसूली कार्रवाई की सूचक है।

(अध्याय 8: पैरा 8.1)

₹ 14.08 लाख मूल्य की औषधियां स्वीकार करना जिनका 1/6 शेल्फ जीवन समाप्त हो चुका था।

₹ 14.08 लाख मूल्य की वे औषधियां स्वीकार की गई जिनका 1/6 शेल्फ जीवन उनकी डिलीवरी के समय ही समाप्त हो चुका था।

(अध्याय 9: पैरा 9.1)

छूट प्राप्त सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान

ठेकेदार को छूट प्राप्त सेवाओं पर सेवा कर के भुगतान के परिणामस्वरूप परिषद् को ₹ 9.40 लाख का अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ा।

(अध्याय 9: पैरा 9.2)

लेखापरीक्षा के कहने पर वसूलियाँ

लेखापरीक्षा के कहने पर (जनवरी 2011) एनडीएमसी के विभिन्न विभागों ने कुल ₹ 6.23 करोड़ की वसूलियाँ की।

(अध्याय 10)

अध्याय-1

भाग 1

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के लेखे

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय वर्ष 2011-12 हेतु परिषद् के लेखाओं में सम्मिलित सूचना के विश्लेषण पर आधारित नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। यह विश्लेषण परिषद् की प्राप्तियों एवं व्यय के रूझान और वित्तीय प्रबंधन पर आधारित है।

1.2 परिषद् की वित्तीय स्थिति

परिषद् के लेखे नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994, की धारा 58 के अनुसार तैयार किए जाते हैं। नई दिल्ली नगरपालिका ने परिषद् के प्रस्ताव सं. 3 (xii) दिनांक 24.04.2002 के द्वारा वर्ष 2004-05 से लागू उपार्जन आधारित दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के लेखाओं को बंद करने का निर्णय लिया । अतः नई दिल्ली नगरपालिका ने वर्ष 2011-12 हेतु लेखे परिषद् हेतु विकसित ई-फाइनेंस सॉफ्टवेयर के द्वारा दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का प्रयोग करके तैयार किए। लेखाओं को तैयार करने हेतु फॉरमेट राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली (एनएमएएम) में निर्धारित है।

परिषद् की वित्तीय स्थिति मुख्य रूप से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 44 के अन्तर्गत परिषद् द्वारा अनुरक्षित नई दिल्ली नगरपालिका निधि से प्रदर्शित होती है। सभी प्राप्तियों तथा व्ययों को इस निधि के अधीन लेखांकित किया जाता है। वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 274.19 करोड़ का अधिशेष था तथा 31 मार्च 2012 को अन्त शेष ₹ 77.06 करोड़ था।

1.3 निधि के स्रोत एवं उसका व्यय

निधि के मुख्य स्त्रोतों में परिषद् के राजस्व की प्राप्तियां सम्मिलित हैं। इनका विस्तृत रूप से उपयोग राजस्व एवं पूँजीगत व्यय पर होता है। वर्ष 2010-11 में वास्तविक राजस्व प्राप्तियां ₹ 1791.25 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 18.70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 2126.18 करोड़ हो गई।

वर्ष 2010-11 में राजस्व व्यय ₹ 1640.51 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 2067.71 करोड़ हो गया। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् से संबंधित कार्यों पर जमा कार्यों को छोड़ कर पूँजीगत व्यय वर्ष 2010-11 में ₹ 483.94 करोड़ से घटकर वर्ष 2011-12 में ₹ 190.45 करोड़ हो गया।

1.4 नई दिल्ली नगरपालिका निधि

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994, की धारा 44 के अनुसार ''नई दिल्ली नगरपालिका निधि'' के नाम से जानी जाने वाली निधि का रखरखाव परिषद् द्वारा किया जाता है। परिषद् द्वारा अथवा परिषद् की ओर से प्राप्त धन निधि का हिस्सा कहलाएगा। परिषद् अथवा इसकी ओर से किया गया व्यय, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस निधि में से किया जाता है। ई-फाइनेंस अनुप्रयोग के अनुसार वर्ष 2011-12 हेतु इस निधि के अन्तर्गत कुल व्यय तथा प्राप्तियाँ निम्नलिखत थीं:

तालिका 1.1: नई दिल्ली नगरपालिका निधि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	**2011.12**	**2010.11**
1 अप्रैल को अथशेष	**68.49**	**201.98**
जमा-वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	**2328.63**	**2127.99**
कुल	**2397.12**	**2329.97**
घटा-वर्ष के दौरान व्यय	**2320.24**	**2261.48**
वर्ष के दौरान निवल आधिक्य (+)/घाटा(-)	**8.57**	**-133.49**
31 मार्च को अंत शेष	**77.06**	**68.49**

उक्त तालिका को देखने पर ज्ञात होगा कि वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 8.57 करोड़ का अधिशेष था। निधि का अंतशेष वर्ष 2010-11 ₹ 68.49 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 के अंत में ₹ 77.06 करोड़ हो गया। ₹ 2328.63 करोड़ की प्राप्तियों में अन्य के साथ-साथ ₹ 473.51 करोड़ का कर राजस्व तथा ₹ 1652.67 करोड़ का गैर-कर राजस्व आदि शामिल था ₹ 2320.24 करोड़ के व्यय में अन्य के साथ-साथ ₹ 761.37 करोड़ के स्थापना प्रभार, ₹ 65.86 करोड़ के प्रशासनिक खर्चे तथा ₹ 875.59 करोड़ के प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय शामिल थे।

1.5 राजस्व प्राप्तियां

1.5.1 राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि

परिषद् की राजस्व प्राप्तियों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के अतिरिक्त मुख्य रूप से गैर कर राजस्व निहित है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान सहित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति का विवरण निम्न प्रकार है :-

तालिका 1.2.: राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	**वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ**	**पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि (+) कमी (-)**
2011-12	**2126.18**	**18.70**

2010-11	1791.25	11.00
2009-10	1613.68	14.20
2008-09	1412.98	3.96
2007-08	1359.17	20.82

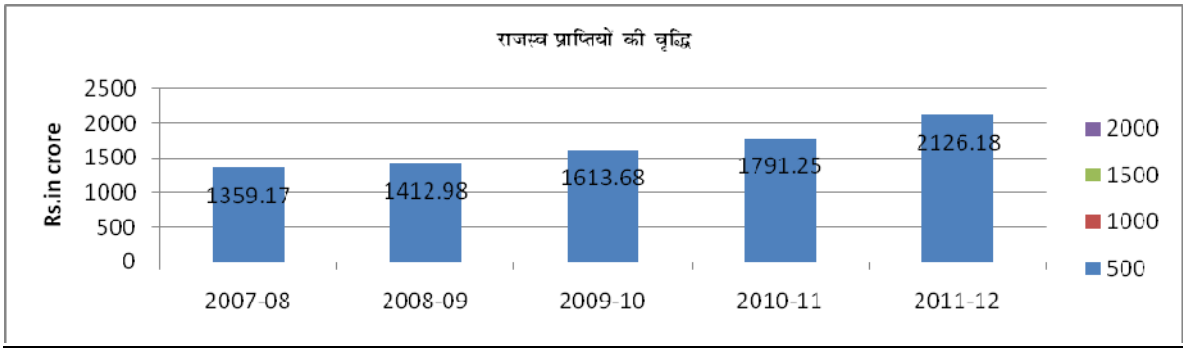

पूर्व वर्ष में 2011–12 की राजस्व प्राप्तियों में 18.70 प्रतिशत की वृद्धि परिषद् की कर राजस्व में वृद्धि 31.75 प्रतिशत और प्राप्त सहायता अनुदानों (167.85 प्रतिशत) के कारण है।

1.5.2 राजस्व प्राप्तियों के घटक

पिछले पाँच वर्षों के दौरान इसके विभिन्न घटकों के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियां निम्न प्रकार है :

तालिका 1.3 : राजस्व प्राप्तियों के घटक

(₹ करोड़ में)

घटक	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08
कर राजस्व	473.51 (22.27)	359.40 (20.06)	255.68 (15.85)	263.46 (18.65)	223.10 (16.41)
गैर-कर राजस्व	1588.01 (74.69)	1407.71 (78.59)	1314.69 (81.47)	995.51 (70.45)	1055.52 (77.66)
केन्द्र सरकार/ दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान	64.66 (3.04)	24.14 (1.35)	43.31 (2.68)	154.01 (10.90)	80.55 (5.93)
कुल	2126.18 (100.00)	1791.25 (100.00)	1613.68 (100.00)	1412.98 (100.00)	1359.17 (100.00)

नोट: ब्रेकेट में दिए गए आंकड़े कुल प्राप्तियों के संबंध में प्रतिशतता दर्शाते हैं।

राजस्व प्राप्तियों के संघटकों का ग्राफ द्वारा प्रस्तुतिकरण

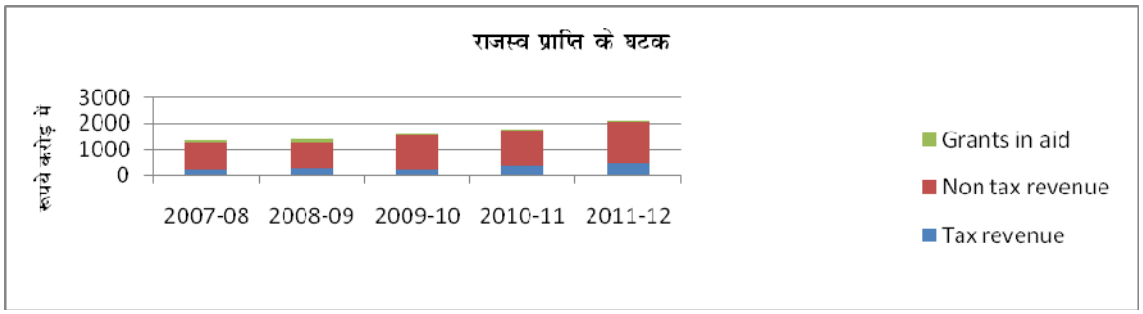

गैर-कर राजस्व, राजस्व प्राप्तियों का मुख्य घटक बना हुआ है । कुल गैर-कर राजस्व वर्ष 2010-11 में 78.59 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011-12 में 74.68 प्रतिशत हो गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली/केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान जो कुल स्रोतों का बहुत कम भाग है, वर्ष 2007-08 में 5.93 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011-12 में 3.04 प्रतिशत हो गया। कर राजस्व का हिस्सा भी वर्ष 2007-08 में 16.41 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 22.27 प्रतिशत हो गया।

1.6 कर राजस्व

1.6.1 कर राजस्व प्रवृत्ति

परिषद् के कर राजस्व में गृह कर, संपति के हस्तांतरण पर डयूटी, विज्ञापन कर इत्यादि शामिल हैं। कर राजस्व की प्रवृत्ति वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान निम्न प्रकार थी :

तालिका 1.4: कर राजस्व की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक कर राजस्व	पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशतता में वृद्धि (+)घाटा(-)	कुल राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता
2011-12	**473.51**	**31.75**	**22.27**
2010-11	**359.40**	**40.57**	**20.06**
2009-10	**255.68**	**(-) 2.95**	**15.85**
2008-09	**263.46**	**18.09**	**18.65**
2007-08	**223.10**	**13.55**	**16.41**

कर राजस्व, जो 2009-10 को छोड़कर, बढ़ोतरी का रुझान दिखा रहा था 2011-12 में 31.75 प्रतिशत बढ़ गया। कर राजस्व के अन्तर्गत प्राप्तियाँ वर्ष 2007-08 में ₹ 223.10 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 473.51 करोड़ हो गई।

1.6.2 कर राजस्व के घटक

पिछले पाँच वर्षों के दौरान कर राजस्व के विभिन्न घटकों का वृद्धि का पैटर्न निम्न प्रकार था:

तालिका 1.5: कर राजस्व के घटक

घटक	**2011-12**	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08
गृह कर	**382.88 (80.86)**	300.78 (83.69)	207.92 (81.32)	210.79 (80.00)	188.48 (84.48)
संपति के हस्तांतरण पर शुल्क	**36.56 (7.72)**	24.20 (6.73)	19.77 (7.73)	37.80 (14.35)	13.69 (6.14)
विद्युत/विज्ञापन/शो-कर	**30.41 (6.42)**	25.39 (7.06)	11.96 (4.68)	0.02 (0.01)	0.11 (0.05)
करों का नियत हिस्सा	**23.66 (5.00)**	9.03 (2.51)	16.03 (6.27)	14.85 (5.64)	20.82 (9.33)

कुल	**473.51 (100.00)**	359.40 (100.00)	255.68 (100.00)	263.46 (100.00)	223.10 (100.00)

(₹ करोड़ में)

नोट: ब्रेकेट में दिए गए आंकड़े कुल प्राप्तियों के संबंध में प्रतिशतता दर्शाते हैं।

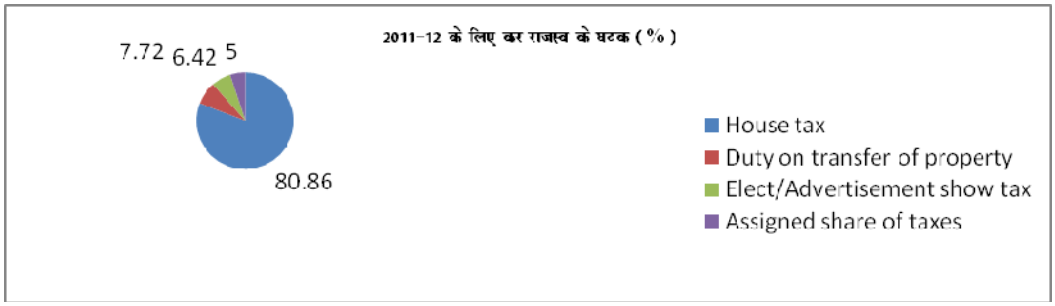

गृह कर, कर राजस्व का एक बहुत बड़ा अंशदाता है। वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 के दौरान इसका हिस्सा घटकर 84.48 से 80.86 प्रतिशत हो गया। ''संपति के हस्तांतरण पर कर'' के अन्तर्गत प्राप्तियाँ वर्ष 2007-08 में ₹ 13.69 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 36.56 करोड़ हो गई। करों के सौपे गए हिस्से के प्रति प्राप्तियाँ भी पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान बढ़ गई।

1.7 गैर-कर राजस्व

1.7.1 गैर-कर राजस्व में वृद्धि

परिषद् के गैर-कर राजस्व में ऊर्जा/पानी की बिक्री, किराया/लाईसेंस फीस, निवेश पर ब्याज तथा अन्य विविध प्राप्तियाँ शामिल हैं। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान गैर-कर राजस्व में वृद्धि निम्न अनुसार थी:

तालिका 1.6: गैर कर राजस्व में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक गैर-कर राजस्व	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशतता में वृद्धि (+)घाटा(-)	कुल राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता
2011-12	**1588.01**	**12.81**	**74.69**
2010-11	**1407.71**	**7.08**	**78.59**
2009-10	**1314.69**	**32.06**	**81.47**
2008-09	**995.51**	**(-) 5.69**	**70.45**
2007-08	**1055.52**	**19.44**	**77.66**

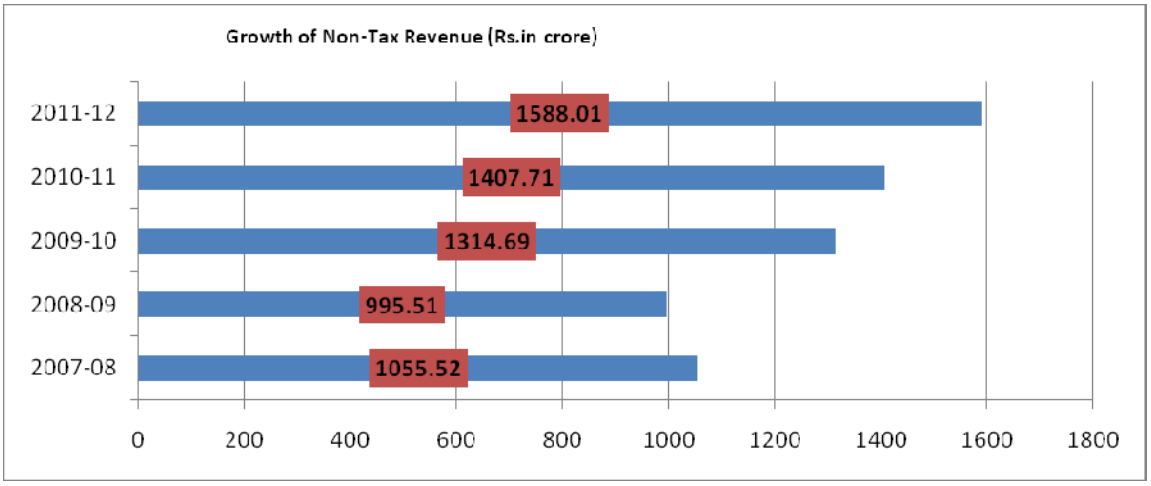

गैर कर राजस्व वर्ष 2011–12 के दौरान परिषद् की कुल राजस्व प्राप्तियों का 74.69 प्रतिशत था। इसका हिस्सा वर्ष 2010–11 में 78.59 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011–12 में 74.69 प्रतिशत हो गया। गैर–कर राजस्व की वृद्धि/कमी की प्रतिशतता पिछले पाँच वर्षों के दौरान 81.47 प्रतिशत से 70.45 प्रतिशत के मध्य थी। पूर्ण रूप से गैर–कर राजस्व वर्ष 2010–11 में ₹ 1407–71 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 1588.01 करोड़ हो गया, जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 12.81 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

गैर–कर राजस्व की रचना

पिछले पांच वर्षों के दौरान गैर–कर राजस्व के विभिन्न घटकों के वृद्धि पैटर्न का विवरण निम्न प्रकार है :

तालिका 1.7 : गैर –कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

घटक	**2011-12**	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08
ऊर्जा की बिक्री	**613.64 (38.65)**	505.08 (35.88)	535.84 (40.76)	569.28 (57.19)	563.24 (53.36)
जल की बिक्री	**143.51 (9.03)**	78.10 (5.55)	49.23 (3.74)	22.50 (2.26)	21.36 (2.02)
व्यावसायिक गतिविधियों से किराया/लाइसेंस शुल्क तथा प्राप्तियाँ	**263.98 (16.62)**	254.78 (18.10)	253.85 (19.31)	264.51 (26.57)	135.57 (12.84)
शुल्क, जुर्माना तथा विविध प्राप्तियाँ	**182.66 (11.50)**	203.2 (14.43)	101.26 (7.70)	52.75 (5.30)	25.90 (2.46)
निवेश पर ब्याज	**384.22 (24.20)**	366.55 (26.04)	374.51 (28.49)	86.47 (8.68)	309.45 (29.32)
कुल	**1588.01 (100.00)**	1407.71 (100.00)	1314.69 (100.00)	995.51 (100.00)	1055.52 (100.00)

नोट : ब्रेकेट में दिए आंकड़े कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

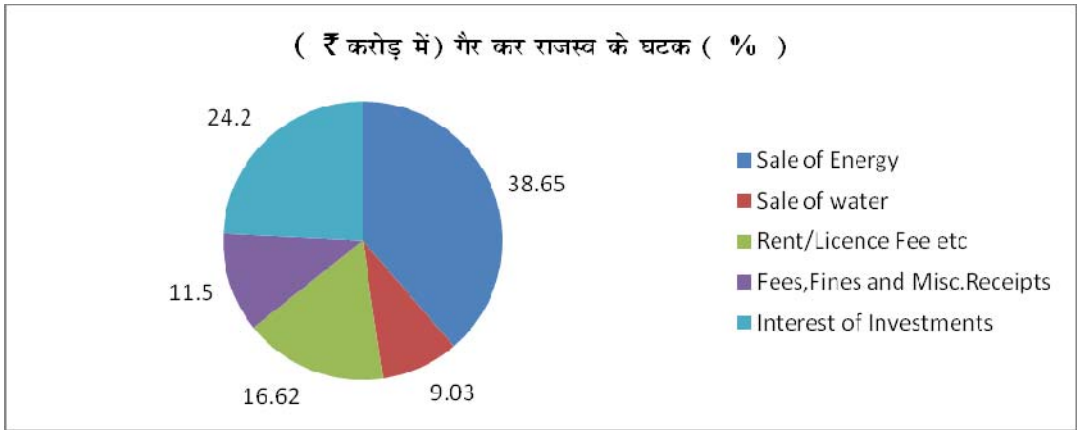

गैर कर राजस्व के मुख्य स्रोत, ऊर्जा की बिक्री (38.65 प्रतिशत), निवेश पर ब्याज (24.20) तथा किराया/लाइसेंस शुल्क की प्राप्तियाँ एवं अन्य व्यावसायिक गतिविधियों (16.62 प्रतिशत) से प्राप्तियाँ थीं। ऊर्जा की बिक्री की प्राप्तियाँ, पिछले पाँच वर्षों में कुल गैर-कर राजस्व के संबंध में 35.88 से 57.19 प्रतिशत के मध्य थी। पिछले वर्ष की तुलना में गैर-कर राजस्व में वृद्धि का मुख्य कारण निवेश के ब्याज में बढ़ोतरी ऊर्जा की बिक्री तथा जल की बिक्री है।

1.8 सहायता अनुदान

1.8.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सहायता

परिषद् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान के रूप में सहायता लेती है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्राप्त सहायता की प्रवृत्ति निम्न प्रकार से थी :

तालिका 1.8 : सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सहायता अनुदान	कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता
2011-12	64.66	3.04
2010-11	24.14	1.35
2009-10	43.31	2.68
2008-09	154.01	10.90
2007-08	80.55	5.93

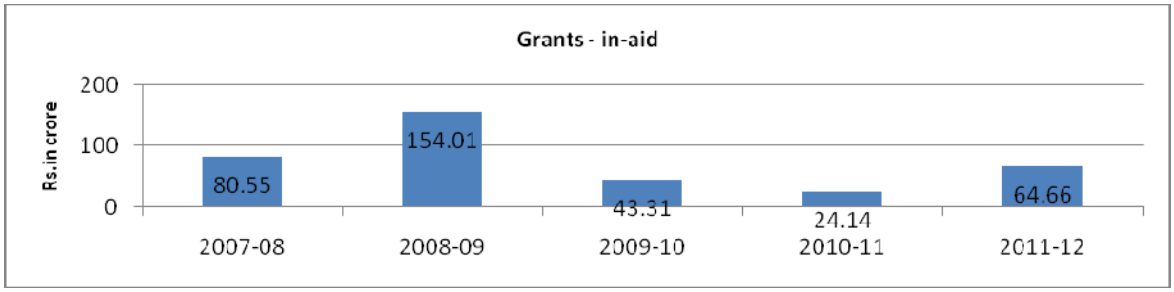

1.9 राजस्व प्राप्तियों के बकाया

लेखाओं में मार्च 2012 को गृह कर का बकाया ₹ 702.35 करोड़ दर्शाया गया था, लेकिन बकाया का वर्ष-वार ब्यौरा नहीं बताया गया था। ये पूर्व ऑडिट रिपोर्ट में भी बताया गया था लेकिन विभाग द्वारा अभी सही कदम उठाए जाने थे। बकायों की वसूली की सही मॉनीटरिंग करने के लिए, बकायों के वर्षवार विवरण का रखरखाव किया जाना अपेक्षित है ताकि उनकी वसूली के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

1.10 व्यय

व्यय की प्रवृत्ति

इस रिपोर्ट में कुल व्यय से तात्पर्य राजस्व एवं पूँजी के समस्त व्यय तथा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के कर्मचारियों को ऋण बाँटने से है। परिषद् ने वर्ष 2011-12 में कुल ₹ 2258.16 करोड़ खर्च किए थे। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान व्यय की प्रवृत्ति निम्न प्रकार दर्शायी गई थी :

तालिका 1.9 : व्यय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय		दिल्ली सरकार/बाहरी सहायता के ऋणों का भुगतान	न.दि.न.परिषद् कर्मचारियों को ऋणों का भुगतान	कुल
		परिषद् कार्य	जमा कार्य			
2011-12	2067.71	190.45	0	0	0	2258.16
2010-11	1640.51	483.44	0	0	0	2123.95
2009-10	1137.77	418.76	शून्य	शून्य	शून्य	1556.53
2008-09	778.97	214.55	14.26	शून्य	0.02	1007.80
2007-08	1195.11	155.25	8.46	0.20	0.44	1359.46

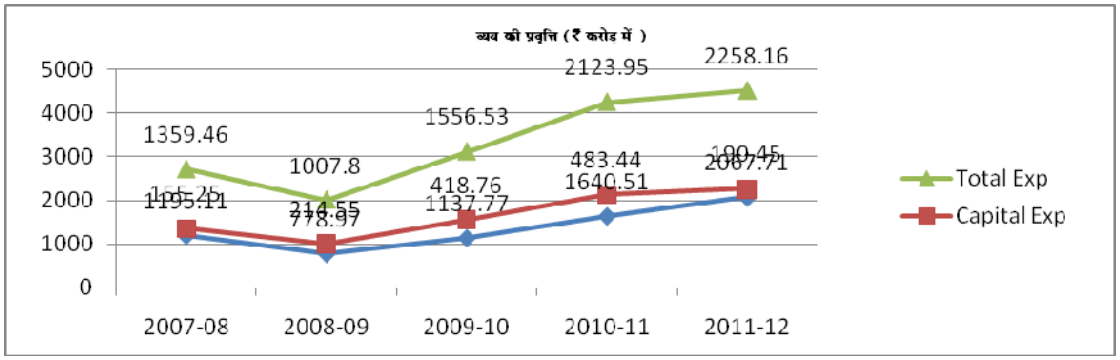

(i) कुल व्यय वर्ष 2007-08 में ₹1359.46 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 2258.16 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष के व्यय की तुलना में व्यय वर्ष 2011-12 के दौरान 6.31 प्रतिशत बढ़ गया।

(ii) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् से संबंधित कार्यों के संबंध में पूँजीगत व्यय वर्ष 2010-11 में ₹483.44 करोड़ से घटकर 2011-12 में ₹ 190.45 करोड़ हो गया अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में 60.61 प्रतिशत तक की कमी हुई। इसी प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय भी 2011-12 के दौरान बढ़कर 26.04 प्रतिशत हो गया।

1.11 गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

परिषद् विद्यालयों/गैर सरकारी संस्थाओं इत्यादि को सहायता अनुदान उपलब्ध कराती है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान परिषद् द्वारा विभिन्न संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई सहायता अनुदान की राशि निम्न प्रकार से थी :

तालिका 1.10 : परिषद् द्वारा सहायता अनुदान

(₹ लाख में)

	निकाय का नाम	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07
1	नवयुग स्कूल सोसायटी	2596.29	2500.14	2102.35	1598.08	709.68	1010.84
2	आर.एम. आर्य गर्ल्स प्राइमरी विद्यालय नं. 11	43.49	24.70	24.24	33.78	14.39	23.51
3	निर्मल प्राइमरी विद्यालय, कोटा हाऊस	84.53	53.03	55.06	29.27	35.97	25.88
4	आर.एम. गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नं. 1,	94.10	51.3	60.38	11.66	27.54	40.34
5	खालसा बाल प्राथमिक विद्यालय	शून्य	46.52	शून्य	शून्य	0.34	शून्य
6	सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था/गैर सरकारी संस्था	12.37	शून्य	16.00	13.80	9.03	5.50
7	समाज कल्याण समिति	249.58	200.17	168.01	176.25	98.27	100.43
8	पालिका सर्विस आफीसर्स इन्स्टीटयूट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	17.71
	कुल	3080.36	2875.86	2426.04	1862.84	895.22	1224.21

परिषद् द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान 2010-11 में 2875.86 लाख से बढ़कर 2011-12 में 3080.36 लाख हो गए।

1.12 आधिक्य एवं आरक्षित निधि

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की विभिन्न खंड निधियां हैं । ये निधियां नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् निधि के अन्दर खंडों के रूप में अधिशेष राजस्व की अभिवृद्धियां हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान इन निधियों की स्थिति निम्न प्रकार से थी :

तालिका 1.11 : आधिक्य एवं आरक्षित निधियां

(₹ करोड़ में)

बजट आंकड़ों के तीन सैट प्रस्तुत करता है (क) पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़े, (ख) चालू वर्ष के संशोधित

क्र.सं.	वर्णन	अथ शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	जोड़	वर्ष के दौरान व्यय	अन्त शेष
1	विद्युत निधि					
	(i) नियामक आरक्षित निधि	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
	(ii) डीआरएफ	278.55	11.08	289.63	11.16	278.47
	कुल विद्युत निधि	283.55	11.08	294.63	11.16	283.47
2	जल आपूर्ति एवं मलजल निधि					
	(i)डीआरएफ	235.37	0.14	235.51	0.14	235.37
3	सम्पदा निधि					
	(i) वाणिज्यिक भवन	328.96	22.10	351.06	22.14	328.92
	(ii) ट्रांस मार्किट निधि	40.24	19.15	59.39	0.86	58.53
	(iii) डीआरएफ	341.14	8.83	349.97	8.83	341.14
	(iv) लोक कला निधि	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
	कुल सम्पदा निधि	715.34	50.08	765.42	31.83	733.59
4	कर्मचारी निधि					
	(i) पेंशन निधि	1139.13	13.99	1153.12	150.00	1003.12
	(ii) कर्मचारी कल्याण निधि	9.29	0.27	9.56	4.0	5.56
	कुल कर्मचारी निधि	1148.42	0.27	1162.68	154.00	1008.68
5	सामान्य निधि					
	(i) हस्तगत रोकड़	68.49				77.09
	(ii) निवेश सामान्य निधि	1352.82				3494.24
	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् निधि (1+2+3+4+5)	1421.30 3803.97				3571.31 5832.44

अनुमान, तथा (ग) आगामी वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान। इस भाग में बजटीय अनुमानों के संदर्भ में परिषद् के वित्त के विभिन्न घटकों की चर्चा की गई है।

1.13 बजटीय अनुमानों का विश्लेषण

1.13.1 संशोधित अनुमानों की तुलना में राजस्व का वास्तविक संग्रहण

विगत पांच वर्षों के दौरान संशोधित अनुमानों के प्रति राजस्व प्राप्तियों का वास्तविक संग्रहण निम्न प्रकार से था :

तालिका 1.12 :संशोधित अनुमानों की तुलना में राजस्व का वास्तविक संग्रहण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ	संशोधित अनुमानों की तुलना में वृद्धि	संशोधित अनुमानों की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि
2011-12	1930.05	2126.18	196.13	10.16
2010-11	1918.70	1791.25	-127.45	-6.64
2009-10	1377.20	1613.68	236.48	17.17
2008-09	1406.52	1412.98	6.46	0.46
2007-08	1346.60	1359.17	12.57	0.93

2011-12 के दौरान वास्तविक राजस्व प्राप्तियां, संशोधित अनुमानों से ₹ 196.13 करोड़ अधिक थी। निम्नलिखित 11 कार्यों के संबंध में, संशोधित अनुमानों की तुलना में 2011-12 के दौरान प्राप्तियों में कमी 0.93 से 43.66 प्रतिशत के बीच थी।

तालिका 1.13 : प्राप्तियों में कमी

(₹ हजार में)

कार्य कोड	वर्णन	संशोधित अनुमान	प्राप्तियां	कमी	प्रतिशतता कमी
3	वित्त, लेखे, लेखापरीक्षा	3879874	3843770	36104	0.93
7	भण्डार एवं खरीद	20555	17208	3347	16.28
14	अतिक्रमण हटाना	16200	13875	2325	14.35
11	नगर एवं शहर प्रबंधन	43385	33628	9757	22.49
14	अतिक्रमण हटाना	15500	13286	2214	14.28
15	व्यापार लाइसेंसधारी/विनियम	10000	9886	114	1.14
21	सड़क एवं खड़ंजे	8005	4534	3471	43.36
35	अस्पताल सेवाएं	3000	2263	737	24.57
43	पशु सेवाएं	70	42	28	40
58	नगर बाजार	217210	137866	79344	36.52
82	शिक्षा	600860	593472	7388	1.22

चूंकि संशोधित अनुमान वित्तीय वर्ष के बिल्कुल अन्त में ही बनाए गए थे, अतः संशोधित अनुमानों के प्रति प्राप्तियों में भारी कमी अवास्तविक बजटिंग को दर्शाती है। संशोधित अनुमानों के संदर्भ में प्राप्तियां निम्नलिखित 19 मामलों में अधिक थी जो 101.08 प्रतिशत से 5225 प्रतिशत के बीच थी।

तालिका 1.14 : प्राप्तियों का अधिक संग्रहण

(₹ हजार में)

कार्य कोड	कार्य का विवरण	संशोधित अनुमान (राजस्व)	प्राप्तियां	संशोधित अनुमानों के संदर्भ में वास्तविक संग्रहण की प्रतिशतता
2	प्रशासन	44832	74094	165.27
6	सम्पदा	2535400	2655618	104.74
8	कार्यशाला	20	1045	5225
12	भवन विनियम	4002	6864	171.51
31	जन स्वास्थ्य	6221	27832	447.38
41	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	750	835	111.33
42	जन-सुविधा	17500	22046	125.98
51	जल आपूर्त्ति	1104742	1486909	134.60
.52	मलजल	508780	545807	107.28
53	अग्नि शमन सेवाएं एवं आपदा प्रबंधन	500	515	103
55	सामुदायिक/विवाह केन्द्र	30000	37335	124.45
56	मनोरंजन	29700	30021	101.08
61	पार्क, गार्डन	1510	3156	209
71	महिला कल्याण	300	378	126
74	विकलांग- जन कल्याण	200	263	131.5
79	अन्य	810	906	111.85
81	बिजली	6820563	6975925	102.28
91	सम्पति कर	2875200	4194493	145.89
99	अन्य कर	519900	540629	103.98

1.13.2 संशोधित अनुमानों की तुलना में कर राजस्व का वास्तविक संग्रहण

विगत पांच वर्षों के दौरान संशोधित अनुमानों की तुलना में कर राजस्व का वास्तविक संग्रहण निम्न प्रकार से था :

तालिका 1.15 : संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक कर संग्रहण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक कर राजस्व	संशोधित अनुमानों की तुलना में वृद्धि (+) कमी (-)	संशोधित अनुमानों की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि (+) कमी (-)
2011-12	339.49	473.51	134.02	39.48

2010-11	312.56	359.40	46.84	14.99
2009-10	278.13	255.68	-22.45	(-)8.07
2008-09	234.94	263.46	28.52	12.14
2007-08	227.89	223.10	(-) 4.79	(-) 2.10

संशोधित अनुमानों के संदर्भ में कर राजस्व के वास्तविक संग्रहण में 2011-12 के दौरान 39.48 प्रतिशत की वृद्धि थी ।

1.13.3. संशोधित अनुमानों की तुलना में गैर-कर राजस्व का वास्तविक संग्रहण

विगत पांच वर्षों के दौरान संशोधित अनुमानों की तुलना में गैर-कर राजस्व का वास्तविक संग्रहण निम्न प्रकार से था :

तालिका 1.16 : संशोधित अनुमानों की तुलना में गैर-कर राजस्व का वास्तविक संग्रहण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक गैर कर राजस्व	संशोधित अनुमानों की तुलना में वृद्धि (+) कमी (-)	संशोधित अनुमानों की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि (+) कमी (-)
2011-12	1527.77	1588.01	60.24	3.94
2010-11	1561.54	1407.71	(-)153.83	(-)9.85
2009-10	1055.32	1314.69	259.37	24.58
2008-09	1013.71	995.51	(-)18.20	(-)1.80
2007-08	1037.67	1055.52	17.85	1.72

2011-12 के दौरान वास्तविक गैर-कर राजस्व संग्रहण, संशोधित अनुमानों से 3.94 प्रतिशत अधिक था।

1.13.4 संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक व्यय (राजस्व)

2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान वास्तविक व्यय, संशोधित अनुमान से कम था।

तालिका 1.17 : संशोधित अनुमान की तुलना में वास्तविक व्यय (राजस्व)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	अधिकतम (+)बचत (-)	प्रतिशतता
2011-12	1844.96	2067.71	222.75	12.07
2010-11	1623.46	1640.51	17.05	1.05
2009-10	1300.56	1137.77	-162.79	-12.52
2008-09	1126.22	778.97	-347.25	-30.83
2007-08	1141.79	1195.11	53.32	4.67

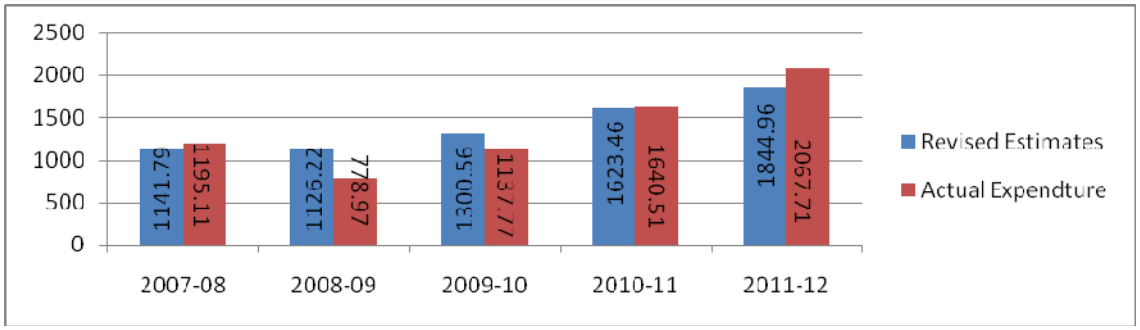

वर्ष 2011-12 के लिए व्यय, ₹1844.96 करोड़ के संशोधित अनुमान के प्रति ₹ 2067.71 करोड़ था। अतः 2011-12 के लिए व्यय संशोधित अनुमानों से ₹ 222.75 करोड़ बढ़ गया था।

1.13.5 संशोधित अनुमानों की तुलना में बचत

2011-12 के दौरान निम्नलिखित 29 कार्यों में बचतें थी :

तालिका 1.18 : संशोधित अनुमानों के प्रति किया गया कम व्यय

(₹ हजार में)

कार्य कोड	वर्णन	संशोधित अनुमान	व्यय	कमी	प्रतिशतता
3	वित्त,लेखे, लेखापरीक्षा	130290	118101	12189	9.35
5	रिकार्ड रूम	1021	576	445	43.58
7	भण्डार एवं खरीद	98950	86491	12459	12.60
8	कार्यशाला	102155	92955	9200	9.01
11	शहर एवं नगर योजना	36881	35733	1148	3.11
14	अतिक्रमण हटाना	48682	47143	1539	3.16
15	व्यापार लाइसेंस/विनियम	5390	4628	762	14.13
21	सड़कें एवं फुटपाथ	522170	504936	17234	3.30
23	उपमार्ग एवं सेतुक	900	718	900	20.22
24	सड़क प्रकाश	134695	131524	3171	2.35
25	तूफानी जल नाले	11989	9302	2687	22.41
31	सार्वजनिक स्वास्थ्य	87460	76470	10990	12.65
32	आपदा/रोकथाम नियंत्रण	112665	105896	6769	6.00
33	परिवार नियोजन	15469	15323	146	0.94
34	प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र	200542	165242	35300	17.60
37	जन्म-मरण के आंकड़े	7509	6899	610	8.12
41	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	755435	692517	62918	8.32
42	जन-सुविधा	700	99	601	85.85

43	पशु चिकित्सा सेवाएं	11573	11167	406	3.50
52	मलजल	339849	317252	22597	6.65
54	कला एवं संस्कृति	6050	3773	2277	37.63
55	सामुदायिक/विवाह केन्द्र	17169	16199	970	5.64
58	नगर बाजार	279009	269600	9409	3.37
61	पार्क, गार्डन	441209	425402	15807	3.58
71	महिला कल्याण	18016	17715	301	1.67
72	बाल कल्याण	34194	28984	5210	15.23
74	विकलांग कल्याण	2759	2326	433	15.69
82	शिक्षा	1114463	1043012	71451	6.41
91	सम्पति कर	33075	27658	5417	16.37

29 में से 12 कार्य ऐसे थे जिनमें बचत 12.60 प्रतिशत से 85.85 प्रतिशत थी ।

1.13.6 संशोधित अनुमानों की तुलना में अधिक व्यय

तालिका 1.19 : संशोधित अनुमानों के प्रति किया गया अधिक व्यय

(₹ हजार में)

कार्य कोड	वर्णन	संशोधित अनुमान	व्यय	आधिक्य	संशोधित अनुमानों की तुलना में अधिक व्यय की प्रतिशतता
1	नगर निकाय	13333	15721	2388	17.91
2	प्रशासन	5339932	5856694	516762	9.67
6	सम्पदा	61072	967652	906580	1484.44
35	अस्पताल सेवाएं	296295	306627	10332	3.48
51	जल आपूर्ति	677018	927794	250776	37.04
53	अग्नि शमन एवं आपदा प्रबंधन	89400	98226	8826	9.87
56	मनोरंजन	24820	24993	173	0.70
79	अन्य	97301	99992	2691	2.76
81	विद्युत	7278697	8119236	840539	11.54

उपर्युक्त नौ कार्यों में से, चार में आधिक्य 11.54 प्रतिशत से 1484.44 प्रतिशत के बीच था।

1.13.7 प्रभावी व्यय नियंत्रण का अभाव

निम्नलिखित कार्यों में, व्यय वर्ष 2011-12 के संशोधित अनुमानों के अन्तर्गत बिना कोई प्रावधान किए बुक किया गया था।

तालिका 1.20 : शून्य संशोधित अनुमानों के प्रति कार्य कोड वार व्यय

(₹ हजार में)

कार्य कोड	वर्णन	व्यय
22	पुल एवं फलाय ओवर	849
27	अतिथि गृह	136
62	खेल के मैदान	11

1.14 व्यय की अधिकता

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 56(3) के अनुसार वित्तीय वर्ष के विशेषकर आखिरी माह में अत्यधिक व्यय को वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाएगा और उससे बचा जाना चाहिए। इसके विपरीत वित्तीय वर्ष के मार्च माह में एवं अन्तिम तिमाही में बहुत व्यय किया गया । अत्यधिक व्यय के कुछ उदाहरण प्रतिशतता के रूप में निम्न प्रकार है :

तालिका 1.21 : मार्च में व्यय की अधिकता

(₹ हजार में)

कार्य सं.	कार्य का विवरण	किया गया कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में किए गए व्यय की प्रतिशतता
2	प्रशासन	5856694	2705225	46.19
6	सम्पदा	967652	926891	95.79
22	पुल एवं फलाईओवर	849	849	100.00
23	उपमार्ग	718	718	100.00
33	सार्वजनिक स्वास्थ्य	15323	13985	91.27
51	जल आपूर्ति	927794	407753	43.95
55	सामुदायिक विवाह केन्द्र	16199	12475	77.01
58	नगरपालिका बाजार	269600	225682	83.71
75	एससी/एसटी/ओबीसी कल्याण	1000	934	93.40

तालिका 1.22 : अन्तिम तिमाही में व्यय की अधिकता

(₹ करोड़ में)

कार्य सं.	कार्य का वर्णन	कुल व्यय	अन्तिम तिमाही में व्यय	अन्तिम तिमाही के दौरान किए गए कुल व्यय की प्रतिशतता
1	नगर निकाय	15721	6335	40.30
2	प्रशासन	5856694	3423399	58.45
6	सम्पदा	967652	939552	97.10
22	पुल एवं फलाईओवर	849	849	100.00
23	उपमार्ग	718	718	100.00
24	स्ट्रीट लाइटिंग	131524	50605	38.48
31	जन-स्वास्थ्य	76470	30377	39.72
33	परिवार नियोजन	15322	14236	92.91
42	जन सुविधा	99	99	100
51	जल आपूर्ति	927794	530293	57.16
52	मलजल	317252	124315	39.18
55	सामुदायिक/विवाह केन्द्र	16199	13281	81.98
58	पालिका बाजार	269600	231065	85.71
62	खेल के मैदान	11	11	100
74	विकलांग- जन कल्याण	2325	1303	56.00
75	एससी/एसटी/ओबीसी कल्याण	1000	934	93.37
79	अन्य	99992	41095	41.10

1.15 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए परिषद् के लेखाओं पर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 59 के अन्तर्गत मुख्य लेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

हमने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एनडीएमसी) के 31 मार्च, 2012 के संलग्न तुलन–पत्र और वर्ष 2011–12 के आय एवं व्यय विवरण की लेखापरीक्षा की । ये वित्तीय विवरण परिषद् के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है तथा हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

यह लेखापरीक्षा राष्ट्रीय लेखाकरण नियमपुस्तिका (एनएमएएम) तथा लागू नियमों में निहित लेखाकरण सिद्धांतों तथा भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखाकरण मानदण्डों के अनुसार की गई है। इन मानदण्डों में अपेक्षित है कि लेखापरीक्षा की योजना और उसका निष्पादन इस बात का समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए किया जाता है कि क्या वित्तीय विवरणियां मौद्रिक गलत कथनों से युक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में नमूना आधार पर, राशियों के समर्पित दस्तावेजों तथा वित्तीय विवरणियों में प्रकटनों की जांच सम्मिलित है। एक लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों तथा महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन तथा वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण तथा मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए समुचित आधार है।

अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह सूचित करते है कि:

i हमनें वे समस्त सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक था।

ii इस प्रतिवेदन में डील किए गए 31 मार्च, 2012 की देयताओं और परिसम्पत्तियों तथा वर्ष 2011–12 के लिए आय और व्यय की विवरणियां एनएमएम के अनुसार अनुमोदित फॉर्मेट में बनाई गई हैं।

iii हमारी राय में, लेखा पुस्तके तथा संबद्ध अभिलेख एनडीएमसी द्वारा एनएमएएम की अपेक्षा के अनुसार अनुरक्षित किए गए हैं जैसा कि आगामी पैराग्राफों में दर्शाई गई आपत्तियों को छोड़कर उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

1.15 (क) 31 मार्च, 2012 को देयताओं और परिसम्पत्तियों की विवरणी

31.03.2012 को परिषद् की परिसम्पत्तियां तथा देयताएं ₹ 6556.49 करोड़ थी जैसाकि **अनुबंध ए** में दर्शाया गया है।

I भविष्य निधि के संबंध में देयताओं का अप्रकटन

उपर्युक्त विवरणी में सामान्य भविष्य निधि, अंशदायी भविष्य निधि तथा नई पेंशन योजना, 2004 के अन्तर्गत कर्मचारी/नियोक्ता अंशदान से संबंधित परिसम्पत्तियां तथा देयताएं सम्मिलित नहीं हैं। लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि परिषद् की अपने कर्मचारियों के उनके 31 मार्च, 2012 के संचित सामान्य भविष्य निधि जमाओं तथा अधिसूचित दरों पर ब्याज सहित (वर्ष दर वर्ष आधार पर) ₹ 464.27 करोड़ की देयता थी।

लेखाओं में न तो देयता और न ही अब तक परिषद् द्वारा धारित अनुरूपी निवेशों (एफडीआर्ज) को दर्शाया गया है। सांविधिक निधियों जैसे नई पेंशन योजना तथा अंशदायी भविष्य निधि के संबंध में इसी प्रकार की सूचना का खुलासा किया जाना चाहिए।

अप्रैल 2013 में आयोजित एग्ज़िट कॉनफ्रेंस में, विभाग ने कहा कि भविष्य निधि को एनडीएमसी लेखाओं में नहीं दर्शाया जाता तथा उनका अनुरक्षण अलग से किया जाता है। तथापि विभाग ने इस बात पर अपनी सहमति व्यक्त की कि देय ब्याज के प्रति देयता का निर्वाह करने के लिए जीपीएफ निवेश से प्राप्य ब्याज आय में किसी कमी के मामले में, उसे एनडीएमसी लेखाओं में दर्शाया जाएगा। एनडीएमसी के वर्ष 2012-13 के लेखाओं के साथ भविष्य निधि लेखा की एक पृथक विवरणी संलग्न की जाएगी ।

II लेखा शीर्षों में प्रतिकूल शेष

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के तलपट थी नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि देयताओं एवं परिसम्पत्तियों से संबंधित कुछ लेखा-शीर्ष प्रतिकूल शेष दर्शाते हैं जिनका विवरण **अनुबंध-बी और अनुबंध-सी** में दिया गया है।

विभाग ने यह बताते समय (जून 2013) कि प्रतिकूल शेष वर्ष 2004-05 से वर्ष दर वर्ष अग्रेनीत किए जा रहे हैं, सूचित किया कि 2012-13 के लेखाओं में इन प्रतिकूल शेषों को दर्शानें के यथासम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

III राष्ट्रीय नगर लेखा नियमपुस्तिका के अनुसार अनुसूचियां तैयार न करना

निम्नलिखित अनुसूचियां राष्ट्रीय नगर लेखा नियमपुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रोफार्मा में तैयार नहीं की गयी थी।

- अनुसूची बी-1 : नगरपालिका सामान्य निधि (कोड 310)
- अनुसूची बी-2: चिन्हित निधियां (कोड 311)
- अनुसूची बी-3: रिज़र्व (कोड 312)
- अनुसूची बी-4: अनुदान एवं विशिष्ट प्रयोजनों के लिए योगदान (कोड 520)
- अनुसूची बी-8: जमा निर्माण कार्य (कोड 340)
- अनुसूची बी-11: सकल ब्लॉक (कोड 410)
- अनुसूची बी-12: निवेश-सामान्य निधि (कोड 420)
- अनुसूची बी-13: निवेश-अन्य निधियां (कोड-421)
- अनुसूची बी-15: विविध देनदार (प्राप्य राशियां) (कोड-431)
- अनुसूची बी-18: कर्ज़े अग्रिम एवं जमा (कोड-460)

अप्रैल 2013 में आयोजित एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस में विभाग ने सभी अनुसूचियां वर्ष 2012-13 के वार्षिक लेखाओं में राष्ट्रीय नगर लेखा नियमपुस्तिका की अपेक्षा के अनुसार ही तैयार करने का आश्वासन दिया ।

1.15 (क 1) देयताएं

क अन्य देयताएं (विविध लेनदार) (अनुसूची बी-9)

(i) **एनडीएमसी में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के संबंध में पेंशन अंशदान के प्रति देयता का न तो निर्धारण किया गया है और न ही एनएमएम (पैरा 29.3(ii सी)) की अपेक्षा के अनुसार उनका लेखाओं में प्रावधान किया गया है।**

अप्रैल 2013 में आयोजित एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस में, विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्थापना एवं सीबीएस शाखाओं के परामर्श से मामले को सुलझाने के बारे में माना ।

(ii) **एनडीएमसी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति/वार्द्धक्यता के समय देय उपदान तथा छुट्टी नकदीकरण के संबंध में पेंशन अंशदान के प्रति देयता न तो निर्धारित की गई है और न ही उनका लेखाओं में प्रावधान किया गया है।**

उपर्युक्त देयता के बीमांकिक मूल्यांकन के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, विभाग ने अप्रैल 2013 में आयोजित एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस में यह सूचित करते हुए कि एनडीएमसी द्वारा कोई बीमांकक नियुक्त नहीं किया गया है, कहा कि उसकी कार्मिक एवं आईटी विभागों की सहायता से वित्त विभाग द्वारा योजना बनाई जा रही है। यह भी कहा गया था कि प्रत्येक वर्ष के बजट में एक-मुश्त प्रवधान किया जा रहा है तथा 31 मार्च, 2012 को ₹ 290 करोड़ का संचित प्रावधान उपलब्ध था। विभाग ने बाद में उत्तर दिया (जून 2013) कि परिषद् ने अपने अधिशेष से हर वर्ष पेंशन निधि खण्ड के ₹ 150 करोड़ की राशि अन्तरित करने का निर्णय लिया है।

(iii) **स्त्रोत पर आयकर कटौतियों (लेखा कोड - 3502005) के संबंध में ₹ 5.17 करोड़ तथा वैट (लेखा कोड - 3502006) के संबंध में 1.09 करोड़ की सांविधिक कटौतियों के बारे में यह जांच की जानी है कि उन्हें संबंधित प्राधिकारियों के पास समय पर जमा करा दिया गया है।**
अप्रैल, 2013 में आयोजित एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस में, विभाग ने कहा कि विभाग से सूचना मंगाई जा रही थी तथा वर्ष 2012-13 के लेखाओं में सही स्थिति दर्शाई जाएगी ।

(iv) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) ने एसएफएल गाज़ीपुर पर कूड़े के निपटान के प्रति ₹ 10.28 करोड़ की राशि का दावा किया है। इसी प्रकार अतिरिक्त आयुक्त (ईडीएमसी) के साथ मामले के समाधान हेतु 4 मार्च, 2013 को हुई बैठक में, एनडीएमसी ने ₹ 3.66 करोड़ की राशि का इकट्ठा निपटान करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। तथापि, लेखाओं में न तो इस आशय का कोई प्रावधान किया गया है और न ही कोई खुलासा किया गया है।**

अप्रैल, 2013 में आयोजित एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस में, विभाग ने सूचित किया कि लेखाओं के संकलन से पूर्व विभिन्न प्राधिकारियों/पार्टियों से प्राप्त सभी दावों की सूची तैयार करने के लिए एक प्रोफार्मा बनाया गया है ताकि लेखाओं को अन्तिम रूप देते समय उनका ध्यान रखा जा सके। विभाग ने आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसे सभी खुलासे हर वर्ष आकस्मित देयता शीर्ष के अन्तर्गत लेखा टिप्पणियों में कर दिए जाएंगे ।

(v) शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भूमि एवं विकास कार्यालय ने एक होटल के निर्माण हेतु मार्च, 1977 में एनडीएमसी को 6.0485 एकड़ माप का एक प्लाट आबंटित किया। इसके बाद एनडीएमसी ने मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार ₹ 1.45 करोड़ के वार्षिक लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर एक पांच सितारा होटल के निर्माण और उसे चलाने के लिए मार्च, 1981 में उपर्युक्त भूमि एनडीएमसी को पट्टे पर दी । लाइसेंसधारी ने करार की शर्तों का उल्लंघन किया तथा दो बहु मंजिले वाणिज्यिक टॉवर (वर्ड ट्रेड सेंटर एवं वर्ड ट्रेड टावर्स) का निर्माण कर दिया और वाणिज्यिक स्थान विभिन्न पार्टियों को किराए पर दे दिए। अत: मंत्रालय ने सितम्बर 2000 में ₹ 99.01 करोड़ की राशि का दावा किया जिसमें दुरूपयोग प्रभार और अप्राधिकृत निर्माण के लिए क्षतियां शामिल हैं। इस मामले का अभी तक समाधान नहीं किया गया और इसके प्रति दावा फरवरी, 2002 में बढ़ा कर ₹ 155.10 करोड़ कर दिया गया था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

i) प्रीमियम के बिलाम्बित भुगतान पर ब्याज : ₹ 6.79 करोड़
ii) भूमि किराया/भूमि किराए के निलम्बित भुगतान पर ब्याज : ₹ 5.88 करोड़

iii) 16.04.1993 से वर्ड ट्रेड सेंटर तथा वर्ड ट्रेड टॉवर के संबंध में दुरूपयोग प्रभार : ₹ 141.55 करोड़

iv) अप्राधिकृत निर्माण पर क्षतियां : ₹ 20.89 करोड़

जोड़ : ₹ 155.10 करोड़

परिषद् ने इस बारे में न तो किसी देयता का प्रावधान किया है और न ही लेखा-टिप्पणियों के माध्यम से दावे का खुलासा किया है। अप्रैल 2013 को आयोजित एगिजिट कान्फ्रेंस में विभाग ने सूचित किया कि विवरण सम्पदा विभाग से एकत्र किए जायेगें और आवश्यक प्रकटीकरण वर्ष 2012-13 की लेखा टिप्पणियों में खुलासा किया जायेगा।

1.15 (क II) स्थायी परिसम्पत्तियां

अनुसूचियों के अनुसार स्थायी परिसम्पत्तियों (₹ 1/- प्रत्येक के मूल्य वाली परिसम्पत्तियों को छोड़कर) का सकल ब्लॉक ₹ 265.53 करोड़ दर्शाया गया है और 31.03.2012 तक कुल संचित मूल्यह्रास ₹ 45.25 करोड़ है जिसके लिए 2004-05 से 2011-12 के वार्षिक लेखाओं में बुक किए गए कुल मूल्यह्रास के प्रति संचित मूल्यह्रास ₹ 49.57 करोड़ बनता है जिसके परिणामस्वरूप आय एवं व्यय लेखा में ₹ 4.32 करोड़ **अनुबंध-डी** के मूल्यह्रास का अवप्रभारण हुआ। स्थायी परिसम्पत्तियों तथा नगर (सामान्य) निधि का निवल ब्लॉक उसी सीमा तक अधिक बताया गया है।

विभाग ने कहा (जून, 2013) कि यह इस तथ्य के कारण था कि लेखाओं का संकलन बकाया में था तथा चालू पूंजीगत निर्माण कार्यों के पूंजीकरण हेतु अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं थी । तथापि, यह आश्वस्त किया गया था कि पहले प्रभारित मूल्यह्रास का यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किया गया था कि उसमें अनिवार्य संशोधन और सुधार वर्ष 2012-13 के लेखाओं में किए जाएंगे ।

(ii) अनुसूची ख-II के अनुसार, भवनों का सकल ब्लॉक ₹ 586523027.75 और संयत्र एवं मशीनरी का ₹ 304575769.27 दर्शाया गया है। 01.04.2004 के अथ शेष तथा 2004-05 से 2011-12 के वर्षों के दौरान आशोधनों को ध्यान में रखते हुए राशि क्रमशः भवनों के लिए ₹ 611846352.24 तथा संयंत्र एवं मशीनरी के लिए ₹ 304292224.27 बननी है ।

तालिका 1.23 **(राशि ₹ में)**

विवरण	भवन	संयंत्र एवं मशीनरी	कुल परिसम्पत्तियां
1.4.04 (अथ शेष ₹ 1/- पर लिया गया)	**735.00**	**1456268.00**	**1679435**
परिवर्धन			
2004-05	0.00	7369940.79	26213227.11
2005-06	52283303.11	45016334.99	156062479
2006-07	60525218.04	83983569.67	235041709.3
2007-08	272612535.40	51574358.51	1016198858
2008-09	212018456.04	74389070.31	650044456.6
2009-10	12535140.65	10191191.00	166885973
2010-11	1870964.00	20136987.00	265715609.5
2011-12	0.00	10174504.00	162522587.7
जोड़	**611846352.24**	**304292224.27**	**2680364335.28**

तलपट के अनुसार 31.03.12 के अन्त शेष	586523027.75	304575769.27	2655324555.79
अन्तर	25323324.49	-283545.00	25039779.49

आंकडों के दोनों सैटों के अन्तर का मिलान करने की आवश्यकता है।

(iii) एनडीएमसी ने द्वारका और साकेत में क्रमशः 1996 और 2001 में ₹ 4.94 करोड़ के भूमि के दो प्लॉट खरीदे। तथापि, द्वारका के प्लॉट का आबंटन अप्रैल, 2012 में रद्द कर दिया गया था। एबीएएस द्वारा अनुरक्षित स्थायी भूमि परिसम्पत्ति रजिस्टर की संवीक्षा करने पर यह पाया गया था कि ये लेन देन लेखा पुस्तकों में नहीं दर्शाए गए थे। अतः स्थायी परिसम्पत्ति रजिस्टर की समीक्षा और उसका अद्यतन करने की आवश्यकता है।

अप्रैल, 2013 में आयोजित एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस में, विभाग ने आश्वासन दिया कि उसका 2012-13 के लेखाओं में संशोधन कर दिया जाएगा ।

(iv) चालू पूंजीगत कार्य (अनुसूची बी-11 (बी))

चालू पूंजीगत कार्य के बही लेखाओं की समीक्षा करते समय, यह देखा गया है कि पिछले वर्ष (वर्षों से समान राशियां अग्रेनीत की गई थी तथा वर्ष के दौरान कोई वित्तीय प्रगति नहीं हुई है) 458 कार्यों, जिन पर 31.03.2012 तक ₹ 132.67 करोड़ खर्च किए गए थे, की सूची संबंधित मंडलों/एबीएएस को इन परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाने और सूचित करने के लिए दी गई थी। कुछ मंडलों से प्राप्त उत्तरों से ज्ञात हुआ कि कुछ परियोजनाएं पहले ही पिछले वर्षों में पूरी कर ली गई थी परन्तु इन्हें अभी चालू पूंजीगत निर्माण कार्यों में रखा जा रहा है। पूरी की गई परियोजनाओं का पूंजीकरण करने की आवश्यकता है तथा मूल्यह्रास आय एवं व्यय लेखाओं को प्रभारित किया जाना है। (निदर्शी मामले **अनुबंध ई** में दिए गए हैं।)

विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों की प्रशंसा करते हुए कहा (अप्रैल 2013) कि उक्त परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण न करने का कारण प्रायः ठेकेदारों को अन्तिम बिलों का भुगतान न करना होता है। विभाग ने यह भी कहा कि 'चालू पूंजीगत निर्माण कार्य' शीर्षों के अन्तर्गत पूरी न की गई परियोजनाओं/निर्माण कार्यों को यथासम्भव वर्ष 2012-13 के दौरान पूंजीकृत कर लिया जाएगा ।

यह सिफारिश की जाती है कि विभाग को पूरे कर लिए गए निर्माण कार्यों/पूंजीकरण की परियोजनाओं को चिन्हित करने और उनके समापन की तारीख से मूल्यह्रास प्रभारित करने के लिए एक समुचित तन्त्र विकसित करना चाहिए ।

1.15 (क-III) चालू परिसम्पत्तियां, कर्जे, अग्रिम एवं जमा ।

I. कर्जे, अग्रिम एवं जमा (अनुसूची बी-18)

उपर्युक्त शीर्ष में 31.03.2012 को बाह्य एजेंसियों (लेखा कोड 46060) के पास जमाओं के रूप में दर्शाई गई (-) ₹ 465936760.00 की राशि शामिल है। चूंकि जमा, घटा-आकड़ा नहीं हो सकता, अतः इसकी समीक्षा और सुधार करने की आवश्यकता है।

विभाग ने वर्ष 2012-13 के लेखाओं को अन्तिम रूप देते समय आवश्यक संशोधन करने का आश्वासन दिया। (जून-2013)

II. हस्तगत इनवेंट्री स्टॉक (अनुसूची बी-14)

31 मार्च, 2012 के अन्त पर हस्तगत स्टॉक 31 मार्च, 2011 के स्टॉक की तुलना में ₹ 0.05 करोड़ बढ़ गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 16.61 करोड़ का अन्त शेष हो गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.24 (₹ करोड़ में)

लेखा कोड	लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2011 के शेष	डेबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2012 को शेष
43010	भण्डार	16.55	34.32	34.27	16.60
43020	खुले औज़ार	0.01	0.00	0.00	0.01
		16.56	**34.32**	**34.27**	**16.61**

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष की अनुसूची बी-14 की नमूना-जांच से ज्ञात हुआ कि वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान निम्नलिखित लेखा-शीर्षों के अन्तर्गत कोई लेन-देन नहीं किया गया जोकि स्टॉक के अथ और अन्त शेष में किसी परिवर्तन को नहीं दर्शाता । इन मदों की धीमें परिचलन के कारणों का विश्लेषण और आवश्यक समायोजन किए जाने की जरूरत है ।

- 4301000 - हस्तगत स्टॉक : भण्डार (₹ 9927598.03)
- 4301020 - हस्तगत स्टॉक : औषधि भण्डार (₹ 6662452.00)
- 4301021 - हस्तगत स्टॉक : औषधियां चरक पालिका अस्पताल (₹ 10560.00)
- 4301025 - हस्तगत स्टॉक : होम्योपेथिक औषधालय (₹ 695832.00)
- 4301031 - हस्तगत स्टॉक : बल्ब टयूब लाईट (₹ 106374.00)
- 4301062 - हस्तगत स्टॉक : सीमेंट (₹ 18784.00)
- 4301065 - हस्तगत स्टॉक : अन्य (₹ 48776.00)
- 4301070 - हस्तगत स्टॉक : अन्य सामान्य भण्डार (₹ 21318806.90)
- 4301077 - हस्तगत स्टॉक : अन्य अनुपयोज्य भण्डार (₹ 44316793.07)
- 4302000 - हस्तगत स्टॉक : खुले औज़ार (₹ 18730.00)
- 4302001 - हस्तगत स्टॉक : संयंत्र एवं मशीनरी (₹ 52979.00)

उपर्युक्त के अतिरिक्त, लेखा-कोड ''4301036 हस्तगत स्टॉक : विद्युत मामले'' के अन्तर्गत 31 मार्च, 2012 को ₹ 499070.00 का प्रतिकूल शेष था जिसकी समीक्षा और सुधार करने की आवश्यकता है।

विभाग ने वर्ष 2012-13 के लेखाओं में समीक्षा और आवश्यक संशोधन करने का आश्वासन दिया (जून, 2013)।

III विविध देनदार (प्राप्य) (अनुसूची बी-15) एवं संदिग्ध प्राप्यों के प्रति संचित प्रावधान (अनुसूची बी-15 ए)

विविध देनदार (प्राप्य) 2010-11 में ₹ 1832.69 की तुलना में 2011-12 में बढ़कर ₹ 2163.89 करोड़ हो गए । शीर्ष-वार विवरण नीचे दिए गए हैं:

तालिका 1.25 (₹ करोड़ में)

लेखा कोड	लेखा शीर्ष	अथ शेष	डेबिट	क्रेडिट	31 मार्च, 2012 को शेष
43110	सरकारी भवन (सेवा प्रभार)	606.05	1973.50	1877.20	702.35
43130	शुल्क तथा प्रयोक्ता प्रभारों के लिए प्राप्य राशियां	948.48	3086.27	3000.43	1034.31
43140	अन्य स्त्रोतों से प्राप्य राशि	260.35	772.07	605.19	427.23
43150	सरकारी अनुदानों से प्राप्य राशि	42.63	0.00	42.63	0.00
43180	प्राप्य नियंत्रण लेखे	-24.82	178.43	153.62	0.00
		1832.69			**2163.89**

तथापि वर्ष 2011-12 संदिग्ध प्राप्यों के प्रति संचित प्रावधान ₹ 1071.41 करोड़ था, इस प्रकार वर्ष 2011-12 के अन्त तक निवल प्राप्य राशि ₹ 1092.48 करोड़ थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

तालिका 1.26 (₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	2010-11	2011-12
विविध देनदार (प्राप्य राशि)-बी-15	1832.69	2163.89
घटा : संदिग्ध प्राप्य राशियों के प्रति संचित प्रावधान	970.44	1071.41
निवल प्राप्य राशि	862.25	1092.48
कुल प्राप्य राशि के संबंध में प्रावधान की प्रतिरातता	52.95%	49.51%

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि 31 मार्च, 2012 को संदिग्ध प्राप्य राशियों के प्रति संचित प्रावधान ₹ 1071.41 करोड़ था जोकि कुल प्राप्य राशि का 49.51% है। लेखाओं में प्राप्य राशियों के आयु-वार ब्यौरों के अभाव में, प्रावधानों की पर्याप्तता अभिनिश्चित नहीं की जा सकी ।

अप्रैल 2013 को आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस में विभाग ने सूचित किया कि चार प्रमुख विभाग थे जहां बड़ी संख्या में देनदार विद्यमान हैं जैसे सम्पदा, सम्पत्ति कर, वाणिज्यिक एवं प्रवर्त्तन विभाग। विभाग ने वर्ष 2012-13 में नीति के अनुसार प्रावधान करने के लिए उक्त देनदारों के आयु-वार विवरण मांगने का भी आश्वासन दिया ।

1.15 (ख) आय एवं व्यय विवरणी

क. **राजस्व आय एवं व्यय (अनुबंध एफ)**

अधिशेष/घाटा

31 मार्च, 2012 को ₹ 274.19 करोड़ का अधिशेष अर्थात व्यय के प्रति आय का आधिक्य था। पूर्वावधि मदों (₹ 41.72 करोड़) और (₹ 174.00 करोड़) को आरक्षित करने के लिए स्थानांतरण किया जिससे अधिशेष ₹ 58.74 करोड़ की कमी हुई ।

अवधि 2011-12 के दौरान आरक्षित निधि को अन्तरण के कारण अधिशेष 31 मार्च, 2011 को ₹ 331.89 करोड़ से ₹ 57.70 करोड़ घट कर 31 मार्च, 2012 को ₹ 274.19 करोड़ हो गया । आय, व्यय तथा अधिशेष/घाटे के माह-वार (अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012) **अनुबंध जी** में दिए गए हैं।

आय

31 मार्च, 2012 को कुल आय ₹ 2126.18 करोड़ थी। आय के प्रमुख स्त्रोत शुल्क एवं प्रयोक्ता प्रभार (43.98 प्रतिशत), कर राजस्व (19.44 प्रतिशत), निवेश से आय (18.07 प्रतिशत), तथा नगर निगम सम्पत्तियों से किराए की आय (12.42 प्रतिशत) है। अन्य शीर्षों के संबंध में बहुत कम आय थी जैसे राजस्व अनुदान, अंशदान एवं परिदान (3.04 प्रतिशत), सौंपे गए राजस्व एवं प्रतिपूर्तियां (2.83 प्रतिशत), अन्य आय (0.22 प्रतिशत), बिक्री एवं किराया प्रभार (0.02 प्रतिशत) और अर्जित ब्याज (0.01 प्रतिशत) ।

वर्ष 2011-12 के लिए आय का संघटक-वार हिस्सा निम्नलिखित चार्ट में दर्शाया गया है।

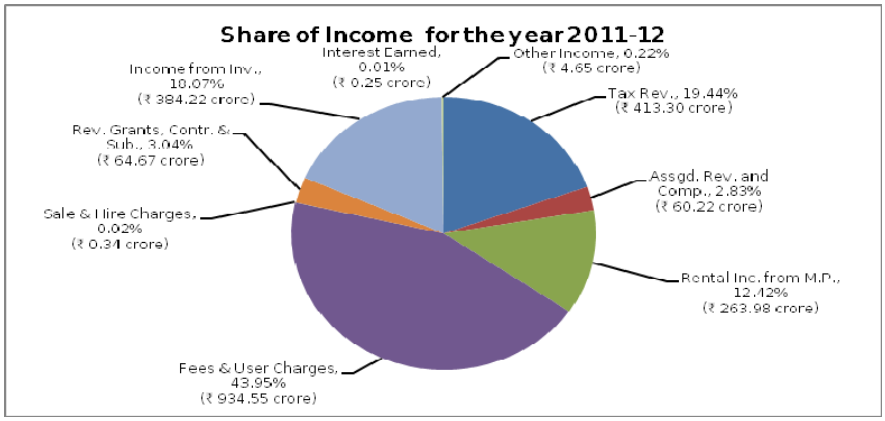

कुल आय 2010-11 में ₹ 1791.25 करोड़ से ₹ 334.93 करोड़ बढ़ कर 2011-12 में ₹ 2126.18 करोड़ हो गई ।

पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि इन शीर्षों में थी ₹ 173.10 करोड़ तक प्रयोक्ता प्रभार (22.73 प्रतिशत), कर राजस्व ₹ 87.13 करोड़ (26.71 प्रतिशत), राजस्व अनुदान, अंशदान एवं परिदान ₹ 37.72 करोड़ (140.01 प्रतिशत), सौंपे गए राजस्व एवं प्रतिपूर्तियों में ₹ 26.98 करोड़ (81.19 प्रतिशत), निवेश से आय ₹ 17.67 करोड़ (4.82 प्रतिशत), नगर निगम सम्पत्तियों से आय ₹ 10.49 करोड़ (4.14 प्रतिशत), तथा अन्य आय ₹ 1.15 करोड़ (32.86 प्रतिशत) । इसके अतिरिक्त इन शीर्षों में कमी थी, अर्जित ब्याज ₹ 18.60 करोड़ (98.68 प्रतिशत) तथा बिक्री एवं किराया प्रभार ₹ 0.72 करोड़ (67.73 प्रतिशत) ।

2011-12 तथा 2010-11 के दौरान आय का ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण नीचे दर्शाया गया है:

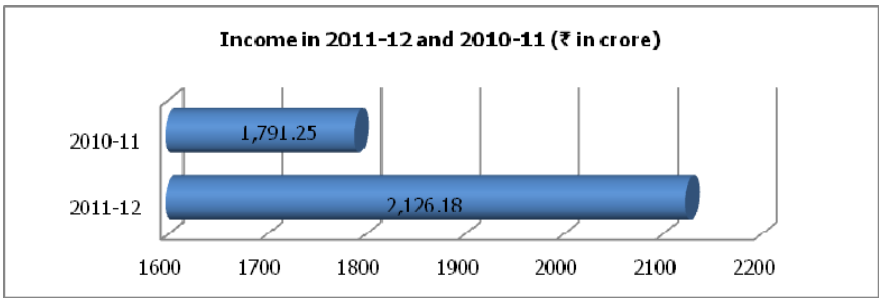

व्यय

मार्च, 2012 के अन्त तक कुल व्यय ₹ 1851.99 करोड़ था । व्यय के मुख्य शीर्ष प्रचालन एवं अनुरक्षण (47.28 प्रतिशत) और स्थापना खर्चे (41.11 प्रतिशत) थे। व्यय के अन्य शीर्षों में प्रावधान और बट्टा खाता (5.45 प्रतिशत), प्रशासनिक खर्चे (3.561 प्रतिशत), राजस्व अनुदान, अंशदान एवं परिदान (1.73 प्रतिशत), मूल्यह्रास (0.79 प्रतिशत) तथा कार्यक्रम खर्चे (0.09 प्रतिशत) थे ।

वर्ष 2011-12 के लिए आय का संघटक-वार हिस्सा निम्नलिखित चार्ट में दर्शाया गया है:-

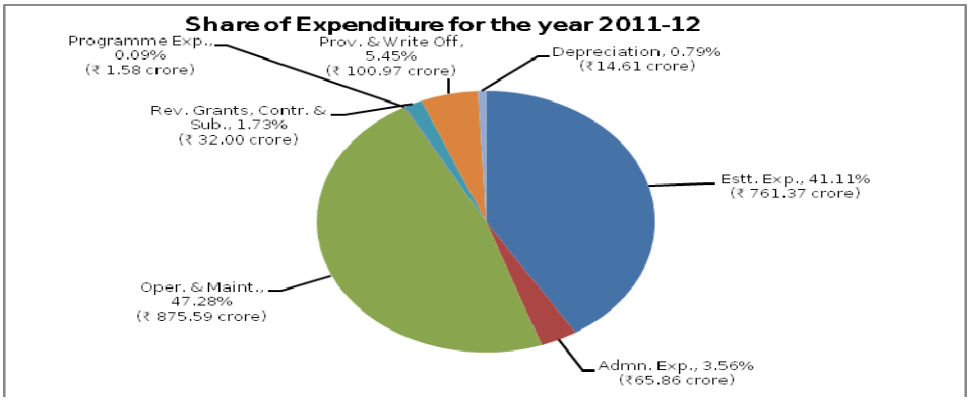

व्यय 2010-11 में ₹ 1459.36 करोड़ से ₹ 392.63 करोड़ बढ़ कर 2011-12 में ₹ 1851.99 करोड़ हो गया । (प्रचालन एवं अनुरक्षण ₹ 233.54 करोड़, प्रावधान एवं बट्टा खाता ₹ 70.16 करोड़, स्थापना खर्चे ₹ 49.23 करोड़, प्रशासनिक खर्चे ₹ 27.84 करोड़, मूल्यह्रास ₹ 8.83 करोड़, राजस्व अनुदान, अंशदान एवं परिदान ₹ 2.14 करोड़ तथा कार्यक्रम खर्चे ₹ 0.14 करोड़) । ब्याज एवं वित्त प्रभार शीर्ष के अन्तर्गत कमी ₹ 0.74 करोड़ थी ।

2011-12 तथा 2010-11 के दौरान व्यय का ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण नीचे दर्शाया गया है:

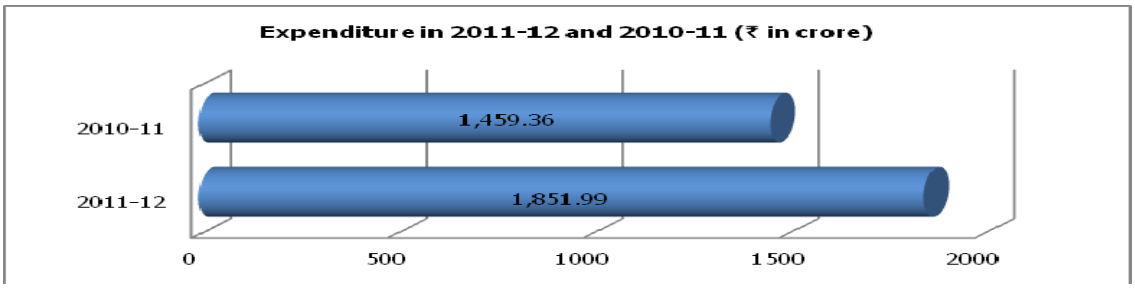

ख. वर्ष अन्त 2011-12 में घटा व्यय की बुकिंग

वर्ष 2011-12 के तलपट की नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि निम्नलिखित लेखा शीर्षों में घटा शेष थे जिनकी ओर ध्यान देने तथा उमें सुधार करने की आवश्यकता है।

तालिका 1.27

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्णन	राशि ₹ में
1	2101036	समेकित आय ग्रेड बी अनुबंध कर्मचारी	22411.00
2	2305963	शामक एवं उपकरणों सहित अग्नि-शमन उपकरण	1095970.00
3	2407001	अमान्य चैक	36535.76
4	2408003	लेन देन का निकटतम रूपए में पूर्णांकन	6452.53

विभाग ने कहा (जून, 2013) कि इस प्रकार के प्रतिकूल शेषों से बचने का प्रयास किया जाएगा ।

ग. लेखा कोडों का गलत वर्णीकरण

आय एवं व्यय के अन्तर्गत लेखा कोडों तथा कार्य कोडों की गलत बुकिंग के कई दृष्टांत थे जिन्हें **अनुबंध एच और आई** में दर्शाया गया है।

जर्नल वाऊचरों की विस्तृत समीक्षा की पुनः समीक्षा करने और लेखाओं की सही बुकिंग करने की आवश्यकता है।

विभाग ने सहमति व्यक्त की (जून, 2013) और आवश्वासन दिया कि आय एवं व्यय लेखाओं में गलत वर्गीकरण नोट कर लिए गए हैं और उन्हें 2012-13 के लेखाओं में ध्यान में रखा जाएगा ।

घ. 2011-12, के संशोधित अनुमानों के प्रति किया गया अधिक व्यय

निम्न तालिका परिषद् द्वारा संशोधित अनुमानों के प्रति किया गया व्यय दर्शाती है। **(अनुबध-जे)**

तालिका 1.28 (₹ हज़ार में)

कार्य कोड	कार्य का वर्णन	सं०अ० 2011-12 (राजस्व)	व्यय 2011-12	सं०अ० के प्रति % व्यय 2011-12
1	नगर निकाय	13333	15721	117.9
2	प्रशासन	5339932	5856694	109.7
6	सम्पदा	61072	967652	1584.4
35	अस्पताल सेवाएं	296295	306627	103.5
51	जल आपूर्ति	677018	927794	137.0
53	अग्नि शमन सेवाएं एवं आपदा प्रबंधन	89400	98226	109.9
56	मनोरंजन	24820	24993	100.7
79	अन्य	97301	99992	102.8
81	विद्युत	7278697	8119236	111.5

सम्पदा विभाग के संबंध में व्यय में विचलन जोकि संशोधित अनुमानों से 15 गुणा है, की समीक्षा की आवश्यकता है।

ड. राजस्व अनुदान अंशदान एवं परिदान (अनुसूची 1-15)

वर्ष 2011-12 के दौरान, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने विभिन्न एनजीओज़/विद्यालयों को सहायता अनुदान के रूप में ₹ 30.80 करोड़ दिए और उन्हें आय एवं व्यय लेखा का प्रभारित कर दिया । तथापि, किए गए वास्तविक व्यय के दर्शान वाले उपयोग प्रमाण-पत्र/लेखे, लेखापरीक्षा को नहीं दिखाए गए थे।

विभाग ने इस बात से सहमति व्यक्त की (अप्रैल 2013) कि हर वर्ष अनुदान संस्वीकृत करने वाले विभागाध्यक्षों से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए जाएंगे। उन्हें एनएमएएम के प्रावधानों के अनुसार लेखाओं में दर्शाया जाएगा।

1.15 (ग) प्राप्ति एवं भुगतान लेखे 2011-12 **(अनुबंध-के)**

क. प्राप्तियां

प्राप्तियां 2010-11 में ₹ 2038.22 करोड़ से ₹ 177.31 करोड़ बढ़कर ₹ 2215.53 करोड़ हो गई। यह वृद्धि मुख्यत: ''शुल्क एवं प्रयोक्ता प्रभार'' ; ₹ 101.24 करोड़, ''प्राप्त जमा'' ; ₹ 101.04 करोड़, ''नगरपालिका सम्पत्तियों से किराया आय'' ; ₹ 55.91 करोड़ तथा ''राजस्व अनुदान, अंशदान एवं परिदान''; ₹ 37.72 करोड़। 2011-12 तथा 2010-11 के दौरान प्राप्तियों का ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण नीचे दर्शाया गया है:

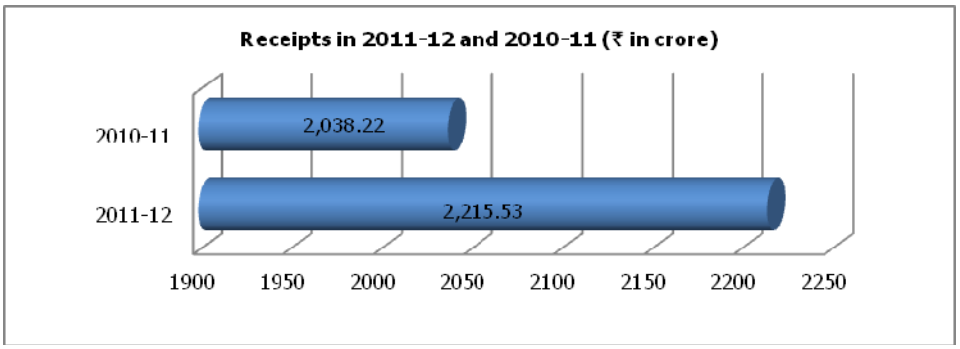

ख भुगतान

भुगतान 2010-11 में ₹ 1969.73 करोड़ से 168.74 करोड़ बढ़कर 2011-12 में ₹ 2138.47 करोड़ हो गए । यह वृद्धि मुख्यत: ''प्रचालन एवं अनुरक्षण''; ₹ 339.38 करोड़ तथा ''स्थापना खर्चे''; ₹ 49.23 करोड़ शीर्षों के अन्तर्गत थी। 2011-12 तथा 2010-11 के दौरान भुगतानों का ग्राफ द्वारा प्रस्तुतिकरण नीचे दर्शाया गया है।

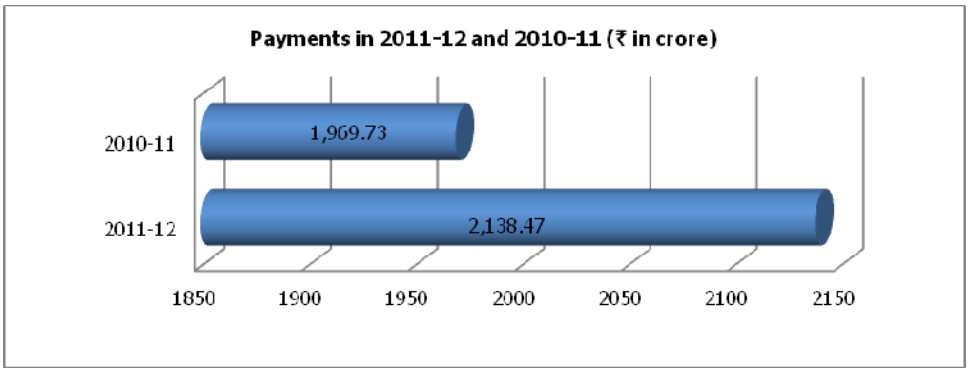

ग. प्राप्ति एवं भुगतान लेखा तथा तुलन-पत्र में नकद शेष का अन्तर

प्राप्ति एवं व्यय लेखा के अनुसार, वर्ष 2011-12 के अन्त तक नकदी ₹ 770646685.15 है जबकि तुलन-पत्र तथा नकदी के अनुसार बैंक शेष ₹ 770883125.15 दर्शाए गए हैं ।

विभाग ने स्पष्ट किया (जून 2013) कि इम्प्रेस्ट की राशि नकद शेषों में शामिल नहीं की गई है क्योंकि यह राशि डीडीओज़ को संस्वीकृत की गई है। संशोधन 2012-13 के लेखाओं में दर्शाया जाएगा तथा अनुवर्ती वर्षों में नकद शेष का कोई अन्तर नहीं होगा ।

1.15 (घ) नकद प्रवाह विवरणी

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी **अनुबंध-एल** में दी गई है

1.15 (ड.) वित्तीय अनुपात का खुलासा न करना **(अनुबंध-एम)**

अनुबंध-एम मे दर्शाई गई वर्ष 2011-12 को समाप्त विवरणी के अनुसार, निम्नलिखित वित्तीय अनुपात, राष्ट्रीय नगरनिगम लेखा-पुस्तिका में निर्धारित विधि के अनुसार परिकलित नहीं किए हैं और उनका खुलासा भी उनके अनुसार नहीं किया गया है।

तालिका 1.29

	आय अनुपात
1ए	राष्ट्रीय आय अनुपात के प्रति सम्पत्ति एवं अन्य कर .....(%)
1बी	कुल आय अनुपात के प्रति चुंगी/उपकर.....(%)
	कार्यक्षमता अनुपात
12	सकल उपकर प्राप्य अनुपात.....(दिनों की संख्या)
13	सम्पत्ति कर आय अनुपात के प्रति प्राप्य सम्पत्ति कर..... (%)
14	उपकर आय अनुपात के प्रति प्राप्य उपकर... (%)
15	इन्वेन्ट्री अनुपात... (प्रयुक्त दिनों की संख्या)
18	सकल स्थायी परिसम्पत्ति अनुपात के प्रति प्रचालन एवं अनुरक्षण... (%)
19	कर्ज़ अनुपात के प्रति ब्याज खर्च... (%)
	उत्तोलन अनुपात
20	आरक्षित अनुपात अथवा ऋण-इक्विटी अनुपात के प्रति कर्ज़... (गुणा)
21	ब्याज कवरेज अनुपात... (गुणा)
22	कर्ज सेवा व्याप्ति अनुपात (गुणा)
	निवेश अनुपात
23	चिन्हित निधि अनुपात के प्रति चिन्हित निधि निवेश... (%)
24	निवेश अनुपात पर ब्याज... (%)
	परिसम्पत्ति अनुपात
26	कुल परिसम्पत्ति अनुपात के प्रति स्थायी परिसम्पत्तियाँ... (%)
	निष्पादन अनुपात
27	प्रति कर्मचारी आय... (₹)
28	प्रति कर्मचारी व्यय... (₹)
29	प्रति नागरिग आय... (₹)
30	प्रति नागरिक व्यय... (₹)

विभाग ने आश्वासन दिया (जून 2013) कि वित्तीय अनुपातों का परिकलन किया जाएगा और उनका वर्ष 2012-13 की लेखा टिप्पणियों में खुलासा किया जाएगा ।

1..15 (च) महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां (अनुसूची ख-21)

क. आय-छूट के मामले में राजस्व मान्यता के संबंध में संख्या 2.ii पर घोषित लेखाकरण नीति में उल्लिखित है कि अन्य कोई आय जो अनिश्चित स्वरूप की है अथवा जिसकी राशि अभिनिश्चेय नहीं है अथवा जहां मांग न.दि.न.परिषद् के परिचालन के नियमित क्रम में नहीं की गई है, उसे वास्तवित प्राप्ति पर ही आय माना जाता है। लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया है कि ₹ 384.21 करोड़ के निवेश से ब्याज आय, नकद आधार पर उनके प्राप्त होने पर आय एवं व्यय लेखा को बुक की जाती है। इसके प्रति ब्याज आय में ब्याज की उद्भूत राशि जो चालू वर्ष (2011-12) में देय नहीं है (-) पिछले वर्ष (2010-11) के संबंध में उद्भूत परन्तु चालू वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज शामिल नहीं है। इसलिए, निवेश से ब्याज आय का लेखांकन उल्लिखित लेखाकर नीति के अनुरूप नहीं है। क्योंकि आय अनिश्चित प्रकार की नहीं है और राशि का आसानी से पता लगाया जा सकता है।

विभाग ने कहा (अप्रैल 2013) कि निवेश पर ब्याज का उद्भूत आधार पर लेखाकरण किया जा रहा है। उसने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि लेखापरीक्षा, लेखा विभाग के परामर्श से मामले की पुन: जांच कर सकता है। तथापि, लेखाओं के निरीक्षण पर लेखापरीक्षा ने देखा कि लेखाओं के दो सैट अर्थात् प्राप्ति एवं भुगतान तथा आय एवं व्यय निवेश पर ब्याज के अन्तर्गत वही आंकड़ा दर्शाते हैं, अत: विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

1.15 (छ) लेखा टिप्पणयिों पर टिप्पणियां (अनुसूची बी-22)

वर्ष 2011-12 के तुलन-पत्र की अनुसूची बी-22 में दी गई लेखा टिप्पणियों से निम्नलिखित कमियों का पता चला:

क. स्थायी परिसम्पत्तियां

(i) स्थायी परिसम्पत्तियों की भौतिक जांच

राष्ट्रीय नगरपालिका लेखाकरण पुस्तिका (पैरा 21.41(सी)) के अनुसार, सभी परिसम्पत्तियों की वर्ष के दौरान कम से कम एक बार जांच की जानी अपेक्षित है तथा ध्यान में अन्तरों का समाधान किया जाना अपेक्षित है। सभी स्थायी परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रक्रिया विभागों द्वारा पूरी नहीं की गई है।

यह कहा गया था (अप्रैल 2013) कि सभी विभागों को एक परिपत्र जारी करके उनसे परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन की जांच करने और उनका मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है तथा परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की स्थिति का अनुवर्ती वर्षों की लेखा टिप्पणियों में खुलासा किया जाएगा ।

(ii) नाममात्र मूल्य पर स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन

लेखा टिप्पणियों के अनुसार, विभाग ने 15 शीर्षों के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों का वर्णन किया था तथा परिसम्पत्तियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए उनका मूल्य ₹ 1/- के नाममात्र मूल्य पर लगाया गया था। मूल्यांकन की यह विधि सही नहीं है क्योंकि विभाग को इन परिसम्पत्तियों के निर्माण/सुधार में अन्तर्गत वास्तविक लागत के आधार पर इन सम्पत्तियों का पुन: मूल्यांकन करना है। इन परिसम्पत्तियों के पुन: मूल्यांकन से संबंधित नीति बनाने की आवश्यकता है।

यह कहा गया था (जून 2013) कि इन परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में नीति बनाई जा रही है।

ख. मध्यस्थता तथा कानूनी मामलों के प्रति आकस्मिक देयताएं

मध्यस्थता तथा कानूनी मामलों के संबंध में एनडीएमसी के प्रति आकस्मिक देयताओं का इस आधार पर न तो निर्धारण किया गया है और न ही खुलासा किया गया है कि विभिन्न न्यायालयों के पास लम्बित मामलों की संख्या और उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि उपलब्ध नहीं कराई गई थी ।

विभाग ने उत्तर दिया (जून 2013) कि विभिन्न प्रकार की आकस्मिक देयताओं के लिए प्रोफॉर्मा बना लिया गया है जिसे अध्यक्ष द्वारा उसका अनुमोदन प्राप्त करने से पूर्व लेखापरीक्षा को दिखा दिया जाएगा ।

1.15 (एच) सामान्य

लेखापरीक्षा में ध्यान में आए कुछ अन्य मामले जिन पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा ध्यान दिया जाना अपेक्षित है, निम्नलिखित है:

(क) स्थायी परिसम्पत्ति रजिस्टर अनुरक्षित/अद्यतित नहीं किया गया है। एक लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में, विभाग ने कहा (जून 2013) कि स्थायी परिसम्पत्ति रजिस्टर 2005-06 में कोई परिवर्तन नहीं है जैसा कि लेखापरीक्षा को दिखाया गया है।

(ख) प्रत्यक्ष सत्यापन स्वतंत्र अधिकारी अर्थात् नकद प्रबंधन में शामिल अधिकारियों/कर्मचारियों के अलावा नहीं किया जा रहा है।

विभाग ने इस बात से सहमति व्यक्त की (अप्रैल 2013) कि इसे वित्तीय वर्ष के अन्त में अतिरिक्त मास के किसी भी दिन नकदी के प्रत्यक्ष सत्यापन/अचानक जांच के लिए नकद मंडल के अलावा अलग-अलग मंडल (मंडलों) से अलग-अलग अधिकारी नामित करके मासिक आधार पर कराया जा सकता है ।

(ग) भण्डार एवं उपभोज्य माल का लागत अथवा वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है, तथा भण्डार/उपभोज्य माल का प्रत्यक्ष सत्यापन, मूल्यांकन के उपर्युक्त सिद्धान्त का पालन भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका ।

विभाग ने इस से सहमति व्यक्त की (अप्रैल 2013) कि वह संबंधित विभाग पर भण्डार के वास्तविक मूल्य की वित्तीय वर्ष के अन्त में जांच करने का दबाव डालेगा ।

(घ) नकद तथा बैंक शेष में ₹ 100.07 करोड़ का ऋणात्मक शेष शामिल है। यह असाधारण मद होने के कारण, मांगे गए स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं दिया गया था ।

विभाग ने (अप्रैल 2013) को उसकी फिर से जांच करने तथा निवेश शाखा से सूचना प्राप्त करने के पश्चात् स्पष्टीकरण देने का आश्वासन दिया। तथापि, विभाग से स्पष्टीकरण अभी अपेक्षित था (जून 2013)।

उपर्युक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, विभाग को लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई तथा विभाग द्वारा स्वीकार की गई कमियो को सुधारने के लिए एक समयबद्ध योजना बनानी चाहिए ताकि लेखे पणधारियों को परिषद् की सत्य और सही वित्तीय स्थिति दर्शाए।

यह प्रतिवेदन परिषद् को उसकी 23 जूलाई 2013 को हुई बैठक में प्रस्तुत किया गया था। परिषद् ने मुख्य लेखापरीक्षक की टिप्पणियां नोट की तथा लेखा विभाग को अनुवर्ती वर्षों में लेखाओं में आवश्यक संशोधन करने तथा मुख्य लेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का परामर्श दिया। तथापि, परिषद् के परामर्श पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है (नवम्बर 2013)।

भाग III

1.16 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

संतोषजन उत्तरों/ की गई कार्रवाई टिप्पणियों के अभाव के कारण बकाया वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों तथा स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के पैराग्राफों की स्थिति का विवरण निम्न तालिकाओं में दिया गया है।

1.16 (क) वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

तालिका 1.30

विभाग (क)	मई 2013 को अथशेष (ख)	परिवर्धन (ग)	जोड़ (घ)	निपटाए गए (ड.)	जनवरी 2014 को अन्त-शेष (च) (घ-ड.)
वित्त एवं लेखे	20	03	23	13	10
सम्पदा -I	05	01	06	03	03
सम्पदा - II	02	01	03	02	01
सम्पत्ति कर	27	01	28	16	12
प्रवर्तन	25	0	25	04	21
बागवानी	03	0	03	02	01
सिविल इंजीनियरिंग	05	03	08	02	06
विद्युत	15	01	16	06	10
वाणिज्यिक	11	0	11	08	03
कार्मिक	01	0	01	0	01
वास्तुकार एवं पर्या.	09	0	09	02	07
सार्वजनिक स्वास्थ्य	15	01	16	08	08
शिक्षा नवयुग विद्यालय शिक्षा समिति	04 0	0 02	04 02	-	04 02
सूचना प्रौद्योगिकी	02	0	02	0	02
नगरपालिका आवास	18	0	18	14	04
जोड़	162	13	175	80	95

1.16 (ख) स्थानीय लेखापरीक्षा रिर्पोट (एलएआर)

तालिका 1.31

	विभाग (क)	01.05.2013 को अथ शेष	परिवर्धन (जनवरी 2014	जोड़ (घ)	निपटान (ड.)	अन्त शेष (च) (घ -ड.)

		(ख)	तक) (ग)	(ग+घ)		
01.	**लेखे एवं वित्त**	**395**	**13**	**408**	**01**	**407**
02.	**वास्तुकार एवं पर्यावरण**	**134**	**-**	**134**	**03**	**131**
03.	**सिविल इंजीनियरिंग**	**1571**	**130**	**1701**	**44**	**1657**
04.	**वाणिज्यिक**	**108**	**-**	**108**	**-**	**108**
05.	**शिक्षा**	**1778**	**-**	**1778**	**06**	**1772**
06.	**विद्युत**	**1429**	**53**	**1482**	**-**	**1482**
07.	**प्रवर्तन**	**77**	**14**	**91**	**10**	**81**
08.	**सम्पदा**	**180**	**42**	**222**	**05**	**217**
09.	**अग्नि**	**87**	**-**	**87**	**-**	**87**
10.	**सामान्य प्रशासन**	**222**	**21**	**243**	**-**	**243**
11.	**चिकित्सा सेवाएं / सार्वजनिक स्वास्थ्य**	**775**	**22**	**797**	**15**	**782**
12.	**बागवानी**	**98**	**13**	**111**	**07**	**104**
13.	**सम्पत्ति कर**	**111**	**-**	**111**	**01**	**110**
14.	**सूचना प्रौद्योगिकी**	**68**	**-**	**68**	**-**	**68**
15.	**कानून**	**28**	**-**	**28**	**-**	**28**
16.	**कार्मिक**	**524**	**-**	**524**	**-**	**524**
17.	**सार्वजनिक संबंध**	**114**	**-**	**114**	**-**	**114**
18.	**सुरक्षा**	**105**	**-**	**105**	**-**	**105**
19.	**कल्याण**	**826**	**9**	**835**	**-**	**835**
20.	**परियोजना**	**7**	**2**	**9**	**-**	**9**
	जोड़	**8637**	**319**	**8956**	**92**	**8864**

विभागों/ यूनिटों के विभागाध्यक्षों को बकाया पैराग्राफों को देखना चाहिए तथा उत्तर/ की गई कार्रवाई टिप्पणियां यथाशीघ्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था करनी चाहिए ।

अध्याय-2

वाणिज्यिक विभाग

एनडीएमसी के वाणिज्यिक विभाग की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 प्रस्तावना

एनडीएमसी का वाणिज्यिक विभाग (i) बिजली तथा पानी की खरीद, तथा (ii) इन सेवाओं का प्रयोग करने के लिए उपभोक्ता से राजस्व के संग्रहण के प्रति भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा नीचे दर्शाया गया है:

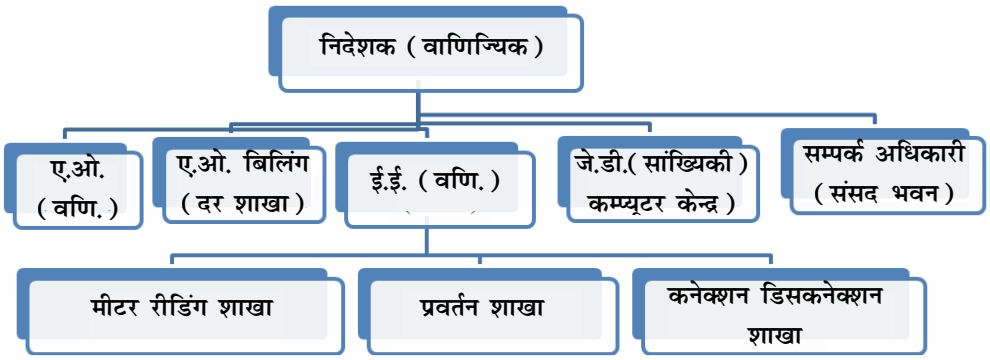

तालिका 2.1 बिजली की खरीद एवं बिक्री

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	ऊर्जा खरीद पर खर्च राशि	वसूल की गई राशि		
		फालतू ऊर्जा की बिक्री से	ऊर्जा की बिक्री से	जोड
2007-08	649.21	308.11	558.41	866.52
2008-09	649.93	721.09	565.65	1286.74
2009-10	618.85	288.09	574.61	862.70
2010-11	745.77	341.35	526.21	867.56
2011-12	900.01	153.84	601.82	755.66
TOTAL	**3563.77**	**1812.48**	**2826.70**	**4639.18**

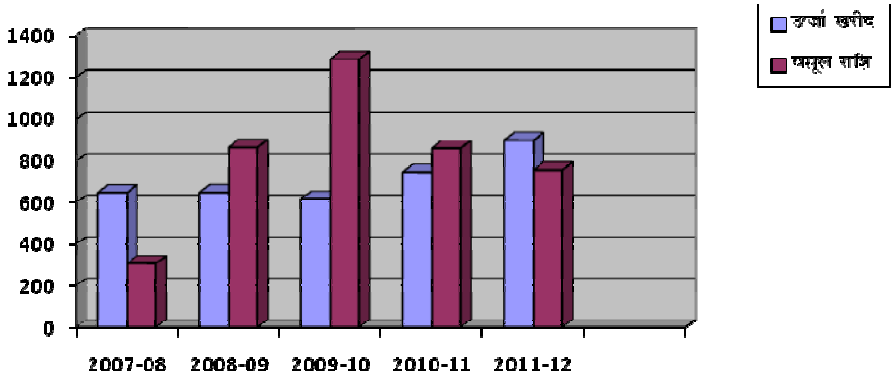

विभाग ने विगत 5 वर्षों के दौरान उतार-चढ़ाव के कारण नहीं बताए।

तालिका 2.2: पानी की खरीद एवं बिक्री

(₹ करोड़ में राशि)

वर्ष	मलजल निपटान प्रभारों सहित डीजेबी से पानी की खरीद पर खर्च की गई राशि	पानी की बिक्री से उगाही गई राशि
2007-08	39.86	21.22
2008-09	31.89	22.36
2009-10	41.33	50.73
2010-11	55.87	66.43
2011-12	52.96	83.94
TOTAL	**221.91**	**244.68**

एनडीएमसी द्वारा पानी की खरीद/बिक्री से खर्च/वसूल की गई राशि का ग्राफ द्वारा प्रस्तुतिकरण

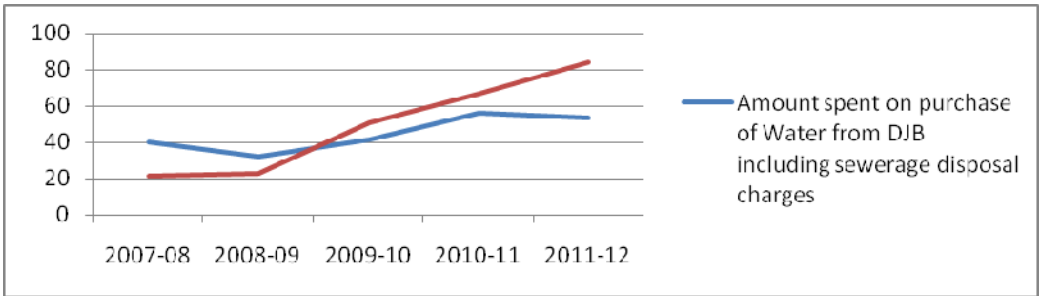

2.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र, उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली

2.2.1 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र- इस लेखा परीक्षा में सृजन कम्पनियों से बिजली की खरीद, बिजली और पानी का वितरण तथा बिक्री, रीडिंग के आधार पर बिजली और पानी के बिल बनाना तथा उपभोक्ताओं से भुगतान की वसूली के मामले बिजली और पानी प्रभारों के पुराने लम्बित बकाया के मामले, 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान बिजली की चोरी और दुरूपयोग तथा सरकार की प्रमुख नीतियों एवं दिशानिर्देशों के मामले शामिल हैं।

2.2.2. लेखापरीक्षा के उद्देश्य- लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या:-

1. बिजली की खरीद परिषद् के सर्वोत्तम हित में किए गए करार के प्रावधान के अनुसार की गई थी तथा किन्ही शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया था।
2. भुगतान, संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रदत्त रीडिंग के आधार पर समय-समय पर लागू दरों के अनुसार किए गए थे।
3. भुगतानों में कोई विलम्ब नहीं हुआ था और किसी शस्ति का भुगतान नहीं किया गया था।
4. कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एण्ड सी) हानियाँ एकदम सीमाओं के अन्दर थीं।
5. नए कनेक्शन देने में कोई विलम्ब नहीं हुआ था।
6. भुगतान के बिल तत्परता से बनाए गए थे तथा उनकी समय पर वसूली कर ली गई थी।
7. बकाया की वसूली की निगरानी और उस पर समुचित कार्रवाई के लिए एक समुचित मॉनीटरिंग प्रणाली विद्यमान थी।
8. बिजली की चोरी तथा उसके अप्राधिकृत कनेक्शनों की जांच के लिए समुचित तन्त्र विद्यमान था।

2.2.3 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली- लेखापरीक्षा ने डीईआरसी द्वारा जारी टू अप्स, विद्युत जेनरेटिंग कम्पनियों जैसे एनटीपीसी, पीपीसीएल आदि के साथ किए गए करारों, नए कनेक्शन, अस्थायी कनेक्शन, प्रदान करने, दर शाखा

तथा कनेक्शन एवं डिस्कनेक्शन (सी एवं डी) शाखा से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच की। लेखपरीक्षा ने वाणिज्यिक विभाग का दौरा किया तथा सूचना, संवीक्षित फाईलों/अभिलेखों का पता लगाने के लिए पूछताछ ज्ञापन जारी किए।

2.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.3.1 लक्ष्यों की प्राप्ति न होने कुल तकनीकी तथा वाणिज्यिक (एटी एवं सी) हानियों के कारण ₹ 51.94 करोड़ की हानि

निम्न तालिका डीईआरसी द्वारा अनुमोदित लक्ष्यों के प्रति एनडीएमसी द्वारा उठाई गई एटी एवं सी हानियों की स्थिति दर्शाती है:

तालिका 2.3

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
नियत लक्ष्य	11.13%	10.75%	10.38%	10.00%
वास्तविक	**14.79%**	**13.72%**	**10.25% (अधिक प्राप्त)**	**11.94%**

लक्ष्यों की प्रतिशतता तथा एनडीएमसी द्वारा एटी एवं सी हानियों की प्राप्ति

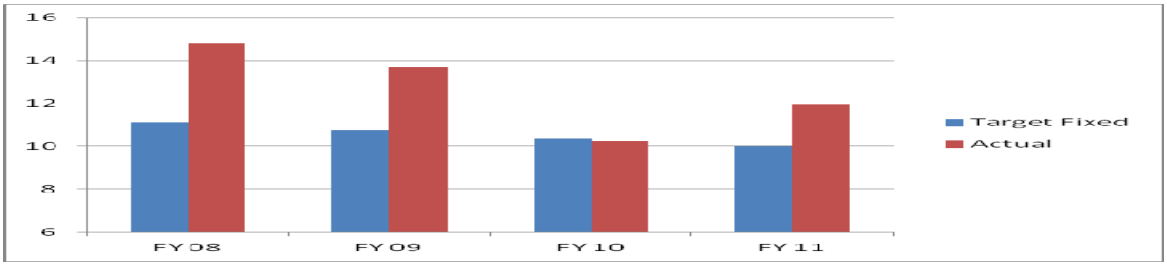

चूँकि एनडीएमसी वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2010-11 में लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी, अत: डीईआरसी ने टैरिफ नियत करते समय केवल उसके द्वारा निर्धारित सीमा तक ही एटी एण्ड सी हानियों की अनुमति प्रदान की। परिणामत: परिषद् ने ₹ 51.94 करोड़ की हानि उठाई **(अनुबंध-एन)**।

विभाग ने (अगस्त 2013) को वाणिज्यिक हानियों का कारण ऊर्जा की बिक्री, अनमीटर्ड आपूर्ति, लम्बित वसूली, बिलिंग चक्र बताया तथा तकनीकी हानियाँ विद्युत विभाग से संबंधित थीं।

2.3.2 लेखाओं का खण्ड-वार अनुरक्षण न करने के कारण ₹ 105.72 करोड़ की अनुमति प्रदान न करना

एनडीएमसी ने टैरिफ नियत करने के लिए प्रशासनिक एवं सिविल इंजीनियरिंग विभाग खर्चों के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 से 2010-11 में निम्नलिखित राशियों का दावा किया। तथापि, डीईआरसी ने राशि प्रति वर्ष टैरिफ आदेश दिनाँक 2 नवम्बर, 2005 के अनुसार अर्थात् एमवाईटी आदेश शुरू होने से पहले ₹ 45.37 करोड़ निर्धारित थी तथा एनडीएमसी को बिजली के वितरण पर खर्च की गई सही राशि निकालने के लिए प्रत्येक क्रियाकलाप की पृच्थकृत राशि प्रस्तुत करने का निदेश दिया। यद्यपि एनडीएमसी अनुपालन हेतु हर वर्ष आश्वासन दे रही थी कि उपचय आधारित लेखाकरण के कार्यान्वयन के पश्चात् खण्ड-वार लेखे बनाए जाएंगे। तथापि उसे अभी तक नहीं किया गया है। परिणामत: विगत 4 वर्षों के दौरान, टैरिफ नियतन के लिए एनडीएमसी द्वार खर्च और यावित ₹ 105.72 करोड़ का व्यय डीईआरसी द्वारा अनुमत नहीं किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

तालिका 2.4

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	एनडीएमसी का व्यय	डीईआर द्वारा अनुमत राशि
2007-08	46.71	45.37
2008-09	78.02	45.37
2009-10	79.72	45.37
2010-11	82.75	45.37
जोड़	**287.20**	**181.48**
एनडीएमसी की हानि		**105.72 करोड़**

इस प्रकार, खण्ड-वार लेखे तैयार न करने के कारण, एनडीएमसी ने ₹ 105.72 करोड़ की हानि उठाई जो बिजली टैरिफ में वृद्धि के द्वारा वसूल क जा सकती थी।

विभाग ने यह मानते हुए (अगस्त-2013) कि लेखाओं का पृथक्करण ₹ 105.72 करोड़ अनुमत न करने का मुख्य कारण है, उसका आरोप लेखा विभाग पर लगाया।

2.3.3 डीईआरसी को योजना-वार पूँजीगत व्यय प्रस्तुत न करना

एनडीएमसी ने भार वृद्धि आवश्यकताओं को पूरा करने, ट्रांसफार्मरों, फीडर क्षमता के संवर्धन सभी स्तरों पर स्विचगियर और अन्य उपस्करों के प्रतिस्थापन के लिए डीईआरसी को सितम्बर, 2007 में पंच वर्षीय निवेश योजना प्रस्तुत की। डीईआरसी ने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित पूँजीगत निवेश योजना अनन्तिय रूप से अनुमोदित की:-

तालिका 2.5

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वि.व. 2007-08	वि.व. 2008-09	वि.व. 2009-10	वि.व. 2010-11	जोड़
पूँजीगत निवेश	81.60	228.64	174.88	109.82	594.94

निवेश का अनन्तिम रूप से अनुमोदन करते समय, डीईआरसी ने नियंत्रण अवधि (2008-11) के प्रत्येक वर्ष के दौरान किए जाने वाले पूँजीगत व्यय के लिए योजना-वार अनुमोदन प्राप्त करने के लिए तथा नियंत्रण अवधि के अन्त में प्रत्येक वर्ष के लिए पूँजीगत निवेश को सही ठहराने के लिए संबंधित तिमाही के एक महीने के अन्दर डीईआरसी द्वारा निर्धारित फार्मेट में वास्तविक पूँजीगत निवेश की तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एनडीएमसी को निदेश दिया।

डीईआरसी द्वारा जारी कई निदेशों के बावजूद, एनडीएमसी ने एमवाईटी अवधि (वि.व. 2008-11) में शुरू की गई पूँजीगत व्यय योजनाओं के लिए अनुमोदन नहीं लिया था। उक्त ब्यौरों की अनुपलब्धता के कारण आने वाले वर्षों में मूल्यह्रास की वास्तविक हानि का लेखापरीक्षा में परिकलन नहीं किया जा सका।

विभाग ने डीईआरसी को पूँजीगत व्यय के ब्यौरे प्रस्तुत न करने के लिए कोई विशिष्ट कारण बताए बिना, कहा (अगस्त-2013) कि वि.व. 2010-11 से तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) डीईआरसी को प्रस्तुत की जा रही है।

2.3.4 ओ एवं एम व्यय के संबंध में कार्यक्षमता संशोधन कारकों की पूर्ति न होना।

बहु वर्षीय टैरिफ आदेश (एमवाईटी वि.व. 08- वि.व.-12), पारित करते समय, डीईआरसी ने देखा कि एनडीएमसी की ओ एव एम लागत अन्य राज्यों में उसी प्रकार की शहरी वितरण कम्पनियों की तुलना में अधिक थी। यह एनडीएमसी के ₹ 0.80/ यूनिट की तुलना में सीपीडीसीएल के मामले में ₹ 2 प्रति यूनिट, बीईएससीओएम, ईपीडीसीएल, एसपीडीसीएल, एनपीडीसीएल टीपीएल सूरत, टीपीएल अहमदाबाद के मामले में ₹ 0.2/यूनिट से ₹ 0.3/यूनिट तथा एचईएससीओएम, जीईएससीओएम, एमईएससीओएम, बीईएसटी, आरईएल, सीईएससी के मामले में ₹ 0.3 से ₹ 0.65 प्रति यूनिट थी।

डीईआरसी का यह मत था कि एनडीएमसी को प्रणाली में दक्षता लाने का प्रयास करना चाहिए जिसमें दिल्ली के उपभोक्ताओं पर अदक्षताओं का बोझ कम हो। डीईआरसी को कोई नई पहल करने से पूर्व एनडीएमसी को एक समुचित लागत लाभ विश्लेषण करने का निदेश दिया। डीईआरसी ने ओ एवं एम कार्यों के बार-बार बदलते स्वरूप और नई प्रौद्योगिकियाँ चालू होने को ध्यान में रखते हुए एनडीएमसी से उसके निष्पादन में सुधार की उम्मीद की। डीईआरसी ने वि.व.-09, वि.व.-10 और वि.व.-11 के लिए क्रमशः 2%, 3% और 4% का क्षमता सुधार कारक निर्धारित किया। वि.व. 08 से वि.व. 11 के लिए एनडीएमसी द्वारा दावित तथा ट्रू-अप में डीईआरसी द्वारा अनुमोदित ओ एवं एम खर्चों की स्थिति निम्न प्रकार से है:

तालिका 2.6

(₹ करोड़ में)

विवरण	वि.व. 2008	वि.व. 2009	वि.व. 2010	वि.व. 2011
कर्मचारी लागत	48.71	50.42	101.78	68.70
आर एवं एम खर्चे	17.13	21.23	28.98	39.05
ए एवं जी खर्चे	11.93	12.55	13.14	13.75
कुल ओ एवं एम खर्चे	77.77	84.20	143.90	121.50
कार्यक्षमता सुधार		2%	3%	4%
निवत ओ एवं एम खर्चे		82.55	139.58	116.64
ट्रू-अप याचिकाओं में एनडीएमसी द्वारा दावित खर्चे	115.98	172.67	145.49	106.53
डीईआर द्वारा अनुमत न किए गए अधिक खर्चे	38.21	90.15	5.91	--

डीईआरसी ने अपने संबंधित आदेश में कहा है कि एनडीएमसी से ओ एवं एम खर्चों पर डीईआरसी द्वार जारी किसी निर्देश का पालन नहीं किया है और इसलिए उस सीमा तक व्यय का अनुमोदन किया है, जहाँ तक उसने 2008-11 के एमवाईटी आदेशों में पहले ही अनुमोदित किया था। ओ एवं एम खर्चों के प्रति ₹ 134.27 करोड़ का व्यय डीईआरसी द्वारा संबंधित ट्रू-अप में पहले तीन वर्षों (2007-08 से 2009-10) में लक्ष्य प्राप्त न करने के कारण अनुमत नहीं किया गया था। तथापि, वर्ष 2010-11 में, एनडीएमसी ने डीईआरसी द्वारा नियत सीमा तक अपने खर्चे रोके रखे।

कार्यक्षमता प्राचलों के संबंध में वि.व. 2010-11 के लिए अन्य राज्यों में उसी प्रकार की शहरी वितरण कम्पनियों के संबंध में प्रति यूनि बिक्री ओ एवं एम खर्चों (₹/यूनिट) का तुलनात्मक चार्ट नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया है।

वि. वर्ष 2010-11 के लिए बिक्री की कुल ओ एवं एम प्रति यूनिट

वितरण उपयोगिता

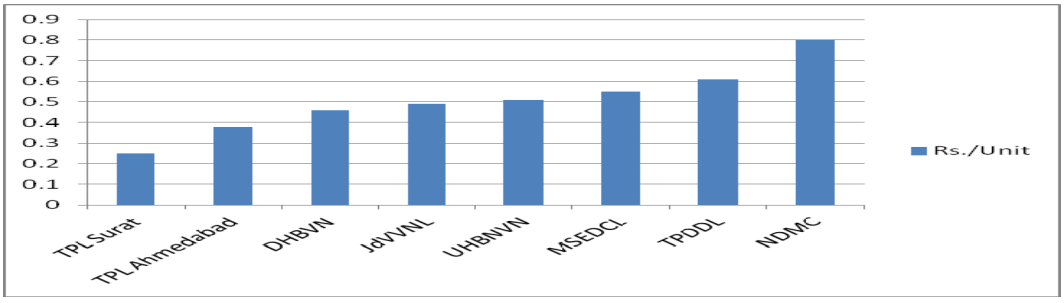

विभाग ने कहा (अगस्त-2013) कि ओ एवं एम खर्चों में कर्मचारी लागत आर एवं एम खर्चे तथा ए एवं जी खर्चे शामिल हैं। सभी तीनों प्राचल विद्युत विभाग से संबंधित हैं।

सिफारिश: ओ एवं एम लागत को घटाने के लिए उच्च प्राधिकारियों द्वारा उपचारी उपाय करने की आवश्यकता है।

2.3.5 फालतू बिजली की अप्रतिस्पर्धी दरों पर बिक्री

वर्ष 2010-11 के लिए ट्रू-अप को अन्तिम रूप देते समय, डीईआरसी ने देखा था कि औसत दर जिस पर वि.व. 2010-11 के दौरान याचिकाकर्ता (एनडीएमसी) द्वारा फालतू बिजली ₹ 2.94 प्रति यूनिट बेची थी जिसके प्रति दिल्ली में अन्य डिसकॉम कम्पनियों द्वारा प्राप्त बिजली की बिक्री की औसत दर बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड (बीआरपीएल) के संबंध में ₹ 3.21 प्रतिशत तथा बीएसईएस यमुना पॉवर लिमिटेड (बीवाईपीएल) के संबंध में ₹ 3.54 प्रतिशत थी।

फालतू बिजली की बिक्री के लिए एनडीएमसी ने जनवरी, 2008 से पीटीसी इण्डिया लि. के साथ एक करार किया था। इस करार के अन्तर्गत बिक्री के लिए संभावित बिजली की अस्थायी मात्रा पीटीसी (इण्डिया) को ''निश्चित आधार पर'' तथा ''आगे आने वाले दिनों के आधार पर'' सूचित की जाती है। आने वाले दिनों के आधार पर, एनडीएमसी के पीटीसी को ऊर्जा की बिक्री की संभावना तथा बिक्री थी बाऊंड्री हालत के बारे में बताती है। बिक्री प्रतिस्पर्धी आधार पर की जाती है तथापि, ऊर्जा की कोई मात्रा, जो ऊपर निर्धारित नहीं है, अनिर्धारित इंटरचेंज (यूआई) के माध्यम से बेची जाती है। इस प्रणाली के अन्तर्गत बिक्री मूल्य प्रतिस्पर्धी नहीं होता तथा उसका डीटीएल द्वारा वास्तविक समय पर ही निर्णय लिया जाता है। वास्तविक समय पर यूआई बिक्री की अधिक मात्रा बाजार कारकों पर निर्भर करते हुए अनिश्चित मूल्य पर ऊर्जा की बिक्री की जा सकती है जिसका परिणामस्वरूप बोली के माध्यम से उगाहे गए मूल्य की तुलना में उच्च दरों पर राजस्व की उगाही होती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 76.83 करोड़ मूल्य की फालतू बिक्री अप्रतिस्पर्धी दरों (यूआई) पर बेची गई थी।

विभाग ने कहा (दिसम्बर-2012) कि इस बात के लिए हर सम्भव कार्रवाई की जाती है कि यूआई को कोई बिजली न जाए। परन्तु एनडीएमसी क्षेत्र के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए किसी भी सृजन स्टेशन की अप्रत्याशित आऊटेज का सामना करने के लिए लगभग 30 मे.वा. का सुरक्षा मार्जिन हाथ में रखा जाता है। विभाग ने यह भी कहा (अगस्त-2013) कि अन्य दिल्ली डिस्कॉम्ज द्वारा बेची गई औसत फालतू बिजली के साथ तुलना करने के बाद एनडीएमसी की फालतू बिजली की बिक्री अप्रतिस्पर्धी दरों पर प्रतीत होती है। चूँकि पीटीसी एनडीएमसी की ओर से बोली लगाती है, अत: पीटीसी को अनुदेश जारी करने के अतिरिक्त, विद्युत विभाग ने निजी डिस्कॉम्ज के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए विद्युत विभाग को मजबूत करने की भी सिफारिश की।

तथ्य यह है कि वर्ष 2011-12 के दौरान, फालतू बिजली की बड़ी मात्रा अप्रतिसर्धी दरों पर बेची गई थी जिससे भविष्य में बचा जाना चाहिए।

2.3.6 बिजली की खरीद के बिलों की जांच न करना।

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान, ऊर्जा की खरीद हेतु विद्युत सृजन कम्पनियों को ₹ 3562.95 करोड़ की राशि के भुगतान किए गए थे। भुगतान के अभिलेखों की जांच से पता चला कि विद्युत सृजन कम्पनियों से प्राप्त बिलों का भुगतान बिना जांच के किया जा रहा था। बिलों के भुगतान उनके तत्काल भुगतान करने पर छूट प्राप्त करने के तर्क पर उसी दिन ही पारित किए जा रहे थे। बिलों को पारित करते समय, टैरिफ योजना की शुद्धता तथा क्षेत्रीय, ऊर्जा लेखाओं (आरईए) को ध्यान में नहीं रखा जा रहा था।

यह भी देखा गया था कि विद्युत जनरेलाइजिंग कम्पनियों के साथ किए गए करार के अनुसार, बिलों में त्रुटि, यदि कोई हो तो उसे बिलों की प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर बताना होगा।

विभाग ने ऊर्जा की खरीद हेतु बिलों की जांच न करने के तथ्य को स्वीकार किया (अगस्त-2013) और सहमति व्यक्त की कि बिलों की जांच की प्रणाली को लेखापरीक्षा द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार मजबूत करने की आवश्यकता है।

2.3.7 कनेक्शन काटने के मामलों में ₹ 42.59 करोड़ का बकाया।

दिल्ली विद्युत इलेक्ट्रिक कोड एवं निष्पादन मानदण्य विनियम, 2007 के पैरा 49 और 50 के अनुसार, लाइसेंसधारी देय राशि का भुगतान न करने वाले उपभोक्ता को लिखित में कनेक्शन काटने का नोटिस जारी कर सकता है जिसमें उसे देय राशि का भुगतान करने लिए पन्द्रह स्पष्ट दिन दिए जाते हैं, उसके पश्चात्, लाइसेंसधारी उक्त नोटिस की अवधि समाप्त होने पर सर्विस लाईन/ मीटर हटा कर अथवा जैसा वह उपयुक्त समझे उपभोक्ता के प्रतिष्ठापन को काट सकता है। यदि उपभोक्ता कनेक्शन काटने के छः महीने के अन्दर भुगतान नहीं करता, तो ऐसे कनेक्शनों को निष्क्रिय कनेक्शन माना जाएगा। लाइसेंसधारी को उक्त उपभोक्ताओं के काटे गए कनेक्शनों को अप्राधिकृत रूप से फिर से जोड़ने से रोकने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।

यह देखा गया था कि विभाग ने 15,545 बिजली और पानी के कनेक्शन काटे थे जिनके प्रति मार्च 2012 तक ₹ 56.27 करोड़ के बकाया थे जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

तालिका 2.7 **(राशि ₹ में)**

वर्ष	उपभोक्ता			बकाया		
	बिजली	पानी	जोड़	बिजली	पानी	जोड़
मार्च 2007 तक	8817	4342	13159	165305157	224304792	389609949
2007-08	418	144	562	9565595	16510945	26076540
2008-09	248	99	347	8454248	1769610	10223858
2009-10	274	125	399	21075363	20393496	41468859
2010-11	371	142	513	13395727	22049527	35445254
2011-12	419	146	565	57871813	2026011	59897824
कुल जोड़	**10547**	**4998**	**15545**	**275667903**	**287054381**	**562722284**

13159 मामलों में, ₹ 38.96 करोड़ के बकाया की राशि बहुत पुरानी अवधि अर्थात मार्च, 2007 से पहले से संबंधित है। यह देखा गया था कि ₹ 56.27 करोड़ के कुल बकाया में से ₹ 42.59 करोड़ तीन वर्ष से अधिक से बकाया थे। इसके अतिरिक्त विभाग ने इस बात का पता लगाने के लिए कि उपभोक्ताओं ने कहीं अप्राधिकृत रूप से कनेक्शन फिर से तो नहीं जोड़ लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया था।

विभाग ने कहा (अगस्त-2013) कि वाणिज्यिक विभाग का बिल अनुभाग दोषी उपभोक्ताओं को नोटिस/कनेक्शन काटने के आदेश जारी करने के इमानदारी से प्रयास करता है और सी एवं डी शाखा कनेक्शन काटती है। कुल बकाया का मुख्य भाग सरकारी विभागों जैसे उत्तर रेलवे, गेरिसन इंजीनियर आदि से संबंधित है। मामला उच्च स्तर पर पत्राचार बैठकों के माध्यम से प्रक्रियाधीन है।

विभाग को बिजली और पानी के काटे हुए कनेक्शनों के संबंध में लम्बे समय से बकाया राशि को वसूल करने के सभी सम्भव प्रयास करने चाहिए।

2.3.8 फालतू बिजली की बिक्री के प्रति दिल्ली आधारित डिस्काम्ज़ से ₹ 42.36 करोड़ की वसूली न करना।

दिल्ली की विभिन्न विद्युत वितरण कम्पनियों से फालतू बिजली की बिक्री के प्रति ₹ 52.83 करोड़ की राशि बकाया थी जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 2.8

क्र.सं.	डिस्काम का नाम	बकाया राशि (₹)	अवधि
1	एमईएस	6,90,510	2009-10 to 2011-12
2	नार्थ दिल्ली पॉवर लि. (एनसीपीएल)	2,72,96,792	2011-12
3	बीएसईएस यमुना पॉवर लि. (बीवाईपीएल)	1,46,49,164	2008-09 to 2011-12
4	बीएसईएस राजधानी पॉवर लि.	9,67,54,235	2009-10 to 2011-12
5	डीटीएल (यूआई प्रभार)	38,71,23,717	2011-12
6	डीटीएल (रिएक्टिव ऊर्जा)	18,31,086	2011-12
	जोड़	**52,83,45,504**	

इसे बताने पर, विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त-2013) कि दिल्ली आधारित वितरण कम्पनियों से प्राप्त 31 मार्च 2013 को कुल बकाया राशि अब घट कर 42,36,21,430 हो गई है।

विभाग को इन कम्पनियों के लेखाओं के निपटान हेतु समुचित कार्रवाई करनी चाहिए।

2.3.9 जल प्रभारों के संग्रहण में दक्षता

निम्न तालिका विगत पांच वर्षो के लिए विभिन्न उपभोक्ताओं के प्रति की गई मांग के प्रति जल प्रभारों के संग्रहण में विभाग की कार्यक्षमता को दर्शाती है।

तालिका 2.9

(राशि ₹ में)

वित्तीय वर्ष	की गई पानी की माँग	पानी या प्राप्त भुगतान	कम वसूला गया भुगतान	संग्रहण कार्यक्षमता %
2007-08	47,94,69,604	20,39,92,956	27,54,76,648	42.55
2008-09	48,72,20,430	22,49,72,476	26,22,47,954	46.17
2009-10	77,64,37,004	45,10,16,356	32,54,20,648	58.09
2010-11	121,12,25,815	81,23,63,057	39,88,62,758	67.07
2011-12	186,28,70,576	159,09,97,910	27,18,72,666	85.41

विभाग ने सहमति व्यक्त की (अगस्त-2013) कि 2007-08 से 2011-12 तक जल-प्रभारों के संबंध में कार्यक्षमता बहुत कम थी। तथापि, वर्ष 2011-12 से, संग्रहण क्षमता ने पर्याप्त मात्रा में ऊर्ध्वगामी प्रवृति दर्शाई। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान की गई ₹ 162 करोड़ की पानी की मांग के प्रति, ₹ 154 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया गया है जिससे संग्रहण कार्यक्षता लगभग 95% प्राप्त हो गई है।

2.3.10 ऊर्जा की चोरी/उठाईगिरी के कारण राजस्व की हानि- उपभोक्ता के प्रतिष्ठापन के प्रति प्रभारी जांच

दिल्ली विद्युत आपूर्ति कोड एवं निष्पादन विनियम 2007 के पैरा 52 के प्रावधानों के अनुसार, एक प्राधिकृत अधिकारी बिजली की चोरी के संबंध में विश्वसनीय सूचना की प्राप्ति पर अथवा ज्यों का त्यों उस परिसर का निरीक्षण करेगा। नियमित उपस्करों की नियमित जांच, उपभोक्ताओं के कनेक्ट किए गए भार की आवधिक जांच तथा उप-स्टेशनों से भेजी गई ऊर्जा तथा उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई तथा मीटर्ड ऊर्जा के बीच अन्तर दर्शाने वाले फीडर-वार ऊर्जा लेखा को तैयार करना ऊर्जा की चोरी का पता लगाने के सामान्य साधन है।

इसके अतिरिक्त, दिल्ली विद्युत अधिनियम की धारा-135 के प्रावधानों के अनुसार, बिजली की सीधी चोरी के मामले में, लाइसेंसधारी आपूर्ति काट देगा तथा परिसर से सभी भौतिक साक्ष्य आदि पकड़ लेगा तथा निरीक्षण की तारीख से दो दिन के अन्दर विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय में उपभोक्ता के विरूद्ध मामला दायर करेगा।

विभाग ने सूचित किया कि उसने प्राप्त शिकायतों के आधार पर अप्रैल 2007 से मार्च 2012 तक की अवधि के दौरान केवल 18 मामले बुक किए। इन 18 मामलों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि इन प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया गया था। 18 मामलों में से 13 में ₹ 4.70 लाख के ऊर्जा उपभोग का कम निर्धारण देखा गया था। **(अनुबंध-ओ)।** निर्दिष्ट न्यायालय में मामले दायर करने की कोई प्रथा विद्यमान नहीं थी। विभाग ने सूचित किया कि उनकी उपभोक्ताों से वसूली करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही थी।

*विभाग ने कहा (अगस्त-2013) कि दिल्ली विद्युत आपूर्ति कोड एवं निष्पादन विनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकृत अधिकारी अपने आप निरीक्षण कर सकते हैं परन्तु विशिष्ट विवरण/सूचना विकसित करनी पड़ेगी जो तभी की जा सकती है जब सभी उपभोक्ताओं की रीडिंग सीएमआरआई की सहायता से शुरू कर दी जाए। मीटरों की छेड़छाड़, एमडीआई आदि के संदर्भ में डॉटा की डाऊनलोडिंग को सरल बनाने के लिए सभी उपभोक्ताओं को इस नेटवर्क में लाने के लिए जो प्रवर्तन विभाग द्वारा छापा मारने के लिए आधार दस्तावेज के लिए प्रयोग किए जाएंगे तथा विभाग को डाऊनलोड किए गए डॉटा की आवधिक जांच के लिए एक केन्द्र विकसित करना है। तब तक विभाग सूचना एकत्र करने के लिए तथा विभाग पर छापा मारने के लिए अन्य स्त्रोतों पर निर्भर था। चोरी के मामलों की बुकिंग के लिए, डीईआरसी विनियम, 2007 के अनुसार सभी दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है तथा पहली अवस्था पर दोषी को विनियमों के **अनुबंध-8** के अनुसार परिकलित कम्पाऊंडिंग प्रभारों का भुगतान करने का अवसर प्रदान किया जाता है। यदि, दोषी भुगतान नहीं कर पाता अथवा भुगतान के लिए मना करता है तो केवल तभी एफआईआर दाखिल की जाती है। लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए अलग-अलग मामलों की विस्तृत जांच की जा रही है तथा परिणाम अलग से सूचित किए जाएंगे।*

विभाग को बिजली की चोरी की जांच की प्रणाली विकसित करनी चाहिए तथा लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए 18 विशिष्ट मामलों के संबंध में जांच टिप्पणी भी प्रस्तुत करनी चाहिए।

2.3.11 बिजली के अप्राधिकृत प्रयोग (दुरूपयोग) के मामलों में ₹ 84.36 लाख का कम उद्ग्रहण

दिल्ली विद्युत आपूर्ति कोड एवं निष्पादन मानदण्ड विनियम, 2007 के विनियम 59 के अनुसार, जहां यह स्थापित है कि बिजली के अप्राधिकृत प्रयोग का मामला है, लाइसेंसधारी घरेलू तथा कृषि कनेक्शनों के लिए पिछले तीन महीने, तथा अन्य श्रेणियों के लिए पिछले छः महीनों के लिए **अनुबंध-13** में दिए गए निर्धारण फार्मूले के अनुसार ऊर्जा उपभोग का निर्धारण करेगा तथा लागू टैरिफ से 1.5 गुणा दरों पर अन्तिम निर्धारण बिल बनाएगा तथा समुचित प्राप्ति के अन्तर्गत उसे उपभोक्ता को भेजेगा। लाइसेंसधारी, उपभोक्ता की वित्तीय स्थिति तथा अन्य शर्तों को ध्यान में रखते हुए, भुगतान की अन्तिम तारीख बढ़ाएगा अथवा किए जाने वाले भुगतान का किश्तों में भुगतान अनुमोदित करेगा। राशि, बढ़ाई गई अन्तिम तारीख तथा/अथवा भुगतान/किश्तों का समय कार्यक्रम स्पष्ट रूप से वक्तता-क्रम के आदेश में उल्लिखित किया जाएगा। वक्तता-आदेश की एक प्रति समुचित प्राप्ति लेकर उपभोक्ता को सौंपी जाएगी। इसके अतिरिक्त, दिल्ली विद्युत आपूर्ति कोड एवं निष्पादन मानदण्ड विनियम, 2007 के विनियम 61 (iii) के अनुसार, बिजली के अप्राधिकृत उपयोग के प्रति प्रभारों का उद्ग्रहण तब तक जारी रहेगा जब तक उद्ग्रहण का कारण हटा नहीं दिया जाता तथा लाइसेंसधारी द्वारा विनियम 58 में निर्धारित पद्धति के अनुसार लाइसेंसधारी द्वारा स्थापित नहीं कर दिया जाता।

17 मामलों में, यह देखा गया था कि यद्यपि दुरुपयोग प्रभार 8 मामलों में उद्ग्रहीत किए गए थे, तथापि वे निर्धारित पद्धति के अनुसार नहीं थे। दुरुपयोग प्रभारों का उद्ग्रहण **अनुबंध-13** में दिए गए निर्धारण फामुले के

अनुसार ऊर्जा उपभोग का निर्धारण किए बिना किया गया था। इन 8 मामलों में फार्मुले के अनुसार निर्धारण न करने के कारण, विभाग ने ₹ 84.36 लाख तक दुरूपयोग प्रभारों का कम उद्ग्रहण किया जिनका विवरण **अनुबंध-पी** में दिया गया है।

*विभाग 2007-08 से 2011-12 तक दुरुपयोग प्रभारों, की फिर से गणना के लिए सहमत हो गया (अगस्त-2013) तथा अन्तर, यदि कोई हो, भुगतान करने के लिए उपभोक्ताओं को सम्प्रेषित कर दिया जाएगा। विभाग ने एसओपी के **अनुबंध-13** में दिए गए फार्मुले के अनुसार ही भविष्य में निर्धारण करने का आश्वासन दिया।*

2.3.12 कनेक्शन काटने के आदेशों का पालन न करना

दिल्ली विद्युत आपूर्ति कोड एवं निष्पादन मानदण्ड विनियम, 2007 के पैरा 49(i) के अनुसार, लाइसेंसधारी प्राप्य राशियों के भुगतान में चूक करने वाले उपभोक्ताओं को राशि का भुगतान करने के लिए पन्द्रह स्पष्ट दिन देते हुए, अधिनियम, की धारा 56 के अनुसार, लिखित में कनेक्शन काटने का नोटिस दे सकता है। उसके पश्चात् लाइसेंसधारी उक्त नोटिस अवधि की समाप्ति पर सर्विस लाईन/मीटर को हटा कर अथवा जैसा वह उचित समझे उपभोक्ता का प्रतिष्ठापन काट सकता है। यदि उपभोक्ता कनेक्शन काटने की तारीख से छः महीने के अन्दर भुगतान नहीं करता तो उस कनेक्शन को डॉर्मेन्ट (निष्क्रिय) कनेक्शन माना जाएगा।

अभिलेख की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया था कि विभाग उपभोक्ताओं के प्रति कनेक्शन काटने के आदेशों का दक्षतापूर्वक लागू करने में विफल रहा। 2009-10 से कनेक्शन काटने के 11393 आदेशों में से, 1987 मामलों में भुगतान प्राप्त हुए थे तथा 9022 मामलों (79%) का शेष छोड़ते हुए जहाँ कनेक्शन नहीं काटे गए थे केवल 384 मामलों में ही कनेक्शन काटने के आदेश लागू किए गए थे।

विभाग ने (अगस्त-2013) को बिजली के कनेक्शन काटने में विलम्ब का कारण स्टाफ की कमी तथा सी एवं डी शाखा में तकनीकी अधिकारियों का अभाव बताया। यह भी कहा गया था कि अब तक स्टाफ की अन्य श्रेणियाँ सी एवं डी के साथ तैनात करके तथा स्टाफ को अतिरिक्त समय लगाने के लिए कह कर विलाम्बिता पूर्णतः समाप्त कर दी गई है। तथापि, विभाग ने पानी के कनेक्शन काटने में अपनी अक्षमता प्रकट की।

विभाग को एक प्रभावी प्रणाली के माध्यम से कनेक्शन काटने के आदेश लागू करने के लिए उपचारी उपाय करने के उपाय करने चाहिए।

2.3.13 उपभोक्ताओं द्वारा कनेक्शन काटने के अप्राधिकृत पुनरूद्धार की जांच करने के लिए अपर्याप्त तन्त्र

दिल्ली विद्युत आपूर्ति कोड एवं निष्पादन मानदण्ड, 2007 के विनियम 49(ii) के अनुसार, यदि लाइअसेंसधारी यह खोजता है कि जिस परिसर में आपूर्ति का कनेक्शन काटा गया था, दूसरे लाईव कनेक्शन से जोड़ दिया गया है, तो उक्त लाईव कनेक्शन के पंजीकृत उपभोक्ता/उपयोक्ता को उक्त अवैध आपूर्ति को तत्काल रोकने का नोटिस दिया जाएगा जिसमें विफल रहने पर काटे गए कनेक्शन की लम्बित राशि उसके लेखे में अन्तरित कर दी जाएगी।

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान, 15445 कनेक्शन (10547- बिजली और 4998- पानी) काट दिए गए थे। नमूना-जांच के 120 मामलों में विभाग ने अधिशासी अभियंता (वाणिज्यिक) को केवल जांच मामलों में और वह भी कनेक्शन काटने से 3 से 11 वर्ष की अवधि के पश्चात् यह पता लगाने के लिए कि उपभोक्ता, परिसर में बिजली/पानी के बिना कैसे रह रहा है स्थल का निरीक्षण कराने का अनुरोध किया।

2.3.14 उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित रूचिकर मामले देखे गए थेः-

i) **अस्थायी कनेक्शन के प्रति बकाया बिजली प्रभारों की वसूली न करना।**

निर्याण के उद्देश्य के मैसर्स त्रिमूर्ति निर्माण डेवेलपर्ज एण्ड बिल्डर्ज को एमईए यात्री छात्रावास, 1 केनिंग लेन पर जुलाई 2007 में एक अस्थायी कनेक्शन संस्वीकृत किया गया था। उपभोक्ता ने बिजली प्रभारों के लिए 26 अप्रैल 2008 को केवल एक बार ₹ 28.445 का भुगतान किया और उसके पश्चात् कनेक्शन करने तक (जून-2010) उसने कोई भुगतान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप कनेक्शन काटने की तारीख तक ₹ 4.69 लाख का भुगतान नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अस्थायी कनेक्शन लेते समय उपभोक्ता द्वारा विदेश मंत्रालय से एक आश्वासन प्रस्तुत किया गया था। उसे लागू नहीं किया जा सका क्योंकि वह खराब और अधूरा पाया गया था। आखिरकार, विभाग ना तो उपभोक्ता के पता-ठिकाने का पता लगा सका और ना ही एमईए से प्राप्त राशि की वसूली कर सका।

(ii) श्री वेद प्रकाश निवासी 72, जनपथ, नई दिल्ली जिनका उपभोक्ता संख्या पी-1111-229-1051341 है, से ₹ 2.24 लाख के बकाया बिजली प्रभार वसूल न करना।

परिसर 72, जनपथ, नई दिल्ली में श्री वेद प्रकाश के नाम से बिजली के दो कनेक्शन थे। एक-संख्या पी-1111-229-1051341 बकाया का भुगतान न करने के कारण 5 दिसम्बर, 2007 को काट दिया गया था। दूसरा-संख्या पी-1111-246-1954517 (के-64713 एल/सी) वाला लाईव बिजली कनेक्शन लम्बित राशि का भुगतान किए बिना बिल संख्या पी-1111-246-1969895 (के 64713 एल/सी) के अन्तर्गत राणे प्रकाश, राजीव प्रकाश एवं रोमा तनेजा नामक उपभोक्ता को अन्तरित कर दिया गया था। उपभोक्ता को कनेक्शन संख्या पी-1111-229-1051341 के संबंध में ₹ 2.24 लाख की राशि जमा करने का अनुरोध किया गया था परन्तु उपभोक्ता द्वारा मांग नोटिस स्वीकार नहीं किया गया था। इस प्रकार बकाया राशि को जमा कराए बिना कनेक्शन के ट्रांसफर की कार्रवाई के परिणामस्वरूप ₹ 2.24 लाख की वसूली लम्बित हुई।

iii) डीईआरसी के समक्ष टैरिफ याचिका फाईल करने से संबंधित अभिलेख का अनुरक्षण न करना।

एनडीएमसी ने वित्त वर्ष-2008 से वित्त वर्ष-2011 की नियंत्रण अवधि के लिए रीटेल आपूर्ति टैरिफ के निर्धारण तथा सकल राजस्व मांग के अनुमोदन के लिए डीईआरसी के समक्ष 1 नवम्बर, 2007 को अपनी याचिका दायर की। उसी प्रकार, एनडीएमसी द्वारा वित्त वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के लिए अनियंत्रण योग्य खर्चों के ट्रू-अप के लिए क्रमशः 2 जनवरी 2009, 15 दिसम्बर 2009, 10 मार्च 2011 तथा 21, फरवरी 2012 को याचिकाएँ दर्ज की गई थीं।

लेखापरीक्षा द्वारा 2007-08 से 2011-12 की अवधि के लिए टैरिफ याचिकाओं की प्रोसेसिंग उनकी डीईआरसी के पास से संबंधित अभिलेख वाणिज्यिक विभाग अथवा विद्युत विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

विभाग ने कहा (अगस्त-2013) कि मानव-शक्ति तथा स्थान की उपलब्धता के अभाव में, एआरआर से संबंधित सभी अभिलेख रखना सम्भव नहीं है तथा भावी संदर्भ के लिए केवल डीईआरसी आदेशों की प्रतियां अभिलेख में रखी जाती हैं।

iv) जेजे समूह के संबंध में परिषद् प्रस्ताव सं. 12 (बी-85) दिनाँक 3 मार्च, 2005 के प्रावधान लागू न करना।

एनडीएमसी क्षेत्र में जे.जे. समूह को अस्थायी आधार पर बिजली के कनेक्शन देने की योजना परिषद् के प्रस्ताव संख्या 12 (बी-85) दिनाँक 3 मार्च 2005 के द्वारा समाधान कर दिया गया था। यह निश्चय कर लिया गया था कि प्रत्येक उपभोक्ता निम्नलिखित शर्तों के आधार पर विद्युतिकरण (एक बार) की लागत के प्रति ₹ 600 का प्रतिभूति जमा (वापसी योग्य) पर ₹ 350 का तथा ऊर्जा प्रभारों के प्रति ₹ 175 प्रति मास का भुगतान करेगा।

(क) एनडीएमसी भूमि पर स्थित सभी जे.जे समूह छः महीने के अन्दर फिर से स्थापित कर दिए जाने चाहिएं तथा परियोजना, जिसके लिए भूमि आबंटित की गई थी, पर कार्य उसी वर्ष के अन्दर शुरू हो जाना चाहिए।

(ख) कनेक्शन अलग-अलग झुग्गी को जिसकी संख्या की प्रवर्तन विभाग द्वारा भी जांच की जाएगी, को दिया जाएगा।

(ग) प्रवर्तन विभाग एनडीएमसी को स्लम मुक्त बनाने के लिए जे.जे. समूह पुनः स्थापन की प्रक्रिया का तेजी से अनुसरण करेगा।

(घ) कनेक्शन, दो बिलों का भुगतान न करने के बाद काट दिया जाएगा तथा ₹ 350 प्रति कनेक्शन का उपभोग जमा (प्रतिभूति जमा) ऊर्जा प्रभारों के प्रति समायोजित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा (दिसम्बर, 2012) कि 18 समूहों के प्रति ₹ 45.59 लाख की राशि बकाया थीं।

विभाग ने कहा (अगस्त-2013) कि कनेक्शन व्यक्ति को कनेक्शन देने के लिए वाणिज्यिक विभाग को सक्षम बनाने के लिए प्रवर्तन विभाग द्वारा सत्यापित सूची के अनुसार देने होते हैं तथा ये कनेक्शन बिना मीटरों के होते हैं। इन परिसम्पत्तियों के अन्तर्गत भुगतान न होने की दशा में, कनेक्शन काटने के आदेश कनेक्शन काटने के लिए संबंधित वितरण मंडल को भेजे जाते हैं परन्तु ऐसा अभी तक नहीं किया गया है।

अध्याय-3

कार्मिक विभाग

एनडीएमसी में मानव प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

3.1 प्रस्तावना

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एनडीएमसी) जो मई 1994 में अस्तित्व में आई अपने प्रशासनिक कार्य तथा सड़कों, भवनों, सफाई, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं आदि से संबंधित कार्य करती है। इन कार्यों को करने के लिए उसके 28 विभाग हैं।

3.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र, उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली

3.2.1 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

इस लेखापरीक्षा में 2007-08 से 2011-12 के पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रतिमानों की समीक्षा, पांच विभागों (सुरक्षा, अग्निशमन, सफाई शिक्षा तथा बागबानी विभागों) तथा सिविल एवं विद्युत इंजीनियरिंग विभागों (बीएम-1 तथा सी-3 (सिविल एवं विद्युत मंडल) में कार्मिकों की भर्ती/ नियुक्ति/करियर विकास/पदोन्नति/प्रशिक्षण से संबंधित नीतियों एवं पद्धतियों की वास्तविक कार्यप्रणाली शामिल है।

चयनित विभागों- अग्नि-शमन, सुरक्षा, बागबानी, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा में नियमित स्टाफ के अतिरिक्त पर्याप्त संख्या में दैनिक-भोगी/नामावली कर्मचारी है। 31 मार्च 2012 को एनडीएमसी के स्टाफ की समग्र वास्तविक संख्या दैनिक भोगी/नामावली कर्मचारियों को छोड़कर 16843 थी; जिसमें से 12693 कर्मचारी नियमित तथा 877 ठेके पर थे। 2007-12 के दौरान काम पर लगाए गए दैनिक भोगियों तथा उन पर किए गए व्यय के ब्यौरे निम्न प्रकार से थे:-

तालिका 3.1 काम पर लगाए गए दैनिक भोगी मज़दूरों और उन पर किए गए व्यय के ब्यौरे

(व्यय ₹ लाख में)

वर्ष	बागबानी		सार्वजनिक स्वास्थ्य		शिक्षा		अग्निशमन		सुरक्षा	
	दैनिक मज़दूरों की संख्या	वास्तविक व्यय	दैनिक मज़दूरों की संख्या	वास्तविक व्यय	दैनिक मज़दूरों की संख्या	वास्तविक व्यय	दैनिक मज़दूरों की संख्या	वास्तविक व्यय	दैनिक मज़दूरों की संख्या	वास्तविक व्यय
2007-08	150	66.31	993	270.12	58	22.99	15	13.84	16	6.22
2008-09	300	166.98	1148	160.20	27	14.23	44	24.99	16	6.69
2009-10	380	238.71	855	361.67	42	24.13	81	57.80	29	10.69
2010-11	655	515.39	907	373.48	52	37.70	203	91.57	29	17.32
2011-12	480	535.97	785	490.67	21	16.56	226	118.78	52	21.13

3.2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य इन बातों का निर्धारण करना था कि क्या:-

(i) मानवशक्ति की मांग अनुभविक अध्ययन के आधार पर क्रमबद्ध ढंग से निर्धारित की गई थी।

(ii) सभी संवर्गों के लिए भर्ती नियम, लागू संहितिक प्रावधानों के अनुसार ही बनाए, अनुमोदित और अनुसूचित किए गए तथा उनकी समय-समय पर समीक्षा और संशोधन किया गया था।

(iii) जॉब प्रोफाईल के आधार पर भर्ती नियमों को शामिल करते हुए विभिन्न संवर्गों के लिए एक सुनियोजित भर्ती नीति विद्यमान थी तथा इस नीति का भर्ती के सभी मामलों में एकरूपता से कार्यान्वयन किया जा रहा था।

(iv) सक्षम प्राधिकारी से विधिवत अनुमोदित पारदर्शी तथा मानकीकृत भर्ती पद्धति का बिना किसी विचलन के अनुसरण किया जा रहा था।

(v) आकस्मिक श्रमिकों के संबंध की गई सभी नियुक्तियाँ तथा उन्हें किए गए भुगतान सक्षम प्राधिकारी की वैध संस्वीकृति के द्वारा विधिवत समर्थित थे।

(vi) मानवशक्ति की तैनाती अनुमोदित कार्य प्रतिमानों के अनुसार की गई थी।

(vii) उपस्थिति दर्ज करने उपस्थिति तथा सेवा अभिलेख अनुरक्षित करने की एक कड़ी और जांच-योग प्रणाली विद्यमान थी और कार्य कर रही थी।

(viii) विभाग ने प्रशिक्षण, संगोष्ठिथों, कार्यशालाओं, आदि के माध्यम से अपने कर्मचारियों का कौशल बढ़ाने की प्रणाली लागू की थी।

(ix) पर्याप्त और प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण और प्रबंधन नियंत्रण विद्यमान और लागू थे।

3.2.3 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

मानवशक्ति की समीक्षा, चयनित विभागों तथा संबंधित स्थापनाओं के अध्यक्षों एवं संबंधित मंडलों के अधिशासी अभियंताओं के साथ एंट्री कान्फ्रेंसों से शुरू हुई। लेखापरीक्षा ने संबंधित स्थापनाओं से नियमित स्टाफ के संबंध में अपेक्षित सूचना एकत्र की। एनडीएमसी की कार्यचालन पद संख्या के लिए कम्प्यूटर बिलिंग अनुभाग से भी आंकड़े एकत्र किए गए थे। दैनिक भोगी श्रमिकों के संबंध में, उनकी नियुक्ति तथा बजट प्रावधान से संबंधित अपेक्षित सूचना संबंधित विभागों से एकत्र की गई थी। लेखापरीक्षा की समाप्ति पर विभागों/स्थापनाओं/मंडलों के संबंधित अध्यक्षों के साथ एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें ड्राफ्ट लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई थी।

3.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.3.1 विभागों की संस्वीकृत पद-संख्या की समीक्षा न करना।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा 'मानित उन्मूलित' श्रेणी विद्युत के अन्तर्गत 'रिक्तियों के पुनरूद्धार/भरने' के संबंध में का.ज्ञा.सं. 2(1)/ई.एम.1/2003 दिनाँक 09.09.2003 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आस्थगित रखा गया अथवा एक वर्ष अथवा अधिक तक न भरा गया कोई पद, समाप्त मान लिया जाएगा।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि विभागों ने रोस्टरों का अनुरक्षण न करने/उनके अनुचित अनुरक्षण, विभिन्न संवंर्गों के भर्ती नियमों को अन्तिम रूप न देने/उनके संशोधन के कारण नियमित आधार पर अपनी विद्यमान रिक्तियों की समीक्षा नहीं की और वे एनडीएमसी अधिनियम 1994 की धारा 42, अर्थात डीएसएसएसबी/यूपीएसी के अन्तर्गत प्राधिकृत एजेंसियों के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा रिक्त पदों को भरने में विफल रहे जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

तालिका 3.2 विलम्ब/भर्ती न करने के कारणों सहित सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले खाली पद

विभाग/पद का नाम	रिक्त पदों की रेंज	रिक्ति की अवधि	विलम्ब/भर्ती न करना	विलम्ब/भर्ती न करने के कारण
शिक्षा				
टीजीटी (एमआईएल)	20 से 23	दिसम्बर 2008 से मार्च 2013	3 वर्ष	भर्ती नियमों को अन्तिम रूप न देना
पीईटी	11 से 27	दिसम्बर 2007 से सितम्बर 2012	4 वर्ष	रोस्टर को अन्तिम रूप न देना
टीजीटी (संगीत)	02	सितम्बर 2004 से मार्च 2010	5 ½ वर्ष	डीएसएसएसबी के साथ मामलों का अनुसरण न करना।
टीजीटी (ड्राइंग)	05	नवम्बर 2004 से जून 2009	4 वर्ष, 7 महीने	-वही-
सहायक अध्यापक (उर्दू)	10	नवम्बर 2006 से दिसम्बर 2012	6 वर्ष, 8 महीने	-वही-
मुख्य स्थापना				
लिपिकीय सहायता	34 से 61	नवम्बर 2007 से दिसम्बर 2012	5 वर्ष, 1 महीना	डीएसएसएसबी को स्पष्टी-करण भेजने में विलम्ब
बागबानी				
सहायक निदेशक	01 से 02	अगस्त 2008 से दिसम्बर 2012	3 वर्ष, 5 महीने	डीएसएसएसबी को न भेजी गई मांग
अनुभाग अधिकारी	08 से 15	अप्रैल 2006 से दिसम्बर 2012	6 वर्ष, 9 महीने	भर्ती नियमों का संशोधन न करना तथा डीएसएसएसबी को मांग भेजने में विलम्ब
सार्वजनिक स्वास्थ्य				
सहायक सफाई निरीक्षक	7 से 20	दिसम्बर 2007 से दिसम्बर 2012	5 वर्ष	डीएसएसएसबी को मांग भेजने में विलम्ब
नर्स, ग्रेड ए	21 से 26	दिसम्बर 2007 से दिसम्बर 2012	5 वर्ष	डीएसएसएसबी के साथ मामले का अनुसरण न करना
विशेषज्ञ, ग्रेड-2	3 से 13	जनवरी 1996 से दिसम्बर 2012	17 वर्ष	यूपीएससी को मांग भेजने में 13 वर्ष का विलम्ब तथा उसके बाद अनुसरण न करना।
विशेषज्ञ- बायो केमिस्ट	01	अक्टूबर 2008 से दिसम्बर 2012	4 वर्ष, 2 महीने	यूपीएससी द्वारा मांगा गया स्पष्टीकरण न भेजना।
होमियो चिकित्सक	03 से 05	दिसम्बर 2008 से दिसम्बर 2012	4 वर्ष	-वही-
नर्सिंग ऑर्डरली	17	दिसम्बर 2010 से दिसम्बर 2012	2 वर्ष	आज तक रोस्टर नहीं बनाया गया।
एएनएम	18 से 33	-वही-	2 वर्ष	डीएसएसएसबी को मांग भेजने में विलम्ब

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि रिक्त पद विभिन्न संवर्गों में 3 से 17 वर्ष तक नहीं भरे गए। विशेषज्ञ ग्रेड-2 के मामले में, रिक्त पद को भरने के लिए यूपीएससी को अक्टूबर 2009 में पद के खाली होने के 13 वर्ष पश्चात् प्रारंभिक मांग भी नहीं भेजी गई थी। जून 2010 में, यूपीएससी ने पीएच श्रेणी के आरक्षण तथा डीओपीटी के अधिशेष सैल से एनओसी के अभाव में परस्पर विरोधी सूचना के कारण विभाग की मांग बंद कर दी। तथापि, विभाग ने उसके पश्चात् मामले का अनुसरण नहीं किया। यह खराब संवर्ग प्रबंधन तथा अधिक संस्वीकृत पद संख्या को दर्शाता है क्योंकि विभाग उपलब्ध पद संख्या के साथ काम चला रहे थे।

कार्मिक विभाग ने पद संख्या की समीक्षा न करने के कारण बताए बिना कहा (अगस्त-2013) कि रोस्टर के अनुसार प्रत्येक संवर्ग में रिक्तियां भरने के लिए डीपीसीज़ वार्षिक रूप से आयोजित की जाती है। इसके अतिरिक्त, भर्ती नियमों तथा निम्न अथा उच्च पदों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी के संबंधित परिवर्तनों, यदि कोई हो, के संबंध में एमओएच के विचारार्थ एक नोट भेजा गया था; जिसका उत्तर प्रतीक्षित था।

स्वास्थ्य स्थापना-3 ने कहा (12.02.2014) कि सीधे कोटे के अन्तर्गत एएसआई की 19 रिक्तियां 31.12.2012 तक देय हो जानी चाहिए थी जिसके लिए उक्त रिक्तियों को भरने के लिए डीएसएसएसबी को मांग भेजी गई थी। अब डीएसएसएसबी ने अपने विज्ञापन संख्या 01/14 दिनांक 20.01.2014 के द्वारा कोड संख्या 93/14 के पद कोड संख्या के अन्तर्गत एनडीएमसी में एएसआई के इन रिक्त पदों का विज्ञापन दिया।

3.3.2 अनुकम्पा आधार पर अनियमित नियुक्तियाँ

(क) अनुकम्पा नियुक्तियों पर डीओपीटी के आदेशों के अनुसार सीधी भर्ती कोटा के अन्तर्गत आने वाली केवल 5 प्रतिशत रिक्तियां 'सी' अथवा 'डी' किसी भी ग्रुप में अनुकम्पा आधार पर भरी जा सकती है। परिषद् के निर्णय {16.6.1997 का 3(xix)} के अनुसार, यह निश्चय किया गया था कि उपलब्ध रिक्तियों के 5 प्रतिशत की सीमा तक अनुकम्पा आधार के लिए भारत सरकार की शर्त का एनडीएमसी में अनुसरण नहीं किया गया था। तथापि, अनुकम्पा आधार पर भरे जाने वाले पदों की कोई प्रतिशतता डीओपीटी दिशानिर्देशों के ढंग पर नियत नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि प्रासमिक सीमाओं के अभाव में, विभाग ने 2009-10 तथा 2010-11 में अनुकम्पा आधार पर हेल्पर के क्रमशः 5 और 21 पद भरे। यह इन दो वर्षों की रिक्तियों का 10 और 46 प्रतिशत था।

(ख) डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुकम्पा नियुक्ति के लिए योजना का उद्देश्य सेवा में भरने वाले सरकारी कर्मचारी के एक आश्रित परिपार सदस्य को नियुक्ति प्रदान करना है। तथापि, यह देखा गया था कि निम्नलिखित मामलों में, विभाग ने मृतक कर्मचारी के एक से अधिक आश्रितों की नियुक्ति की:

तालिका 3.3: अनुकम्पा आधार पर नियुक्त आश्रितों का विवरण

मृतक कर्मचारी का नाम	आश्रितों का नाम	मृतक के साथ संबंध	नियुक्ति का मास
श्री कल्याण सिंह	सुश्री कमला बाई	पत्नी	जुलाई 2010
	श्री गजेन्द्र कुमार	पुत्र	जून 2010
श्री दया राम	सुश्री बबीता	पत्नी	जून 2010
	श्री अनिल कुमार	पुत्र	जुलाई 2010

3.3.3 पदों का अनियमित सृजन

एनडीएमसी अधिनियम 1994 की धारा 34, अध्यक्ष को किसी भी बी;सी; अथवा 'डी' श्रेणी पद के सृजन की शक्ति प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, परिषद् के संकल्प (18.3.1999 का 8) के अनुसार, ''प्रत्येक विभाग द्वारा किसी अतिरिक्त पद के सृजन से पूर्व एक बाह्य एजेंसी के माध्यम से प्रत्येक विभाग द्वारा एक सम्पूर्ण कार्य अध्ययन किया जाना था।''

भर्ती नियमों पर डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुसार, जब कभी पदों की संख्या में बड़ा परिवर्तन हो, प्रशासनिक विभाग को सीधी भर्ती, पदोन्नति आदि के कोटे के संबंध में परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए भर्ती की विद्यमान विधि की समीक्षा करनी चाहिए। पदों की अगली उच्च तथा निम्न श्रेणी के लिए नियमों में निर्धारित विधि पर पद संख्या में परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करना चाहिए।

लेखापरीक्षा में देखा कि राष्ट्रमण्डल खेल 2010 के मद्देनज़र, एक बाह्य एजेंसी के माध्यम से कार्य अध्ययन कराए बिना अथवा भर्ती की विद्यमान विधि की समीक्षा किए बिना निम्नलिखित संवर्गों में पर्याप्त संख्या में पदों का सृजन किया गया था।

तालिका 3.4 कार्य अध्ययन कराए बिना अथवा भर्ती की विद्यमान विधि की समीक्षा किए बिना सृजित किए गए पद

विभाग	पद का नाम	अतिरिक्त पदों के सृजन से पूर्व पद-संख्या	अतिरिक्त पद		सृजन का मास
			सृजित	प्रतिशतता	
अग्नि शमन	सहायक अग्नि शमन गार्ड	95	57	60	फरवरी 2009
सुरक्षा	सुरक्षा गार्ड	45	91	202	फरवरी 2009
		136	31	23	जनवरी 2010

3.3.4 विभिन्न संवर्गों के संबंध में भर्ती नियमों को अन्तिम रूप न देना

भर्ती नियम, दिनांक 18.03.1988 को बनाने/संशोधन/छूट पर डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुसार, जैसे ही एक नए पद। सेवा के सृजन अथवा किसी पद के उन्नयन अथवा किसी सेवा के पुनर्गठन का निर्णय लिया जाता है, तो विभाग द्वारा भर्ती नियम/सेवा नियम बनाने के बारे में तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि:

(क) ग्रुप ए श्रेणी में अतिरिक्त निदेशक (बागबानी), ग्रुप सी श्रेणी में वरिष्ठ फार्मासिस्ट, वरिष्ठ होम्योपैथिक कम्पऊंडर तथा वरिष्ठ आयुर्वेदिक कम्पाऊंडर के पदों के लिए भर्ती नियम नहीं बनाए गए थे। इसके अतिरिक्त, ग्रुप ए में 11 संवर्गों के लिए भर्ती नियम नहीं बनाए गए थे। इसके अतिरिक्त, ग्रुप ए में 11, ग्रुप बी में 7, ग्रुप सी में 23 तथा ग्रुप डी श्रेणियों में 2 संवर्गों के लिए भी भर्ती नियम नहीं बनाए गए थे **(अनुबंध क्यू)।**

(ख) इसी प्रकार जबकि विभिन्न विषयों के लिए पीजीटी पद दिसम्बर 2007 से रिक्त पड़े थे, भर्ती नियम नहीं बनाए गए थे।

(ग) चौकीदारों के तिहत्तर पद रिक्त पड़े थे परन्तु भरे नहीं जा सके क्योंकि भर्ती नियमों में शिव शंकरन समिति (1998) की सिफारिशों के अनुसार संशोधन नहीं किया गया था।

(घ) डीओपीटी का.ज्ञा. संख्या एबी 1401712/1987-स्था. (भर्ती नियम) दिनाँक 18 मार्च 1988 के अनुसार; सभी भर्ती नियमों की पांच वर्ष में एक बार समीक्षा की जानी अपेक्षित थी जो नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, डीओपीटी का.ज्ञा.संख्या एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) दिनाँक 24 मार्च, 2009 के अनुसार, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के लागू होने के कारण विद्यमान सेवा नियमों/भर्ती नियमों को पदों के उन्नयन अथवा विलयन के कारण अन्य परिणामी परिवर्तनों तथा वेतन बैंड सहित ग्रेड वेतन द्वारा बदल कर संशोधित करने के लिए कार्रवाई की जानी थी तथा भर्ती नियमों की उक्त समीक्षा का.ज्ञा. जारी होने के छः महीने के अन्दर पूरी की जानी थी। ऐसी कोई समीक्षा नहीं की गई थी।

कार्मिक विभाग ने कहा (अगस्त-2013) कि स्वास्थ्य विभाग में प्रत्येक श्रेणी के संशोधन की जांच की जा रही है तथा और उसे अन्तिम रूप देने में दो-तीन महीने का समय लग सकता है।

विद्युत विभाग ने सहमति व्यक्त की और कहा (फरवरी-2014) कि अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ई) तथा मुख्य अभियंता (ई) के भर्ती नियमों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

3.3.5 पर्याप्त पात्र अभ्यार्थियों के बावजूद पदोन्नति में विलम्ब

का.ज्ञा. संख्या 22011/9/98-स्थापना दिनाँक सितम्बर, 1998 में निहित डीओपीटी दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि एक वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों के प्रति पदोन्नतियाँ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली सूचियां बनाने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकें नियमित अन्तराल पर बुलाई जानी चाहिए (इस उद्देश्य के लिए समय सीमा निर्धारित करके)। इससे संबंधित प्राधिकारियों को वरिष्ठता सूची, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर), सत्यानिष्ठा प्रमाण-पत्र आदि जैसे संबंधित दस्तावेज एकत्र करके उन्हें डीपीसी के समक्ष रखने के लिए पिछली सूची के समाप्त होने से काफी पहले वर्तमान तथा प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए कार्रवाई करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार का.ज्ञा. में निहित निदर्शी ढंग का अनुसरण करते हुए एसीसी/नॉन एसीसी मामलों के लिए घटना-क्रम का एक केलेण्डर बनाने का अनुदेश दिया गया था तथा डीपीसी बैठकें सामान्यत: तद्नुसार आयोजित की जाए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि पात्र अभ्यार्थियों की प्राप्त संख्या मं उपलब्धता के बावजूद, संबंधित विभागों ने संबंद्ध फीडर संवर्गों से पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं की। परिणामस्वरूप, पद लम्बी अवधि तक खाली पड़े रहे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

तालिका 3.5 विलम्ब के कारणों सहित भरे जाने वाले रिक्त पद

पद/विभाग	रिक्त पदों की रेंज	फीडर संवर्ग में पात्र अभ्यार्थियों की संख्या	रिक्ति की अवधि	पदोन्नति की तिथि	विलम्ब की अवधि	विलम्ब के कारण
शिक्षा						
टीजीटी (विभिन्न विषय)	29 से 70	464	दिसम्बर 2007 से जनवरी 2011	जनवरी 2011	4 वर्ष 1 माह	वरिष्ठता सूची तथा रोस्टर को अन्तिम रूप देने में विलम्ब
मुख्याध्यापक/ मुख्यध्यापिका	13 से 24	401	दिसम्बर 2008 से अक्टूबर 2011	अक्टूबर 2011	2 वर्ष 10 माह	-वही-
प्राचार्य	4 से 5	5	2008-09 से 2009-10	2010	2 वर्ष	भर्ती नियमों की अधिसूचना में विलम्ब
बागबानी						
वरिष्ठ माली	62 से 68	82	जुलाई 1997 से मार्च 2012	मार्च 2012	14 वर्ष 8 माह	वरिष्ठता सूची तथा रोस्टर को अन्तिम रूप देने में विलम्ब
ृसार्वजनिक स्वास्थ्य						
सहायक सफाई निरीक्षक	2 से 12	97	दिसम्बर 2010 से दिसम्बर 2012	अभी नहीं	2 वर्ष	डीपीसी बैठकें आयोजित न करना।

टीजीटी तथा मुख्याध्यापकों के रिक्त पदों के मामलों में, लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि सहायक अध्यापकों के फीडर संवर्ग में पात्र अध्यापकों की पर्याप्त संख्या होने के बावजूद, विभाग ने 2 से 4 वर्षों की अवधि के लिए रिक्त पद भरने के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की।

कार्मिक विभाग ने सूचित किया (अगस्त-2013) कि सहायक सफाई निरीक्षक का पद भरने के लिए डीपीसी 13 मई को की गई थी तथा जुलाई 2013 में 14 उपलब्ध रिक्तियां भरी गई थी।

विभाग को पदोन्नति वाले पदों को भरने के लिए समयबद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

3.3.6 निदेशक, बागबानी का दूसरा पद नियमित न करना

एनडीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा 33(3) के अनुसार, कोई भी ग्रुप 'ए' पद का अधिकतम छः मास की अवधि के लिए अध्यक्ष के अनुमोदन से सृजन किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसे किसी भी पद का परिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना उक्त अवधि से अधिक के लिए सृजन नहीं किया जाएगा।

अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 2002 से पूर्व, निदेशक (बागबानी) के दो पद थे जिनमें से एक जनवरी 2003 में समाप्त कर दिया गया था। निदेशक (बागबानी) का दूसरा पद अत्यधिक प्रशासनिक आवश्यकता तथा सीपीडब्ल्यूडी पार्कों तथा बागों के एनडीएमसी को अन्तरण के साथ हरित क्षेत्रों के प्रबंधन की बढ़ी हुई आवश्यकता के कारण, जानबूझ कर जनवरी 2011 में फिर से चालू कर दिया गया था। तथापि, आज तक पद को परिषद् का अनुमोदन लिए बिना ही ऑपरेट किया जा रहा था।

3.3.7 लम्बे समय से लम्बित रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक कनिष्ठ लिपिक के भर्ती नियमों का संशोधन न करना

भर्ती नियमों के अनुसार, कनिष्ठ लिपिकों के पद पांच वर्ष की सेवा वाले लिपिकीय सहायक के फीडर संवर्ग से पदोन्नति द्वारा भरे जाने थे। मुख्य स्थापना में सितम्बर 2010 तक कनिष्ठ लिपिकों के 351 पद थे, जिनमें से, 184 पद भर लिए गए थे तथा 167 (48%) पद रिक्त पड़े थे। फीडर संवर्ग की स्थिति निम्न प्रकार से थी:

तालिका 3.6 लिपिकीय सहायक की संस्वीकृत/कार्यरत पद संख्या तथा रिक्ति स्थिति

पद का नाम	*संस्वीकृत पद संख्या*	*कार्यरत पद संख्या*	*रिक्त*
लिपिकीय सहायक	175	126	49

लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि कनिष्ठ लिपिक के पद पर केवल 3 लिपिकीय सहायक पदोन्नति के पात्र थे (फरवरी 2013)। इस प्रकार, यदि समस्त लिपिकीय सहायकों को भी पदोन्नति का पात्र मान लिया जाता, तो भी स्थापना कनिष्ठ लिपिक के 167 रिक्त पद भरने में सक्षम नहीं थी। अतः कनिष्ठ लिपिक के भर्ती नियमों की समीक्षा आवश्यक थी ताकि लम्बे समय से लम्बित इन रिक्तियों को भरा जा सके।

3.3.8 छोटे फीडर संवर्ग के कारण चपरासियों की पदोन्नति न होना

डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक विभाग को आगामी वर्षों में उत्पन्न होने वाली सम्भावित रिक्तियों का अनुमान लगाना तथा नियमित अन्तराल पर डीपीसी बैठकों का आयोजन करके समयबद्ध ढंग में रिक्तियां भरना अपेक्षित है।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि मुख्य स्थापना ने दिसम्बर, 2009 से पूर्व चपरासी के पद हेतु रोस्टर नहीं बनाए थे। चपरासी के संवर्ग की संस्वीकृत तथा कार्यरत पद संख्या की स्थिति निम्न प्रकार से थी:

तालिका 3.7 चपरासियों की संस्वीकृत/कार्यरत पद संख्या तथा रिक्ति की स्थिति

को समाप्त वर्ष	संस्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	रिक्त पद
दिसम्बर, 2004	456	356	100
दिसम्बर, 2005		383	73
दिसम्बर, 2006	487[2]	367	120
दिसम्बर, 2007		356	131
दिसम्बर, 2008		355	132
दिसम्बर, 2009		348	139
दिसम्बर, 2010		338	149
दिसम्बर, 2011		326	161

भर्ती नियमों के अनुसार, चपरासी के पद पांच वर्ष की सेवा तथा मेट्रिक की अनिवार्य योग्यता वाले हेल्परों की पदोन्नति द्वारा भरे जाने थे। 2007-08 से 2011-12 के दौरान हेल्पर के फीडर संवर्ग की पद संख्या 37 से 72 के बीच थी जबकि पदोन्नति संवर्ग पर चपरासी पद के रिक्तियों की संख्या 73 से 161 थी । इस प्रकार, विभाग चपरासी के रिक्त पद नहीं भर सका क्योंकि हेल्पर के फीडर संवर्ग की कार्यरत पद संख्या पदोन्नति के संवर्ग में रिक्तियों से काफी कम थी। अत: संवर्ग के भर्ती नियमों की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

3.3.9 ट्रेड परीक्षा आयोजित करने में विलम्ब के कारण चौधरी (बागबानी) की पदोन्नति न करना

बागबानी विभाग में चौधरी (बागबानी) के 72 संस्वीकृत पद थे, जिनमें से 8 पद दिसम्बर, 2008 से खाली पड़े थे। भर्ती नियमों के अनुसार, ये पद 10 वर्ष के अनुभव, हिन्दी पढ़ने और लिखने की योग्यता वाले तथा विभाग द्वारा लिए जाने वाली ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त पर, मालियों के फीडर संवर्ग से भरे जाने थे।

यद्यपि दिसम्बर, 2008 में चौधरी (बागबानी) की 8 रिक्तयां उपलब्ध थी, तथापि विभाग ने ट्रेड परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया केवल जुलाई, 2010 में ही शुरू की जो आखिरकार जनवरी, 2011 में आयोजित की गई थी। ट्रेड परीक्षा आयोजित करने में विलम्ब के कारण, विभाग दिसम्बर, 2008 से अप्रैल 2011 तक ये पद नहीं भर सका, यद्यपि फीडर संवर्ग में 313 पात्र अभ्यार्थी उपलब्ध थे।

3.3.10 नियम सहायक अध्यापकों की पदोन्नति ने करने के कारण टीजीटीज़ की संविदागत नियुक्ति पर ₹ 56.45 लाख का परिहार्य व्यय

टीजीटी (विभिन्न विषयों) के पद के लिए भर्ती नियमों के अनुसार, 70% पद पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक अध्यापकों की विभागीय पदोन्नति द्वारा भरे जाने थे।

सूची फाइलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि जबकि विभाग के पास दिसम्बर, 2007 से दिसम्बर के दौरान टीजीटीज़ (विभिन्न विषयों) के 29 से 72 रिक्त पद थे, उसके पास उसी अवधि के दौरान 10 से 72 के बीच सहायक अध्यापकों (फीडर सेवा) की फालतू कार्यरत संख्या थी। विभाग, ने समय पर पदोन्नति के माध्यम से रिक्तियां भरने के बजाए, अगस्त, 2009 में 18 टीजीटी, जुलाई, 2010 में 22 टीजीटी और जनवरी, 2011 में 22 टीजीटी अनुबंध पर नियुक्त किए तथा संविदागत टीजीटीज के वेतन पर लगभग ₹ 56.45 लाख का परिहार्य व्यय किया जिसका विवकरण नीचे दिया गया है:-

[2] फराश एवं चौकीदार, चपरासी एवं चौकीदार, डुप्लिकेटिंग मशीन ऑपरेटर तथा जमादार के पदों का दिनाँक 31.12.2006 के आदेशक के द्वारा विलयन के कारण

तालिका 3.8 01.08.2009 से 31.01.2011 की अवधि के लिए अनुबंध पर प्रशिक्षित स्नात्रक अध्यापकों (विभिन्न विषय) की नियुक्ति पर किया गया व्यय

अवधि	टीजीटी का संविदागत वेतन				टीजीटी की संख्या	महीनों की संख्या	जोड़ (₹ में)
	मूल + जी.पी.	डी.ए. की दर	डी.ए. का 75%	जोड़			
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड़)	(च)	(छ)	(ज)=(ड़*च*छ)
01.08.09-31.12.09	13900	27%	2815	16715	18	5	15,04,350
01.01.10-30.04.10	13900	35%	3649	17549	18	4	12,63,528
1.07.10-31.12.10	13900	45%	4692	18592	22	6	24,54,144
01.01.11-31.01.11	13900	51%	5317	19217	22	1	4,22,774
						सकल जोड़	**56,44,796**

3.3.11 दैनिक भोगी मज़दूरों की नियुक्ति के लिए एक रूप पद्धति का अभाव

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभिन्न विभागों में मानवशक्ति की नियुक्ति हेतु कोई मानकीकृत पद्धति/प्रतिभान निर्धारित नहीं किए गए थे। इन विभागों में निम्नलिखित के लिए कोई एक रूप नीति/पद्धति/प्रथा नहीं अपनाई गई थी:

(i) निर्धारण करना तथा मांग/प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

(ii) अनुमोदन तथा वित्तीय संस्वीकृतियां प्राप्त करना

(iii) दैनिक भोगी मज़दूरों की नियुक्ति जारी रखना तथा उसका नवीकरण

दैनिक भोगी मज़दूरों के बायो-डॉटा, पिछले अनुभव आदि के मूल अभिलेखों का सामान्य अभाव था। संस्वीकृतियां प्राप्त करने के प्रस्तावों में दैनिक भोगी श्रमिकों की संस्वीकृत पद संख्या, तैनात पद संख्या तथा पहले से ही नियुक्त दैनिकभोगी श्रमिकों की संख्या का उल्लेख नहीं था जिससे दैनिकभोगी श्रमिकों की संख्या को संस्वीकृत पद संख्या के अनुसार रोका जा सकता। एक बार सैद्धांतिक रूप से प्राप्त संस्वीकृतियां, जीएफआर की अपेक्षा के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिए नई संस्वीकृतियां अथवा व्यय अनुमोदन प्राप्त किए बिना कई वर्षों तक जारी रखी गई थी। निम्न तालिका दैनिकभोगी श्रमिकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में चयनित विभागों द्वारा अपनाई गई विभिन्न विधियां दर्शाती है:-

तालिका 3.9 चयनित विभागों द्वारा दैनिकभोगी श्रमिकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में अपनाई गई विधियां दर्शाती है।

क्षेत्र/विभाग	अग्निशमन	बागबानी	सुरक्षा	स्वास्थ्य	शिक्षा	सी-3 सिविल	सी-3 इलेक्ट्रिक	बीएम-1
नियुक्ति के लिए संस्वीकृतियां	अग्रिम में प्राप्त	अग्रिम में प्राप्त	अग्रिम में प्राप्त	अग्रिम में प्राप्त	कार्योत्तर स्वीकृति	अग्रिम में प्राप्त	अग्रिम में प्राप्त	अग्रिम में प्राप्त
संस्वीकृतियों का नवीकरण	संस्वीकृतियां हर वर्ष नवीकृत नहीं की गई	हाँ	संस्वीकृतियां हर वर्ष नवीकृत नहीं की गई	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

मांग नोटिस जारी करना	विभिन्न एनडीएमसी भवनों में नोटिस देना	कोई नोटिस जारी नहीं किए गए	कोई नोटिस जारी नहीं किए गए	रोजगार कार्यालय के माध्यम से	कोई नोटिस जारी नहीं किए गए	कोई नोटिस जारी नहीं किए गए	कोई नोटिस जारी नहीं किए गए	कोई नोटिस जारी नहीं किए गए
आवेदन/ बायो-डॉटा प्राप्त	हाँ, कुछ मामलों में	नहीं, आवेदन/ बायो-डॉटा प्राप्त नहीं	कोई आवेदन/ बॉयो-डॉटा प्राप्त नहीं	कोई आवेदन/ बॉयो-डॉटा प्राप्त नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	कोई आवेदन/ बॉयो-डॉटा प्राप्त नहीं
प्राप्त आवेदनों तथा बनाई गई सूचियों का अभिलेख	ऐसा कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया गया	ऐसा कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया गया	ऐसा कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया गया	अभिलेख अनुरक्षित	ऐसा कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया गया	ऐसा कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया गया	ऐसा कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया गया	ऐसा कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया गया
चुनाव समिति का गठन किया गया	गठित नहीं	गठित नहीं	गठित नहीं	हाँ	गठित नहीं	गठित नहीं	गठित नहीं	गठित नहीं
पहचान/ आवास प्रमाण-पत्र	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त नहीं
नामावली शीटों के अलावा उपस्थिति अभिलेख	पृथक उपस्थिति अभिलेख अनुरक्षित	अनुरक्षित नहीं	अनुरक्षित नहीं	पृथक उपस्थिति अभिलेख अनुरक्षित	अनुरक्षित नहीं	अनुरक्षित नहीं	अनुरक्षित नहीं	अनुरक्षित नहीं
एनडीएमसी में नियुक्ति के पिछले अभिलेख/ दिन	अनुरक्षित नहीं	अनुरक्षित नहीं	अनुरक्षित नहीं	अनुरक्षित नहीं	अनुरक्षित नहीं	अनुरक्षित नहीं	अनुरक्षित नहीं	अनुरक्षित नहीं

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि:-

- अग्नि-शमन तथा सुरक्षा विभागों में, एक बार दैनिक भोगी श्रमिकों की नियुक्ति के लिए प्राप्त संस्वीकृतियां बिना नवीकरण के जारी रही।
- चयनित आठ में से छः विभागों में, दैनिक भोगी श्रमिकों की आवश्यकता का कोई प्रचार नहीं किया गया था जिसके कारण अन्य इच्छुक तथा पात्र अभ्यार्थी एनडीएमसी में नौकरियों से वंचित रहे।
- बागबानी, सुरक्षा, स्वास्थ्य (सफाई) विभागों तथा बीएम-1 मंडल में, आवेदन/बायो डॉटा, आवास तथा पहचान प्रमाण-पत्र भी नियुक्त व्यक्तियों से प्राप्त नहीं किए गए थे।
- अग्निशमन एवं सुरक्षा को छोड़कर, अन्य किसी भी चयनित विभाग ने नामावलियों को छोड़कर कोई उपस्थिति अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए थे।
- इसके अतिरिक्त, शिक्षा को छोड़कर किसी भी विभाग ने एनडीएमसी द्वारा निर्धारित एक केलेंडर वर्ष में नियुक्ति की 240 दिन की सीमा को मानीटर करने के लिए कोई अभिलेख नहीं बनाए थे।
- एक रूप पद्धतियों, निर्धारण की नीति, मांग प्रस्तुत करने, सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने, कामगार नियुक्त करने अथवा उनकी नियुक्ति जारी रखने के अभाव में सर्वोच्च एनडीएमसी प्रबंधन के पास विभिन्न विभागों में दैनिक भोगी श्रमिकों की नियुक्ति को मॉनीटर करने का कोई तन्त्र नहीं था।
- स्वास्थ्य सफाई विभाग में दैनिक भोगी सफाई कर्मचारियों (एसकेज़) की नियुक्ति के मामले में, विभाग के. जी. मार्ग रोज़गार कार्यालय से उसके द्वारा प्रवर्तित किए जाने वाले अभ्यार्थियों की संख्या के प्रति नियुक्त किए जाने वाले दैनिक भोगी श्रमिकों की संख्या सम्प्रेषित किए बिना ही अभ्यार्थियों के नामांकन प्राप्त कर रहा था।

- रोज़गार कार्यालय को चयनित कर्मचारियों की सूचना नहीं दी जा रही थी तथा ऐसी कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुपयुक्त कर्मचारियों को फिर से प्रवर्तित नहीं किया गया था।
- रोज़गार कार्यालय से बड़ी संख्या में नामंकन प्राप्त होने के कारण, विभाग ने जनवरी 2009 से साक्षात्कार से पहले सूची बनानी शुरू कर दी। समीक्षा की अवधि के दौरान रोज़गार कार्यालय द्वारा सफाई कर्मचारियों के रूप में प्रवर्तित आवेदनों, बनाई गई सूचियों, साक्षात्कार किए गए और नियुक्त किए गए कर्मचारियों के विवरण **अनुबंध-आर** में दिए गए हैं। अप्रैल 2010 में सचिव, एनडीएमसी के निदेशों के अनुसार, नगरनिगम कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों, अनुकम्पा आधार मामलों, विद्यवाओं, अत्याधिक गरीब/ज़रूरतमंद लोगों, एनडीएमसी/ इर्द-गिर्द के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जानी थी। दिसम्बर, 2010 में दैनिक भोगी श्रमिकों के चयन, जब 525 सफाई कर्मचारी नियुक्त किए गए थे, हेतु अपनाई गई संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि साक्षात्कार हेतु चयनित 2327 अभ्यार्थियों में से, 933 उन अभ्यार्थियों ने साक्षात्मकार में भाग लिया जो रोज़गार कार्यालय द्वारा प्रवर्तित किए गए थे, तथा 1903 वॉक-इन साक्षात्कार में उपस्थित हुए थे। तथापि, चयन समिति के पास अधिमानिक नियुक्ति की विभिन्न श्रेणियों के लिए नियत प्रतिशतता तथा चयन के मापदण्ड का कोई अभिलेख नहीं था। यह भी देखा गया था कि विभाग ने साक्षात्कार प्रक्रिया जैसे साक्षात्कार के समय अभ्यार्थियों की रिपोर्टिंग, प्रत्यय पत्रों की जांच, बॉयो डॉटा प्राप्त करना, पहचान-पत्र, फोटोग्राफ आदि को सुव्यपस्थित नहीं किया। सूची पर रखे गए अभ्यार्थियों के विवरण की नमूना-जांच में देखी गई कमियां निम्नलिखित थीं।

तालिका 3.10 दैनिक भोगी सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति में कमियां

क्र.सं.	सूची में सफाई कर्मचारियों के नाम	रोज़गार कार्यालय आई.डी.	सूची में क्रम संख्या	कमियां
1	राम कुमार	2010102933	272	एनडीएमसी क्षेत्र से बाहर, फरीदाबाद का निवासी
2	विजय कुमार	1999100223	133	एनडीएमसी क्षेत्र से बाहर का निवासी
3	राज कुमार	2006102824	240	रोज़गार कार्यालय के अनुसार जन्म तिथि 15.10.86 जो गलत प्रतीत होती थी क्योंकि संलग्न दस्तावेज (इलेक्शन कार्ड) में 1.1.02 को आयु 20 वर्ष दर्शाई गई थी।
4	सागर	2010203771	165	आयु प्रमाण-पत्र के साथ छेड़-छाड़ की गई पाई गई थी।
5	सुरेश	2009343358	528	संलग्न दस्तावेज के अनुसार ओवर एज (जन्म तिथि 25.9.74)
6	रिंकू	2011101700	266	पता रोज़गार कार्यालय के पहचान कार्ड पंजीकरण दिनांक 4.1.11 के अनुरूप नहीं था। वह जनवरी 2011 के बैच में चुना गया था अभ्यार्थी की जांच के लिए कॉल-लैटर संलग्न नहीं था।
7	चांद कुमार	2009488884	478	रोज़गार कार्यालय के अनुसार जन्म तिथि 10.9.85 जो गलत प्रतीत होती थी क्योंकि संलग्न इलेक्शन कार्ड के अनुसार 1.1.94 को आयु 19 वर्ष थी।
8	ममता	2009443601	142	रोज़गार कार्यालय के विवरण के अनुसार जन्म तिथि 10.9.85 जो गलत प्रतीत होती थी क्योंकि संलग्न राशन कार्ड के अनुसार आयु 1.1.94 को 19 वर्ष थी।
9	रवि	2009409765	672	रोज़गार कार्यालय के अनुसार जन्म तिथि 17.12.88 जो गलत प्रतीत होती थी क्योंकि संलग्न इलेक्शन कार्ड के अनुसार 1.1.02 को आयु 24 वर्ष थी।
10	संजीव	2010162433	632	रोज़गार कार्यालय के अनुसार जन्म तिथि 31.3.92 जो गलत प्रतीत होती थी क्योंकि संलग्न इलेक्शन कार्ड के अनुसार

				1.1.08 को आयु 24 वर्ष थी।
11	रामेश्वर	2009521079	388	आयु का कोई समर्थित प्रमाण-पत्र नहीं
12	सुनीता	2010128228	51	संलग्न दस्तावेजों के अनुसार ओवरएज (जन्म तिथि 15.6.74)
13	गीता रानी	2009627991	664	रोज़गार कार्यालय विवरण के अनुसार सुपुत्री श्री गंगा राम, इलेक्शन कार्ड के अनुसार सुपुत्री श्री दुली चन्द

उपर्युक्त से यह स्पष्ट था समस्त चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव था।

स्वास्थ्य विभाग ने कहा (सितम्बर-2013) कि दैनिकभोगी श्रमिकों की नियुक्ति के लिए अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया जाता है। नियुक्ति के लिए समुचित अनुमोदन तथा वित्तीय संस्वीकृतियां दैनिक भोगी सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति तथा दैनिक भोगी सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के क्रम और नवीकरण से पूर्व प्राप्त की गई थी। रोज़गार निदेशालय, जीएनसीटीडी द्वारा अभ्यार्थियों का डॉटा स्वास्थ्य विभाग को ऑन लाईन भेजा गया था।
इस संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे कि सचिव एनडीएमसी द्वारा निर्णीत मानदण्डों का अनुसरण किया गया था।

विद्युत विभाग ने कहा (सितम्बर 2013) कि विद्युत विभाग में प्रचालित प्रथा के अनुसार मांग के नोटिस जारी नहीं किए जाते। यह भी कहा गया है कि कुशल/अकुशल कामगारों के आवेदन/बॉयो डॉटा, सीईई के अनुमोदन से पूर्व प्राप्त किए जाते हैं और बाद में कामगारों से एक गैर-न्यायिक स्टॉम्प पेपर पर यह प्रमाणित करते हुए एक शपथ-पत्र भी लिया जाता है कि कामगारों ने अनुमत दिनों की संख्या नहीं बढ़ाई। प्राप्त आवेदनों तथा चुने गए आवेदकों के अभिलेखों के संबंध में, यह कहा गया है कि कामगारों के आवेदन/बायोडेटा, संबंधित संस्वीकृत अनुमानों की वर्क फाईल के साथ फाईल में उपलब्ध है। चयन समिति के संबंध में यह स्वीकार किया गया है कि उसका गठन नहीं किया गया है। अन्य विभागों से उत्तर प्राप्त नहीं हए थे।

विद्युत विभाग ने यह भी कहा (फरवरी, 2014) कि दैनिक श्रमिक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित/संस्वीकृत कार्य/योजना के प्रति मुख्य अभियंता(ई) के अनुमोदन से नियुक्त किए जा रहे हैं।
परन्तु तथ्य यह है कि सभी विभागों द्वारा अपनाए जाने के लिए दैनिक भोगी कामगारों की नियुक्ति के लिए एकरूप नीति नहीं है एनडीएमसी को सभी विभागों द्वारा अपनाए जाने के लिए दैनिकभोगी कामगारों की नियुक्ति हेतु एक एकरूप पद्धति बनानी चाहिए।

3.3.12 विद्यमान कार्यभार में कमी के बावजूद दैनिक भोगी सफाई कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, कोई नए प्रतिमान विकसित नहीं किए गए

स्वास्थ्य (सफाई) विभाग को सड़कों तथा बाज़ार क्षेत्र पर झाड़ू लगाने, सफाई-बनाए रखने, कूड़ा इकट्ठा करने, उसका पृथक्करण और निपटान आदि का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इस उद्देश्य के लिए, क्षेत्र को 14 सर्किलों में बांटा गया था। एनडीएमसी में 14 में से 12 सर्किलों में कूड़ा इकट्ठा करने और उसका निपटान करने का कार्य सितम्बर 2006 में मैसर्ज़ रामकी एनर्जी एण्ड एनवायर्नमेंट लिमिटेड को आऊटसोर्स किया गया था तथा कूड़े के निपटान का शेष कार्य का प्रबंधन विभागीय रूप से किया जा रहा था।

विभाग के पास 1633 सफाई कर्मचारियों की संस्वीकृत पद संख्या थी। कूड़ा निपटान के कार्य की आऊटसोर्सिंग से पूर्व तथा उसके पश्चात् न केवल नियमित सफाई कर्मचारियों की संस्वीकृत पद संख्या अपरिवर्तित रही बल्कि दैनिक भोगी सफाई कर्मचारियों की संख्या भी 2005-06 में 505 से बढ़ कर 2011-12 तक के अनुवर्ती वर्षों के दौरान बढ़ कर 602 से 1022 हो गई **(अनुबंध-एस)।**

आऊटसोर्सिंग के कारण कार्य में पर्याप्त कमी के बावजूद दैनिकभोगी सफाई कर्मचारियों में औचित्य का अभाव था।

3.13.3 सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति, जहाँ उक्त सेवाएं आऊटसोर्स की गई थी।

विभिन्न एनडीएमसी भवनों की सुरक्षा सेवाएं सामान्यत: निजी एजेंसियों को आऊटसोर्स की गई है। यह देखा गया था कि सुरक्षा विभाग ने ऐसे भवनों में दैनिक मज़दूरी के आधार पर गार्ड नियुक्त और तैनात किए थे जहाँ सेवाएँ आऊटसोर्स की गई थी। कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से हैं:-

तालिका 3.11 जहाँ कार्य आऊटसोर्स किया गया था दैनिकभोगी श्रमिकों के विवरण

क्र.सं.	परिसर/भवन	आऊटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से सुरक्ष कार्मिक	दैनिक मज़दूरी पर नियुक्त सुरक्षा कार्मिक
1.	पालिका पार्किंग	35	16
2.	सीपीएच, मोती बाग	27	11

इसके कारण दोहरे सुरक्षा प्रबंध प्रदान किए गए।

3.3.14 सक्षम प्राधिकारी से संस्वीकृतियां प्राप्त किए बिना दैनिकभोगी मालियों की नियुक्ति

जीएफआर, 2005 के नियम 22 के अनुसार, सरकारी निधियों में से व्यय, सक्षम प्राधिकारी की वैध संस्वीकृति के प्रति ही किया जा सकता है। मार्च, 2008, मार्च, 2009, मार्च, 2010, मार्च, 2011 तथा मार्च, 2012 के महीनों के नामावली निर्गम रजिस्टरों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि बागबानी विभाग ने प्राप्त संस्वीकृतियों से अधिक दैनिकभोगी वाली नियुक्त किए थे जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

तालिका 3.12 संस्वीकृति के बिना नियुक्त दैनिकभोगी श्रमिकों की संख्या

अवधि	नामावली निर्गम रजिस्टर के अनुसार नियुक्त दैनिकभोगी श्रमिकों की संख्या	अध्यक्ष से प्राप्त संस्वीकृतियां	संस्वीकृतियों से अधिक नियुक्त मालियों की संख्या
1	2	3	4
मार्च, 08	18	...	18
मार्च, 10	730	485	245
मार्च, 12	790	745	45

विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर, 2012) कि पार्कों और बागों की संस्वीकृति फाईलों का पता नहीं था।

तथ्य यह है कि विभाग अधिक संख्या में नियुक्त मालियों की संस्वीकृतियां प्रस्तुत करने में विफल रहा।
इसी प्रकार सीपीडब्ल्यूडी कॉलोनी पार्कों के अनुरक्षण के मामलों में, विभाग ने सक्षम प्राधिकारियों का कोई अनुमोदन लिए बिना 8 अप्रैल 2009 से 2 जून 2009 तक दैनिक आधार पर 302 माली नियुक्त किए तथा **अनुबंध - 'टी'** के अनुसार उन्हें लगभग ₹ 11.34 लाख का भुगतान किया।

3.3.15 दैनिक मज़दूरी पर सहायक अग्निसुरक्षा गार्डों की अधिक संख्या में नियुक्ति

यह देखा गया था 2006 तथा 2011 के बीच दैनिक भोगी एएफजी की नई संस्वीकृतियों के लिए प्रस्ताव करते समय, विद्यमान एएफजी, तैनात पद संख्या की स्थिति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नहीं रखी गई थी जिसके परिणामस्वरूप संस्वीकृत पद संख्या की तुलना में अधिक एएफजी की नियुक्ति की गई जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.13 दैनिक भोगी श्रमिकों सहित संस्वीकृत पद संख्या और कार्यरत पद संख्या के विवरण

वर्ष	संस्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या			आधिक्य
		नियमित	दैनिक भोगी श्रमिक	जोड़	
2007-08	95	62	65	127	32
2008-09	95	93	138	231	136
2009-10	152	149	142	291	139

2010-11	167	147	220	337	170
2011-12	167	158	126	284	117

विभाग ने कहा (अक्टूबर, 2012) कि संस्वीकृत पद संख्या से अधिक दैनिक श्रमिकों की नियुक्ति, नियमित आधार पर स्टाफ की मांग निर्धारित करने के लिए गठित उप-समिति (दिसम्बर, 2010) की सिफारिश के अनुसार थी। इसके अतिरिक्त, उप-समिति ने विभाग में अन्य पदों के साथ एएफजी के 33 पदों, जो कार्मिक विभाग के पास लम्बित थे, के सृजन का भी प्रस्ताव किया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिक एएफजी की नियुक्ति, दिसम्बर, 2010 में उप-समिति के गठन से पूर्व की गई थी। इसके अतिरिक्त, उप-समिति ने केवल एक प्रस्ताव भेजा था जिसकी सहमति प्राप्त नहीं की गई थी तथा पद का विधिवत सृजन नहीं किया गया था।

3.3.16 चौकीदारों की उपलब्धता के बावजूद नवयुग विद्यालय में निगरानी कार्य के लिए सहायक अग्निसुरक्षा गार्डों की नियुक्ति

अध्यक्ष, एनडीएमसी ने निगरानी कार्य करने के लिए तथा नवयुग विद्यालय, मंदिर मार्ग में अग्नि शमन उपकरणों के अनुरक्षण हेतु अग्निशमन विभाग में आकास्मिक आधार पर नियमित स्टाफ की तैनाती किए जाने तक 7 प्रशिक्षित सहायक अग्निशमन गार्डों (एएफजी) की तैनाती का सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया (नवम्बर, 2007)। सैद्धांतिक अनुमोदन इस शर्त पर था कि सुरक्षा कार्मिकों की आवश्यकता की सीवीओ/सीएसओ/एफओ द्वारा शिक्षा विभाग के परामर्श से चौकीदारों/सुरक्षा गार्डों की स्थिति के प्रति केन्द्रीय रूप से जांच की जानी चाहिए। इस प्रस्ताव में, विभाग ने यह उल्लेख किया था कि शिक्षा विभाग को विद्यालय वार चौकीदारों/सुरक्षा गार्डों की संख्या बताने का अनुरोध किया जाएगा ताकि विद्यमान स्टाफ को विद्यालय परिसर में प्रतिष्ठापित अग्नि शमन उपकरणों को संभालने/उनके अनुरक्षण का प्रशिक्षण दिया जा सके।

तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि:-

(क) विभाग ने शिक्षा विभाग से विद्यमान चौकीदारों/सुरक्षा गार्डों की विद्यालय वार संख्या प्राप्त नहीं की ताकि उन्हें अग्नि शमन का प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

(ख) हालांकि निगरानी कार्य करने के लिए विद्यालय में तीन चौकीदार पहले से ही उपलब्ध थे, फिर भी विभाग ने शिक्षा विभाग के परामर्श से सीवीओ/सीएसओ/सीएफओ/एफओ द्वारा चौकीदारों/सुरक्षा गार्डों की समग्र अपेक्षा की जांच के बिना नवम्बर, 2007 से फरवरी, 2011 तक आकस्मिक आधार पर 7 और एएफजी नियुक्त किए।

विभाग ने कहा (जनवरी, 2013) कि तैनात दैनिकभोगी एएफजी विद्यालय की अग्नि सुरक्षा के लिए थे तथा अगस्त, 2010 में दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) द्वारा जारी अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रत्येक शिफ्ट में दो प्रशिशित अग्नि सुरक्षा सेवा कार्मिकों की आवश्यकता को उचित ठहराना था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उसने दैनिकभोगी, एएफजी नवम्बर, 2007 में अर्थात डीएफएस द्वारा विद्यालय में एएफजी की मांग सम्प्रेषित करने के 30 महीने बाद नियुक्त किए थे। इसके अतिरिक्त, अगस्त, 2010 से मार्च, 2011 तक की अवधि के लिए डीएफएस के अनुमोदन प्रमाण-पत्र के आधार पर एएफजी की नियुक्ति हेतु अनुमोदन अभी प्राप्त किया जाना था।

3.3.17 सहायक अग्नि शमन गार्डों को बिना किसी उपस्थिति अभिलेख के ₹ 5.98 लाख का भुगतान

अग्नि शमन विभाग के पास नियमित स्टाफ अथवा दैनिक मज़दूरी पर नियुक्त स्टाफ के बीच कार्य के आबंटन हेतु कोई कार्य वितरण आदेश नहीं थे। चयनित महीनों के लिए नामावली भुगतान शीटों तथा कार्य उपस्थिति स्लिपों से पता चला कि नामावली निर्गम रजिस्टर उस भवन का नाम नहीं दर्शाते थे जहां दैनिक भोगी मज़दूर तैनात थे। नमूना-जांच

किए गए महीनों के लिए नामावली भुगतान शीट के प्रति उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार दैनिक श्रमिकों की उपस्थिति निम्न प्रकार से थी:

तालिका 3.14 दैनिक श्रमिकों को भुगतान के विवरण जिनकी उपस्थिति दर्ज नहीं थी।

(राशि ₹ में)

जांच किया गया मास	कार्य की संख्या जिनकी उपस्थिति दर्ज थी।	नामावली भुगतान सूची के अनुसार कार्य की संख्या	कार्य दिवसों की संख्या जिनके लिए उपस्थिति उपलब्ध नहीं थी	मज़दूरी दर (प्रति दिन)	उपस्थिति विवरण के बिना मानव दिवरों के लिए भुगतान की राशि
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
मार्च, 08	1081	1658	577	135.25/-	78,039
मार्च, 09	2611	3466	855	142.00/-	1,21,410
मार्च, 10	3248	3345	97	203.00/-	19,691
मार्च, 11	3919	4991	1072	203.00/-	2,17,616
मार्च, 12	2090	2743	653	247.00/-	1,61,291
जोड़			**3254**		**5,98,047**

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि 3254 कार्य दिवस लेखापरीक्षा में नमूना-जांच किए गए पांच महीनों के दौरान उपस्थिति दस्तावेज़ द्वारा समर्थित नहीं थे।

विभाग ने कहा (दिसम्बर, 2012) कि उपस्थिति में अन्तर का समाधान किया जा रहा था।

इसके अतिरिक्त, दैनिकभोगी श्रमिकों की संस्वीकृति, तैनाती और किए गए भुगतान से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि अग्नि शमन विभाग ने विभिन्न भवनें से प्राप्त संस्वीकृतियों के अनुसार दैनिक भोगी एएफजी की नियुक्ति और भुगतान किया। तथापि, उपस्थिति अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि विभाग ने इन भवनों में कम संख्या में दैनिकभोगी श्रमिक तैनात किए थे तथा ₹ 11.45 लाख का भुगतान उपस्थिति दस्तावेजों से समर्थित नहीं था। इन मामलों के विवरण **अनुबंध-यू** में दिए गए हैं।

विभाग ने कहा (दिसम्बर, 2012) कि भवनों के महत्त्व तथा सम्पत्ति और लोगों के जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, कई बार स्टाफ अन्य भवनों से स्टाफ को विपचित करके अधिक संख्या में तैनात किया जाता था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग मूल अभिलेख जैसे उपस्थिति शीटें अथवा इन एएफजी के तैनाती विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहा।

3.3.18 पश्च नियतन प्रयोग को पूरा करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 18.88 लाख का परिहार्य अतरिक्त व्यय हुआ

शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी पश्च-नियतन पर जारी दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि प्रत्येक विद्यालय के लिए अध्यापकों का पश्च नियतन प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त के नामांकन आंकड़ों के आधार पर करना होता है।

शिक्षा विभाग, एनडीएमसी ने सूचित किया (अप्रैल, 2013) कि अध्यापकों का पश्च नियतन प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को छात्रों के नामांकन के आधार पर किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2009-10 तथा 2010-11 के शैक्षिक सत्रों के लिए सहायक अध्यापकों का पश्च नियतन जो क्रमशः दिसम्बर, 2008 तथा दिसम्बर, 2009 तक पूरा किया जाना अपेक्षित था, शिक्षा विभाग द्वारा देर से फरवरी, 2010 में किया गया था। तैनात पद संख्या के प्रति संस्वीकृत पद संख्या तथा पश्च नियतन के अनुसार अध्यापकों की आवश्यकता निम्न प्रकार से थी:-

तालिका 3.15 सहायक अध्यापकों की संस्वीकृत एवं कार्यरत पद संख्या के विवरण

तिथि	सहायक अध्यापक की संस्वीकृत पद संख्या	पश्च नियतन के अनुसार आवश्यकता	एमआईपी	अधिशेष
31.12.07	548	पश्च नियतन नहीं किया	591	43
31.12.08	548	-do-	558	10
31.12.09	462	*437	532	95

**** फरवरी, 2010 की मांग में 21 का छुटटी रिज़र्व शामिल है।***

विभाग ने जुलाई, 2009 से फरवरी, 2010 की अवधि के दौरान 18 संविदागत सहायक अध्यापक नियुक्त किए। इन संविदागत सहायक अध्यापकों की सेवाएं, फरवरी, 2010 के पश्च नियतन प्रयोग में यह पाए जाने के बाद कि विभाग के पास पहले ही आवश्यकता से अधिक सहायक अध्यापक उपलब्ध थे, 11 फरवरी, 2010 को रद्द कर दी गई थी। इस प्रकार, पश्च नियतन प्रयोग के पूरा होने में विलम्ब के कारण, विभाग ने संविदागत अध्यापकों के वेतन पर लगभग ₹ 18.88 लाख का परिहार्य व्यय किया।

3.3.19 भर्ती नियमों की पात्रता शर्तें पूरी किए बिना संविदागत स्टाफ की नियुक्ति

स्टाफ की संविदागत नियुक्ति पर एनडीएमसी द्वारा सं. एसओ(ई)/2696/जे ए-2 दिनाँक 03 दिसम्बर, 2001 द्वारा जारी दिशानिर्देशों, समय-समय पर संशोधित, के अनुसार, सभी संविदागत नियुक्तियां, विशेष पदों के लिए भर्ती नियमों में निहित पात्रता शर्तों की पूर्ति की शर्त पर की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने इस संबंध में निम्नलिखित अनियमितताएं देखी:

(i) विभाग के पास नवम्बर, 2006 को 46 सहायक, अध्यापकों (उर्दू) के संस्वीकृत पद थे, जिनमें से 10 पद नवम्बर, 2006 तक खाली पड़े हुए थे। ये पद केवल सीधी भर्ती द्वारा ही भरे जाने थे। इन पदों के लिए भर्ती नियमों के अनुसार आयु सीमा पुरूषों के लिए 30 वर्ष तथा स्त्री अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष थी। डीएसएसएसबी से नामांकनों के अभाव में, विभाग 1997 से संविदा आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति नहीं कर रहा था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि विभाग ने संविदा आधार पर निम्नलिखित अपात्र सहायक अध्यापक नियुक्त किए थे क्योंकि वे भर्ती नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा का मानदण्ड पूरा नहीं करते थे:

तालिका 3.16 संविदा आधार पर नियुक्त सहायक अध्यापक (उर्दू) जो भर्ती नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा का मानदण्ड पूरा नहीं करते थे।

क्र.सं.	सहायक अध्यापक (उर्दू) का नाम	नियुक्ति की तिथि	आयु
1	सुश्री कुमार नय्यर	15.11.1999	48
2	सुश्री समायना ज़ुबेर	03.8.1999	41
3	सुश्री खुर्शीद बानो	21.12.1999	44
4	सुश्री ज़ारक फ़तिमा	21.1.2000	41
5	श्री नज़ीमा फरहत	08.1.2003	35

(ii) इसी प्रकार, बागबानी विभाग में अनुभाग अधिकारी (बागबानी) के पद सरकारी/अर्ध सरकारी संगठनों में दो वर्ष के अनुभव वाले प्रथम श्रेणी अथवा द्वितीय श्रेणी डिग्री वाले अभ्यार्थियों से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने थे। तथापि, यह देखा गया था कि विभाग ने संविदा पर अनुभाग अधिकारी (बागबानी) के रूप में छः अपात्र अभ्यर्थी नियुक्त किए जिनके पास भर्ती नियमों के अनुसार दो वर्ष का अनुभव नहीं था ।

तालिका 3.17 अनुभाग अधिकारी (बागबानी) के पद हेतु दो वर्ष के अनुभव वाली अनिवार्य शर्त पूरी न करने वाले अभ्यर्थी

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम (सुश्री/श्री)	जन्म तिथि	भर्ती नियमों के अनुसार अपेक्षित अनुभव	अभ्यर्थी का वास्तविक अनुभव
1	विमल कुमार	18.1.81	बागाबानी में दो वर्ष का अनुभव	छः माह
2	पंकज कुमार	6.7.81		कोई नहीं
3	लोकेश कुमार	14.1.84		कोई नहीं
4	अनुज कुमार	15.5.84		कोई नहीं
5	अजय कुमार	10.6.83		कोई नहीं
6	प्रवीण कुमार	16.12.80		एक वर्ष

इस प्रकार, उपर्युक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति एनडीएमसी दिशानिर्देशों के उल्लंघन में थी।

3.3.20 सार्वजनिक सूचना के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए बिना संविदागत स्टाफ की नियुक्ति

स्टाफ की संविदागत नियुक्ति के लिए एनडीएमसी दिशानिर्देशों के अनुसार, अभ्यार्थियों का चयन सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करके तथा परिषद् के सचिव/अध्यक्ष द्वारा विधिवत गठित चयन समिति द्वारा अभ्यार्थियों के चयन के द्वारा करना होता है। तथापि, यह देखा गया था कि दशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए शिक्षा विभाग ने निम्नलिखित शिक्षण एवं गैर-शिक्षण स्टाफ की उनके द्वारा प्रस्तुत सीधे आवेदनों के आधार पर नियुक्ति की गई थी:

तालिका 3.18 एनडीएमसी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए संविदा आधार पर स्टाफ की नियुक्ति

क्र.सं.	स्टाफ का नाम	पद	अनुमोदन की तिथि
1	श्रीमती सुषमा देवी	टीजीटी (सामान्य अंग्रेजी/सामाजिक विज्ञान)	02.07. 2010
2	श्रीमती जे. रीना	टीजीटी (हिन्दी/सा.विज्ञान)	02.07.2010
3	श्रीमती शिखा भारद्वाज	टीजीटी (सामान्य)	02.07.2010
4	श्री संदीप कुमार वर्मा	टीजीटी (सा.वि. एवं गणित)	25.03.2010
5	सुश्री कैलाश रानी	टीजीटी (सा.वि. एवं गणित)	25.03.2010
6	सुश्री बिन्दू शर्मा	टीजीटी (सा.शिक्षा)	06.08.2010
7	सुश्री निर्मला	टीजीटी (सा. शिक्षा)	06.08.2010
8.	सुश्री प्रीति शर्मा	टीजीटी (गणित/अंग्रेजी)	27.10.2010
9.	श्री कामिनी कौशल सिंह	टीजीटी (सा. शिक्षा)	22.12.2010
10.	सुश्री नीरू कुकड़ेजा	टीजीटी (हिन्दी)	14.01.2011
11.	सुश्री रेणु शर्मा	पीजीटी (अर्थ-शा.)	05.07.2011
12.	सुश्री मनीषा कुमारी	टीजीटी (हिन्दी)	05.07.2011
13.	श्री दीपक कुमार	टीजीटी (हिन्दी)	05.07.2011
14.	श्री दीपक भरद्वाज	सहायक अध्यापक	12.07.2011
15.	श्रीमती विनीता	टीजीटी (सा. विज्ञान)	04.01.2012
16	सुश्री दीपिका शर्मा	क.लाईब्रेरियन	09.02.2012

3.3.21 नए करार किए बिना संविदागत सेवाओं का विस्तार

(क) शिक्षा विभाग ने एनडीएमसी दिशानिद्रेशों के अन्तर्गत अपेक्षित सार्वजनिक सूचना के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए बिना नवम्बर, 1999- जनवरी, 2003 के दौरान संविदा आधार पर पांच सहायक अध्यापकों (उर्दू) की अवधि बढ़ा दी थी।

(ख) इसी प्रकार, पार्किंग मार्गदर्शन तथा प्रबंधन प्रणाली (पीजीएमएस) को संचालित करने के लिए सुरक्षा विभाग की ओर से सुरक्षा विभाग ने एनडीसीसी-2, पालिका पार्किंग तालकटोरा पार्किंग तथा सर्वर कमरों के पार्किंग स्थलों पर बूथ बनाए रखने के लिए 10 डॉटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ) नियुक्त किए। तथापि, मांग का कोई स्वतंत्र निर्धारण नहीं किया गया था, तकनीकी अर्हताएं नियत नहीं की गई थीं तथा दिशानिर्देशों में निहित निर्धारित चयन पद्धति का अनुसरण नहीं किया गया था तथा पीजीएमस विक्रेता द्वारा निर्धारित डीईओज़ के नाम स्वीकार कर लिए गए थे। आईटी विभाग ने सहमति व्यक्त की (अप्रैल, 2013) कि अत्यावरयकता के कारण, विक्रेता द्वारा प्रदत्त प्रणाली को संचालित करने में सक्षम प्रशिक्षित डीईओज़ की सूची स्वीकार कर ली गई थी। तथापि, तथ्य यह है कि अनुबंध नियुक्ति के लिए समुचित प्रद्धति का अनुसरण नहीं किया गया था।

(ग) सुरक्षा विभाग ने संविदा आधार पर छः ड्राईवर (4 नवम्बर, 2010 में तथा 2 मई, 2011 में) उनके द्वारा प्रस्तुत सीधे आवेदनों के आधार पर नियुक्त किए क्योंकि मांग के लिए कोई सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की गई थी।

3.3.22 संस्वीकृत पद संख्या से अधिक संविदा आधार पर डॉटा एन्ट्री ऑपरेटर, ग्रेड 'ए' की नियुक्ति

स्टाफ की संविदागत नियुक्ति हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी संविदागत नियुक्तियां, केवल नियमित संस्वीकृत पदों के प्रति ही की जाएगी। मुख्य स्थापना के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि यद्यपि एनडीएमसी के पास 2007-11 के दौरान 8 से 26 के बीच फालतू डीईओ (ग्रेड 'ए') थे, तथापि उसने उसी अवधि के दौरान संविदा आधार पर 18 से 52 और डीईओ (ग्रेड 'ए') की नियुक्ति की थी जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

तालिका 3.19 दिसम्बर 2007-11 की अवधि के दौरान डीईओ ग्रेड 'ए' की स्थिति

(आंकड़े संख्या में)

समाप्त वर्ष	संस्वीकृत पद संख्या (नियमित)	वास्तविक पद संख्या	फालतू	संविदा नियुक्ति
दिसम्बर, 2007	41	67	26	18
दिसम्बर, 2008	40	62	22	52
दिसम्बर, 2009	37	45	08	30
दिसम्बर, 2010	34	47	13	24
दिसम्बर, 2011	34	45	11	23

परिणामतः, एनडीएमसी ने इन नियुक्तियों पर ₹ 17.69 लाख का परिहार्य व्यय किया।

3.3.23 आऊटसोर्स सुरक्षा एजेंसियों द्वारा दी जा रही सेवाओं की मॉनीटरिंग करने के लिए सुरक्षा विभाग में तन्त्र का अभाव

एनडीएमसी के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न भवनों और स्थानों के लिए सुरक्षा तथा यातायात सेवाएं प्रबंध, सुरक्षा विभाग द्वारा निजी सुरक्षा एजेंसियों को आऊटसोर्स किए गए थे। निम्न तालिका 2007-12 के दौरान निजी सुरक्षा एजेंसियों के माध्सम से सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति को दर्शाती है:-

तालिका 3.20

वर्ष	निजी सुरक्षा एजेंसियों की संख्या	नियुक्त सुरक्षा गार्डों की संख्या
2007-08	14	741
2008-09	08	814
2009-10	10	824
2010-11	08	909
2011-12	10	962

सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसियों के विवरण **अनुबंध-V** में दिए गए हैं:-

निजी सुरक्षा एजेंसियों के साथ किए गए सुरक्षा करार की शर्तों के खण्ड 8(जी) में प्रावधान है कि एजेंसी एनडीएमसी की आवश्यकता के अनुसार अपना स्टाफ तैनात करेगी तथा निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार कार्मिकों की

दैनिक नियुक्ति के लिए रजिस्टर का अनुरक्षण करेगी तथा वह रजिस्टर विभाग के प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अभिलेखों के अनुचित अनुरक्षण का पता चला जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(क) सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अनुरक्षित उपस्थिति अभिलेखों में एजेंसी का नाम, स्थान, अनुबंध की अवधि, तैनात व्यक्तियों की संख्या नहीं दर्शाए गए थे। पेन्सिल मं उपस्थिति दर्ज करने और बाद में उस स्याही भर देने, एक ही हाथ से सभी सुरक्षा कार्मिकों की उपस्थित दर्ज करने तथा खाली कॉलम भी देखे गए थे। इसके अतिरिक्त ये रजिस्टर एनडीएमसी के प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी नहीं किए गए थे।

(ख) मार्च, 2011 तथा मार्च, 2012 के लिए सुरक्षा एजेंसियों के उपस्थिति अभिलेखों तथा मासिक बिलों की नमूना-जांच से ज्ञात हुआ कि विभाग ने सुरक्षा एजेंसियों को क्रमश: ₹ 16.81 लाख तथा ₹ 12.69 लाख का उन अवधियों के लिए भुगतान किया था जिनकी उपस्थिति दर्ज नहीं थी जिसका विवरण **अनुबंध-डब्ल्यू** में दिया गया है।

विभाग ने कहा (अप्रैल-2013) कि बड़ी संख्या में स्थानों तथा तीन शिफ्टों में फैली मानवशक्ति के कारण, सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अनुरक्षित उपस्थिति अभिलेखों की जांच करना व्यवहार्य नहीं था। तथापि, यह आश्वासन दिया गया था कि भविष्य में उपस्थिति अभिलेखों की बिलों के प्रस्तुतिकरण के समय पर्यवेक्षीय अधिकारियों द्वारा जांच कराई जाएगी।

3.3.24 रिलीविंग प्रभारों का अनियमित भुगतान

सुरक्षा अनुबंध के खण्ड 8(एफ) में प्रावधान है कि आठ घंटे की ड्यूटी शिफ्ट 0600 बजे से 1400 बजे, 1400 बजे से 2200 बजे तथा 2200 बजे से 0600 बजे तक होगी तथा इससे अधिक (लगातार 8 घंटे से अधिक) ड्यूटी घंटों की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, ठेका सौंपने के पत्र में छुट्टी/साप्ताहिक छुट्टी तथा अवकाश के दिनों में राहत के रूप में प्रतिपूर्ति के लिए मूल वेतन पर 16.75 प्रतिशत की दर पर रिलीविंग प्रभारों, जमा ईपीएफ तथा ईएसआई अंशदान का प्रावधान है।

तद्नुसार, एजेंसियों से यह अपेक्षित था कि वे उसी मानवशक्ति को दो अथवा तीन शिफ्टों में घुमाने के बजाए उपर्युक्त अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कार्मिक काम पर लगाएं। निम्नतम बोलीदाता की दरें अनुमोदित करते समय, विभाग द्वारा उपर्युक्त पहलुओं को ध्यान में रखा गया था।

सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अनुरक्षित उपस्थिति अभिलेखों की नमूना-जांच से ज्ञात हुआ कि विभाग ने बिना किसी ब्रेक के दोहरी अथवा तिहरी शिफ्टों में ड्यूटी करने वाले सुरक्षा कार्मिकों की उपस्थिति स्वीकार की जिसका विवरण **अनुबंध-एक्स** में दिया गया है। यह अनुबंध करार का उल्लंघन था जिससे 16.75 प्रतिशत की दर पर रिलीविंग प्रभारों के भुगतान का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

विभाग ने कहा (अप्रैल, 2013) कि आपवादिक मामलों में, सुरक्षा गार्डों को दोहरी शिफ्टों में काम करना पड़ता है क्योंकि स्थान को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। तथापि, भविष्य में तीन लगातार शिफ्टों में स्टाफ की तैनाती से बचने के प्रयास किए जाएंगे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को स्टाफ को दोहरी तथा तिहरी शिफ्टों में घुमाने से बचने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कार्मिकों की तैनाती के लिए अतिरिक्त धन का भुगतान किया जा रहा था। विभाग को ठेके की शर्तों के उल्लंघन के लिए सुरक्षा एजेंसियों के प्रति शस्तिक कार्रवाई न करने के कारण भी बताने चाहिएं।

3.3.25 ईपीएफ/ईएसआई अंशदानों के व्यक्तिगत विवरण प्राप्त किए बिना भुगतान करना

सुरक्षा अनुबंध के खण्ड 2(सी) में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा प्रदत्त मासिक बिल प्रस्तुत करते समय ईपीएफ, ईएसआई तथा अन्य करों के संबंध में लेखा संख्याओं के व्यक्तिगत ब्यौरे प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

अभिलेखों की नमूना-जांच से ज्ञात हुआ कि विभाग ने सुरक्षा ठेकेदारों से ईपीएफ, ईएसआई अंशदान के संबंध में लेखा संख्याओं के व्यक्तिगत विवरण प्राप्त किए बिना नवम्बर, 2009- जुलाई, 2012 **(अनुबंध-वाई)** की अवधि के लिए लगभग ₹ 4.55 करोड़ के भुगतान किए **(अनुबंध-वाई)।**

विभाग ने कहा (अप्रैल, 2013) कि मासिक बिलों के पहले भुगतान ईपीएफ तथा ईएसआई चालानों की प्रति प्राप्त करने के बाद ही किए गए थे। यद्यपि विभाग ने ईपीएफ/ईएसआई अंशदान के व्यक्तिगत विवरण प्राप्त करने अब शुरू कर दिए थे, तथापि उनके लिए नियुक्त व्यक्तियों के ब्यौरों सहित ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत विवरण का मिलान करना व्यवहार्य नहीं था।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ईपीएफ तथा ईएसआई से संबंधित भुगतानों के लाभ नियुक्त सुरक्षा स्टाफ को ही दिए जाते हैं, विभाग को एजेंसियों को वास्तविक भुगतान करने से पूर्व ईपीएफ तथा ईएसआई चालानों की प्रतियों के लिए ज़ोर देना चाहिए।

3.3.26 अपेक्षित योग्यता वाले सुरक्षा स्टाफ की तैनाती को मॉनीटर करने की प्रणाली का अभाव

सुरक्षा ठेके की शर्तों के खण्ड 5 में प्रावधान है कि एजेंसियां अपेक्षित शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक मानदण्ड, चिकित्सा फिटनेस, भूतपूर्व सैनिकों द्वारा 30 प्रतिशत तैनाती तथा अधिकतम 55 वर्ष की आयु वाले सेवानिवृत रक्षा पुलिस कार्मिकों द्वारा पर्यवेक्षण, पुलिस प्राधिकारियों द्वारा नियमित प्रशिक्षण तथा पूर्ववृत की जांच आदि की उच्च गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान करेंगी।

तथापि, यह देखा गया था कि विभाग के पास सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इन शर्तों की पूर्ति दर्शाने का कोई तंत्र अथवा अभिलेख उपलब्ध नहीं था।

विभाग ने कहा (अप्रैल, 2013) कि इन सभी प्राचलों की क्षेत्रीय विभाग द्वारा तैनाती के समय जांच की जा रही थी; तथापि, इस संबंध में कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए थे और अब विभाग ने आवश्यक अभिलेख रखने शुरू कर दिए हैं।

विभाग को सुरक्षा चिन्ताओं के मद्देनज़र सभी अनिवार्य अपेक्षाओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।

3.3.27 निजी सुरक्षा एजेंसियों को वेतन पर्ची प्रस्तुत किए बिना भुगतान जारी करना।

सुरक्षा ठेके की शर्तों के खण्ड 6(सी) में प्रावधान है कि एजेंसियां अपने कर्मचारियों को मज़दूरी का भुगतान करेंगी तथा एनडीएमसी द्वारा भुगतान किए जाने के लिए मासिक बिलों के साथ प्रापकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वेतन पर्चियों की प्रतियां प्रस्तुत करेंगी।

यह देखा गया था कि विभाग ने मासिक बिलों का भुगतान करने से पूर्व एजेंसियों से वेतन पर्चियां प्राप्त नहीं की थीं।

विभाग ने कहा (अप्रैल, 2013) कि भुगतान विभाग के हैड कांस्टेबल द्वारा की गई जांच तथा समय-समय पर अचानक जांच के आधार पर किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत वेतन पर्चियों की जांच किए बिना उन्हें भुगतान करना ठेके के प्रावधानों का उल्लंघन था।

अध्याय - 4

लेखा विभाग

4.1 बैंक लेखाओं के अनियमित मिलान के परिणामस्वरूप एनडीएमसी के लेखे में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ₹ 19.46 लाख क्रेडिट नहीं हुए ।

विभाग की बैंक लेखे के समय पर मिलान में विफलता के परिणामस्वरूप नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एनडीएमसी) लेखे में ₹ 19.46 लाख क्रेडिट नहीं हुए ।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिषद् द्वारा चैकों के माध्यम से जमा की गई राशि बैंक द्वारा उसके लेखाओं में सही ढंग से क्रेडिट कर ली गई है, बैंक लेखाओं का नियमित अन्तराल पर मिलान कर लिया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त महा लेखा नियंत्रक के नियम 24 (प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली) में यह भी प्रावधान है कि मिलान मासिक आधार पर किया जाना चाहिए ।

रोकड़ शाखा के लेखाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि शाखा द्वारा नियमित समाधान नहीं किया गया है। अत: नवम्बर 2005 से जुलाई 2008 तक की अवधि से संबंधित अन्तर मई 2011 में अर्थात् जमाओं की तिथि के पश्चात् 3 से 6 वर्ष बीतने के बाद ध्यान में आए। ₹ 19.46 लाख की राशि के 14 चैक, जो भारतीय स्टेट बैंक में नवम्बर 2005 और जुलाई 2008 के बीच जमा कराए गए थे, एनडीएमसी लेखे में क्रेडिट नहीं किए गए थे। इन चैकों के विवरण नीचे दिए गए हैं:-

तालिका 4.1

क्र.सं.	जमा की तिथि	पे-इन स्लिप सं.	राशि ₹ में
1	18-11-05	319	2210
2	18-11-05	320	5182
3	01-12-06	018	4940
4	22-03-07	393	474761
5	07-12-07	148	40500
6	13-09-07	176	304728
7	15-03-08	258	116109
8	08-03-08	117	123641
9	08-03-08	110	12615
10	08-03-08	114	10429
11	18-03-08	320	6880
12	18-03-08	323	1761
13	18-03-08	332	55568
14	25-07-08	451	786944
		जोड़	**19,46,268**
	अर्थात्		**₹ 19.46 लाख**

यद्यपि अन्तर ध्यान में आने के पश्चात् मामला मई 2011 में भारतीय स्टेट बैंक के साथ उठाया गया था, तथापि ₹ 19.46 लाख की राशि एनडीएमसी लेखे में अभी क्रेडिट की जानी थी (जनवरी 2014)

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि वे एनडीएमसी लेखे में ₹ 19.46,268 की राशि यथाशीघ्र क्रेडिट करने के लिए बैंक अधिकारियों के व्यक्तिगत सम्पर्क में हैं।

विभाग को नियमित आधार पर बैंक लेखे का मिलान करने की आवश्यकता है ताकि अन्तर, यदि कोई हो, तो उनका समय पर पता लगाया जा सके तथा राशि समय पर एनडीएमसी लेखे में क्रेडिट की जा सके ।

अध्याय - 5

सिविल इंजीनियरिंग विभाग

5.1 ₹ 6.25 लाख के विविध अग्रिमों का समायोजन न करना

₹ 6.25 लाख के विविध अग्रिमों का समायोजन न करना

विभाग ने काफी समय पहले विभिन्न संगठनों को प्रदत्त ₹ 6.25 लाख के विविध अग्रिमों का समायोजन नहीं किया ।

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 292 (1) के अनुसार, कार्यालयाध्यक्ष, माल एवं सेवाओं अथवा कार्यालय के प्रबंधन के लिए आवश्यक किसी अन्य विशेष उद्देश्य के लिए खरीद हेतु सरकारी कर्मचारी को अग्रिम संस्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत है। इसके अतिरिक्त, जीएफआर के नियम 292 में प्रावधान है कि शेष, यदि कोई हो, सहित, विविध अग्रिमों के बिल का समायोजन, अग्रिम के आहरण के 15 दिन के अन्दर सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर अग्रिम अथवा शेष की उसके अगले वेतन से वसूली की जाएगी ।

सड़क-IV (सिविल) के विविध अग्रिम रजिस्टर की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 17 मामलों में मार्च 1990 से अक्टूबर 2010 के बीच आहरित ₹ 83.49 लाख के विविध अग्रिम दिसम्बर 2012 तक असमायोजित पड़े थे ।

लेखापरीक्षा में बताए जाने पर, विभाग ने सूचित किया (जनवरी 2014) कि ₹ 77.23 लाख की राशि अब समायोजित कर ली गई है तथा ₹ 6.25 लाख अभी समायोजित किए जाने थे **(अनुबंध- जेड)** ।

विभाग को जीएफआर के प्रावधानों के अनुसार अग्रिम के समायोजन को समय पर मॉनीटर करने की आवश्यकता है।

5.2 कम दरों पर भूमि के आवंटन के कारण ₹ 93.61 लाख के राजस्व की हानि

प्रचलित सर्किल दर से कम दर पर एक ठेकेदार को भूमि किराए पर देने के परिणामस्वरूप एनडीएमसी को ₹ 93.61 लाख के राजस्व की हानि हुई ।

अधिशासी अभियंता, सड़क-II मंडल ने उनकी ₹ 3,10,31,431 की निविदागत पर ''कंक्रीट की सड़को द्वारा कॉलोनी की सड़कों को चौड़ा करने और मजबूत करने तथा लोधी कॉलोनी में एम.एस. गेट्स को चौड़ा करने'' के लिए मार्च 2012 में मैसर्ज़ रौनक कंस्ट्रक्शन (ठेकेदार) के साथ एक करार किया। काम को शुरू और पूरा करने की निर्धारित तिथियां क्रमश: 23 फरवरी 2012 और 22 मार्च 2013 थी ।

मार्च 2012 में ठेकेदार ने एनडीएमसी को कार्य के लिए आरएमसी संयंत्र स्थापित करने के लिए सराय काले खां पर आधा एकड़ भूमि का टुकड़ा देने का अनुरोध किया । एनडीएमसी ने मास अप्रैल 2012 से ₹ 66,500 के मासिक किराए पर ठेकेदार को भूमि आवंटित की। भूमि का किराया ऐसे समान मामलो के आधार पर नियत किया गया था जहां आधा एकड़ टुकड़ा सड़क-III मंडल द्वारा अर्जुन दास कैम्प क्षेत्र मे एक ठेकेदार को किराए पर दिया गया था। ठेकेदार ने ठेके के समापन पर 22 जुलाई 2013 को भूमि खाली कर दी ।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 66,500 प्रति मास का किराया क्षेत्र की प्रचलित सर्किल दर निर्धारित किए बिना ही नियत किया गया था। यह भी देखा गया था कि एक ऐसे समान मामले में जहां सराए काले खां क्षेत्र में आधा एकड़ भूमि का टुकड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा किराए पर दिया गया था, एनडीएमसी ने उस क्षेत्र की प्रचलित सर्किल दरों के आधार पर ठेकेदार से ₹ 6,51,545 की मासिक किराया प्रभारित किया था ।

इस प्रकार, ठेकेदार को क्षेत्र की प्रचलित सर्किल दरों से काफी कम दरों पर भूमि का आबंटन करने के कारण, एनडीएमसी ₹ 93.61 लाख के राजस्व की हानि उठाई ।

विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2013) कि बेहतर प्रबंधन तथा गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आस-पास के क्षेत्र में संयंत्र लगाना वांछनीय समझा गया था तथा किराया निश्चित करने के लिए आधार दर/संदर्भ दर पूर्व अनुमोदन के संबंध में ली गई थी। इसके अतिरिक्त, विभाग ने आश्वासन दिया कि भविष्य में लेखापरीक्षा टिप्पणियां ध्यान में रखी जाएगी ।

विभाग ने यह भी कहा (जनवरी 2014) कि उसने ठेकेदार (ठेकेदारों) को एनडीएमसी भूमि के आवंटन हेतु ड्राफ्टिंग/एकरूप नीति बनाने के बारे में सूचित किया था ।

5.3 अविवेकपूर्ण पुनः निविदाकरण के परिणामस्वरूप ₹ 2.35 लाख की हानि

अविवेकपूर्ण पुनः निविदाकरण के परिणामस्वरूप परिषद् को ₹ 2.35 लाख की हानि हुई।

विभाग ने ''नेताजी नगर बी,सी,डी एवं एफ (टाईप-1) ब्लाक और नेताजी नगर मार्किट में पोर्टा केबिन के निर्माण'' के कार्य के लिए ई-निविदाकरण के माध्यम से 10 जुलाई, 2010 को निविदाएं आमंत्रित की। निम्नलिखित निविदाकर्ताओं से प्राप्त निविदाएं 22 जुलाई 2010 को खोली गई थी ।

तालिका 5.1

क्र.सं.	निविदाकर्ता का नाम	अनुमानित लागत (₹ में)	उद्धृत दरें (₹ लाख में)	अनुमानित लागत से अधिक % ता	
1	मैं० एक्सपर्ट कंस्ट्रकशन कं.	1717465	18.01	4.89% अधिक	एल-1
2	मैं० पुष्कर क्रंस्ट्रशन		20.74	20.76% अधिक	एल-II
3	मैं० न्यू टेक (इण्डिया)		20.82	21.25% अधिक	एल-III

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, मैं० एक्स्पर्ट कंस्ट्रक्शन कम्पनी ने निम्नतम दर अर्थात् ₹ 18.01 लाख उद्धृत की जो अनुमानित लागत से केवल 4.89 प्रतिशत अधिक थी। यद्यपि अधिशासी अभियंता (सड़क- III) ने उद्धृत दरों पर निविदाएं स्वीकार करने की सिफारिश की थी, तथापि विभाग ने मार्च 2007 में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों, जो कुछ आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर एल-1 के साथ

पश्च-निविदा वार्ता के लिए मना करते हैं, कि अवहेलना करते हुए दरों की कमी की संभावना के आधार पर एल- I के साथ वार्ता करने का निर्णय लिया। इस मामले में चूंकि दरें अनुमानित लागत से केवल 4.89 प्रतिशत अधिक थी तथा एल- II और एल- III की दरें एल- I निविदाकर्ता से काफी अधिक थी, अतः चर्चा के विकल्प के कोई कारण नहीं थे।

मंडल ने एल-1 के साथ चर्चा की जिसने अपनी उद्धृत दरें कम करने से इनकार कर दिया तथा निविदा की वैधता को 15 दिसम्बर 2010 तक बढ़ाने का अनुरोध किया। परन्तु एल-1 का अनुरोध रद्द कर दिया गया था तथा नई निविदाएं आमंत्रित की गई जो 22 दिसम्बर 2010 को खोली गई थी ।

पुनः निविदाकरण में, केवल दो फर्मे एल- II तथा एल-III ने पहले आमंत्रण में निम्नलिखित दरें प्रस्तावित की :

तालिका 5.2

	निविदाकर्ताओं का नाम	**अनुमानित लागत**	**उद्धृत दरें (₹ लाख में)**	**अनुमानित लागत से अधिक प्रतिशतता**	
1	मैं० पुष्कर क्रंस्ट्रशन	1717465	20.78	20.99% अधिक	एल-I
2	मैं० न्यू टेक (इण्डिया)		20.98	22.13% अधिक	एल-II

मैं० पुष्कर कंस्ट्रक्शन ने निम्नतम दर अर्थात् ₹ 20,77,920 उद्धृत की जो अनुमानित लागत से 20.99% अधिक थी। मंडल ने पुनः एल-1 के साथ वार्ता की तथा वार्ता के पश्चात् ठेका ₹ 20,36,362 पर दे दिया गया था जो अनुमानित लागत से 18.56% अधिक थी।

इस प्रकार, मैं० एकस्पर्ट कंस्ट्रक्शन कं. का प्रस्ताव जिसने अनुमानित लागत से 4.89% अधिक दरें उद्धृत की थी रद्द हो जाने के कारण तथा पुनः निविदाएं आमंत्रित करने तथा अनुमानित लागत से 18.56 प्रतिशत दरें स्वीकार करने के कारण ₹ 2,34,913 की हानि उठाई और केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का भी उल्लंघन किया ।

विभाग ने कहा कि पुनः निविदाकरण, वार्तालाप के माध्यम से दरें कम करवाने की संभावना से उस समय के एसई (पी) के परामर्श पर किया गया था। चूंकि निम्नतम निविदाकर्ता ने दरें कम करने के लिए इनकार कर दिया था, अतः पुनः निविदाकरण किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रथम आमंत्रण में निम्नतम निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत दरें अनुमानित लागत से केवल 4.89% ही अधिक थी तथा अन्य निविदाकर्ताओं द्वारा उद्धृत दरों से काफी कम थी। इसके अतिरिक्त, विभाग ने निम्नतम निविदाकर्ता से वार्ता की जोकि सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमत नहीं था।

विभाग को निविदाकरण प्रक्रिया पर सी वी सी दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए तथा पारदर्शिता लाने के लिए पुनः निविदाकरण पर एक वस्तुपरक नीति बनानी चाहिए।

अध्याय-6

सम्पदा विभाग

6.1 ₹ 721.77 करोड़ के लाइसेंस शुल्क की वसूली न करना ।

विभाग के भाग पर अपर्याप्त कार्रवाई किए जाने के कारण लाइसेंस शुल्क के ₹ 721.77 करोड़ के बकाया का संचय हुआ ।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एनडीएमसी) 1994 की धारा 363 में प्रावधान है कि अधिनियम अथवा किसी अन्य उप-नियम के अन्तर्गत परिषद् को किसी प्रभार, लागत, खर्चों, शुल्क, दरों अथवा किराए के प्रति अथवा किसी अन्य प्रकार से देय कोई राशि ऐसे किसी भी व्यक्ति से जिससे वह राशि अधिनियम के अन्तर्गत कर के बकाया के रूप में देय है, वसूली योग्य होगी बशर्ते इस धारा के अन्तर्गत किसी राशि की वसूली के लिए उक्त राशि के देय होने की तिथि से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि सम्पदा विभाग ने वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताए जाने के बावजूद चूककर्ता पार्टियों से लाइसेंस शुल्क, ब्याज आदि के भारी बकाया की वसूली के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं की थी।

लाइसेंस शुल्क की राशि 2010-11 में ₹ 691.98 करोड़ (835 पार्टियों) से बढ़कर 2011-2012 में ₹ 721.77 करोड़ (659 पार्टियों) हो गई थी। यह भी देखा गया था कि ₹ 721.77 करोड़ के कुछ बकाया में लाइसेंस शुल्क के रूप में ₹ 385.24 करोड़ तथा ब्याज के प्रति ₹ 336.53 करोड़ शामिल है।

बकाया राशि के विस्तृत विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि बकाया राशि की रेंज निम्न तालिका में दर्शाए गए अनुसार थी:

तालिका 6.1

क्र.सं.	बकाया राशि की रेंज	मामलों की संख्या	कुल बकाया ₹ में
1.	₹ 5 लाख तक	539	4,21,64,677
2.	₹ 5 लाख से अधिक ₹ 10 लाख तक	35	2,44,69,013
3.	₹ 10 लाख से अधिक ₹ 25 लाख तक	54	9,59,64,858
4.	₹ 25 लाख से अधिक ₹ 50 लाख तक	10	3,21,58,801
5.	₹ 50 लाख से अधिक ₹ 1 करोड़ तक	3	1,77,55,394
6.	₹ 1 करोड़ से अधिक	18	7,00,51,74,428
	जोड़	**659**	**7,21,76,87,171**

उपर्युक्त तालिका के और विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि लाइसेंस शुल्क की ₹ 7,00,51,74,429 करोड़ की राशि 18 पार्टियों से बकाया थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 6.2

क्र.सं.	ईपीआईडी	सम्पति का नाम	बकाया ₹ में
1.	229	डी.एन. राणा, दुकान सं० जी-43, पालिका बाजार	1,00,23,141
2.	2868	कम्म-ऑफ इन्कम	23,25,73,128
3.	2879	गिरधर भगत एण्ड कं. (होटल एशियन जनपथ)	27,21,09,568
4.	2878	सुपर बाजार	10,90,86,627
5.	2881	सी.जे. इंटरनेशनल	459,25,45,794
6.	2882	भारत होटल	11,83,81,743
7.	2885	लोक नायक भवन	6,98,24,739
8.	2898	निदेशक (सीबीआई), यशवंत प्लेस	4,07,94,882
9.	2922	होटल प्रॉमिनेंट	102,32,47,076
10.	2948	आयुक्त, सीपीएफ	2,11,46,803
11.	2949	- वही-	1,02,84,735
12.	2951	-वही-	7,47,49,280
13.	3600	सी डब्ल्यू जी आर्गेनाइज़िंग कमिटि	10,96,11,309
14.	3637	-वही-	1,10,06,566
15.	3640	पर्यावरण एवं वन	2,27,27,313
16.	4152	मैं० रिवारिया कमर्शियल	22,23,26,732
17.	4154	उप सचिव (एलईएम)	3,05,02,691
18.	4155	अवर सचिव, गृह मंत्रालय	3,42,32,302
		जोड़	**700,51,74,429**

लेखाापरीक्षा द्वारा यह भी देखा गया था कि क्र.सं. 7 की सम्पत्ति के संबंध में लाइसेंस शुल्क का संशोधन 7 नवम्बर 2008 को देय था जो चार वर्ष और तीन महीने बीत जाने के पश्चात् जनवरी 2013 में संशोधित किया गया था। तथापि, लाइसेंस शुल्क की वसूली अभी की जानी थी ।

विभाग ने मामला-दर-मामला आधार पर विस्तृत उत्तर दिए बिना कहा (मार्च 2013) कि (i) ₹ 627.13 करोड़ (होटलों सहित) की राशि के लगभग 95 मामलें विभिन्न न्यायालयों में लम्बित थे, (ii) ₹ 85 करोड़ (अनुमानत) के बकाया सरकारी इकाईयों से बकाया थे तथा ₹ 7.26 करोड़ के बकाया दुकानों/स्टालों से बकाया थे।

अक्टूबर, 2013 में जारी वास्तविक विवरणी का उत्तर प्रतीक्षित है।

इस तथ्य के मद्देनज़र कि विभिन्न पार्टियों से लाइसेंस शुल्क की एक बहुत बड़ी राशि (₹ 721.77 करोड़) वसूल की जानी शेष है, निर्धारण, मांग करने, अनुवर्ती कार्रवाई, मॉनीटरिंग तथा लेखाकरण की विद्यमान प्रणाली की समीक्षा करने और उसे मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

6.2 जनपथ मार्किट के लाइसेंसधारियों से ₹ 12.24 करोड़ के बकाया लाइसेंस शुल्क की वसूली के लिए कार्रवाई न करना/अपर्याप्त कार्रवाई करना ।

जनपथ मार्किट में सभी 29 दुकानों के संबंध में ₹ 12.24 करोड़ के लाइसेंस शुल्क का बड़ा संचय विभाग के भाग पर कार्रवाई न करने/अपर्याप्त कार्रवाई करने का सूचक है।

भारत सरकार के निर्णय के अनुसरण में, शहरी विकास मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना दिनाँक 24 मार्च, 2006 के द्वारा भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एवं डी ओ), सम्पदा निदेशालय तथा केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के अन्तर्गत कुछ बाजार ''जैसे हैं, जहां हैं'' के आधार पर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एनडीएमसी) तथा दिल्ली नगर निगम को ट्रांसफर कर दी। इन बाज़ारों में जनपथ मार्किट की 29 दुकानें भी शामिल थी जो एनडीएमसी को ट्रांसफर की गई थी ।

उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार, बाज़ारों के ट्रांसफर के पश्चात्, एनडीएमसी पट्टाकार अथवा पट्टाधारी के रूप में कार्य करती है और उन सभी शक्तियों का प्रयोग करती है जो एल एण्ड डी ओ तथा सीपीडब्ल्यूडी, जैसा भी मामला हो द्वारा निष्पादित की जा रही थी। पट्टाकार/पट्टाधारी के कार्य निष्पादित करने के अतिरिक्त, एनडीएमसी भवन उप-नियमों, नगरपालिका उप-नियमों के उल्लंघन के विरूद्ध समुचित कार्रवाई कर सकती है तथा अन्य सांविधिक शक्तियों का प्रयोग कर सकती है।

इसके अतिरिक्त लाइसेंसदाता के साथ किए गए पट्टा विलेख के अनुसार, लाइसेंस की किन्हीं शर्तों के उल्लंघन की दशा में, लाइसेंसदाता के लाइसेंस को रद्द करने तथा समाप्त करने के अतिरिक्त जमा की प्रतिभूति को समग्र रूप से अथवा आंशिक रूप से ज़ब्त करने का अधिकार होगा तथा इस प्रकार से रद्दीकरण किए जाने पर, लाइसेंसधारी का यह कर्तव्य होगा कि वह बिना किसी विरोध तथा रूकावट के परिसर को खाली कर दे तथा लाइसेंसदाता को सम्पत्ति का पूरा नियंत्रण प्रदान करे। इसके अतिरिक्त एनडीएमसी को लाइसेंसधारी द्वारा शर्तों के उल्लंघन की दशा में बिजली के कनेक्शन काटने तथा फिर से इस्तेमाल के लिए परिसार सील करने का भी अधिकार होगा ।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि जनपथ स्थित सभी 29 दुकानों के प्रति 31 मार्च 2012 को ₹ 12.24 करोड़ का लाइसेंस शुल्क बकाया था। बकाया लाइसेंस शुल्क के विवरण **अनुबंध एए** में दिए गए हैं।

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि अधिसूचना तथा लाइसेंसधारी के साथ किए गए पट्टा विलेख के अनुसार, एनडीएमसी के पास लाइसेंसधारियों से दुकानों का लाइसेंस शुल्क वसूल करने की अपार शक्तियां थी। जनपथ मार्किट में सभी 29 दुकानों के संबंध में ₹ 12.24 करोड़ की राशि के लाइसेंस शुल्क का इतना बड़ा संचय विभाग के भाग पर कार्रवाई न करने/अपर्याप्त कार्रवाई करने का सूचक है।

मामला विभाग को भेजा गया था (मार्च 2013) उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2013)।

विभाग को सभी मामलों की समीक्षा करने और बकाया राशि की वसूली के लिए समुचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

6.3 कनॉट प्लेस में स्थित पेट्रोल पम्प से ₹ 2.06 करोड़ के संशोधित लाइसेंस शुल्क/भूमि किराए की उगाही न करना ।

विभाग कनॉट प्लेस स्थित नौ पेट्रोल पम्पों में ₹ 2.06 करोड़ के संशोधित लाइसेंस शुल्क/भूमि किराए की उगाही करने में विफल रहा ।

तीन प्रमुख तेल कम्पनियों अर्थात् इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के नौ पेट्रोल पम्प नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में स्थित हैं। 1986 तक, लाइसेंस शुल्क/भूमि किराए की दरें, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ₹ 9940/- प्रति वर्ष नियत की गई थी। समय के साथ-साथ शहरी विकास मंत्रालय ये दरें बढ़ाई गई थी जिसको नीचे दिया गया है:

तालिका 6.3

1.	मंत्रालय द्वारा संशोधित तथा एनडीएमसी द्वारा संकल्प सं. 25 दिनाँक 18.08.1987 द्वारा अपनाई गई ।	₹ 47778 प्रति वर्ष
2.	मंत्रालय द्वारा 2006 में संशोधित तथा परिषद् द्वारा 21.07.2006 को अपनाई गई ।	₹ 1,81,308/- प्रति वर्ष

लेखापरीक्षा ने देखा कि तेल कम्पनियां इस आधार पर बढ़ाए गए लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं कर रही थी कि भूमि किराए में कटौती का प्रस्ताव शहरी विकास मंत्रालय तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के विचाराधीन था। परिणामत: लाइसेंस शुल्क तथा ब्याज आदि के प्रति ₹ 2.06 करोड़ की राशि जनवरी 2013 को इन कम्पनियों से अभी वसूल की जानी थी जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

तालिका 6.4

क्र. सं.	विवरण	बकाया राशि (₹)		
		लाइसेंस शुल्क का बकाया	ब्याज	कुल बकाया
	भारत पेट्रोलियम			
1.	सोंधी मोटर्स, निकट ओडियम सिनेमा	9,14,155	4,15,425	13,29,580
2.	बीसीसी ऑटो, कनॉट प्लेस	9,14,155	4,15,903	13,30,058
3.	कमला बेट्रियल एण्ड कं. सिंदिया हाऊस	9,14,155	4,15,903	13,30,058
4.	नेशनल सर्विस स्टेशन एच-ब्लॉक	9,13,427	4,15,262	13,28,689
	इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन			
5.	मिंटो रोड	2,35,699	26,31,522	28,67,221
6.	पंचकुइयां रोड	2,35,701	26,17,099	28,52,800
7.	केन्निंग रोड	2,35,700	27,92,527	30,28,227
8.	मयूर भवन	2,01,233	15,47,319	17,48,552
	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम			
9.	बी.के.रोड़	19,67,726	27,84,812	47,52,538
	जोड़	**65,31,951**	**1,40,35,772**	**2,05,67,723**

चूंकि वसूलियाँ नहीं हो रही थी, अत: मामला सितम्बर 2012 में एनडीएमसी के कानूनी सलाहकार को भेजा गया था जिसका यह मत था कि चूंकि लाइसेंस 1989 के बाद नहीं बढ़ाए गए हैं, अत: वे अप्राधिकृत अधिभोगी है और उनका निष्कासन भी संभव था। उसने यह भी परामर्श दिया कि इस संबंध में मामला नए आदेशों के लिए अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाए। तथापि कानूनी सलाहकार की सलाह पर कार्रवाई के बारे में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था तथा पैट्रोल पम्प बढ़े हुए लाइसेंस का भुगतान किए बिना अभी भी उन्हीं स्थानों पर स्थित थे ।

परिणामत: 26 वर्ष से अधिक के लिए संचित ₹ 2.06 करोड़ के बकाया की वसूली की जानी थी (जनवरी 2013)।

नवम्बर 2013 में जारी वास्तविक विवरणी का उत्तर प्रतीक्षित है।

विभाग को लाइसेंसों को नियमित करने तथा उन्हें निष्कासित करने, जो भी उपयुक्त हो, के अतिरिक्त ₹ 2.06 करोड़ के बकाया की वसूली के लिए मंत्रालय के परामर्श से समाधान करने की आवश्यकता है।

6.4 रिक्त वाणिज्यिक परिसर का आबंटन न करने के कारण ₹ 5.74 करोड़ के राजस्व की हानि

उपलब्ध संसाधनों को सही प्रयोग करने तथा एनडीएमसी द्वारा शुरू किए गए विभिन्न नगरपालिका कार्यकलापों में उपयोग हेतु अधिकतम राजस्व अर्जित करने के लिए, यह अत्यधिक आवश्यक है कि वाणिज्यिक तथा आवसीय सम्पत्तियां खाली न रखी जाएं तथा समय की कोई हानि किए बिना उन्हें आवंटित कर दिया जाए ।

सम्पदा विभाग अपनी आवासीय तथा वाणिज्यिक सम्पत्तियां लाइसेंसधारियों को आवंटित करता है तथा लाइसेंस शुल्क के माध्यम से राजस्व अर्जित करता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि जनवरी, 2013 तक, विभिन्न लाइसेंसधारियों द्वारा खाली गई 67 वाणिज्यिक सम्पतियां बिना आबंटन के पड़ी हुई थी। रिक्ति की अवधि जनवरी 2013 को 5 मास से 3 वर्ष के बीच थी।

इन वाणिज्यिक सम्पत्तियों के पुनर्आबंटन में विलम्ब के परिणास्वरूप, एनडीएमसी को जनवरी 2013 तक ₹ 5.74 करोड़ के लगभग लाइसेंस शुल्क की हानि हुई **'(अनुबंध -ए बी)'**

इन सम्पत्तियों का आबंटन न करने के कारण न तो अभिलेख में उपलब्ध के और न ही उनके बारे में लेखा परीक्षा को बताया गया था ।

मामला विभाग को नवम्बर 2013 में सूचित किया गया था, उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2013) ।

विभाग को अपनी खाली सम्पत्तियों के आबंटन में विलम्ब के कारणों का पता लगाना चाहिए तथा एक समुचित समयावधि के अन्दर लाइसेंसधारियों द्वारा खाली कराई गई सम्पत्तियों के आबंटन हेतु एक समुचित तन्त्र विकसित करना चाहिए ।

6.5 एल एण्ड डी ओ के दिशानिर्देशों का पालन न करना तथा ₹ 2.55 करोड़ के दुरूपयोग प्रभारों की वसूली न करना ।

पट्टाधारी द्वारा अप्राधिकृत निर्माण/दुरूपयोग पर दुरूपयोग/क्षति प्रभारों की वसूली के लिए एल एण्ड डी ओ के निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप बकाया का संचय हुआ

भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एण्ड डी ओ) दिशानिर्देशों के अनुसार, जिनका एनडीएमसी अनुसरण करती है, जब कभी प्राधिकृत निर्माण का उल्लंघन अथवा दुरूपयोग देखा जाता है तो पट्टाधारी को एक कारण बताओ नोटिस भेजना होता है जिसमें उसे नोटिस की तारीख से 30 दिन के अन्दर उक्त उल्लंघन को हटाने के लिए कहा जाता है। यदि पट्टाधारी न तो उल्लंघन को हटाता है और न ही नोटिस की प्राप्ति के पश्चात् पट्टाकार की सन्तुष्टि पर कोई संचार भेजता है, तो उस सम्पत्ति को पुनः प्रविष्ट करने की कार्रवाई की जाएगी जिसके बाद पट्टा ज़ब्त हो जाएगा ।

एनडीएमसी ने एक समिति का गठन किया है जो समय-समय पर सम्पत्तियों के उल्लंघन/ दुरूपयोग के मामलों का अनुरक्षण करती है। सम्पद-II विभाग द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों की नमूना जांच से, लेखापरीक्षा ने देखा कि मैं० जसवीर सिंह बजाज की पट्टे पर दी गई सम्पत्ति (संख्या 16/48, डिप्लोमेटिक एनक्लेव, मालचा मार्ग, नई दिल्ली) का पट्टाधारी की सूचना के अन्तर्गत एनडीएमसी की तकनीकी समिति द्वारा 17.08.2011 को निरीक्षण किया गया था।

समिति ने सम्पत्ति में निम्नलिखित उल्लंघन/दुरूपयोग देखा ।

I) प्रथम तल पर शीटों द्वारा 2 X (10'+9' - 9')+ (11' - 6'') माप का क्षेत्र, दुरूपयोग

II) माध्यम तल पर बिजली कक्ष पर 2 X (21' X 10') माप की पिछली दीर्घा का एक भाग प्रयोग किया जा रहा था।

उल्लंघन का नोटिस पट्टाधारी को 06.09.2011 को जारी किया गया था। दुरूपयोग एवं उल्लंघन के कारण कुल बकाया राशि ₹ 2.55 करोड़ परिकलित की गई थी पट्टाधारी को पत्र की प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर भुगतान के लिए सूचित कर दिया गया था जो 29 फरवरी 2012 को जारी किया गया था। 30 दिन की निर्धारित अवधि 31 मार्च 2011 को समाप्त हो गई परन्तु पट्टाधारी ने फरवरी 2012 में जारी नोटिस का उत्तर दिया। विभाग द्वारा 31 मार्च 2013 तक कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

विभाग ने कहा कि मांग को अद्यतन करने के लिए चालू वर्ष के लिए एक और निरीक्षण प्रस्तावित किया गया है तथा यदि पट्टाधारी द्वारा उसे कलीयर नहीं किया जाता तो राशि की वसूली के लिए सम्पदा अधिकारी (न्यायालय) के समक्ष एक शिकायत दर्ज की जाएगी ।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि विभाग, पट्टाधारी द्वारा अप्राधिकृत निर्माण/ दुरूपयोग पर दुरूपयोग/क्षति प्रभारों पर वसूली के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहा ।

सम्पत्ति के अप्राधिकृत निर्माण/दुरूपयोग की प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए, विभाग को एलएण्डडीओ दिशानिर्देशों में निहित दण्डात्मक प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए ।

अध्याय-7

प्रवर्त्तन विभाग

7.1 करार में विनिर्दिष्ट घंटों से अधिक छापामार वैनों और क्रेनों को किराए पर लेने के लिए ₹ 35.82 लाख का अनियमित भुगतान ।

विभाग ने करार में विनिर्दिष्ट घंटों से अधिक छापामार वैनों और क्रेने किराए पर लेने के लिए ₹ 35.82 लाख का अनियमित भुगतान किया ।

प्रवर्तन विभाग एनडीएमसी क्षेत्र में अप्राधिकृत माल तथा वाहन उठाने के लिए खुले निविदाकरण के माध्यम से निजी पार्टियों से छापामार वैनें और क्रेनें किराये पर ले रहा था।

दिसम्बर 2010 में, 05 छापामार वैनें और 05 क्रेने किराए पर लेने के लिए मैं० सुरजीत सिंह मरवाह के साथ एक ठेका करार किया गया था। करार की शर्तों (खण्ड 8) के अनुसार, इन वाहनों के परिचालन घंटे प्रात: 11 बजे से सायं 8 बजे तक थे। करार में यह भी प्रावधान था कि यदि वाहनों का इन निर्दिष्ट घंटों के बाद उपयोग किया जाता है, तो ठेकेदार को आनुपातिक आधार पर अतिरिक्त घंटों के लिए भुगतान किया जाएगा (खण्ड 9)। अत: यह अन्तर्निहित था कि वाहनों का सामान्यत: प्रात: 11 बजे से सायं 8 बजे तक कार्य दिवसों पर तथा केवल आकस्मिक/आपवादिक स्थितियों में, इन प्रकार विशिष्ट घंटों के अतिरिक्त/रविवार अथवा ड्यूटी के दिनों में किया जाना था।

किराए पर लेने, इस्तेमाल करने तथा इसके प्रति ठेकेदार को भुगतान करने से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान, किराए पर लिए गए वाहनों का प्रात: 9 बजे अथवा पहले से सायं 8 बजे तक निरन्तर इस्तेमाल किया गया था। इन वाहनों का रविवारों तथा छुट्टी के दिनों में भी निरन्तर प्रयोग किया गया तथा वह भी सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना और उसका कोई औचित्य बनाए बिना। चूंकि व्यय क्षेत्र निरीक्षक द्वारा पहले ही कर दिया गया था, अत: निदेशक (प्रवर्तन) के पास व्यय की कार्योत्तर संस्वीकृति प्रदान करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। परिणामत: एनडीएमसी ने अतिरिक्त घंटों/दिनों के लिए वाहनों का उपयोग करने के लिए ठेकेदार को ₹ 35.82 लाख की राशि का भुगतान किया।

मार्च 2011 में, लेखापरीक्षा के कहने पर उस समय के निदेशक (बागवानी) ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए, क्षेत्र निरीक्षकों को भविष्य में इन चूकों से बचने रविवार/छुट्टी के दिनों अथवा प्रात: 11 से सांय 8 बजे तक बाद अतिरिक्त घंटों के लिए वाहन बुलाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने का निर्देश दिया (मई 2011)। इन निदेशों का पालन नहीं किया गया था तथा वाहन बाद की अवधि (जून- 2011 से मार्च 2012) के दौर प्रात: 11 बजे से सांय 8 बजे के निर्दिष्ट संचालन समय के बाद रविवारों/छुट्टी के दिनों में नियमित रूप से बुलाए गए थे। उनका नियमित इस्तेमाल किया गया था ।

विभाग ने बताया (अप्रैल 2012) विशिष्ट घंटों के बाद वाहन किराए पर लेना, एनडीएमसी क्षेत्र में अप्राधिकृत विक्रेताओं तथा हॉकरों को हटाने के लिए आपातकाल परिस्थितियों के कारण आवश्यक हो गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वाहन प्रात: 9 बजे अथवा कई बार उससे भी पहले लगातार बुलाए जा रहे थे और वे भी उनका समुचित औचित्य देने बाद सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना।

लेखापरीक्षा यह महसूस करता है कि मामले की विभाग द्वारा समीक्षा करने की आवश्यकता है तथा यदि वाहनों की प्रात: 11 बजे के बजाए प्रात: 9 बजे ही जरूरत है तो ठेके/करार/कार्यक्षेत्र की समुचित शर्त भविष्य में कार्य सौंपने से पूर्व समुचित रूप से संशोधित की जाए ।

7.2 चूककर्ता लाइसेंसधारियों से ₹ 3.27 करोड़ के लाइसेंस शुल्क के बकाया की वसूली न करना ।

चूककर्ता लाइसेंसधारियों से ₹ 3.27 के लाइसेंस शुल्क के बकाया की वसूली न करना ।

चूककर्ताओं से ₹ 3.27 करोड़ के लाइसेंस शुल्क के बकाया की वसूली न करने के कारण अशोध्य ऋण होने के अवसर बढ़ गए हैं।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एनडीएमसी) का प्रवर्तन विभाग, पार्किंग ऑफ लॉटस, तेहबाजारी स्टालों, थाराओं, टैक्सी बूथों तथा पीसीओ बूथों आदि के संबंध में लाइसेंस शुल्क के प्रति मासिक भुगतान के अनुरक्षण एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रवर्तन विभाग प्राप्य राशियों की वसूली/संग्रहण में तत्पर नहीं था और इसी कारण ₹ 3.39 करोड़ के लाइसेंस शुल्क के बकाया 31 मार्च 2012 को चूककर्ता लाइसेंसधारियों से वसूल नहीं किए जा सके जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 7.1

	वसूल न किए गए लाइसेंस-शुल्क के विवरण	₹ लाख में
1	10 लाइसेंसधारियों के प्रति पार्किंग लॉट्स	213.22
2	108 लाईसेंसधारियों के प्रति साईकल मरम्मत ठर्रे, मोची ठर्रे, सब्जी ठर्रे, प्रैस ठर्रे	45.25
3	454 लाइसेसों के प्रति थरेजा तेह बाजारी	40.38
4	टैक्सी बूथों के 28 आबंटितियों के प्रति 01.07.1991 से शुल्क परिषद् द्वारा संशोधित लाइसेंस	22.47
5	103 लाईसेंसधारियों (उत्तर एवं दक्षिण) के प्रति पुरानी तेह-बाजारी	13.59
6	35 लाईसेंसधारियों के प्रति स्टॉल	2.87
7	7 लाईसेंसधारियों के प्रति पीसीओ बूथ	1.30
	जोड़	339.08
	अर्थात्	₹ 3.39 करोड़

उपर्युक्त चूककर्ता लाइसेंसों से लाइसेंस शुल्क की वसूली न करने के लिए के कारण तथा दण्डात्मक उपायों सहित बकाया लाइसेंस शुल्क की वसूली करने के लिए दण्डात्मक उपाय नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994 के अन्तर्गत किए जा सकते थे, न तो अभिलेख में उपलब्ध थे और न ही लेखापरीक्षा को बताए गए थे।

लेखापरीक्षा में बताए जाने पर, विभाग ने जनवरी 2014 में सूचित किया कि उपर्युक्त वसूल न किए गए लाइसेंस शुल्क में से ₹ 12.26 लाख की राशि अब वसूल कर ली गई है।

31.01.2014 को बकाया लाइसेंस शुल्क की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है:-

तालिका 7.2

		राशि ₹ में
1	10 लाइसेंसधारियों के प्रति पार्किंग लॉट्स	2,13,22,288
2	88 लाईसेंसधारियों के प्रति साईकल मरम्मत ठर्रे, मोची ठर्रे, सब्जी ठर्रे, प्रैस ठर्रे	35,90,720
3	454 लाइसेसों के प्रति थरेजा तह बाजारी	40,37,820
4	टैक्सी बूथों के 25 आवंटितियों के प्रति 01.07.1991 से परिषद् द्वारा संशोधित मासिक लाइसेंस शुल्क के बकाया ।	19,79,107
5	103 लाईसेंसधारियों के प्रति पुरानी तेह-बाजारी (उत्तर एवं दक्षिण)	13,58,816
6	35 लाईसेंसधारियों के प्रति स्टॉल	2,86,985
7	3 लाईसेंसधारियों के प्रति पीसीओ बूथ	1,05,810
	जोड़	3,26,81,546
	अर्थात्	**₹ 3.27** करोड़

विभाग को इस तरह के मुद्दों की विस्तृत जाँच करने की जरूरत है और बकाया लाईसेंस शुल्क चूककर्ता लाईसेंस धारियों से वसूल करने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना बनाने की जरूरत है जिससे अशोध्य ऋण का मौका ना बने ।

अध्याय . 8

गृह कर विभाग

8.1 कर प्राप्य लेखाओं के अनुचित अनुरक्षण के परिणामस्वरूप अप्रभावी वसूली तन्त्र

चूककर्ताओं से कर की वसूली के लिए बड़ी सांविधिक शक्तियों के बावजूद, 31 मार्च 2012 को गृह कर के बकाया के रूप में ₹ 727 करोड़ की एक बड़ी राशि, विभाग द्वारा अपर्याप्त वसूली कार्रवाई की सूचक है।

एनडीएमसी का गृह कर विभाग निजी सम्पत्तियों से गृह कर के निर्धारण, मांग नोटिस जारी करने और गृह कर के लिए तथा एनडीएमसी के अधिकार क्षेत्र के अन्दर स्थित सरकारी सम्पत्तियों से सेवा कर इक्ट्ठा करने के लिए उत्तरदायी है। यहाँ 13045 निजी सम्पत्तियाँ और 1445 सरकारी सम्पत्तियाँ हैं जिनके लिए हाउस टैक्स विभाग द्वारा टैक्स वसूली की जाती है।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि 31 मार्च 2012 को 9251 मामलों के प्रति सम्पत्ति कर के ₹ 727 करोड़ बकाया थे।

विगत तीन वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 की अवधि के लिए बकाया कर के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि कर के बकाया हर साल बढ़ रहे थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :-

तालिका 8.1

अवधि	**मामलों की संख्या**	**बकाया की राशि (₹ करोड़ में)**
2009-10	7620	644.41
2010-11	8592	650.41
2011-12	9251	727.00

निम्न तालिका बकाया राशि के महत्व के आधार पर सम्पत्ति कर के बकाया के विस्तृत विश्लेषण दर्शाती है :

तालिका 8:2

	बकाया राशि (रेंज) ₹ में	**मामलों की संख्या**	**बकाया राशि (₹ करोड़ में)**
1.	50,000 तक	5011	7,07,59,761
2.	50,000 से अधिक और 1 लाख तक	1130	8,06,67,621
3.	1 लाख से अधिक और 5 लाख तक	1813	43,45,92,023
4.	5 लाख से अधिक और 25 लाख तक	969	1,03,33,09,358
5.	25 लाख से अधिक और 50 लाख तक	150	52,48,27,420
6.	50 से अधिक और 1 करोड़ तक	85	59,39,64,291
7.	1 करोड़ से अधिक और 3 करोड़	65	1,15,65,78,898
8.	3 करोड़ से अधिक	28	3,37,53,47,336
	जोड़	**9251**	**727,00,46,708**

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि ₹ 727 करोड़ की बकाया राशि में शामिल 9251 निर्धारितियों में से, ₹ 453.19 करोड़ (62.34 प्रतिशत) केवल 93 निर्धारितियों से ही बकाया थे।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति जो कर के भुगतान का दायी है, मांग के नोटिस के 30 दिनों के अन्दर कर का भुगतान नहीं करता और यदि उक्त कर के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की जाती तो वह चूककर्त्ता माना जाएगा तथा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित कर की अधिकतम 20 प्रतिशत राशि, उस राशि के अतिरिक्त, कर के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। अधिनियम की धारा 102 में यह भी प्रावधान है कि यदि कर के भुगतान का दायी व्यक्ति, मांग के नोटिस की सेवा के 30 दिन के अन्दर, देय राशि का भुगतान नहीं करता तो समस्त लागत तथा शास्ति सहित उक्त राशि चूककर्ता की चल सम्पत्ति की बिक्री तथा अचल सम्पति की बिक्री द्वारा कुर्की के वारंट के अन्तर्गत वसूल की जायेगी ।

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि चूककर्ताओं से कर की वसूली हेतु बड़ी सांविधिक शक्तियों के बावजूद, 31 मार्च 2012 को गृह-कर के बकाया के रूप में ₹ 727 करोड़ की बड़ी राशि बकाया थी जो विभाग द्वारा अपर्याप्त वसूली कार्रवाई की सूचक है।

विभाग ने कहा (जुलाई 2013) कि बकाया की उगाही न करना मुख्यत: निम्न कारणों की वजह से था-

क) जब कभी एक नया भवन पूरा किया जाता है । संयुक्त भवन का निर्धारण किया जाता है तथा तद्नुसार मालिक के विरूद्ध मांग की जाती है । बाद में, भवन के भागों को बेचने के पश्चात् संयुक्त भवन के असली मालिक के प्रति मांग को समाप्त किए बिना क्रेताओं के प्रति नई मांग उठाई जाती है ।

ख) ऐसे लगभग 2000 से 3000 मामले हैं जिनमें मांग तो उठाई जा रही है, लेकिन सम्पत्ति कर के बिल बिना हस्ताक्षर के प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि भवन या तो विद्यमान नहीं है अथवा उनका स्वामित्व बदल गया है।

नवम्बर 2013 में जारी वास्तविक विवरणी का उत्तर प्रतीक्षित है ।

लेखापरीक्षा का यह मत है कि जब तक विभाग ऐसे सभी मामलों की समीक्षा नहीं कर लेता तथा उसके कर प्राप्य लेखाओं को ठीक नहीं कर लेता, तब तक विभाग के लिए राशि की वसूली की प्रभावी मॉनीटरिंग करना सम्भव नहीं होगा। इसे उच्च महत्व के मामलों (₹ 1 करोड़ और अधिक) जो केवल 93 निर्धारितियों से देय ₹ 453.19 करोड़ (कुल प्राप्य ₹ 727 करोड़ का 62.34 प्रतिशत) है, पर विशेष फोकस करते हुए एक समयबद्ध ढंग में किया जाना चाहिए।

अध्याय - 9

चिकित्सा सेवाएं विभाग

9.1 ₹ 14.08 लाख मूल्य की ऐसी दवाईयां स्वीकार करना जिनका 1/6 शेल्फ जीवन उनकी सुपुर्दगी के समय ही समाप्त हो चुका था

₹14.08 लाख मूल्य की ऐसी दवाईयां स्वीकार करना जिनका 1/6 शेल्फ जीवन उनकी सुपुर्दगी के समय ही समाप्त हो चुका था।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) की अध्यक्षा में सेन्ट्रल मेडिकल स्टोर, एनडीएमसी के विभिन्न हस्पतालों तथा औषधालयों को उनकी अपेक्षा के अनुसार दवाओं और सर्जिकल मदों आदि की अधिप्राप्ति, भण्डारण और आपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। प्रत्येक दवा का एक विशिष्ट शेल्फ जीवन होता है जो उन दवाओं के बक्सों और बोतलों पर उल्लिखित होता है । एक नीति के अनुसार एनडीएमसी ने ऐसी किसी भी दवा को स्वीकार न करने का निर्णय लिया है जिनका 1/6 शेल्फ जीवन पहले ही समाप्त हो चुका हो।

तद्नुसार, निदेशक चिकित्सा सेवाएं ने कुछ निर्दिष्ट दवाओं के लिए निविदा आमंत्रण नोटिस (एनआईटी) जारी करते समय एक शर्त (खंड 7) शामिल की थी जिसमें उल्लिखित था कि लाइव मदों के मामले में, सभी कंटेनरों पर उनके निर्माण की तिथि का लेबल लगा होना चाहिए और परिषद् को उनकी सुपुर्दगी के समय उनका 1/6 से अधिक शेल्फ जीवन समाप्त नहीं होना चाहिए।

लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2011-13 के लिए लेखापरीक्षा के दौरान दवाओं की अधिप्राप्ति से संबंधित अभिलेखों की नमूना-जांच से पता चला कि :

i) सीएमओ, सेन्ट्रल मेडिकल स्टोर ₹ 14.08 लाख मूल्य की उन दवाओं की आपूर्त्ति स्वीकार कर ली जिनका 1/6 शेल्फ जीवन निविदा दस्तावेजों में निर्धारित शर्तों के उल्लंघन में उनकी सुपुर्दगी के समय पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इन दवाओं की सूची **अनुबंध-एसी** में शामिल की गई है।

ii) चूंकि आपूर्तिकारों से अधिप्राप्त दवाओं का निर्धारित शेल्फ जीवन के अन्दर ही उपयोग करना होता है, अत: 1/6 शेल्फ जीवन समाप्त हुई दवाओं की अधिप्राप्ति से उनके उपभोग से पहले ही उनके एक्सपायर और परिषद् को हानि होने की संभावना बढ़ जाती है । इसकी इस तथ्य से पुष्टि होती है कि अप्रैल 2013 में, समाप्त शेल्फ जीवन वाली ₹ 4.64 लाख की दवाएं सेन्ट्रल मेडिकल स्टोर में पड़ी हुई थी **(अनुबंध -एडी)**

सीएमओ, सेन्ट्रल मेडिकल स्टोर ने कहा (मई 2013) कि 1/6 जीवन से अधिक शेल्फ-जीवन समाप्त होने वाली दवाएं निदेशक (एमएस) के निदेश से स्वीकार कर ली गई थी हालांकि ऐसे कोई निदेश अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थे।

आगे सी.एम.ओ. (चिकित्सा) का कहना यह है कि जो दवाएं शेल्फ-जीवन की छूट के साथ खरीदी गई थी उनकी जीवन अवधि खत्म नहीं हुई थी और जिन दवाओं की जीवन अवधि विभिन्न कारणों की वजह से समाप्त हुई थी उनकी लागत संबंधित कम्पनी/अधिकृत वितरण के बिलों से वसूल कर ली गई थी । दवाएं बदल दी गई थी ।

विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया जवाब तर्क संगत नहीं है क्योंकि विभाग यह बताने में असमर्थ है कि जब दवाओं का 1/6 शेल्फ जीवन दवाओं के वितरण के समय ही समाप्त हो चुका था तब दवाओं की क्यों स्वीकार किया गया ।

दवाओं के उपभोग से पूर्व उनके एक्सपायर होने के जोखिम को न्यूनतम करने के लिए, एनडीएमसी को आपूर्तिकर्ता से ऐसी दवाएं स्वीकार न करने की नीति का अनुसरण करना चाहिए जिनका परिषद् को उनकी सुपुर्दगी की तारीख पर 1/6 शेल्फ जीवन समाप्त हो चुका हो।

9.2 छूट प्राप्त सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान

ठेकेदार को छूट-प्राप्त सेवाओं पर सेवा कर के भुगतान के परिणामस्वरूप परिषद् पर ₹ 9.40 लाख का अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ा

वित्त अधिनियम को लागू होने पर, सफाई सेवाएं सेवा कर अधिनियम, 1994 की धारा 65 की मद संख्या 24 (ख) के अनुसार 16 जून 2005 से सेवा कर के क्षेत्र में शामिल की गई थी जिसके अनुसार सफाई सेवाओं का अर्थ वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक भवनों तथा उनके परिसरों की विशेषीकृत सफाई सेवाओं सहित सफाई से है। तथापि, गैर-वाणिज्यिक भवनों के संबंध में सफाई सेवाओं को सेवा कर के क्षेत्र से बाहर रखा गया था। एनडीएमसी का चरक पालिका अस्पताल, एक गैर-वाणिज्यिक सत्त्व होने के कारण उसके द्वारा प्राप्त सफाई सेवाओं पर सेवा कर के भुगतान का दायी नहीं था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अस्पताल, अपनी सफाई सेवाओं के कार्य के लिए नियुक्त ठेकेदार (मेसर्ज इंटरनेशल इंस्टीट्यूट ऑफ सुलभ सिस्टम्स) को सेवा कर का भुगतान कर रहा था। 21 अक्टूबर, 2009 से 31 मार्च 2012 की अवधि के दौरान उसने ठेकेदार को सफाई सेवाओं के लिए 9.40 लाख की राशि का भुगतान किया जो सेवा कर के क्षेत्र में शामिल नहीं थी। ठेकेदार को किए गए भुगतान के विवरण नीचे दिए गए हैं:

तालिका 9.1

क्र.सं.	**अवधि**	**कुल प्रदत्त सेवा कर**
1.	21.10.2009-31.01.2010	82183
2.	01.02.2010-31.01.2011	367356
3.	01.02.2011-30.11.2011	341240
4.	01.12.2011-31.03.2012	148968
जोड़		**9,39,747**
अर्थात्		**₹ 9.40 लाख**

इस प्रकार ठेकेदार को सेवा कर के भुगतान के परिणामस्वरूप परिषद् को ₹ 9.40 लाख का अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ा । इसे बताए जाने पर, अस्पताल प्राधिकारियों ने कहा कि संबंधित स्टाफ को इस मामले को देखने का अनुदेश दिया गया है।

नवम्बर, 2013 में जारी वास्तविक विवरण का उत्तर प्रतीक्षित है।

अस्पताल प्राधिकारियों को ठेकेदार को सेवा कर का भुगतान रोक देना चाहिए तथा पहले से ही प्रदत्त अधिक सेवा कर को वसूल करने के लिए समुचित कार्रवाई करनी चाहिए।

अध्याय- 10

लेखा परीक्षा के कहने पर वसूलियां

10.1 लेखा परीक्षा के कहने पर वसूलियां

एनडीएमसी के विभिन्न विभागों ने लेखापरीक्षा के कहने पर ₹ 6.23 करोड़ की वसूलियां की।

लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने और उसके नियमित अनुसरण पर, विभिन्न विभागों द्वारा निम्नलिखित वसूलियां की गई थी ।

तालिका :10.1

	विभाग	**संक्षिप्त विवरण**	**वसूली की राशि (₹ में)**
1	लेखे	i) सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों के संबंध में 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग के बकाया के प्रति अधिक भुगतान ii) पेंशन/परिवार पेंशन का अनियमित +अतिरिक्त भुगतान iii) परिवार पेंशन का अधिक भुगतान iv) पेंशनभोगी को अधिक भुगतान v) एनडीएमसी लेखा में एसबीआई द्वारा चैक क्रेडिट करना	1,17,672 4,46,198 87,935 2,48,948 48,677
2	वाणिज्यिक	काटे गए बिजली और पानी के कनेक्शनों के संबंध में बकाया	6 करोड़
3	शिक्षा	i) वेतन के गलत भुगतान के कारण अधिक भुगतान ii) छात्रों से एकत्र शुल्क परिषद् के लेखे में जमा न कराना	1,15,681 13,200
4	प्रवर्तन	ठर्रे, टैक्सी बूथों तथा पीसीओ बूथों के लाइसेंस शुल्क के बकाया	12,26,303
		जोड़	**6,23,40,614**
		अर्थात	**6.23 करोड़**

(वर्षा तिवारी)
मुख्य लेखापरीक्षक

नई दिल्ली:
दिनांक:

अनुबंध-ए

31 मार्च 2012 को एनडीएमसी की देयता और परिसम्पत्ति की विवरणी

अध्याय-1

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनु.	2011-12	2010-11
देयताएं			
रिज़र्व एवं अधिशेष			
नई दिल्ली नगरपालिका निधि	बी-1	6150.38	5917.91
चिन्हित निधियां	बी-2	-0.39	0.00
रिज़र्व	बी-3	0.17	0.17
कुल रिज़र्व एवं अधिशेष		6150.15	5918.07
अनुदान विशिष्ट सेवाओं के लिए अंशदान	बी-4	112.98	108.43
कर्ज़े			
प्रतिभूत कर्ज़े	बी-5	0.00	0.00
अप्रतिभूत कर्ज़े	बी-6	0.00	0.00
कुल कर्ज़े		0.00	0.00
चालू देयताएं एंव प्रावधान			
प्राप्त जमा	बी-7	157.58	134.52
जमा निर्माण कार्य	बी-8	58.39	50.55
अन्य देयताएं	बी-9	48.31	47.92
प्रावधान	बी-10	29.09	36.08
कुल चानू देयताएं एवं प्रावधान		293.37	269.07
कुल देयताएं		6556.49	6295.57
परिसम्पत्तियां			
स्थायी परिसम्पत्ति			
सकल ब्लॉक	बी-11	265.53	249.28
घटा : संचित मूल्यह्रास	बी-11-ए	-45.25	-30.65
चालू पूंजीगत निर्माण कार्य	बी-11-बी	1429.84	1241.03
कुल स्थायी परिसम्पत्ति		1650.12	1459.67
निवेश			
निवेश - सामान्य निधि	बी-12	3494.24	3734.60
निवेश - अन्य निधियां	बी-13	0.88	0.88
कुल निवेश		3495.12	3735.49
चालू परिसम्पत्तियां, कर्ज़े एवं अर्गिम			
हस्तगत स्टॉफ (सूचियां)	बी-14	16.61	16.56
विविध देनदार (प्राप्य)	बी-15	2163.89	1832.69
घटा संदिग्ध के प्रति संचित प्रावधान			

प्राप्य	बी-15	-1071.41	-970.44
पूर्व प्रदत्त खर्चे	बी-16	0.00	0.00
नकद एवं बैंक शेष	बी-17	77.09	68.51
कर्ज़े, अर्गिम एवं जमा	बी-18	66.99	59.17
घटा : कर्ज़ों के प्रति संचित प्रावधान	बी-18-ए	0.00	0.00
जोड़		1253.17	1006.49
अन्य			
अन्य परिसम्पत्तियां	बी-19	25.02	3.99
विविध व्यय (बट्टे खाते न डाले गए की सीमा तक)	बी-20	0.00	0.00
निधि से पूंजीगत व्यय	बी-21	133.06	89.94
जोड़		158.07	93.93
कुल परिसम्पत्तियां		6556.49	6295.57

अनुबंध-बी

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष पर प्रतिकूल शेष दर्शाने वाले लेखा शीर्ष

अध्याय-1

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	वर्णन	(₹ राशि में)
1	3101012	मूल्यह्रास रिज़र्व (विद्युत) (उप-खण्ड) निधि	155570833.67 डेबिट
2	3101020	जलपूर्ति एवं मलजल खण्ड निधि	69366454.00 डेबिट
3	3117002	नई पेंशन योजना 2004	3943672.00 डेबिट
4	3501001	देय आपूर्तिकार	135529757.00 डेबिट
5	3501004	विशिष्ट योजनाओं के प्रति भुगतान योग्य	4851454.00 डेबिट
6	3501007	खर्चों के प्रति भुगतान योग्य	64158.00 डेबिट
7	3501101	निवल भुगतान योग्य वेतन	164725518.00 डेबिट
8	3501102	निवल भुगतान योग्य मज़दूरी	3346032.00 डेबिट
9	3501107	भुगतान योग्य कल्याण खर्चे	8219718.00 डेबिट
10	3501108	भुगतान योग्य एसएलजीआईएस (स्त्रोत पर)	540.00 डेबिट
11	3501109	अन्य	734670.00 डेबिट
12	3501112	स्त्रोत पर सीजीईआईएस/यूटीजीआईएस (0)	120.00 डेबिट
13	3501120	स्त्रोत पर समिति वसूली (0)	10003.00 डेबिट
14	3501124	स्त्रोत पर जीपीएफ अग्रित/जीपीएफ(0)/यूपीएच(0)	24000.00 डेबिट
15	3501132	स्त्रोत पर न्यायालय कुर्की (0)	44310.00 डेबिट
16	3501134	सचिव क्रेडिट एवं थ्रिफ्ट समिति एनडीएमसी	167103.00 डेबिट
17	3501136	स्त्रोत पर सी एवं टी विद्युत, समिति वसूली (एनडीएमसी)	60947.00 डेबिट
18	3501137	स्त्रोत पर जीपीएफ कटौती, एनडीएमसी	5996981.00 डेबिट
19	3501138	स्त्रोत पर आयकर (टीडीएस), एनडीएमसी	48483947.00 डेबिट
20	3501139	स्त्रोत पर जनता दुर्धटना बीमा, एनडीएमसी	925.00 डेबिट
21	3501140	स्त्रोत पर जीवन बीमा, 1,2,3, एनडीएमसी	59979.00 डेबिट
22	3501141	स्त्रोत पर मंटोला बैंक कर्ज़ वसूली, एनडीएमसी	24500.00 डेबिट
23	3501142	स्त्रोत पर विभिन्न राहत निधियां, एनडीएमसी	50.00 डेबिट
24	3501145	स्त्रोत पर परोपकारी निधि, (एनडीएमसी)	30865.00 डेबिट
25	3502008	उपकर (कल्याण कर अधिनियम 1996)	4675322.59 डेबिट
26	3502014	संग्रहीत आयकर (स्त्रोत पर)	444253.00 डेबिट

अनुबंध-सी

मार्च,2012 को समाप्त वर्ष पर प्रतिकूल शेष दर्शाने वाले लेखा-शीर्ष-परिसम्पत्तियां

अध्याय-1

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्णन	राशि (₹ में)
1	4301036	हस्तगत शेष : बिजली मीटर	499070.00 क्रेडिट
2	4311021	सीपीडब्ल्यूडी भवन के अतिरिक्त : प्राप्य - चालू वर्ष	33462864.00 क्रेडिट
3	4311033	निजी परिसम्पत्तियां : प्राप्य - 2 वर्ष से अधिक परन्तु तीन वर्ष से अधिक नहीं	1412079403.27
4	4311036	निजी परिसम्पत्तियां : प्राप्य - 5 वर्ष से अधिक	4894500000.00 क्रेडिट
5	4313016	एनडीएमसी परिसम्पत्तियों से प्राप्य क्षति/दुरूपयोग प्रभार-चालू वर्ष	168180.00 क्रेडिट
6	4313042	प्राप्य नगरपालिका परिसम्पत्तियों से एलआईसी शुल्क-एक वर्ष से अधिक-2 वर्ष से अधिक नहीं	1861401356.00 क्रेडिट
7	4323004	अन्य शुल्क एवं प्रयोक्ता प्रभार	257272358.50 डेबिट
8	4502101	भारतीय स्टेट बैंक	1000728155.35 क्रेडिट
9	4502205	बिल्लर सुविधा उद्देश्य के लिए आईसीआईसी बैंक	3807.00 क्रेडिट
10	4601001	ब्याज धारी - गृह भवन अग्रित	9935287.00 क्रेडिट
11	4601002	ब्याज धारी - वाहन अग्रिम	3960960.00 क्रेडिट
12	4601003	ब्याज धारी - कम्प्यूटर अग्रिम	117177.00 क्रेडिट
13	4601004	ब्याज धारी - कोई अन्य अग्रिम (उल्लेख करे)	278.00 क्रेडिट
14	4601007	अब्याज धारी- दौरा अग्रिम	520190.00 क्रेडिट
15	4604004	पट्टा किराया	51243.00 क्रेडिट
16	4604006	स्थायी परिसम्पत्तियों के लिए	8572364.00 क्रेडिट
17	4605007	उपयोग सेवाओं के लिए सरकारी एजेंसियों को अग्रिम	195443838.00 क्रेडिट
18	4606001	बिजली	470000000.00 क्रेडिट
19	4606003	पानी	33721.00 क्रेडिट

अनुबंध-डी

₹1 की परिसम्पत्तियों को छोड़कर प्रभारित किए जाने के लिए अपेक्षित मूल्यह्रास के वर्षवार (2004-05 से 2011-12) का विवरण

अध्याय-1

(₹ करोड़ में)

लेखा-शीर्ष	मूल्यह्रास	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	जोड़ 2004-12
410-10	भूमि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410-20	भवन	0.00	0.10	0.22	0.76	1.17	1.17	1.15	1.13	5.73
410-30	सड़कें एवं पुल	0.00	0.05	0.11	1.40	1.96	1.91	1.86	1.81	9.10
410-31	मलजल एवं निकासी	0.00	0.04	0.07	0.17	0.26	0.25	0.26	0.26	1.31
410-32	जल मार्ग	0.00	0.00	0.00	0.27	0.26	0.25	0.24	0.24	1.27
410-33	सार्वजनिक प्रकाश	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.19
410-40	संयंत्र एवं मशीनरी	0.07	0.52	1.30	1.69	2.26	2.14	2.13	2.02	12.13
410-50	वाहन	0.03	0.04	0.06	0.19	0.29	0.67	0.72	0.74	2.74
410-60	कार्यालय एवं अन्य उपस्कर	0.14	0.34	0.58	0.79	0.94	1.50	3.00	3.19	10.47
410-70	फर्नीचर, जुड़नार आदि	0.02	0.03	0.03	0.04	0.62	0.59	0.54	0.50	2.38
410-80	अन्य स्थायी परिसम्पत्तियां	0.01	0.02	0.03	0.20	0.24	0.63	1.16	1.98	4.26
	जोड़	0.27	1.14	2.45	5.55	8.02	9.14	11.11	11.89	49.57

अनुबंध- ई

31.3.2012 को पूरी की गई योजनाएं

अध्याय-1

क्र.सं.	मंडल	परियोजना का नाम	समापन की तिथि
1	ई.ई.सी.-III	एनडीएमसी भवनों में अग्नि-शमन प्रबंध, एनडीएमसवी विद्यालयों में आपदा तैयारी	9/2/2010 एवं 10/5/2010
2	-वही-	पालिका होस्टल, आर.के.आश्रम मार्ग में सुधार कार्य	16/11/2006
3	-वही-	कार्य पूरा कर लिया गया, लक्ष्मी बाई नगर में बहुउद्देश्यीय जिम्नेज़ियम	उल्लिखित नहीं
4	-वही-	माध्यमिक विद्यालय, बापूधाम में सुधार	22/7/2007
5	-वही-	द्वारका में स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	योजना रोक दी गई
6	ई ई विशेष परियोजना	चरक पालिका अस्पताल का सुधार	15/4/2010
7	-वही-	नगरपालिका भवनों में अग्नि-शमन प्रबंध	23/10/2012
8	-वही-	6 बारात घरों का सुधार/उन्नयन	9/6/2010 20/9/2010 9/7/2010 6/5/2010 25/3/2011 30/9/2011 11/6/2010
9	-वही-	पालिका प्लेस का सुधार	24/6/2009
10	-वही-	एन-डब्ल्यू मोती बाग में बहुद्देश्यीय हाल का निर्माण	20/4/2011
11	ईई(वाणिज्यिक)	2 फोटो कॉपियरों की खरीद	18/9/2009

अनुबंध-एफ

वर्ष 2011-12 के लिए आय एवं व्यय विवरणी

अध्याय-1

विवरण	अनु.	2011-12		2010-11 (₹ करोड़))	2010-11 की तुलना में 2011-12 में भिन्नता	
		(₹ करोड़)	(%हिस्सा)		(₹ करोड़))	(%)
आय						
कर राजस्व	I-1	413.30	19.44	326.17	87.13	26.71
सौंपे गए राजस्व और प्रतिपूर्तियां	I-2	60.22	2.83	33.23	26.98	81.19
नगरपालिका सम्पत्तियों प्राप्त किराया आय	I-3	263.98	12.42	253.50	10.49	4.14
शुल्क एवं प्रयोक्ता प्रभार	I-4	934.55	43.95	761.45	173.10	22.73
बिक्री एवं किराया प्रभार	I-5	0.34	0.02	1.06	-0.72	-67.73
राजस्व अनुदान, अंशदान एवं परिदान	I-6	64.67	3.04	26.94	37.72	140.01
निवेश से आय	I-7	384.22	18.07	366.55	17.67	4.82
अर्जित ब्याज	I-8	0.25	0.01	18.85	-18.60	-98.68
अन्य आय	I-9	4.65	0.22	3.50	1.15	32.86
जोड - आय		**2126.18**	**100.00**	**1791.25**	**334.93**	**18.70**
व्यय						
स्थापना व्यय	I-10	761.37	41.11	712.14	49.23	6.91
प्रशासनिक व्यय	I-11	65.86	3.56	38.02	27.84	73.22
परिचालन एवं अनुरक्षण	I-12	875.59	47.28	642.06	233.54	36.37
ब्याज एवं वित्त प्रभार	I-13	0.00	0.00	-0.75	0.74	-99.78
कार्यक्रम व्यय	I-14	1.58	0.09	1.44	0.14	9.45
राजस्व अनुदान, अंशदान एवं परिदान	I-15	32.00	1.73	29.86	2.14	7.18
प्रावधान एवं बट्टा खाता	I-16	100.97	5.45	30.81	70.16	227.74
विविध व्यय	I-17	0.00	0.00	0.00	0.00	--
मूल्यह्रास	I-17a	14.61	0.79	5.77	8.83	153.07
कुल - व्यय		1851.99	100.00	1459.36	392.63	26.90
पूर्वावधि मदों के पश्चात् व्यय के प्रति आय का सकल अधिशेष (घाटा)		274.19		331.89		
जमा : पूर्वावधि मदें (निवल)	I-18	41.72		-11.85		
पूर्वावधि मदों के पश्चात् व्यय के प्रति आय का सकल अधिशेष (घाटा)		232.47		343.74		
घटा: आरक्षित निधियों को अन्तरण	I-19	174.00		193.00		
अधिशेष होने पर निवल शेष/नगरपालिका निधि को अग्रेनीत घाटा		58.47		150.74		

अनुबंध - जी

वर्ष 2011-12 के लिए मास-वार आय एवं व्यय तथा अधिशेष/घाटे का सार

अध्याय-1

(₹ करोड़ में)

मास	**आय**	**व्यय**	**अधिशेष/घाटा**
अप्रैल, 2011	9.00	166.24	-157.25
मई, 2011	167.46	116.35	51.11
जून, 2011	102.30	127.62	-25.31
जुलाई, 2011	125.42	155.48	-30.06
अगस्त, 2011	87.45	166.46	-79.01
सितम्बर, 2011	190.85	140.45	50.39
अक्टूबर, 2011	95.28	191.40	-96.11
नवम्बर, 2011	114.93	114.47	0.46
दिसम्बर, 2011	417.16	113.45	303.71
जनवरी, 2012	114.19	135.22	-21.03
फरवरी, 2012	146.28	161.17	-14.89
मार्च, 2012	555.86	263.68	292.19
जोड़	**2126.18**	**1851.99**	**274.19**

अनुबंध - एच

लेखाओं के कोड का गलत वर्गीकरण

अध्याय-1

जेवी/चालान सं.	तिथि	लेखा कोड	राशि (₹ में)	वर्णन
12011120200069 जे	15.02.2012	4104030 स्थायी परिसम्पत्तियां प्रयोगशाला-उपकरण एवं उपस्कर	6443.00	02.01.2012 से 31.01.2012 तक के मास के लिए आरएमआर को भुगतान
20711120200135 जे	22.02.2012	4105001 स्थायी परिसम्पत्तियां कारें	9812.00	अग्रदाय की प्रतिपूर्ति के प्रति भुगतान
31011120600003 जे	01.06.2011	4108014 स्थायी परिसम्पत्तियां अग्नि शामक	243504.00	अग्नि-शमन विभाग के स्टाफ के लिए युनिफॉर्म कपड़े की आपूर्ति
31011120500021 जे	05.05.2011		214200.00	एनडीएमसी के स्टाफ के लिए जूतों की आपूर्ति
31011120500121 जे	30.05.2011		15600.00	अग्रिम प्रभारों का भुगतान
31011120500019 जे	05.05.2011		50148.00	अग्नि शमन विभाग के स्टाफ के लिए जूतों की आपूर्ति
31911120300302 जे	30.03.2012	4107017 स्थायी परिसम्पत्तियां अन्य फर्नीचर	129351.00	सोफा सैटों की मरम्मत के प्रति भुगतान
31911121100025 जे	04.11.2011		129052.00	
31911120600019 जे	08.06.2011		2000.00	फालतू फर्नीचर को हटाने के लिए आकस्मिक मज़दूरों के लिए मज़दूर प्रभारों के प्रति प्रतिपूर्ति
31911120500051 जे	12.05.2011		2000.00	

अनुबंध- आई

फंक्शन कोड का गलत वर्गीकरण

अध्याय-1

फंक्शन संख्या	फंक्शन नाम	लेखे का चार्ट	चार्ट लेखा नाम
03	वित्त लेखे एवं लेखापरीक्षा	1712001	गृह निर्माण अग्रिम
06	सम्पदा	1301003	होटलों से लाइसेंस शुल्क
14	अतिक्रमण हटाना	2305970	डीज़ल पम्प
31	सार्वजनिक स्वास्थ्य	1401302	जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र
34	प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल	2308053	आयुर्वेदिक दवा
34	प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल	2308054	होम्योपेथिक दवा
71	महिला कल्याण	1404014	महिला तकनीकी संस्थान
74	विकलांग-जन कल्याण	1404025	आंचल से प्राप्तियां

अनुबंध-जे

वर्ष 2011-12 के लिए फंक्शन-वार आय एवं व्यय (राजस्व) का कार

अध्याय-1

आय (₹ हज़ार में)

फं.	फंक्शन वर्णन	ब.अ. 2011-12 (राजस्व)	सं.अ. 2011-12 (राजस्व)	आय 2011.12 (राजस्व)	निम्न के संदर्भ में % आय 2011-12	
					ब.अ. 2011-12	सं.अ. 2011-12
00 सामान्य प्रशासन						
1	नगर पालिका निकाय	0	0	0	--	--
2	प्रशासन	49329	44832	74094	150.2	165.3
3	वित्त, लेखे, लेखापरीक्षा	1383280	3879874	3843770	277.9	99.1
4	चुनाव	0	0	0	--	--
5	रिकार्ड रूम	0	0	0	--	--
6	सम्पदा	2412700	2535400	2655618	110.1	104.7
7	भण्डार एवं खरीद	21850	20555	17208	78.8	83.7
8	वर्कशॉप	20	20	1045	5223.7	5223.7
9	मतगणना	0	0	0	..	..
10 योजना एवं विनियम						
11	शहर एवं नगर योजना	209100	43385	33628	16.1	77.5
12	भवन नियमन	3502	4002	6864	196.0	171.5
13	आर्थिक योजना	0	0	0	..	..
14	अतिक्रमण हटाना	19500	15500	13286	68.1	85.7
15	ट्रेड लाइसेंस/विनियम	4000	10000	9886	247.1	98.9
20 लोक निर्माण कार्य						
21	सड़कें एवं खड़ंजा	9898	8005	4534	45.8	56.6
22	पुल एवं फ्लायओवर	0	0	0	..	..
23	उपमार्ग एवं सेतुक	0	0	0	..	..
24	स्ट्रीट लाइटिंग	10	85	96	964.0	113.4
25	तूफानी जल नाले	0	0	0	..	..
26	यातायात संकेतक	0	0	0	..	..
27	अतिथि गृह	0	0	0	..	..

30 स्वास्थ्य						
31	जन-स्वास्थ्य	9110	6221	27832	305.5	447.4
32	महामारी/रोकथाम नियंत्रण	0	0	0	..	..
33	परिवार कल्याण	0	0	0	..	..
34	प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल	0	0	0	..	..
35	अस्पताल सेवाएं	800	3000	2263	282.9	75.4
36	दफन एवं दाह-संस्कार	0	0	0	..	..
37	अनिवार्य आंकड़े	0	0	0	..	..
38	खाद्य-मिलावट की रोकथाम	0	0	0	..	..
39	एम्बुलेंस/अर्थी सेवाएं	10	0	0	0.1	..
40 सफाई एवं ठोस अवशेष प्रबंधन						
41	ठोस अवशेष प्रबंधन	750	750	835	111.3	111.3
42	सार्वजनिक सुविधा	0	17500	22046	..	126.0
43	पशुपालन सेवाएं	100	70	42	42.0	60.0
44	पशु बाड़ा	0	0	0	..	..
45	बूचड़ खाना	0	0	0	..	..
फं.	**फंक्शन वर्णन**	**ब.अ. 2011-12 (राजस्व)**	**सं.अ. 2011-12 (राजस्व)**	**आय 2011-12 (राजस्व)**	**निम्न के संदर्भ में : आय 2011-12**	
					ब.अ. 2011-12	**सं.अ. 2011-12**
50 सिविल सुविधाएं						
51	जल आपूर्ति	1456780	1104742	1486909	102.1	134.6
52	मलजल	10850	508780	545807	5030.5	107.3
53	अग्नि सेवाएं एवं आपदा प्रबंधन	500	500	515	102.9	102.9
54	कला एवं संस्कृति	0	0	0	..	..
55	सामुदायिक/विवाह केन्द्र	10100	30000	37335	369.7	124.5
56	मनोरंजन	8200	29700	30021	366.1	101.1
57	म्यूज़ियम	0	0	0	..	..
58	नगरपालिका मार्किट्स	218060	217210	137866	63.2	63.5
60 शहरी वनविद्या						
61	पार्क, गार्डन	1460	1510	3156	216.1	209.0
62	खेल के मैदान	0	0	0	..	..
63	झील एवं तालाब	0	0	0	..	..
64	शहरी वनविद्या	0	0	0	..	..
65	पर्यावरण संरक्षण	0	0	0	..	..

66	चिंड़िया–घर	0	0	0	..	..
70 शहरी गरीबी उन्मूलन एवं समाज–कल्याण						
71	महिला कल्याण	300	300	378	126.0	126.0
72	शिशु कल्याण	0	0	0	..	..
73	वृद्ध कल्याण	0	0	0	..	..
74	विकलांग –जन कल्याण	200	200	263	131.5	131.5
75	एससी/एसटी/ओबीसी कल्याण	1000	1000	1000	100.0	100.0
76	स्लम सुधार	0	0	0	..	..
77	हाऊसिंग	0	0	0	..	..
78	शहरी गरीबी उन्मूलन	0	0	0	..	..
79	अन्य	850	810	906	106.5	111.8
80 अन्य सेवाएं						
81	बिजली	7097510	6820563	6975925	98.3	102.3
82	शिक्षा	437470	600860	593472	135.7	98.8
83	परिवहन	0	0	0	..	..
84	तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधा	0	0	0	..	..
90 राजस्व						
91	सम्पत्ति कर	2770200	2875200	4194493	151.4	145.9
92	डेक्रॉय/प्रवेश उपकर	0	0	0	..	..
93	विज्ञापन कर	0	0	74	..	..
94	व्यावसायिक कर	0	0	0	..	..
95	पशुओं पर कर	0	0	0	..	..
96	वाहन पर कर	0	0	0	..	..
97	चुंगी	0	0	0	..	..
99	अन्य कर	460600	519900	540629	117.4	104.0
	जोड़	**16598039**	**19300474**	**21261795**	**128.1**	**110.2**

व्यय

(₹ हजार में)

फं.	फंक्शन वर्णन	ब.अ. 2011-12 (राजस्व)	स.अ. 2011-12 (राजस्व)	आय 2011.12 (राजस्व)	निम्न के संदर्भ में : आय 2011.12	
					ब.अ. 2011.12	सं.अ. 2011.12
00 सामान्य प्रशासन						
1	नगर पालिका निकाय	14564	13333	15721	107.9	117.9
2	प्रशासन	3717113	5339932	5856694	157.6	109.7
3	वित्त, लेखे, लेखापरीक्षा	131346	130290	118101	89.9	90.6
4	चुनाव	0	0	0	..	..
5	रिकार्ड रूम	751	1021	576	76.7	56.4
6	सम्पदा	40989	61072	967652	2360.8	1584.4
7	भण्डार एवं खरीद	95192	98950	86491	90.9	87.4
8	वर्कशॉप	101520	102155	92955	91.6	91.0
9	मतगणना	0	0	0	..	..
10 योजना एवं विनियम						
11	शहर एवं नगर योजना	37083	36881	35733	96.4	96.9
12	भवन नियमन	0	0	0	--	--
13	आर्थिक योजना	0	0	0	--	--
14	अतिक्रमण हटाना	44440	48682	47143	106.1	96.8
15	ट्रेड लाइसेंस/विनियम	5390	5390	4628	85.9	85.9
20	लोक निर्माण कार्य					
21	सड़कें एवं खड़ंजा	445810	522170	504936	113.3	96.7
22	पुल एवं फ्लायओवर	500	0	849	169.7	--
23	उपमार्ग एवं सेतुक	900	900	718	79.8	79.8
24	स्ट्रीट लाइटिंग	134747	134695	131524	97.6	97.6
25	तूफानी जल नाले	15375	11989	9302	60.5	77.6
26	यातायात संकेतक	0	0	0	--	--
27	अतिथि गृह	0	0	136	--	--
30 स्वास्थ्य						
31	जन-स्वास्थ्य	92617	87460	76470	82.6	87.4
32	महामारी/रोकथाम नियंत्रण	111994	112665	105896	94.6	94.0
33	परिवार कल्याण	11861	15469	15323	129.2	99.1
34	प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल	191198	200542	165242	86.4	82.4

35	अस्पताल सेवाएं	292017	296295	306627	105.0	103.5
36	दफन एवं दाह-संस्कार	0	0	0	--	--
37	अनिवार्य आंकड़े	6505	7509	6899	106.1	91.9
38	खाद्य-मिलावट की रोकथाम	0	0	0	--	--
39	एम्बुलेंस/अर्थी सेवाएं	0	0	0	--	--
40 सफाई एवं ठोस अवशेष प्रबंधन						
41	ठोस अवशेष प्रबंधन	748000	755435	692517	92.6	91.7
42	सार्वजनिक सुविधा	0	700	99	--	14.1
43	पशुपालन सेवाएं	11075	11573	11167	100.8	96.5
44	पशु बाड़ा	100	0	0	0.0	--
45	बूचड़ खाना	0	0	0	--	--
फं.	**फंक्शन वर्णन**	**ब.अ. 2011-12 (राजस्व)**	**सं.अ. 201-12 (राजस्व)**	**आय 2011-12 (राजस्व)**	**निम्न के संदर्भ में % आय 2011-12**	
					ब.अ. 2011-12	**सं.अ. 2011-12**
50 सिविल सुविधाएं						
51	जल आपूर्ति	628967	677018	927794	147.5	137.0
52	मलजल	332656	339849	317252	95.4	93.4
53	अग्नि सेवाएं एवं आपदा प्रबंधन	77301	89400	98226	127.1	109.9
54	कला एवं संस्कृति	35150	6050	3773	10.7	62.4
55	सामुदायिक/विवाह केन्द्र	4621	17169	16199	350.6	94.4
56	मनोरंजन	41296	24820	24993	60.5	100.7
57	म्यूज़ियम	0	0	0	--	--
58	नगरपालिका मार्किट्स	679474	279009	269600	39.7	96.6
60 शहरी वनविधा						
61	पार्क, गार्डन	401320	441209	425402	106.0	96.4
62	खेल के मैदान	0	0	11	--	--
63	झील एवं तालाब	0	0	0	--	--
64	शहरी वनविद्या	0	0	0	--	--
65	पर्यावरण संरक्षण	0	0	0	--	--
66	चिंड़िया-घर	0	0	0	--	--
70 शहरी गरीबी उन्मूलन एवं समाज-कल्याण						
71	महिला कल्याण	13550	18016	17715	130.7	98.3
72	शिशु कल्याण	34376	34194	28984	84.3	84.8
73	वृद्ध कल्याण	0	519	519	--	100.0
74	विकलांग -जन कल्याण	2130	2759	2326	109.2	84.3

75	एससी/एसटी/ओबीसी कल्याण	1000	1000	1000	100.0	100.0
76	स्लम सुधार	10000	0	0	0.0	--
77	हाऊसिंग	0	0	0	--	--
78	शहरी गरीबी उन्मूलन	0	0	0	--	--
79	अन्य	92215	97301	99992	108.4	102.8
80	अन्य सेवाएं					
81	बिजली	4835042	7278697	8119236	167.9	111.5
82	शिक्षा	1081102	1114463	1043012	96.5	93.6
83	परिवहन	0	0	0	--	--
84	तीर्थयात्रियों के लिए सुविआ	0	0	0	--	--
90	राजस्व					
91	सम्पत्ति कर	34245	33075	27658	80.8	83.6
92	डेक्रॉय/प्रवेश उपकर	0	0	0	--	--
93	विज्ञापन कर	0	0	0	--	--
94	व्यावसायिक कर	0	0	0	--	--
95	पशुओं पर कर	0	0	0	--	--
96	वाहन पर कर	0	0	0	--	--
97	चुंगी	0	0	0	--	--
99	अन्य कर	0	0	0	--	--
	जोड़	**14555532**	**18449656**	**20677090**	**142.1**	**112.1**

अनुबंध - के

01.04.2011 से 31.03.2012 तक की अवधि के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

अध्याय-1

(₹ करोड़ में)

		2011-12	2010-11	वृद्धि/कमी
	अथ शेष			
क	अग्रदाय सहित नकद शेष	68.49	201.98	-133.49
ख	बैंकों/कोषागार में शेष (निर्दिष्ट बैंक लेखाओं में शेष सहित)	0.00	0.00	0.00
		68.49	201.98	-133.49
	प्राप्तियां			
	ऑपरेटिंग प्राप्तियां			
110	कर राजस्व	311.78	298.31	13.47
120	सौंपा गया राजस्व एवं प्रतिपूर्तियां	60.22	33.23	26.98
130	नगरपालिका सम्पत्तियों से किराया आय	268.43	212.52	55.91
140	शुल्क एवं प्रयोक्ता प्रभार	850.06	748.82	101.24
150	ब्रिक्री एवं किराया प्रभार	0.34	1.06	-0.72
160	राजस्व अनुदान, अंशदान एवं परिदान	64.67	26.94	37.72
170	निवेश से आय	384.22	366.55	17.67
171	अर्जित ब्याज	0.25	0.26	-0.01
180	अन्य आय	4.65	3.50	1.15
ग	कुल ऑपरेटिंग प्राप्तियां	1944.61	1691.19	253.42
	नॉन ऑपरेटिंग प्राप्तियां			
330-31	प्राप्त कर्ज़े			
310	सामान्य निधि (खण्ड)	173.61	72.56	100.04
340	जमा प्राप्त	23.06	4.65	18.41
320	अनुदान और विशेष उदेश्य के लिए योगदान	4.54	99.39	-94.85
	i) परिसम्पत्तियों से बिक्री प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00
412	ii) निवेश की उगाही - सामान्य निधि	0.00	0.00	0.00
	iii) निवेश की उगाही - अन्य निधियां	0.00	0.00	0.00
341	जमा निर्माण कार्य	7.84	3.49	4.35
350	अग्रिम में संग्रहित राजस्व	0.00	0.00	0.00
	i) कर्मचारियों को कर्ज़े एवं अग्रिम (वसूली)	0.00	0.00	0.00
	ii) अन्य कर्ज़े एवं अग्रिम (वसूली)	0.00	0.00	0.00
	iii) बाह्य एजेंसियों के पास जमा (वसूली)	0.00	0.00	0.00
	आयकर/बिक्री कर एवं उपकर आदि	0.38	-16.79	17.16
360	अन्य प्राप्तियां (उल्लेख करें) खर्चे के लिए प्रावधान	-6.99	-18.25	11.27
घ	कुल नॉन ऑपरेटिंग खर्चे	202.44	145.05	56.39
ड.	**कुल प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)**	**2215.53**	**2038.22**	**177.31**

भुगतान (₹ करोड़ में)

		2010-11	2009-10	वृद्धि/कमी
	ऑपरेटिंग भुगतान			
210	स्थापना खर्चे	761.37	712.14	49.23
220	प्रशासनिक खर्चे	65.86	38.02	27.84
230	परिचालन एवं अनुरक्षण	900.88	561.50	339.38
240	ब्याज एवं वित्त प्रभार	0.00	-0.75	0.75
250	कार्यक्रम खर्चे	1.58	1.44	0.14
260	राजस्व अनुदान, अंशदान एवं परिदान	32.00	29.86	2.14
430	भण्डार की खरीद	0.14	-2.55	2.69
	राज्य तथा केन्द्र सरकार की ओर से अन्य संग्रहण	0.00	0.00	0.00
च	कुल ऑपरेटिंग भुगतान	1761.84	1339.67	422.17
	नॉन ऑपरेटिंग भुगतान			
350	अन्य भुगतान			
350	भुगतान योग्य प्रतिदाय			
	i) कर्जों की चुकौती	0.00	0.00	0.00
	ii) जमा की वापसी	0.00	0.00	0.00
410	स्थायी परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण/खरीद	16.25	26.57	-10.32
412	चालू पूंजीगत निर्माण कार्य	188.82	462.65	-273.82
470	जमा निर्माण कार्य	21.03	3.99	17.04
420	निवेश – सामान्य निधि	-240.36	189.00	-429.37
421	निवेश – अन्य निधियां	0.00	0.00	0.00
460	कर्मचारियों को कर्ज़े एवं अग्रिम	7.82	48.79	-40.98
440	पूर्व प्रदत्त खर्चे	0.00	0.00	0.00
	अन्य कर्ज़े एवं अग्रिम	0.00	0.00	0.00
490	अन्य भुगतान उल्लेख करें (490)	43.12	89.94	-46.83
431	अन्य भुगतान उल्लेख करें (431)	165.96	-179.03	344.99
290	निधियों को अन्तरण	174.00	0.00	174.00
280	अन्य भुगतान (पूर्व अवधि मदें) (280)	0.00	-11.85	11.85
	अनुदान एवं परिदान			
छ	कुल नॉन ऑपरेटिंग भुगतान	376.63	630.06	-253.43
ज	कुल भुगतान (च+छ)	2138.47	1969.73	168.74
	अन्त शेष (ड.–ज)	77.06	68.49	8.57
	अग्रदाय एवं डाक टिकटें	0.20	0.01	
		76.87	68.49	
	बैंकों/कोषागार सहित अग्रदाय शेष सहित नकद शेष (निर्दिष्ट बैंक लेखाओं में शेष सहित)	76.87	68.49	8.38

अनुबंध-एल

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी

अध्याय-1

(₹ करोड़ में)

	विवरण		
क	**ऑपरेटिंग क्रियाकलापों से नकद प्रवाह**		
	व्यय के प्रति सकल अधिशेष (घाटा)		58.47
	निम्नलिखित के लिए समायोजन :-		
	जमा :		
	मूल्यह्रास	14.61	
	ब्याज एवं वित्त खर्चे	0.00	14.60
	घटा :		73.08
	अन्य आय	4.65	
	ब्याज आय	0.25	
	निवेश आय	384.22	389.12
	चालू परिसम्पत्तियों तथा चालू देयताओं तथा सामान्य मदों में बदलाव करने से पूर्व व्यय के प्रति समायोजित आय		-316.04
	चालू परिसम्पत्तियों तथा चालू देयताओं में बदलाव		
	विविध देनदारों में (वृद्धि)/ कमी	-230.23	
	हस्तगत स्टॉफ में (वृद्धि)/ कमी	-0.06	
	अग्रिम में कमी/वृद्धि/प्रीपेड खर्च	-7.82	
	चालू परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/ कमी		-238.10
			-554.14
	प्राप्त जमा में (कमी)/वृद्धि	23.06	
	जमा निर्माण कार्य में (कमी)/वृद्धि	-13.19	
	अन्य चालू देयताओं में (कमी)/वृद्धि	0.39	
	प्रावधान में (कमी)/वृद्धि	-6.99	3.27
	असमान्य मदें (उल्लेख करें)		-550.87
	क) परिचालन क्रियाकलापों से/(प्रयुक्त) सृजित नकद प्रवाह		
ख	**निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह**		
	स्थायी परिसम्पत्तियों एवं सीडब्ल्यूआईपी की (खरीद)	-205.06	
	विशेष निधियों/अनुदानों में (वृद्धि)/कमी	4.54	

	चिन्हित निधियों में (वृद्धि)/कमी	130.49	
	निवेश में खरीद	240.36	170.33
	जमा :		
	परिसम्पत्तियों के निपटान से प्राप्तियां		
	निवेश के निपटान से प्राप्तियां		
	अन्य आय	4.65	
	प्राप्त निवेश आय	384.22	
	प्राप्त ब्याज आय	0.25	389.12
	ख) निवेश्र क्रियाकलापों से (प्रयुक्त) सृजित निवल नकदी		559.45
(ग)	**वित्त क्रियाकलापों से नकद प्रवाह**		
	जमा:		
	बैंकों/अन्य से प्राप्त कर्ज़		
	घटा :		
	अवधि के दौरान चुकाया गया कर्ज़		
	कर्मचारियों को कर्ज़ एवं अग्रिम		
	अन्य को कर्ज़		
	वित्त खर्चे	0.00	0.00
	ग)वित्तीय क्रियाकलापों से (प्रयुक्त) सृजित निवल नकदी		0.00
	नकदी तथा नकदी समान निवल वृद्धि/कमी (क+ख+ग)		8.58
	अवधि के (शुरू) में नकदी तथा नकदी समान		**68.51**
	अवधि के अन्त में नकदी तथा नकदी समान		**77.09**

अनुबंध-एम

महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात– 2011-12

अध्याय-1

अनुपात (प्रतिशत में)

क्र.सं.	विवरण	2011-12	2010-11
	आय अनुपात		
1	कुल आय अनुपात के प्रति कर राजस्व	19.44	18.21
2	कुल आय अनुपात के प्रति सौंपा गया राजस्व एवं प्रतिपूर्ति	2.83	1.86
3	कुल आय अनुपात के प्रति नगरपालिका सम्पत्तियों से किराया आय	12.42	14.15
4	कुल आय अनुपात के प्रति शुल्क एवं प्रयोक्ता प्रभार	43.95	42.51
5	बिक्री एवं किराया प्रभार	0.02	0.06
6	कुल आय अनुपात के प्रति राजस्व अनुदान, अंशदान एवं परिदान	3.04	1.50
7	कुल आय अनुपात के प्रति निवेश से आय	18.07	20.46
8	कुल आय अनुपात के प्रति अर्जित ब्याज	0.01	1.05
9	कुल आय अनुपात के प्रति अन्य आय	0.22	0.20
	खर्चा अनुपात		
10	कुल आय अनुपात के प्रति स्थापना खर्चे	35.81	39.76
11	कुल आय अनुपात के प्रति प्रशासनिक खर्चे	3.10	2.12
12	कुल आय अनुपात के प्रति परिचालन एवं अनुरक्षण	41.18	35.84
13	कुल आय अनुपात के प्रति ब्याज खर्चे	0.00	-0.04
14	कुल आय अनुपात के प्रति कार्यक्रम खर्चे	0.07	0.08
15	कुल आय अनुपात के प्रति राजस्व अनुदान, अशंदान एवं परिदान	1.51	1.67
16	कुल आय अनुपात के प्रति प्रावधान एवं बट्टा खाता	4.75	1.72
17	कुल आय अनुपात के प्रति मूल्सह्रास	0.69	0.32
	निवल आय अनुपात		
18	कुल आय अनुपात के प्रति अधिशेष/घाटा	12.90	18.53
	कार्यक्षमता अनुपात		
19	सकल सम्पत्ति कर प्राप्य अनुपात	699.53	735.44
	तरलता अनुपात		
20	चालू देयताओं के प्रति चालू परिसम्पत्तियां	427.17	374.06

अनुबंध-एन

एटी एवं सी हानियों का लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण 2007-08 से 2010-11 की अवधि के दौरान एनडीएमसी को हुई वित्तीय हानि को दर्शाने वाली विवरणी

अध्याय -2 (पैरा 2.3.1)

(₹ करोड़ में)

वर्णन	2007-08		2008-09		2010-11		टिप्पणी
	अनुमानित	वास्तविक	अनुमानित	वास्तविक	अनुमानित	वास्तविक	
एटी एवं सी हानियां (% में)	11.20	14.79	10.75	13.72	10.00	11.94	डीईआरसी ने अपने आदेश में हानि 11.20% अनुमानित की है
कम प्राप्ति (% में)		3.59		2.97		1.94	
ऊर्जा इनपुट (एमयू)		1234.40		1196.76		1338.15	
वसूले गए यूनिट (एमयू)	1096.15	1051.81	1068.11	1032.57	1204.34	1178.34	
औसत बिलिंग दर (₹)		4.60		5.11		5.16	
राशि (₹ करोड़ में)	503.83	483.86	545.65	527.49	621.57	608.16	
कम प्राप्ति के कारण वित्तीय हानि प्रभाव (₹ करोड़ में)		20.37		18.16		13.41	
2007-08 से 2010-11 तक कुल वित्तिय हानि	**₹ 51.94 करोड़**						

अनुबंध-ओ

दिल्ली बिजली आपूर्ति कोड एवं निष्पादन मानक विनियम, 2007 के अनुबंध- XIII में दिया गया निर्धारण फार्मूला लागू न करने के कारण बिजली की चोरी के मामलों में ऊर्जा उपभोग के कम निर्धारण के मामले

अध्याय-2 (पैरा 2.3.10)

क्र.सं.	चोरी का पता लगने की तारीख	उपभोक्ता/के.सं.	उपभोक्ता का नाम	श्रेणी	अपराध का प्रकार (चोरी/दुरूपयोग	निर्धारण प्रति मास (एल ग डी ग एच ग एफ)				गुणात्मक कारक 3 एम/6 एम/12 एम)	कुल यूनिट	प्रति यूनिट लागू दर	लागू दर (1.5 गुणा + 5 प्रतिशत बिजली कर की दर पर प्रति यूनिट लागू दर)	फार्मूले के अनुसार किये जाने वाले निर्धारण की राशि ₹ में	थोपी गई निर्धारित चोरी की राशि	चटा थोपी गई राशि ₹
						एल	डी	एच	ए							
1	05/11/2008	उल्लिखित नहीं	बाल मुकन्द	उ./न.	चोरी	0.818	30	8	1	12	2355.84	3.6	7.56	17810.15	4930	12880.15
2	23/04/2009	के-75796	राजेश	एल/ सी	चोरी	2.252	25	20	1	12	13512	4.4	9.24	124850.88	14540	110310.88
3	02/01/2010	उ/न	भोपाल सिंह	उ./न.	चोरी	0.14	25	20	1	12	840	4.4	9.24	7761.60	2790	4971.60
4	07/01/2010	के -70621	शान्ति स्वरूप	एल/ सी	चोरी	1.427	25	20	1	12	8562	4.4	9.24	79112.88	28496	50616.88
5	08/01/2010	के -91020	नीलम कपूर	एल/डी	चोरी	5.8	30	8	1	12	16704	3.6	7.56	126282.24	33390	92892.24
6	12/05/2010	के -113956	कृष्ण शर्मा	एल/ सी	चोरी	0.6	25	20	1	12	3600	4.4	9.24	33264.00	776	32488.00
7	01/07/2010	के -100517	मुख्तार सिंह	एल/डी	चोरी	3.349	30	8	1	12	9645.12	3.6	7.56	72917.11	29212	43705.11
8	01/07/2010	शून्य	नगेन्द्र तिवारी	उ./न.	चोरी	0.45	25	20	1	12	2700	4.4	9.24	24948.00	14969	9979.00
9	26/03/2011	शून्य	रघु नाथ	शून्य	चोरी	2.52	25	20	1	12	15120	4.4	9.24	139708.80	83825	55883.80
10	25/09/2011	शून्य	कामिल	शून्य	चोरी	0.25	25	20	1	12	1500	5.3	11.13	16695.00	10017	6678.00
11	11/01/2012	शून्य	सविता	शून्य	चोरी	1	30	8	1	12	2880	4.35	9.135	26308.80	3289	23019.80
12	16/02/2012	के -71305	धर्मपाल	एल/डी	चोरी	0.075	25	20	1	12	450	5.3	11.13	5008.50	3005	2003.50
13	09/03/2012	के-93896	धर्म राज	एल/डी	चोरी	0.66	25	20	1	12	3960	4.35	9.135	36174.60	12102	24072.60
														जोड़		**469501.56**

₹ 4.70 लाख

अनुबंध-पी

दिल्ली बिजली आपूर्ति कोड एवं निष्पादन मानदण्ड विनियम, 2007 के अनुबंध- XIII में दिया गया निर्धारण फार्मूल लागू न करने के कारण ऊर्जा के अप्राधिकृत प्रयोग में मामलों में कम ऊर्जा उपभोग के मामले

अध्याय-3 (पैरा 2.3.11)

क्र.सं.	बिजली के अप्राधिकृत प्रयोग का पता लगाने की तारीख	के.सं.	उपभोक्ता का नाम	श्रेणी	अपराध का प्रकार	फार्मुले के अनुसार प्रति मास यूनिटों का निर्धारण (एल x डी x एच x एफ)					महिने (उएम/ठएम)	निर्धारित किये जाने वाले कुल यूनिट	लागू टैरिफ	1.5 गुणा + 5 प्रतिशत बिजली कर की दर पर प्रति यूनिट लागू दर	फार्मूले के अनुसार उद्ग्रहय दुरूपयोग प्रभार	डीसीआर के अनुसार उद्ग्रहित दुरूपयोग राशि	घटा: फार्मुले के अनुसार ऊर्जा प्रभारों के उपभोग का निर्धारण न करने के कारण उद्ग्रहीत राशि
						एल	डी	एच	उफ	यूनिट							
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
1	26/03/2007	के-64233 के-468 के-63560	मै0 कोलमेट एंटरप्राइज़ेज	पी/सी एल/सी एल/सी	दुरूपयोग	75.316	25	20	0.6	22595	6	135568.8	5	7.88	1067604.30	14560.00	1053044.30
		के-76990	मै0 अवतार सिंह	एल/सी	दुरूपयोग	28.363	25	20	0.6	8508.9	6	51053.4	5	7.88	402045.53	6276.00	395769.53
		के-73802 के-63719 के-63719	मै0 आर.एस. अवतार सिंह एण्ड क. एमए भवानी एंड सन्स, भवानी एंड संस	एल/सी पी/सी एल/सी	दुरूपयोग	22.993	25	20	0.6	6897.9	6	41387.4	5	7.88	325925.78	5197.00	320728.78
2	20/08/2007	केओटी1520 केओटी-1521	स्टील अर्थोरिटी ऑफ इण्डिया	एल/सी पी/सी	दुरूपयोग	95.499	25	20	0.6	28650	6	171898.2	5	7.88	1353698.33	26757.00	1326941.33
3	30/04/2008	के-59297	मै0 ओरिएन्टल बिल्डिंग	एल/सी	दुरूपयोग	3.234	25	20	0.6	970.2	6	5821.2	4.4	6.93	40340.92	1312.00	39028.92

4	15/12/2009	के-77180 से के-77186	आर.एस.बजाज़ एम.जे.राव, सिद्धार्थ कोछर, सुप्रकाश,वाधवान, पॉल वोहरा, ऊषा साहनी, सुरेन्द्र साहनी (ज़िवम प्रोजेक्टस)	एल/सी	दुरूपयोग	60.957	25	20	0.6	18287	6	109722.6	5	7.88	864065.48	18917.00	845148.48
5	22/12/2010	के-112208	सत्य नारायण विजय	एल/सी	दुरूपयोग	0.244	25	20	0.6	73.2	6	439.2	4.4	6.93	3043.66	186.00	2857.66
6	03/10/2011	के-112021	मै0 जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि0	पी/कॉम	दुरूपयोग	56.123	25	20	0.6	16837	6	101021.4	6.1	9.61	970563.10	6212.00	964351.10
7	22/11/2011	के-78597	निदेशक, नई दिल्ली होटल्स लि.	पी/कॉम	दुरूपयोग	202	30	20	0.6	72720	6	436320	5.3	8.35	3642181.20	228791.00	3413390.20
8	18/01/2012	के-34373	श्री सन्त लाल राम लाल	एल/सी	दुरूपयोग	5.156	25	20	0.6	1546.8	6	9280.8	5.3	8.35	77471.48	2478.00	74993.48
															जोड़		**8436253.75**

₹ 84.36 लाख

अनुबंध-क्यू

लेखापरीक्षा को उपलब्ध न कराए गए भर्ती नियमों के विवरण
अध्याय-3 (पैरा 3.3.4)

क्र.सं.	पद का नाम	ग्रुप
1.	निदेशक (भ्रष्टाचार विरोधी)	ए
2.	निदेशक (क्यू सी एवं टी ए) (इलेक्ट्रिक)	ए
3.	निदेशक (क्यू सी एवं टी ए) (सिविल)	ए
4.	उप निदेशक (इंजी. ग्रेड सी)	ए
5.	संयुक्त निदेशक (सतर्कता)	ए
6.	संयुक्त निदेशक (कल्याण)	ए
7.	ईई (क्यू सी एवं टी ए) (इलेक्ट्रिक)	ए
8.	संयुक्त निदेशक	ए
9.	मुख्य सतर्कता अधिकारी	ए
10.	संयुक्त सीएओ/एफए	ए
11.	अतिरिक्त मुख्य अभियंता (सिविल)	ए
12.	प्रोग्रामर	बी
13.	उर्दू अनुवादक	बी
14.	हिन्दी अनुवादक	बी
15.	वरि0 लाइब्रेरियन	बी
16.	सहायक शिक्षा अधिकारी (एमएमएस)	बी
17.	जिम्नाज़ियम कोच	बी
18.	सहायक अभियंता (ई एण्ड एम) II	बी
19.	एस आई (पब्लिक)	सी
20.	कांस्टेबल	सी
21.	मुख्य गार्ड	सी
22.	पर्यवेक्षक	सी
23.	फोटोग्राफर	सी
24.	प्रयोगशाला सहायक	सी
25.	पर्यवेक्षक (एमएमएस)	सी
26.	छात्र कल्याण वर्कर	सी
27.	कार्य अनुभव सहायक ग्रेड I एवं II	सी
28.	गेम अटेंडेंट	सी
29.	बाल सहायिका	सी
30.	हलवाई केंटीन	सी
31.	फ्राश	सी

32.	कारपेन्टर	सी
33.	पम्प ऑपरेटर	सी
34.	वाटर मैन	सी
35.	तबला प्लेयर	सी
36.	कनि. अभियंता (ऑटो)	सी
37.	ड्राफ्ट्स मैन (मकेनिक)	सी
38.	सहायक स्टोर कीपर	सी
39.	स्टोर मैन	सी
40.	हाइड्रोमीट्रिक ऑपरेटर	सी
41.	फिल्टर प्लांट अटेंडेंट	सी
42.	चौकीदार (आटो)	डी
43.	नर्सिग आर्डरली	डी

अनुबंध - आर

रोज़गार कार्यालय द्वारा दैनिक-भोगी सफाई कर्मचारी के लिए प्रवर्तित, चुने गए, साक्षात्कार लिए गए और नियुक्त किए गए आवेदकों की सूची

अध्ययय-3 (पैरा 3.3.11)

अभ्यर्थियों की संख्या						
मास/वर्ष	नियुक्त सं0	रोज़गार कार्यालय द्वारा प्रवर्तित सं0	मांग की तारीख	बुलाए गए/ साक्षात्कर किए गए सं0	साक्षात्कार की तिथि	नियुक्ति की तिथि
6/2007	350	1319	18.6.07	1319	23-25 जून 07	02.07.07
7/2007	24	460	28.7.09	460	2 अगस्त 07	08.08.07
6/2008	354	1768	23.5.08	1768	4-6 जून 08	17.6.08
1/2009	516	1931	14.1.09	882	2-5 फरवरी 09	18.2.09
8/2009	525	1966	17.7.09	1560	3-6 अगस्त 09	18.8.09
4/2010	100	8000	17.3.10	1529	20-22 अप्रैल 10	01.06.10
12/2010	525	12332	22.11.10	2327	3-6 जनवरी 11	08.02.11
8/2011	574	11179	2.8.11	2067	12-15 सितम्बर 11	07.10.11
3/2012	525	18758	24.2.12	3095	16-20 अप्रैल 12	12.06.12

अनुबंध- एस
कार्य प्रतिमानों के अनुसार सफाई कर्मचारियों का निर्धारण
अध्याय-3 (पैरा 3.3.12)

साफ की जाने वाली सड़कों और फुटपाथों का क्षेत्र (2009-10 को)	नियमित सफाई कर्मचारियों की संख्या		
	निर्धारित	तैनात	फालतू
34,09,355.57 वर्ग मी. अर्थात् 3,60,11,318.20 वर्ग फुट	1200		
सायंकाल सफाई (5 सर्किल), कनॉट प्लेस, सरोजिनी नगर, खान मार्किट, एसबीएस मार्किट, बंगाली मार्किट (अनुमानत: मार्किट क्षेत्र की गणना कुल सर्किल क्षेत्र के 1/3 से की गई) 2572237/ 3 X 5 सर्किल = 4287062 / 30000 वर्ग फुट	143		
रात्रि सफाई (3 सर्किल यथा: I, VI एवं XI) इण्डिया गेट, कनॉट प्लेस, हनुमान मन्दिर, खान मार्किट, सरोजिनी नगर, मालचा मार्ग मार्किट, गोल मार्किट, बंगाली मार्किट 2572237/ 3 X 3 सर्किल = 2572237 / 30000 वर्ग फुट	86		
साप्ताहिक छुट्टी + छुट्टी रिज़र्व : 30%	429		
जोड़	**1858**	**1896**	**38**

नियमित सफाई कर्मचारी = *1633,* माली *(73)* तथा सफाई कर्मचारियों के रूप में काम करने वाले *(160)* चौकीदार = *जोड़ = 1896.

एमएसडब्ल्यू प्रबंधन की नियम पुस्तिका में निर्दिष्ट कार्य प्रतिमानों के पैरा 19.6 के अनुसार सफाई कर्मचारियों को सड़कों और फुटपाथ की सफाई करनी होती है तथा उन्हें आबंटित सड़कों/गालियों में स्थित घरों, दुकानों और स्थापनाओं से घरेलू, व्यापारिक तथा सांस्थानिक अपशिष्ट इकट्ठे करने होते हैं। यह भी निर्दिष्ट है कि सफाई के प्रतिमान, कार्य-दिवस के पहले चार घंटों में गलियों की सफाई के लिए होते हैं। दिन के शेष घंटों में, सफाई कर्मचारियों को गलियों की गन्दी बस्तियों तथा अन्य प्राधिकृत स्थानों के विशिष्ट कार्य सौंपे जाने चाहिए जिससे शहर की स्वच्छ स्थिति सुनिश्चित की जा सके और स्वास्थ्य तथा सफाई के खतरों से बचा जा सके । इन प्रतिमानों को ध्यान में रखते हुए, बाज़ारी क्षेत्रों में प्रातः की सफाई का कार्य करने के लिए किसी अतिरिक्त मानव-राक्ति की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

अनुबंध-टी

अनुमोदन के बिना दैनिक-भोगी माली की नियुक्ति

अध्याय-3 (पैरा 3.3.14)

क्र.स.	वाऊचर सं एवं दिनांक	नामावली संख्या	अनुमोदन प्राप्त किए बिना दैनिक-भोगी मज़दूर की नियुक्ति की अवधि	आकस्मिक मज़दूरों की संख्या	किया गया भुगतान (₹ में)
1	21 दिनांक 21.04.09	170	08.04.09 से 15.04.09	10	7952
2	22 f दिनांक 21.04.09	171	08.04.09 से 15.04.09	05	5400
3.	11 दिनांक 12.05.09	173	08.04.09 से 04.05.09	15	44270
4.	12 दिनांक 12.05.09	174	08.04.09 से 15.04.09	10	31043
5.	09 दिनांक 12.05.09	175	08.04.09 से 15.04.09	10	31661
6.	10 दिनांक 12.05.09	176	08.04.09 से 15.04.09	10	30425
7.	01 दिनांक 08.05.09	177	08.04.09 से 03.05.09	15	51282
8.	08 दिनांक 12.05.09	178	08.04.09 से 04.05.09	15	46255
9.	13 दिनांक 12.05.09	179	08.04.09 से 09.05.09	10	26934
10.	15 दिनांक 12.05.09	180	08.04.09 से 09.05.09	10	29628
11.	14 दिनांक 12.05.09	181	08.04.09 से 09.05.09	10	30525
12.	16 दिनांक 12.05.09	182	08.04.09 से 09.05.09	15	42838
13.	17 दिनांक 14.05.09	183	08.04.09 से 09.05.09	15	47080
14.	18 दिनांक 14.05.09	184	08.04.09 से 09.05.09	05	17048
15.	32 दिनांक 22.05.09	185	16.04.09 से 16.05.09	10	26126
16.	31 दिनांक 22.05.09	186	16.04.09 से 16.05.09	05	15194
17.	28 दिनांक 18.05.09	153	08.04.09 से 06.05.09	10	35880
18.	20 दिनांक 18.05.09	154	08.04.09 से 06.05.09	15	54102
19.	21 दिनांक 18.05.09	155	08.04.09 से 06.05.09	15	55091
20	22 fदिनांक 18.05.09	156	08.04.09 से 06.05.09	15	54526
21.	23 दिनांक 18.05.09	157	08.04.09 से 06.05.09	15	57210
22.	24 दिनांक 18.05.09	158	08.04.09 से 06.05.09	15	56572

23.	13 दिनांक 12.05.09	159	08.04.09 से 06.05.09	12	38968
24.	29 दिनांक 18.05.09	160	08.04.09 से 06.05.09	15	49582
25.	25 दिनांक 18.05.09	161	08.04.09 से 06.05.09	20	71053
26.	26 दिनांक 18.05.09	162	08.04.09 से 06.05.09	15	47039
27.	06 दिनांक 08.06.09	22	23.04.09 से 22.05.09	16	55568
28.	07 दिनांक 08.06.09	23	23.04.09 से 22.05.09	20	75047
जोड़					**1134299**

₹11.34 लाख

अनुबंध-यू

अग्नि विभाग में दैनिक भोगी मज़दूर को अलेखाबद्ध भुगतान के विवरण

अध्याय-3 (पैरा 3.3.17)

भवन का नाम	अवधि	दैनिक भोगी मज़दूरों की संख्या जिसके लिए संस्वीकृति प्राप्त की गई	तैनात दैनिक भोगी मज़दूरों की औसत संख्या	दैनिक भोगी मज़दूरी की सं जिनके लिए भुगतान जारी किया गया	तैनाती से अधिक नियुक्त मज़दूरों की संख्या			
					व्यक्तियों की संख्या	मज़दूरी दर (₹)	दिनों की औसत सं.	राशि(में ₹)
स्वाति बिल्डिंग	मार्च 2008	10	1	10	9	135.25	26	31648
	मार्च 2009	10	3	10	7	142.00	26	25844
	मार्च 2010	10	3	10	7	203.00	26	36946
काका नगर बारात घर	मार्च 2008	7	0	7	7	135.25	26	24615
	मार्च 2009	7	4	7	7	142.00	26	11076
	मार्च 2010	7	3	7	4	203.00	26	21112
चाणक्य भवन पर खड़ा किया गया वाटर बाऊज़र एवं आकस्मिक बचाव टेंडर	मार्च 2010	52	4	52	48	203.00	26	253344
	मार्च 2011	52	15	51	36	203.00	26	197316
	मार्च 2012	52	19	41	22	247.00	26	141284
एनडीसीसी-II पर पार्क किया गया वाटर टेंडर एवं आकस्मिक रेसपांस वाहन	अप्रैल 2011	30	3	19	16	203.00	26	84448
	मार्च 2012	30	3	21	18	247.00	26	115596
बारात घर, मोती बाग, लोधी कॉलोनी, खान मार्किट, मन्दिर मार्ग, नेताजी नगर तथा लक्ष्मी बाई नगर	अप्रैल 2011	47	16	47	31	203.00	26	163618
	मार्च 2012	47	19	25	6	247.00	26	38532
जोड़								1145379

₹ 11.45 लाख

अनुबंध-V

समीक्षा अवधि (2007-12) के दौरान सुरक्षा एजेंसियां

अध्याय--3 (पैरा 3.3.23)

वर्ष	ग्रुप	एजेंसी का नाम
2007-2008	ए	मै0 एडवांस सर्विसेज़ प्राइवेट लि0
		मै0 एडवांस सर्विसेज़ प्राइवेट लि0
	बी	बम्बे इंटेलिजेंस सर्विसेज़ (इण्डिया) लि0
		एलर्ट एंटरप्राइज़ेज़
	सी	एडवांस सिक्योरिटरज़ प्राइवेट लिमि.
	डी	एक्स-मैन राघव सिक्योरिटी सर्विसेज़ प्रा0लि0
		जटायु एंटरप्राइज़ेज़ सर्विसेज़
	ई	स्काईलार्क केजर्स ईटरनेशनल
	एफ	दीप सिक्योरिटी सर्विस (रजि0)
		एक्स-मैन राघव सिक्योरिटी सर्विसेज़ प्रा0लि0
	जी	स्काई लार्क सिक्योरिटीज़ प्रा0 लि0
		जटायु एंटरप्राइज़ेर सर्विसेज़
	एच	लीडर सिक्योरिटी एजेंसी
2008-09	ए	मै0 एडवांस सर्विसेज़ प्रा0लि0
	बी	एलर्ट एंटरप्राईज़ेज़
	सी	मै0 एडवांस सर्विसेज़ प्रा0 लि0
	डी	जटायु एंटरप्राइज़ेर सर्विसेज़
	ई	गुड ईयर सिक्योरिटी सर्विस
	एफ	एक्समैन राघव सिक्योरिटी सर्विसेज़ प्रा0लि0
	जी	जटायु एंटरप्राइज़ेज सर्विसेज़
	एच	लीडर सिक्योरिटी एजेंसी
2009-10	ए	मै0 एडवांस सर्विसेज़ प्रा0 लि0
	बी	एलर्ट एंटरप्राईज़ेज़
	सी	मै0 एडवांस सर्विसेज़ प्रा0 लि0
	डी	जटायु एंटरप्राइज़ेज सर्विसेज़
	ई	गुड ईयर सिक्योरिटी सर्विस
	एफ	एक्समैन राघव सिक्योरिटी सर्विसेज़ प्रा0लि0
	जी	एक्समैन राघव सिक्योरिटी सर्विसेज़ प्रा0लि0
	एच	लीडर सिक्योरिटी एजेंसी
2010-11	ए	एम.एस. विजिलेंट सिक्योरिटी, प्लेसमैंट एंड डिटेक्टिव सर्विसेज़ प्रा.लि.
	बी	एम.एस. विजिलेंट सिक्योरिटी, प्लेसमैंट एंड डिटेक्टिव सर्विसेज़ प्रा.लि
	डी	एक्स-मैन राघव सिक्योरिटी सर्विसेज़ प्रा.लि.
	ई	गुड ईयर सिक्योरिटी सर्विस
	एफ	एक्समैन राघव सिक्योरिटी सर्विसेज़ प्रा.लि.
	जी	जटायु एंटरप्राईज़ेज़ सर्विसेज़
	एच	लीडर सिक्योरिटी

2011-12	ए	एम.एस. विजिलेंट सिक्योरिटी, प्लेसमैंट एंड डिटेक्टिव सर्विसेज़ प्रा.लि
	बी	एलर्ट एंटरप्राईज़ेज़
		एम.एस. विजिलेंट सिक्योरिटी, प्लेसमैंट एंड डिटेक्टिव सर्विसेज़ प्रा.लि
	डी	जटायु एंटरप्राइज़ेज सर्विसेज़
	ई	गुड ईयर सिक्योरिटी सर्विस
		जटायु एंटरप्राइज़ेज सर्विसेज़
	एफ	एक्स-मेन राघव सिक्योरिटी सर्विसेज़ प्रा.लि.
		बिमला एंटरप्राईज़ेस
	जी	जटायु एंटरप्राईज़ेस
	एच	लीडर सिक्योरिटी एजेंसी

अनुबंध-डब्ल्यू

मार्च, 2011के मास में सिक्योरिटी एजेंसी को अधिक भुगतान दर्शाने वाली विवरणी

अध्याय-3 (पैरा 3.3.23 (बी)

ग्रुप	एजेंसी	एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बिलों के अनुसार नियुक्त सुरक्षा कार्मिकों की संख्या	विभाग द्वारा प्रदत उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार सुरक्षा कार्मिको की संख्या	बिल और उपस्थिति के अनुसार सुरक्षा, कार्मिकों में अन्तर (4-5)	उपस्थिति में दर्ज नहीं सुरक्षा कार्मिक को बिल के अनुसार किया गया भुगतान (₹ में)	एजेंसी को किया गया कुल भुगतान (पूर्णांकित) (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7
ए	मै0 एम.एस.विजिलेंट सिक्योरिटी, प्लेसमेंट एंड डिटेक्टिव सर्विसेज़ (प्रा. लि.)	218 +12 = 230	130 + 12 = 142	88	सीएसएस 2X10239.54=20479 एसएस-1X10239=10239 SG-85X9305.4=790959	**8,21,667/-** + सेवा प्रभार एवं सेवा कर
बी	मै0 एम.एस.विजिलेंट सिक्योरिटी, प्लेसमेंट एंड डिटेक्टिव सर्विसेज़ (प्रा. लि.)	124	111	13	सीएसओ-1X10239.54=10239.54 एसएस-1X10239.54=10239.54 एसजी-7X9305.41=65137.87	**1,26,575/-** + सेवा प्रभार एवं सेवा कर
बी(पुराना)	मै0 एलर्ट एन्टरप्राईजेज़	162	83	79	सीएसओ--1 x10239.54=10,239.54 एसएस-3X9305.41=27,916.23 एसजी-75X8407.19=6,30,539.25	**6,68,695/-** + सेवा प्रभार एवं सेवा कर
एच	मै0 लीडर सिक्योरिटी एजेंसी	72	66	6	एसएस-6X11738.42=70430.52	**70,431/-** + सेवा प्रभार एवं सेवा कर
सेवा प्रभार एवं सेवा कर					**16,80,909/- जमा**	

₹ 16.81 लाख

मार्च, 2012 के महीने में सुरक्षा एजेंसी को रिलीविंग प्रभारों के अधिक भुगतान को दर्शाने वाली विवरणी

ग्रुप	एजेंसी	एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बिल के के अनुसार नियुक्त सुरक्षा कार्मिकों की संख्या	विभाग द्वारा प्रदत्त उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार सुरक्षा कार्मिकों की संख्या	बिल तथा उपस्थिति के अनुसार सुरक्षा कार्मिकों में अन्तर (4-5)	उपस्थिति में दर्ज न होने वाले सुरक्षा कार्मिकों को बिल के अनुसार किया जाने वाला भुगतान ₹ में	एजेंसी को किया गया कुल भुगतान (पूर्णांकित) ₹ में
1	2	3	4	5	6	7
ए	मै0 एम.एस.विजिलेंट सिक्योरिटी, प्लेसमेंट एण्ड डिटेक्टिव सर्विसेज़ (प्रा.)लि.	199	157	42	सीएसएस- 2X11209.59=22,419.18 एसएस-1X11209.59=11209.59 एसजी-39X10167.68=396539.52	**4,30,168/-** + सेवा प्रभार एवं सेवा कर
बी	मै0 एम.एस.विजिलेंट सिक्योरिटी, प्लेसमेंट एण्डडिटेक्टिव सर्विसेज़ा.प्र.)	159	110	49	बिल के अनुसार (सीसीएस,एसएस एण्ड एसजी-159) तथा उपस्थिति के अनुसार (एसजी-110) बिल भुगतान के अनुसार = ₹15,56,058.29 तथा उपस्थिति के अनुसार 10167.68 की दर पर ₹.11,18,,444	**4,37,614/-** + सेवा प्रभार एवं सेवा कर
बी(पुराना)	मै0 एलर्ट एंटरप्राइज़ेज़	114	84	30	एसजी- 30×8874.26=2,66,227-	**2,66,227/-** + सेवा प्रभार एवं सेवा कर
जी	मै0 जटायु एंटरप्राइज़ेज़	88	80	8	सीएसओ– 1X11137.74=11,137.74 1X1023.54=30,718.62 एस/जी- 4X8407.19=33,628.76	**75,485/-**

एच	मै0 लीडर सिक्योरिटी एजेंसी	72	66	6	एसएस- 1X13415.35=13,415.35 एस/जी- 5X9162.51=45,812.55	**9,228/-** + सेवा प्रभार एवं सेवा कर
सेवा प्रभार एवं सेवा कर						**12,68,722/-** ***जमा***

₹ 12.69 लाख

अनुबंध-एक्स

उन सुरक्षा कार्मिकों की विवरणी जिन्होंने दोहरी/तिहरी शिफ्टों में काम किया

एजेंसी-विजिलेंट सिक्योरिटी चरक पालिका अस्पताल

अध्याय-3 (पैरा 3.3.24)

क्र.सं.	दिनांक	सुरक्षा कार्मिक का नाम	शिफ्ट में काम करने की क्रम संख्या		
			शिफ्ट ए	शिफ्ट बी	शिफ्ट सी
1.	01.03.11	श्री ध्रुव कुमार	2	1	-
2.	01.03.11	एस. मिश्रा	4	-	1
3.	01.03.11	राजेश कुमार	5	3	-
4.	01.03.11	दिनेश दुबे	10	4	-
5.	01.03.11	संजीव आनन्द	11	-	2
6.	01.03.11	लक्ष्मण सिंह	13	9	-
7.	01.03.11	विध्यानन्द	-	5	4
8.	01.03.11	रमेश ठाकुर	-	2	6
9.	01.03.11	रमेश सिंह	-	7	7
10.	02.03.11	वी.के.नाम्बेर	1	-	8
11.	02.03.11	जग नराजांशु	2	2	-
12.	02.03.11	एस.के.मिश्रा	4	-	5
13.	02.03.11	संजीव आनन्द	5	-	7
14.	02.03.11	राजेश कुमार	6	8	-
15.	02.03.11	धर्म वीर	7	10	2
16.	02.03.11	दिनेश दुबे	10	9	-
17.	02.03.11	शिव कुमार	14	-	3
18.	02.03.11	अभय कुमार	-	6	6
19.	02.03.11	रामानुज	-	7	4

20.	03.03.11	एस.के. मिश्रा	4	-	1
21.	03.03.11	ध्रुव कुमार	6	1	-
22.	03.03.11	दिनेश दुबे	10	8	7
23.	03.03.11	रमेश सिंह	12	4	4
24.	03.03.11	लक्ष्मण सिंह	13	5	
25.	03.03.11	शिव कुमार	14	-	3
26.	03.03.11	दुर्गा पाल सिंह	-	2	2
27.	03.03.11	अभय कुमार	-	6	5
28.	03.03.11	रामानुजं	-	7	6
29.	03.03.11	संजीव आनन्द	11	-	9
30.	04.03.11	ध्रुव कुमार	2	1	-
31.	04.03.11	राजेश कुमार	3	6	-
32.	04.03.11	एस.के. मिश्रा	4	5	-
33.	04.03.11	जग नारायण	6	3	-
34.	04.03.11	संजीव आनन्द	11	-	2
35.	04.03.11	धर्म वीर	12	-	7
36.	04.03.11	लक्ष्मण सिंह	13	9	-
37.	04.03.11	रमेश तनवर	14	-	6
38.	04.03.11	रामानुज	-	7	4
39.	04.03.11	अभय कुमार	-	8	1
40.	05.03.11	ध्रुव कुमार	2	1	-
41.	05.03.11	राजेश कुमार	6	8	-
42.	05.03.11	रामोधर यादव	7	5	-
43.	05.03.11	दिनेश दुबे	10	4	-

44.	05.03.11	संजीव आनन्द	11	9	-
45.	05.03.11	एस.के. मिश्रा	12	6	-
46.	05.03.11	लक्ष्मण सिंह	13	6	-
47.	05.03.11	दुर्गा पाल सिंह	-	2	7
48.	05.03.11	विध्या नन्द	-	3	3
49.	05.03.11	रामानुज	-	7	4
50.	05.03.11	राजेश कुमार	3	6	
51.	06.03.11	रमेश तनवर	4	-	4
52.	06.03.11	दिनेश दुबे	5	5	-
53.	06.03.11	जग नारायण	6	1	-
54.	06.03.11	दुर्गा पाल सिंह	12	-	7
55.	06.03.11	शिव कुमार	13	-	3
56.	06.03.11	संजीव आनन्द	11	-	4
57.	06.03.11	रामानुज	-	7	5
58.	06.03.11	अभय कुमार	-	8	6
59.	06.03.11	रमेश सिंह	-	8	2
60.	06.03.11	धर्म वीर	14	-	10

अनुबंध-वाई

सुरक्षा विभाग द्वारा नवम्बर, 2009 से जुलाई, 2012 की अवधि के लिए ईपीएफ, आि के संबंध में सभी व्यक्तियों के लेखा संख्याओं के पूरे विवरण तथा अन्य विवरण प्रस्तुत किए बिना मै0 विजिलेंट सिकयोरिटी सर्विसेंज़ किया गया भुगतान

अध्याय-3 (पैरा 3.3.25)

अवधि	राशि (₹ में)
नवम्बर, 2009 से फरवरी. 2010	2214365
मार्च, 2010 से मई, 2010	3174100
जून, 2010	1056072
जुलाई, 2010	1072531
अगस्त, 2010	1073087
सितम्बर, 2010	1112355
अक्तूबर, 2010	1179271
नवम्बर, 2010	1183391
दिसम्बर, 2010	1185582
जनवरी, 2011	1187985
फरवरी, 2011	1232974
मार्च, 2011	1402633
अप्रैल, 2011	1398884
मई, 2011	1613525
जून, 2011	1423423
जुलाई, 2011	1421437
अगस्त, 2011	1818455
सितम्बर, 2011	1477984
अक्तूबर, 2011	1536671
नवम्बर, 2011	1773560
दिसम्बर, 2011	1811935
जनवरी, 2012	2011678
फरवरी, 2012	1840234
मार्च, 2012	1910376
अप्रैल, 2012	2141444
मई, 2012	2161492
जून, 2012	2150851
जुलाई, 2012	1918582
जोड़	**45484877**

₹ 4.55 करोड़

अनुबंध- ज़ेड

दिसम्बर 2012 को असमायोजित विविध अग्रिम

अध्याय-5 (पैरा 5.1)

क्र.सं.	मास	विवरण	राशि ₹ में
1.	3/1990	मै0 इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0	1,00,000
2.	3/1992	मै0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लि0	4,15,042
3.	4/2005	मै0 सीआरआरआई एडवान्स श्री एल.के. शर्मा ए ई–II	1,10,200
जोड़			**6,25,242**

₹ 6.25 लाख

अनुबंध- ए ए

31.03.2012. को जनपथ मार्किट के लाईसेंसधारियों से प्राप्य लाइसेंस शुल्क के विवरण अध्याय-6 (पैरा 6.2)

जनपथ मार्किट (53)	आई.डी. संख्या	लाइसेंसधारी का नाम	मासिक लाइसेंस शुल्क (बही के अनुसार ₹ में)	बकाया राशि (ब्याज सहित ₹ लाख में)
दुकान सं. 1	531557	श्री हरबंस लाल	5494.00	25.70
दुकान सं. 2	531558	श्री बंसी लाल	5494.00	25.80
दुकान सं. 3	531559	श्री बालाकी राम	15009.00	69.90
दुकान सं. 4	531560	श्रीमती तारा देवी	8156.00	38.44
दुकान सं. 5	531561	श्री तिलक राज	8156.00	40.39
दुकान सं. 6	531562	श्री सुरेन्द्र सेठी	7797.00	36.69
दुकान सं. 7	531563	श्री सोहन लाल	8477.00	41.12
दुकान सं. 8	531564	श्री सत्य प्रसाद	8156.00	37.73
दुकान सं. 9	531565	श्री कस्तूरी लाल	12404.00	59.33
दुकान सं. 10	531566	श्री चून्नी लाल	5513.00	25.12
दुकान सं. 11	531567	मै0 रूपल स्टोर	11479.00	52.29
दुकान सं. 12	531568	श्री बलबीर सिंह	13726.00	65.48
दुकान सं. 13	531569	श्री तिलक राज	8156.00	37.72
दुकान सं. 14	531570	श्री सत्य पाल	8534.00	105.51
दुकान सं. 15	531571	श्री सुरेन्द्र	11669.00	54.82
दुकान सं. 16	531572	श्री सेवा राम	8156.00	38.60
दुकान सं. 17	531573	मोहम्मद युसफ	13962.00	11.48
दुकान सं. 18	531574	श्री प्रेम सागर	5909.00	27.05
दुकान सं. 19	531575	श्री जसवन्त सूद	4812.00	23.07
दुकान सं. 20	531576	श्री चमन लाल	8439.00	39.61
दुकान सं. 21	531577	श्रीमती फूल वती	8420.00	39.52
दुकान सं. 22	531578	श्री गौतम कुमार	8439.00	39.68
दुकान सं. 23	531579	श्री करतार चन्द	8251.00	39.10
दुकान सं. 24	531580	श्री हरी कृष्ण लाल	5079.00	23.04
दुकान सं. 25	531581	श्री संजीव कुमार	10856.00	50.50
दुकान सं 26	531582	श्री नरेश भल्ला	10308.00	47.94
दुकान सं. 27	531583	श्री राम	9044.00	41.71
दुकान सं. 28	531584	श्री संदीप कपूर	9044.00	44.08
दुकान सं. 29	531585	श्री धर्म पाल	9044.00	42.59
जोड़			**257983.00**	**1224.01**

₹ 12.24 करोड़

अनुबंध-एबी

अध्याय-6(पैरा 6.4)

खाली वाणिज्यिक परिसरों का आंबटन न करने के कारण लाइसेंस शुल्क की हानि दर्शाने वाला विवरणी

क्र.स.	सम्पत्ति का पता	खाली करने/कब्जा लेने की तिथि	अन्तिम प्रभारित लाइसेंस शुल्क की दर (₹)	रिक्ति की अवधि महीनों में (जनवरी 2013 को)	आबंटन न करने के कारण लाइसेंस शुल्क की हानि (₹)
01.	दुकान सं. 1 फूड कोर्ट, हनुमान मन्दिर कॉम्पलेक्स	2010	50,000	24	12,00,000
02.	दुकान सं. 2 फूड कोर्ट, हनुमान मन्दिर कॉम्पलेक्स	2010	50,000	24	12,00,000
03.	दुकान सं. 6 फूड कोर्ट, हनुमान मन्दिर कॉम्पलेक्स	2010	50,000	24	12,00,000
04.	दुकान सं. 3 फूड कोर्ट, हनुमान मन्दिर कॉम्पलेक्स	5-10-2011	92,919 +10%	15	15,33,164
05.	दुकान सं. 4 फूड कोर्ट, हनुमान मन्दिर कॉम्पलेक्स	31-12-2011	71,476 +10%	13	10,22,107
06.	दुकान सं. 10, एम्स	2010	50,000	24	12,00,000
07.	फ्लेट् सं. 3, यशवन्त प्लेस	16-04-2009	2,53,000	45	1,13,85,000
08.	दुकान सं. 3 एलजी-57, पालिका प्लेस	30-06-2009	5,500	43	2,36,500
09.	दुकान सं. 3 यूजी-40, पालिका प्लेस	30-08-2010	2,500	29	72,500
10.	दुकान सं. 54, एसबीएस प्लेस	2010	27,100	24	6,50,400

11.	किओस्क सं. के–14, पालिका पार्किंग	24-10-2011	29,805 +10%	15	4,91,783
12.	स्टाल सं. 28, मिनी मार्किट मालचा मार्ग	2010	38,000	24	9,12,000
13.	स्टाल सं. 26, मिनी मार्किट मालचा मार्ग	2010	38,000	24	9,12,000
14.	दुकान सं. एम–33, पालिका भवन	नवम्बर. 2011	27,300 +10%	14	4,20,420
15.	दुकान सं. एम–2, पालिका भवन	28-05-2009	17,000	44	7,48,000
16.	दुकान सं. एम–51, पालिका भवन	2010	34,000	24	8,16,000
17.	दुकान सं. जी–26, पालिका भवन	2010	9,000	24	2,16,000
18.	दुकान सं. एम–43, पालिका भवन	14-06-2011	27,100	19	5,14,900
19.	स्टाल सं. यूएम–4, उद्यान मार्ग	2010	₹ 1 प्रति यूनिट	---	---
20.	स्टाल सं. एस–48, पालिका बाज़ार	मई, 2012	7,000	8	56,000
21.		मई, 2012	38,400 +10%	8	3,37,920
22.	कार्यालय स्थल भूमि तल, चन्द्र लोक बिल्डिंग, जनपथ	2010	42,000	24	10,08,000
23.	कार्यालय स्थल स्टिल्ट तल, चन्द्र लोक बिल्डिंग, जनपथ	2010	70,000	24	16,80,000
24.	कार्यालय यूनिट सं. 34, पालिका प्लेस	31-12-2010	59,600	25	14,90,000
25.से 30	कार्यालय यूनिट सं. 4,5,6,8,40 और 41 पालिका प्लेस (6 यूनिट)	31-12-2010	50,600 प्रति यूनिट	25	75,90,000
31.से 38	कार्यालय यूनिट सं. 12,15,19,20,23,24,27,45 पालिका प्लेस (8 यूनिट)	31-12-2010	25,500 प्रति यूनिट	25	51,00,000

39.से 46.	कार्यालय यूनिट सं. 48,52,53,57,60,61,64 एवं 65 पालिका प्लेस (8 यूनिट)	31-12-2010	25,500 प्रति यूनिट	25	51,00,000
47. से 54.	कार्यालय यूनिट सं 13,14,17,18,21,22,25,26 पालिका प्लेस (8 यूनिट)	31-12-2010	20,000 प्रति यूनिट	25	40,00,000
55. से 62.	कार्यालय यूनिट सं. 46,47,51,54,58,59,62 एवं 63 पालिका प्लेस (8 यूनिट)	31-12-2010	35,000 प्रति यूनिट	25	40,00,000
63. से 64.	कार्यालय यूनिट सं. 33 एवं 66 पालिका प्लेस (2 यूनिट)	31-12-2010	6,200	25	17,50,000
65.	पन थरा स. 3 निकट शंकर मार्किट	17-09-2009	6,003 +10%	40	2,48,000
66.	दुकान सं. 135, पालिका बाज़ार	06-06-2012	42,182 +10%	7	46,223
67.	दुकान सं. 4, पालिका पार्किंग	06-08-2012	42,182 +10%	5	2,32,001
		जोड़			**5,73,68,918**

₹ 5.74 करोड़

अनुबंध एसी

दवाओं की सूची जिनका 1/6 शेल्फ जीवन समाप्त हो चुका था

अध्याय 9 (पैरा 9.1 (i))

क्र.सं.	दवा का नाम, क्र.सं. एवं आकस्मिक बिल सं.	निर्माण निधि	एक्सपायरी की निधि	1/6 अवधि	प्राप्ति की निधि	राशि (₹)
01.	अलका क्रेब 100 एमसी 130/डीएमएस, दिनांक 03.01.12 सी बी-155, दिनांक 29.02	4/11	3/14	6 मास	01-02-12	11,620.00
02.	टेब. लोरवास, एसआर 160/डीएमएस	8/11	7/13	4 मास	01-02-12	8,750.00
03.	सीबी-156 दिनांक 29.02	5/11	4/13	4 मास	22-11-11	382.00
04.	एमिनोफिलीन टीका 105/पीसी-4 सी बी-175, दिनांक 21.02.12	2/12	7/13	3 मास	21-06-12	1,08,000.00
05.	लोसिक्स टीका 17 डीएमएस सीएमएस 228 दिनांक 18.07.12	11/11	10/14	6 मास	30-05-12	10,971.00
06.	टेब लेफ्रा 20 एमजी 42/डीएमएस सीएमएस-248 दिनांक 08.08.12	11/11	10/13	4 मास	25-06-12	29,250.00
07.	टेब पेन्टाफिक्स 40 18/डीएमएस-249 दिनांक 08.08.12	3/12	8/13	3 मास	31-08-12	97,500.00
08.	टेब पायोरेटस्ट 15 18/ डीएमएस, सीएमएस-249 दिनांक 08.08.12	1/12	12/13	4 मास	31-08-12	11,800.00
09.	कोबाडेक्स 169 डीएमएस, सीएमएस-220 दिनांक 12.07.12	8/12	1/14	3 मास	09-02-13	9,400.00

10.	रिलीज़ 150 एमजी 38 डीएमएस, सीएमएस-220 दिनांक 12.07.12	1/12	12/13	4 मास	25-06-12	37,081.00
11	जेन्टील आई ड्रॉप 381/ डीएमएस, सीएमएस-220 दिनांक 12.07.12	11/11	10/13	4 मास	25-06-12	53,335.00
12.	टेब. एन्गिगनार्ड-5 टेब. एन्गिगटोल प्लस टेब. एज़टी-150 टेब. ग्लिट्टर -15 टेब. स्विफलॉक्स – 500 एमजी टेब एनिन एसओ – 32 दि0 29.04.11 सीबी – 59 दि0 05.08.11	9/10 8/10 7/10 11/10 10/09 12/10	8/12 7/12 6/12 10/12 9/12 11/13	4 मास 4 मास 4 मास 4 मास 6 मास 6 मास	26-05-11 26-05-11 26-05-11 26-05-11 24-06-11 24-06-11	13,130.00 19,076.77 15,240.00 6,542.00 64,400.00 6,627.00
13.	टीका लिमिटेक्स एसओ – 144 दि0 29.04.11 सीबी – 159 दि0 05.03.12	1/11	12/12	4 मास	25-07-11	8,250.00
14.	टेब ईबोव 120 एमजी एसओ – 144 दि0 05.01.12 सीबी – 159 दि0 05.03.12	6/11	5/13	4 मास	23-02-12	33,500.00
15.	सर्प कॉनमेक्स-30 एमएल सर्प डायोरोट फोर्ट टेब सिंटिगो 25 एमजी	10/11 7/11 6/11 8/11 6/11	11/12 6/14 5/14 7/13 5/14	2 मास 6 मास 6 मास 4 मास	02-02-12 09-02-12 09-02-12 09-02-12 09-02-12	3,450.00 22,500.00 3,200.00 5,000.00 29,400.00

	सिरप मेक्सिरॉन 30 एमजी टेब डिवोवोल–10 एसओ–162 दिनांक 05.01.12 सीबी–151 दिनांक 07.03.12			6 मास		
16.	टेब नॉरिक्ट एसओ – 140 दि0 05.01.12 सीबी – 163 दि0 13.03.12	9/11	8/13	4 मास	24-02-12	16,920.00
17.	टेब फेबरेक्स प्लस केप. स्परजेस्ट 100 केप टेब स्परोक्ज़ेट एसओ – 146 दि0 05.01.12 सीबी – 164 दि0 14.03.12	2/11 7/11 4/11	01/13 6/13 3/13	4 मास 4 मास 4 मास	01-02-12 01-02-12 01-02-12	45,000.00 2,350.00 42,400.00
18.	टेब क्लोपिज़ेन–75 टेब एलसीफेस–1000 एलकीटो टेब मोटेडुर 10 टेब ओनाज़िट 250 एमजी ओआरएस रिलीट 42 एमजी सेबटोज़ेन लोशन एसओ–77 दिनांक 26.09.11 सीबी–165 दिनांक 14.03.12	5/11 5/11 4/11 4/11 2/11 4/11 5/11	4/13 4/13 3/13 3/13 1/14 3/13 4/13	4 मास 4 मास 4 मास 4 मास 6 मास 4 मास 4 मास	20-10-11 20-10-11 20-10-11 20-10-11 20-10-11 20-10-11 20-10-11	18,760.00 11,115.00 3,872.00 11,515.00 42,466.34 32,000.00 6,790.00

19.	टेब इंडीटोर 2.5 टेब टेब ओक्यूरेक्स एसओ–147 दिनांक 05.01.12 सीबी–170 दिनांक 21.03.12	7/11 5/11	6/13 4/14	4 मास 4 मास		35,00.00 45,00.00
20.	साइक्लोटन टेब बायोट्ट आई ड्रॉप्स बायोट्ट–डी बायोनस–ई 2 टेब जीएलआई–80 स्क्रीटोकेम फोर्ट टोबी आई ड्रॉप टोबी–डी ओलवोर सिरप टेब बायोलेक्स एसओ–135 दिनांक 5.01.12 सीबी–174 दिनांक 02.03.12	8/11 8/11 8/11 6/11 3/11 7/11 8/11 8/11 6/11 9/11	7/13 7/13 7/13 5/13 2/14 6/13 7/13 7/13 5/13 8/13	4 मास 4 मास 4 मास 4 मास 6 मास 4 मास 4 मास 4 मास 4 मास 4 मास	23-01-12 17-01-12 17-01-12 17-01-12 17-01-12 17-01-12 17-01-12 01-02-12 13-03-12	3,390.00 1,365.00 3,450.00 35,140.00 10,476.00 3,200.00 7,574.00 14,460.00 1,009.00 4,500.00
21.	ब्लूज़ोल ब्लूज़ोल रेन बायोटिक–10 एमएल एसओ–158 दिनांक 05.01.12 सीबी–177 दिनांक 27.03.12	5/11 5/11 4/11	4/14 4/14 3/13	6 मास 6 मास 4 मास	06-02-12 06-02-12 06-02-12	13,534.00 6,666.00 2,050.00
22.	इम्प. डेबिन–2 एमएल	7/11	6/13	4 मास	14-02-12	10,000.00

	टेब लोसपॉट–50 एसओ–145 दिनांक 05.01.12 सीबी–175 दिनांक 27.03.12	4/11	3/13	4 मास	28-02-12	9,750.00
23.	एम्प्यूरिन–250 एमजी क्लोपिज़ेन 75 फ्लूज़िन 20 एमजी पाज़ोन–डी टोपोविड–ऑयन्टमेंट एल्डस्क्विसन–250 एम केप एपरिन–75 एपरिन–75 एसओ–141 दिनांक 05.01.12 सीबी–181 दिनांक 27.03.12	9/11 5/11 9/11 8/11 8/11 7/11 3/11 3/11	8/13 4/13 8/13 7/13 7/13 6/13 2/13 2/13	4 मास 4 मास 4 मास 4 मास 4 मास 4 मास 4 मास 4 मास	01-02-12 01-02-12 01-02-12 01-02-12 01-02-12 16-02-12 16-02-12 06-02-12	5,335.00 46,900.00 904.00 8,090.00 9,895.00 32,980.00 7,690.00 974.00
24.	ल्यूपिमेक्स–250 केनाजोक लोशन एसओ–151 दिनांक 05.01.12 सीबी–186 दिनांक 29.03.12	10/11 3/11	9/13 2/13	4 मास 6 मास	28-03-12 26-03-12	1,04,400.00 5,580.00
25.	एलडोज़िन–250 एमजी फ्लूज़ेंट–150 एमजी एलसिटापाज़्म जेन्टोलक्स 170 एमएल	1/12 2/12 1/12 2/12 1/12	12/13 1/14 12/13 1/14 12/13	4 मास 4 मास 4 मास 4 मास	13-07-12 13-07-12 07-07-12 07-07-12 07-07-12	32,980.00 2,780.00 2,134.00 9,380.00 8,478.00

	रेबिज़ीना डीएसआर केप. ज़ोटाडोल 50 एमजी एसओ–24 दिनांक 29.05.12 सीबी–229 दिनांक 18.07.12	1/12	12/13	4 मास 4 मास	07-07-12	3,300.00
26.	केप. ईकाटेल ज़ेड एसओ–26 दिनांक 29.05.12 सीबी–239 दिनांक 27.07.12	3/12	8/13	3 मास	13-07-12	2,184.00
27.	टेब चिज़िन फोर्ट एसओ–15 दिनांक 29.05.12 सीबी–243 दिनांक 28.07.12	5/11 6/11	4/14 5/14	6 मास 6 मास	25-06-12 25-06-12	1,39,000.00
28.	टेब डिलकॉर्डिया एसओ– 31.12.13 सीबी–353 दिनांक 25.02.13	2/12	1/16	8 मास	04-12-13	9,000.00
जोड़						**14,08,141.11**

₹ 14.08 लाख

अनुबंध एडी

2011-13 की अवधि के दौरान सेन्ट्रल मेडिकल स्टोर पर एक्स्पॉयर्ड दवाओं की विवरणी

अध्याय-9 (पैरा 9.1 (ii))

क्र.स.	दवा का नाम	एक्सपायरी की तिथि	प्राप्ति की तिथि	स्टॉक में मात्रा	यूनिट दर ₹ में	टिप्पणी	राशि ₹ में
1.	टेब पेरिनॉर्म	06/12	13/09/10	11,450	-----	लागत वसूल कर ली गई	
2.	टेब क्लोरोक्वीन	10/12	01/09/12	31,000	-----	नि:शुल्क	
3.	टेब मीटोज़	03/13	28/06/10	6950	7.40	वचन के अनुसार प्रतिस्थापन हेतु अधिसूचित	51430
4.	ल्यूबिक जैली	11/11 & 02/12	30/08/10& 04/10/10	114 + 34 = 148	120.50	–वही–	17834
5.	मोफ्लोरेन आई ड्रॉप	07/12	25/10/10 02/11/10	445	24	प्रतिस्थापन हेतु कम्पनी को वापिस	10680
6.	ऑयन्टमेंट एक्सायोसिन 5 प्रतिशत (टयूब)	09/11	27/02/08	108	24.42	–वही–	2637
7.	सिरप पोटासोल	02/13	20/09/10	50	19.40	–वही–	970
8.	इंजे. कार्बोप्रोस्ट	02/13	24/12/12	100	349	–वही–	34900
9.	इंजे. नोराड	10/12	09/11/11	24	467	–वही–	11208
10.	इंजे. नियोक्रोम	12/12	13/02/12	180	175.80	–वही–	31644
11.	इंजे. सुकोस	03/13	13/02/12	55	40.65	–वही–	2236
12.	इंजे. साईक्लोपाम	09/12	29/01/11	5265	18.27	–वही–	96191
13.	इंजे. साईक्लोपाम	02/13	26/05/11	2763	18.27	–वही–	50480
14.	इंजे. बॉयोस्ट्रोन	12/12	23/05/11	2685	51.74	–वही–	138922
15.	एक्रीफ्लेविन पाऊडर	01/13	30/04/10	24 पैकेट	121.50	–वही–	2916
16.	जेन्टियन वॉयलेट	03/13	03/05/10	111	41.40	अधिसूचित	4595
17.	टिंचर बेनजॉयन	03/13	28/05/10	59	121.50	–वही–	7168
						जोड़	**463811**

₹ 4.64 लाख